लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

Conservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक–सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19, गुरूवार, 14 अगस्त, 1969/23 श्रावण, 1891 (शक)

No. I9, Thursday, August, 14, 1969/Sravana 23, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
541 अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उपलब्ध लकड़ी का लाया जाना	Transhipment of wood produced in Andaman and Nicobar Islands	1-4
542 कनाडा द्वारा पोटाश अम्ललवण उर्वरक की सप्लाई	Supply of Muriate of Potash Fertiliser by Canada	4-7
543 इंजीनियरिंग कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि	Increase in the Wages of the Engineering Workers	7-10
544 वनस्पति तेलों के अधिक मूल्य	High Prices of Vegetable Oils	10-12
545 गन्ने का मूल्य	Price of Sugarcane	25-15
546 आकाशवाणी के कर्मचारी-कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्टों) की मांगें	Demands of Staff Artistes of AIR	15-18
अ० सू० प्र० संख्या 5 S. N. Q. Nos. 5		
डाक के थैले में छिपाये बम का विस्फोट	Exploison of a Bomb concealed in Mail Bag.	18.23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos.		
547 आकाशवाणी का विज्ञापन विभाग	Advertisement Division of AIR	23
548 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध के मूल्यों में कमी	Reduction in the Prices of Milk supplied by Delhi Milk Scheme	23-25
549 आकाशवाणी से चुनाव सम्बन्धी प्रसारण	Election Broadcasts from All India Radio	25
550 मृत्यु सहायता लाभ देने के उपबन्धों को उदार बनाना	Liberalisation of Death Relief benefit	25-26
551 दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था	Working of Telephone in Delhi	26

* किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign-|-marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
552	दिल्ली में भवन निर्माण मजदूरों को न्यूनतम मजूरी देने का ठेकेदारों द्वारा विरोध	Opposition by Contractors against Minimum Wages for Building Workers in Delhi	26
553	रोजगार कार्यालय अधिनियम में संशोधन	Amendment of Employment Exchanges Act	26-27
554	डाक तथा तार बोर्ड को वाणिज्य निगम के रूप में बदलना	Conversion of P & T Board into a Commercial Corporation	27
555	दिल्ली में ट्रैक्टरों का वितरण	Distribution of Tractors in Delhi	28
556	कृषि कार्यक्रम	Agricultural Programmes	28-30
557	अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें	Complaints regarding inflated Telephone Bills	30
558	खानों में लोगों की नियुक्ति	Recruitment of Person in Mines	30-31
559	वनों में औद्योगिक कच्चे माल का सर्वेक्षण	Survey of Industrial Raw Material in the Forests	31
560	समाचारपत्र उद्योग में एकाधिकार	Monopoly in Newspaper Industry	31-32
561	चौथी योजना में आकाशवाणी के नए केन्द्रों का खोला जाना	Opening of New Radio Stations during Fourth Plan	32-33
562	कलकत्ता में टेलीफोन सेवाओं में अव्यवस्था	Deterioration in Telephone Service in Calcutta	32
563	कृषि क्रांति के कृषकों को लाभ	Benefits of Green Revolution to Farmers	33
564	कपड़ा मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का विरोध	Opposition to Wage Board's Recommendations for Textile Workers	33-34
565	राष्ट्रीय श्रम आयोग की बैठक	Meeting of National Labour Commission	34
566	बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar State Co-operative Marketing Union	34-35
567	पुनर्वास उद्योग निगम में कर्मचारियों के वेतनमान तथा काम की शर्तें	Pay scales and working conditions of the workers in the Rehabilitation Industries Corporation	35
568	कृषि के क्षेत्र में सहयोग के बारे में पोलैंड के मन्त्रियों के साथ वार्ता	Discussion with Polish Ministers on collaboration in the Field of Agriculture	35
569	पुनर्वास उद्योग निगम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to the Rehabilitation Industries Corporation	36

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
570 कीटनाशी दवाओं के विशेषज्ञों को अमरीका में प्रशिक्षण	Training of Pesticide Experts in United States of America	36-37
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3521 स्टाफ आर्टिस्ट संस्था	Staff Artistes Association	37
3522 भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	37-38
3523 मान्यता प्राप्त विदेशी संवाददाता	Foreign accredited press correspondents	38
3524 होटल प्रबन्ध तथा भोजन व्यवस्था प्रौद्योगिकी संस्था	Institute of Hotel Management and Catering Technology	38-40
3525 समाचारपत्रों के संवाददाताओं के दौरे	Tours by Press Correspondents	40
3526 भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न का खराब हो जाना	Foodgrains becoming unfit in FCI Godowns	40-41
3527 पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons from West Pakistan	41-42
3528 खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार के कारण हानि	Loss due to state trading in food grains	42
3529 आकाशवाणी का निरीक्षण एकक	Inspection unit of AIR	42-43
3530 गुजरात में अधिक उपज वाली किस्में उगाने संबन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि	Land under High yielding varieties programme in Gujarat	43-44
3531 आकशवाणी में कार्यक्रम संयोजन और प्रस्तुतीकरण संवर्गों का मिलाया जाना	Merger of Programme and Production cadres in AIR	44-45
3533 सूरत (गुजरात) में रेडियो स्टेशन	Radio Station for Surat (Gujarat)	45
3534 भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात में खरीदा गया अनाज	Foodgrains purchased by Food corporation of India	45
3535 चीफ कन्ट्रोलर आफ टेलीग्राफ स्टोर्स, कलकत्ता के विरुद्ध आरोप	Allegation against Chief Controller of Telegraph stores, Calcutta	45-46
3536 महाराष्ट्र में छोटी सिंचाई योजना के लिए धन का नियतन	Allocation of fund for minor irrigation scheme in Maharashtra	46
3537 आकाशवाणी से वार्ता प्रसारण के लिये बुलाए गए व्यक्ति	Personsinvited for talks on AIR	46-47
3538 हिन्दी की परीक्षा पास करने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को नकद पुरस्कार का दिया जाना	Payment of cash awards to employees in the Employees' State Insurance Corporation for Passing Hindi Examination	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3539 मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिये धन का नियतन	Allocation of funds for Irrigation in Madhya Pradesh	47-48
3540 बिहार के गया जिले में फतेहपुर सांधा में नया डाकघर	New Post office at Fatehpur Sandha in District Gaya (Bihar)	48-49
3541 भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में शिकायतें	Complaints regarding working of Food corporation of India	49
3542 भूमिगत जल संसाधनों का सर्वेक्षण करने के बाद बनाई गई योजना	Scheme after the survey of under ground water Resources	49
3543 हिमाचल प्रदेश के लिए छोटी सिंचाई योजनाएं	Minor irrigation schemes for Himachal Pradesh	49-50
3544 अंगूर तथा फलों को उगाने के लिए राजस्थान के रेगिस्तान को पट्टे पर दिये जाने की इजराइल की मांग	Israel's request for leasing of Rajasthan desert for girowng grapes and fruits	50
3545 ट्रैक्टरों का आयात	Imports of Tractors	50-51
3546 गुजरात तथा राजस्थान में कृषि उत्पादिता में कमी	Fall in Agriculture productivity in Gujarat and Rajasthan	51
3547 किसानों की समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेष अभिकरण	Special agency for study of problems of farmers	51-52
3548 पश्चिम बंगाल द्वारा किसानों को ऋण दिया जाना	Advance of loan to farmers by West Bengal Government	52-53
3549 छोटी सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation Scheme	53-54
3550 युवकों के लिए आकाशवाणी का कार्यक्रम	All India Radio Programme for Youths	54
3551 आकाशवाणी में पदों पर नियुक्ति	Recruitment to posts in AIR	54
3552 दूध की प्रति व्यक्ति खपत	Per capita consumption of milk	54-55
3553 गोरखपुर और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था	Direct dialing between Gorakhpur and Delhi	56
3554 विज्ञापनों का प्रसारण	Commercial Broadcasts	56
3555 दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के जिलों के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइनें	Trunk telephone lines between Delhi and Eastern Districts of Uttar Pradesh	56-57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3556 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदे गये दूध का मूल्य	Procurement price of milk by Dlehi Milk Scheme	57
3557 अन्दमान निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी का चोर बाजार में बेचा जाना	Timber sold in Blackmarket in the Andaman Nicobar Islands	58
3558 गैर सरकारी क्षेत्र में कुशल श्रमिकों को रोजगार	Employment of skilled labour in Private Sector	58-59
3559 फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की गई फिल्में	Films censored by Board of Film censors	59
3560 दुग्ध तथा घी का आयात	Import of Milk Powder Ghee	59
3561 नई दिल्ली में सारे दिन खुले रहने वाले दूध के डिपो	Full time milk depo's in New Delhi	59-60
3562 नई दिल्ली के 'जी' पाइन्ट एरिया में रहने वाले डाक तथा तार कर्मचारियों की आवास की स्थिति	Housing conditions of P and T Employees living in the 'G' Point Area of New Delhi	60
3563 गेहूँ और चावल की वसूली	Procurement of wheat and rice	60-61
3564 नौसेना जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा मछली-पालन सम्बन्धी सर्वेक्षण	Survey of fisheries by Nayal Hydrographic organisation	61-62
3565 आकाशवाणी की वैदेशिक सेवा डिवीजन द्वारा प्रसारण	Broadcasts by External Services Division of AIR	62-64
3566 कृषि विकास के लिये फ्रांस के साथ करार	Agreement with France for Agricultural development	64
3567 कृषि प्रयोजनों के लिए विमानों का प्रयोग	Aerial Operations for Agricultural Purposes	64-65
3568 फल सम्बन्धी विश्व सम्मेलन	World conference on Fruits	65
3569 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद 'पैकरों' की भर्ती	Recruitment of Packers after the strike of 19th September, 1968	65-66
3570 कृषि श्रम जांच के प्रतिवेदनों को हिन्दी में प्रकाशित करना	Publication of Reports of Agriculture Labour Enquiry in Hindi	66
3571 पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में गृह-कार्य मन्त्रालय के अनुदेश की क्रियान्विति	Implementation of the Instruction of the Ministry of Home Affairs regarding Reservations in Promotions	66

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
3572 तार मनीआर्डरों की वापसी	Returning of Telegraphic Money Orders	67
3573 केरल के थियेटरों में दिखाई गई छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्म	Guerilla Warfare Films shown in Kerala Theatres	67-68
3574 दिल्ली में चिड़ियाघर का विकास	Development of Zoo in Delhi	68-69
3575 दिल्ली कंज्यूमर्स कोआपरेटिव होलसेल स्टोर्स	Delhi consumers cooperative wholesale stores	69-70
3576 महाराष्ट्र में कृषि उद्योग निगम	Agro Industrial Corporation in Maharashtra	70
3577 कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान	Payment of Employees Provident Fund Amount	70
3578 बिहार में सहकारी आन्दोलन	Cooperative Movement in Bihar	70-71
3579 भूमि को कृषि योग्य बनाना	Land Reclamation	71
3580 सुपर बाजार नई दिल्ली को पट्टे पर दी गई भूमि	Land given on lease to Super Bazar, New Delhi	71-72
3581 सिन्धी में आकाशवाणी का समाचार बुलेटिन	All India Radio News Bulletin in Sindhi	7 -73
3582 पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जम्मू तथा काश्मीर में सम्पत्ति-अधिकार	Property Righs to Refugees from Pakistan in J and K	73
3583 सेलेक्शन ग्रेड के उच्च पद बनाना	Creation of Higher Selection Grade posts	73-74
3584 गांधी नगर डाक डिवीजन का दो शाखाओं में विभाजन	Bifurcatian of Gandhinagar postal Division	74
3585 आकाशवाणी से उत्तर बिहार के लिए मौसम सम्बन्धी बुलेटिन का प्रसारण	AIR Weather Bulletin for North Bihar	74-75
3586 स्थानीय भाषाओं में मौसम सम्बन्धी बुलेटिन का प्रसारण	Broadcast of weather bulletin in Local Languages	75
3587 भूमिगत टेलीफोन तारों की चोरी	Theft of Underground telephone cables	75-76
3588 फल उगाने के लिये मध्य प्रदेश में भूमि परीक्षण	Testing of soil in Madhya Pradesh for growing fruits	76
3589 मध्य प्रदेश में कृषि विकास	Development of agriculture in Madhya Pradesh	76-77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
3590 भारतीय सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा सम्मेलन	Indian cooperative Training and Education Conference	77
3591 ट्रैक्टर खरीदने के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय ऋण	Central loan to Madhya Pradesh for purchase of Tractors	77
3592 इन्दौर डिवीजन में टेलीफोन केन्द्रों तथा सार्वजनिक टेलीफोनों का विकास	Development of Telephone Exchanges and public call offices in Indore Division	77-78
3593 पी एल 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात	Import of food grains under P. L. 480	78-79
3594 टेलीफोनों की मांग तथा सप्लाई	Demand and supply of Telephones	79
3595 डाक व तार विभाग में महिला कर्मचारी	Female Workers in P and T Department	79-80
3596 मेरठ के रामनगर डाकघर में बचत बैंक के लेखे में गड़बड़ी	Misappropriation of Savings Bank Accounts in Ramnagar P.O. Meerut	80
3597 उज्जैन में रात्रि के कार्य करने वाला उप-डाकघर	Night sub-post office at Ujjain	80
3598 पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी	Unemployment in West Bengal	80-81
3599 सहकारिता सम्बन्धी विधियों का संशोधन	Amendment of co-operative Laws	81
3600 बिहार सर्किल में काम करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टर	Residential Accommodation to Employees in Bihar Circle	81-82
3601 ट्रंक कालों के बकाया बिल	Outstanding Trunk Call Bills	82-84
3602 संचार सुविधाओं के लिये देहाती क्षेत्रों में ट्रैंजिस्ट्राइज्ड टेलीफोन	Transistorised Telephones in the rural areas for Communication facilities	84
3603 शिविरों में शरणार्थी	Refugees in Camps	84-85
3604 रिमिंगटन रैंड आफ इंडिया कम्पनी में स्वचालित मशीनों का लगाया जाना	Automation in Remington Rand of India Company	85
3605 भूमिगत जल के संसोधन	Ground water Resources	85-86
3606 पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियां	Co-operative societies in West Bengal	86
3607 आकाशवाणी के कार्यक्रम-संचालकों का एक केन्द्र में अधिक समय तक रहना	Long stay of AIR Programme Executives at one Station	86-87

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3608	कल-पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े नलकूप	Tube wells lying idle for want of spare parts	87
3609	फलों को भंडार में रखना तथा उनका परिवहन	Storage and transportation of fruits	87
3610	अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to states for Grow More Food Scheme	87-89
3611	दिल्ली/नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध केन्द्र खोलना	Opening of Booths by DMS in Delhi/New Delhi	89
3612	गन्ने और पटसन की उपज	Yield of Sugarcane and Jute	89
3613	तराई बीज निगम	Terai Seed Corporation	89-90
3614	उड़ीसा के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना	Deep Sea fishing scheme for Orissa	90
3615	उड़ीसा में सहकारी भू-बन्धक बैंकों को ऋण-सहायता	Loan assistance to cooperative land mortgage banks, Orissa	90-91
3616	विदेशी राजनैतिक प्रचारकों का पंजीकरण	Registration of Foreign Lobbyists	91
3617	पंचायतों, ब्लाकों तथा तालुक मंडलों में सेवायें	Services in Panchayats, Blocks and Taluk Boards	91-92
3618	दिल्ली की विभिन्न प्रौद्योगिक संस्थाओं में फायरमैन प्रशिक्षकों की सेवावधि में वृद्धि	Expansion of Service to Foreman Instructors in I. T. Is. in Delhi	92-93
3619	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की सीधी भर्ती	Direct Recruitment in Employees Provident Fund Organisation	93
3620	ग्राम समाज द्वारा भूमि के आवंटन के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against allotment of land by Gram Samaj	93-94
3621	मध्य प्रदेश में दस्यु-ग्रस्त क्षेत्रों में तार सेवा	Telegraph system in Dacoit infested area of Madhya Pradesh	94
3622	आकाशवाणी, दिल्ली में महिलाओं के कार्यक्रम का उद्घोषक (कम्पीयर) की नियुक्ति	Appointment of a compere for Women's Programme, AIR, Delhi	94-96
3623	बेरोजगार इन्जीनियरों के लिए कार्य-केन्द्र	Work centres for unemployed Engineers	96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3624 विज्ञापनों पर लागत	Cost of advertisements	96-97
3625 गायों, भैंसों आदि की वृद्धि तथा घी के उत्पादन पर उसका प्रभाव	Increase of cows, Buffaloes, sheep and its effect on production of Ghee	97
3626 अनाज की हानि	Loss of food	97
3627 टेलीविजन के शिक्षा कार्यक्रम के लिये स्थायी कलाकार	Staff artistes for T. V. Educational Programme	98
3628 आकाशवाणी दिल्ली के एक हिन्दी प्रस्तुतकर्ता द्वारा दुर्व्यवहार	Misbehaviour by a Hindi Producer of AIR Delhi	99
3629 सुधरे हुये बीजों के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan by world Bank for improved seeds	99
3630 19 सितम्बर, 1968 को होशंगाबाद डाक डिवीजन में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Employees on strike in Hoshangabad Postal Division on September 1968	100
3631 पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण का पुनरीक्षण	Review of working of Panchayati Raj Bodies	100
3632 समाचार भारती समाचार अभिकरण की आकाशवाणी के साथ टेलीप्रिंटर व्यवस्था	Teleprinter arrangement of Samachar Bharati News Agency with AIR	101
3633 रेल डाक सेवा अम्बाला के वरिष्ठ अधीक्षक का दुर्व्यवहार	Misbehaviour of Senior Supdt. of RMS. Ambala	101-102
3634 नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में बन्द किये गए डाकघर	Post Offices closed in Narsingpur and Hoshangabad (M. P.)	102-103
3635 मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संचार के साधन	Means of Communications in backward areas of Madhya Pradesh	103
3636 आकाशवाणी का 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम	Spotlight programme of AIR	103
3637 दिल्ली दुग्ध योजना के लोअर डिवीजन क्लर्कों/कैश क्लर्कों का स्थायीकरण	Confirmation of LDC Cash clerks in Delhi Milk scheme	103-104
3638 भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे रेलवे विभाग के अधिकारी	Railway department offices working on deputation in Food Corporation of India	104
3639 रेलवे बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में रोजगार देना	Employment of retired employees of the Railway Board in Food Corporation of India	104-105

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3640 समाचार भारती के कर्मचारियों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by the employees of Samachar Bharti	105
3641 ट्रैक्टरों का आयात तथा निर्माण	Import and manufacture of tractors	105-106
3642 श्रम विधियों में संशोधन	Amendment of labour laws	106
3643 बंगलौर के लिए टेलीविजन	T. V. for Bangalore	106-107
3644 दक्षिण भारत के नगरों में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार	Improvement in telephone system in South Indian cities	107
3645 तमिलनाडु में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Tamil Nadu	107-108
3646 फीरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन के डाकघर में गोलमाल	Fraud in Railway Station Post office Ferozepur Cantt.	108-109
3647 कोयला खान मजूरी बोर्ड की उपदान संबंधी सिफारिश की कार्यान्विति	Implementation of the coal Wage Board recommendation on gratutity	109-110
3648 1971 तक अनाज का निर्यात	Export of food by 1971	110
3649 खरीफ की फसल की संभावना	Prospects of Kharif Crop	110-111
3650 गुजरात के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाकघर	Post Offices in Rural and Urban areas of Gujarat	111
3651 चीतों की संख्या में कमी	Decrease in leopard's population	111-112
3653 नई किस्म का लौबिया	New Variety of cow-pea	112
3654 जहानाबाद से बिहार शरीफ तक सड़क का निर्माण	Construction of road from Jehanabad to Bihar Sharif	112-113
3655 राज्य परिवहन कर्मचारी संघ, बिहार को मान्यता प्रदान करना	Recognition of the Rajya Pariwahan Karmachari Sangh, Bihar	113
3656 उड़ीसा के फूलबानी जिले के लिये विशेष क्षेत्र विकास योजना	Special area development scheme for Phulbani, District of Orissa	113-114
3657 अपोलो-11 सम्बन्धी समाचार भेजने के लिये पेरिस में आकाशवाणी का संवाददाता	AIR correspondent in Paris for despatch of News about Appollo-11	114
3658 पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र	Panchayati Raj Training Centres	114-115
3659 मनीपुर में टेलीफोन	Telephone connection in Manipur	115
3660 मनीपुर के पहाड़ी सब डिवीजन के लिए टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities to Hill-subdivision of Manipur	115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3661 मनीपुर में स्त्रियों को रोजगार	Employment of women in Manipur	116
3662 कृषि के विकास के लिए अमरीका द्वारा सहायता	Aid by US for development of agriculture	116
3663 संगीत तथा नाटक प्रभाग के कार्यक्रम	Programmes of Song and Drama Division	116-117
3664 आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of Yuva Vani Programme on AIR	117
3665 उत्तर प्रदेश में चीनी के मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग	Demand for Nationalisation of Sugar mills in U. P.	117-118
3666 आकाशवाणी में साधारणतया प्रयोग में आने वाले हिन्दी के शब्दों का प्रयोग	Lexicon of Commonly used Hindi words in AIR	118
3667 उत्तर प्रदेश समाज सहकारी गृहनिर्माण समिति, दिल्ली	U. P. Samaj Cooperative House Building Society, Delhi	118-119
3668 सूरत गढ़ प्रक्षेत्र में बाढ़ के पानी से हानि	Damage caused by flood water in Suratgarh Farm	119
3669 दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of foodgrains in Delhi	119
3670 उत्तर गौहाटी तथा अमीनगांव के बीच सीधी टेलीफोन लाइन	Direct telephone line between North Gauhati and Amingaon	119-120
3671 निर्यात के लिए शराब बनाने के लिए अंगूरों के बाग लगाना	Setting of vineries to Manufacture wines for export	120
3672 कीटाणुनाशक औषधियों का मूल्य	Price of pesticides	120
3673 बिहार में खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of foodgrain in Bihar	121
3674 चम्पारन जिले में शरणार्थी	Refugees in Champaran District	121
3675 बिहार में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Bihar	122
3676 कालकाजी कालोनी नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Refugees from East Pakistan in Kalkaji Colony, New Delhi	122
3677 पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को गृहनिर्माण ऋण	House Building loan to the Displaced persons from East Pakistan	123
3678 आकाशवाणी के विदेश सेवा तथा समाचार सेवा प्रभागों में प्रोड्यूसरों की संख्या	Producers in External services and News Services Divisions of AIR	123

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
3640	समाचार भारती के कर्मचारियों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by the employees of Samachar Bharti	105
3641	ट्रैक्टरों का आयात तथा निर्माण	Import and manufacture of tractors	105-106
3642	श्रम विधियों में संशोधन	Amendment of labour laws	106
3643	बंगलौर के लिए टेलीविजन	T. V. for Bangalore	106-107
3644	दक्षिण भारत के नगरों में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार	Improvement in telephone system in South Indian cities	107
3645	तमिलनाडु में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Tamil Nadu	107-108
3646	फीरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन के डाकघर में गोलमाल	Fraud in Railway Station Post office Ferozepur Cantt.	108-109
3647	कोयला खान मजूरी बोर्ड की उपदान संबंधी सिफारिश की कार्यान्विति	Implementation of the coal Wage Board recommendation on gratutity	109-110
3648	1971 तक अनाज का निर्यात	Export of food by 1971	110
3649	खरीफ की फसल की संभावना	Prospects of Kharif Crop	110-111
3650	गुजरात के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाकघर	Post Offices in Rural and Urban areas of Gujarat	111
3651	चीतों की संख्या में कमी	Decrease in leopard's population	111-112
3653	नई किस्म का लौबिया	New Variety of cow-pea	112
3654	जहानाबाद से बिहार शरीफ तक सड़क का निर्माण	Construction of road from Jehanabad to Bihar Sharif	112-113
3655	राज्य परिवहन कर्मचारी संघ, बिहार को मान्यता प्रदान करना	Recognition of the Rajya Pariwahan Karmachari Sangh, Bihar	113
3656	उड़ीसा के फूलबानी जिले के लिये विशेष क्षेत्र विकास योजना	Special area development scheme for Phulbani, District of Orissa	113-114
3657	अपोलो-11 सम्बन्धी समाचार भेजने के लिये पेरिस में आकाशवाणी का संवाददाता	AIR correspondent in Paris for despatch of News about Appollo-11	114
3658	पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र	Panchayati Raj Training Centres	114-115
3659	मनीपुर में टेलीफोन	Telephone connection in Manipur	115
3660	मनीपुर के पहाड़ी सब डिवीजन के लिए टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities to Hill-subdivision of Manipur	115

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
3661 मनीपुर में स्त्रियों को रोजगार	Employment of women in Manipur	116
3662 कृषि के विकास के लिए अमरीका द्वारा सहायता	Aid by US for development of agriculture	116
3663 संगीत तथा नाटक प्रभाग के कार्यक्रम	Programmes of Song and Drama Division	116-117
3664 आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of Yuva Vani Programme on AIR	117
3665 उत्तर प्रदेश में चीनी के मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग	Demand for Nationalisation of Sugar mills in U. P.	117-118
3666 आकाशवाणी में साधारणतया प्रयोग में आने वाले हिन्दी के शब्दों का प्रयोग	Lexicon of Commonly used Hindi words in AIR	118
3667 उत्तर प्रदेश समाज सहकारी गृहनिर्माण समिति, दिल्ली	U. P. Samaj Cooperative House Building Society, Delhi	118-119
3668 सूरत गढ़ प्रक्षेत्र में बाढ़ के पानी से हानि	Damage caused by flood water in Suratgarh Farm	119
3669 दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of foodgrains in Delhi	119
3670 उत्तर गौहाटी तथा अमीनगांव के बीच सीधी टेलीफोन लाइन	Direct telephone line between North Gauhati and Amingaon	119-120
3671 निर्यात के लिए शराब बनाने के लिए अंगूरों के बाग लगाना	Setting of vineries to Manufacture wines for export	120
3672 कीटाणुनाशक औषधियों का मूल्य	Price of pesticides	120
3673 बिहार में खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of foodgrain in Bihar	121
3674 चम्पारन जिले में शरणार्थी	Refugees in Champaran District	121
3675 बिहार में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in Bihar	122
3676 कालकाजी कालोनी नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to Refugees from East Pakistan in Kalkaji Colony, New Delhi	122
3677 पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को गृहनिर्माण ऋण	House Building loan to the Displaced persons from East Pakistan	123
3678 आकाशवाणी के विदेश सेवा तथा समाचार सेवा प्रभागों में प्रोड्यूसरों की संख्या	Producers in External services and News Services Divisions of AIR	123

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.			
3679	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राणिविज्ञ द्वारा मछली प्रजनन प्रणाली की खोज	Discovery of fish breeding method by Zoologist of Delhi University	124
3680	राजस्थान की खाद्य समस्या	Food problem of Rajasthan	124-125
3681	गुजरात में कृषि उद्योग निगम	Agro-Industries Corporation in Gujarat	125
3682	टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि	Telephone Revenue Arrears	125-126
3683	त्रिपुरा में भूख से मौतें	Starvation Deaths in Tripura	126
3684	दूरदर्शन केन्द्र के प्रयोगशाला सहायकों, फ्लोर सहायकों तथा सामान्य सहायकों के वेतनमान	Pay scale of Laboratory assistants, Floor Assistants and General Assistants in T. C. Centre	127
3685	प्रतिरक्षा मन्त्रालय के पत्रकारों के पदों का केन्द्रीय सूचना सेवा में विलय	Merger of journalistic posts of Defence Ministry in the Central Information Service	127-128
3686	इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्रों का विकास	Development of Electronic Telephone Exchanges	128
3687	चांद पर मानव के उतरने की स्मृति में विशेष डाक टिकट जारी करना	Special stamp to mark the landing on moon	128
3688	मत्स्यपालन के विकास संबंधी भारत-नार्वे परियोजना में नार्वे के कर्मचारी	Norwegian personnel in Indo-Norwegian project for development of fisheries	128-129
3689	कृषकों द्वारा ट्रैक्टरों की खरीद तथा देखभाल	Purchase and Maintenance of Tractors by Farmers	129-130
3690	त्रिपुरा में सहकारी संस्थाएं	Cooperatives in Tripura	130
3691	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में न्यूनतम मजूरी का निर्धारण	Fixation of minimum wages in Andaman and Nicobar Islands	130-131
3692	राज्यों द्वारा सोयाबीन की मांग	Soyabean demanded by states	131
3693	केन्द्रीय कृषि उद्योग निगम	Central Agro-Industrial Corporation	131
3695	दिल्ली के उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए स्वदेशी गेहूँ देना	Release of Indigenous wheat for supply to Delhi Consumers	132
3696	संचार विभाग में वास्तुशिल्पियों की संख्या	Architects working in Communication Department	132-133

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U.S. Q. Nos.		
3697 गैर सरकारी वास्तुशिल्पियों और अभियन्ताओं को दिया गया काम	Work given to Private Architec's and Engineers	133-134
3698 ठेके के आधार पर काम करने वाला कलाकार	Staff artistes on contract basis	134
3699 कृषि उद्योग निगमों के अध्यक्षकों तथा प्रबन्ध निदेशकों का सम्मेलन	Conference of Chairman and Managing Directors of Agro-Industrial Corporations	134
3700 चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या का कम होना	Decline in employment in Tea Gardens	134-135
3701 अभ्रक उद्योग में काम करने वाले श्रमिक	Labour employed in Mica Industry	135
3702 अंदमान वन विभाग के औद्योगिक कर्मचारियों के पेंशन के मामला को निपटाना	Finalisation of Pension cases of Industrial staff in Andamans Forest Department	135
3703 अन्दमान वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वेतन लिया जाना	Drawing of pay of Andaman Forest Department Employees	135-136
3705 वन विभाग, अन्दमान द्वारा काटी गई लकड़ी के लट्ठों की ढुलाई	Removal of logs extracted by forest Department, Andamans	136
3706 त्रिपुरा में पंचायतों के प्रधानों को अधिकार	Powers of Panchayat Pradhans in Tripura	136-137
3707 संसद सदस्यों के टेलीफोन के बिल	Telephone Bills of Members of Parliament	137
3708 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से रोजगार की स्थिति पर प्रभाव	Effect of the Nationalisation of Banks on the creation of jobs	138
3709 बिहार के गोदामों में गेहूँ का नष्ट होना	Decay of wheat in Bihar godowns	138-139
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	139-143
बिहार में गंगा नदी में बाढ़	Floods in the Ganges in Bihar	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	143-144
वित्तीय समितियां, 1968-69 (एक समीक्षा)	Financial Committees, 1968-69 (A Review)	144

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	144
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखा गया	Bill as passed by Rajya Sabha laid on the Table	
प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक	Press Council (Amendment) Bill	144
गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर कैदियों की रिहाई के बारे में याचिका	Petition re. Release of Prisoners during Gandhi Centenary	144-145
सभा का कार्य	Business of the House	145-146
मंत्रिमंडल द्वारा कांग्रेस दल सम्बन्धी मामलों पर कथित चर्चा	Re. Alleged discussion by Cabinet of Congress Party Matters	146-147
लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक	Lokpal and Lokayuktas Bill	147-156
विचार करने का प्रस्ताव संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider as reported by Joint Committee	
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	Shri Sreekantan Nair	147-148
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	148-150
खंड 2	Clause 2	
गैर सरकार सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Commtitee on Private Members Bills and Resolutions	156
52 वां प्रतिवेदन	Fifty-Second Report	
वैदेशिक व्यापार, सामान्य बीमे इत्यादि के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	Resolution Re. Nationalisation of Foreign Trade, General Insurance, Etc.	156-171
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	157
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	157-158
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	158-159
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	159-160
श्री क० अनिरुद्धन	Shri K. Anirudhan	160-161
श्री वेदव्रत वरुआ	Shri Bedabrata Barua	161-163
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	163-164
श्री ब० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	164
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	164-165
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	165
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	165
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	166-167
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	167-168

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	168-169
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	169
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	169-70
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	170
उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के बारे में	Re. Absence of Deputy Speaker	163

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 14 अगस्त, 1969/23 श्रावण, 1891 (शक)

Thursday, August, 14, 1969/Sravana, 23, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Transhipment of wood produced in Andaman and Nicobar Island

*541. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that ships in adequate number are not made available for the transhipment of wood produced in the Andaman and Nicobar Islands and this is the reason why the production thereof has not increased and this has resulted in the spoiling of wood worth lakhs of rupees ; and

(b) if so, the steps being taken to improve the situation ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) यह सच है कि पिछले दिनों जहाजों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण, इमारती लकड़ी के मुख्य भूमि को निर्यात करने के लक्ष्यों में कमी रही है। उत्पादन न बढ़ने का यह कारण नहीं है। जो इमारती लकड़ी निर्यात नहीं की जा सकी, उसका पूरा उपयोग स्थानीय आरा मिल द्वारा किया गया। स्थानीय चिरी हुई इमारती लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये यह आवश्यक था।

(ख) एक टिम्बर कैरियर बढ़ा कर और दो यात्री एवं माल वाहक जहाजों के अतिरिक्त, एक यात्री-एवं-माल वाहक जहाज़ को माल वाहक जहाज में परिवर्तित करके, इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिए ज़हाज़ों में स्थान बढ़ा दिया गया है। अन्डेमान इमारती लकड़ी को मुख्य भूमि

को लाने के लिये अन्य माल वाहक जहाज़ों को लगाने से सम्बन्धित प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether it is a fact that a large area of forests is Andaman and Nicobar Islands containing a very large quantity of wood has not even been touched, if so, the special steps being taken for transhipment of wood to Calcutta and Madras Ports in order to make use of this wealth.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य के प्रश्न में निहित सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ कि अन्दमान स्थित वनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिये जिससे राजकोश का अधिकतम लाभ हो । पुनर्वास मन्त्रालय ने अन्दमान स्थित वनों का अधिक उपयोग करने के लिये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं । मैंने अपने मुख्य उत्तर में बताया है कि अन्दमान से मुख्य भूमि को लकड़ी लाने के लिये हम कुछ अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था कर रहे हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharati : There is dearth of paper in the country and we have to import pulp and paper. In view of this, may I know whether Government would consider the establishment of a paper factory in Andaman and Nicobar Islands because a very large quantity of wood is available there ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : क्या यह सच नहीं है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में काटी गई कुल लकड़ी की मात्रा बहुत कम होती है और उसके लिये भी परिवहन सुविधाएँ बहुत ही कम हैं । अतः उस लकड़ी का उपयोग-बेकार लकड़ी के रूप में स्थानीय आरा मिलों में किया जाता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वस्तुस्थिति यह है कि हमें आशा थी कि वर्ष 1966-67 में 34000 मीटरी टन लकड़ी की ढुलाई की जायेगी परन्तु वास्तव में लगभग 15,200 मीटरी टन लकड़ी की ढुलाई की गई । वर्ष 1967-68 में भी लगभग 34,000 मीटरी टन लकड़ी की ढुलाई करने का विचार था और वास्तव में लगभग 13,000 मीटरी टन लकड़ी की ढुलाई की गई···

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मैं यह पूछना चाहता था कि क्या काटी गई कुल लकड़ी बहुत कम होती है और क्या ढुलाई की व्यवस्था उसकी अपेक्षा और भी कम है और इसलिये उसका उपयोग स्थानीय आरा मिलों में बेकार लकड़ी के रूप में किया जाता है और उसका कोई लाभप्रद उपयोग नहीं किया जाता है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह बेकार नहीं जाती । वहां पर प्लाईवुड के तीन कारखाने हैं और एक दियासलाई बनाने का कारखाना है । पिछले कुछ समय से हमें प्रतिरक्षा, नौ सेना, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सरकारी अभिकरणों से काफी क्रयादेश प्राप्त हो रहे हैं ।

श्री के० आर० गणेश: अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के वन उस संघ राज्य क्षेत्र की मूल सम्पत्ति है । वहां पर बहुत पहले से वन विभाग स्थापित होने के बावजूद वहां के वन उद्योग में संकट की स्थिति है । इस स्थिति का एक कारण यह है कि वहां के स्थानीय अधिकारी वन विभाग का विस्तार नहीं करना चाहते जो सरकारी क्षेत्र का उद्योग है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये ।

श्री के० आर० गणेश : दूसरे मूल्य ढांचे की स्थिति यह है कि उत्पादन लागत पर रायल्टी ली जाती है जो गत चार या पांच वर्षों में 16 लाख रुपये से बढ़कर 88 लाख रुपये हो गई है । फिर कर्मचारियों आदि के वेतन आदि पर होने वाला व्यय, जो पहले कुल लागत का 30 प्रतिशत

था अब लगभग 70 प्रतिशत हो गया है। उद्योग में संकट के यही कारण हैं। अतः जब तक उस विभाग का पुनर्गठन नहीं किया जाता.....

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछने के बजाय स्वयं जानकारी दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री के० आर० गणेश : उनके पास यह तथ्य नहीं हैं। यदि उन्हें इन तथ्यों का पता होता तो इस उद्योग में शायद संकट पैदा न होता। क्या मैं पूछ सकता हूं कि (क) क्या सरकार वन विभाग के समूचे कार्य की जांच करने और उस द्वीपसमूह में वन उद्योग का अग्रेतर विकास करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सुझाव देने हेतु एक अनुसचिवीय अथवा संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है; (ख) क्या सरकार इमारती लकड़ी के मूल्य में जो गत वर्षों में 50 से 70 प्रतिशत बढ़ गया है, वृद्धि करने की स्थानीय प्रशासन तथा लागत लेखापाल की सिफारिशों को अस्वीकार कर देगी ; (ग) क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि नौकरशाही और स्थानीय आरा मिलों के रवैये के बावजूद सरकारी क्षेत्र में वन उद्योग का अस्तित्व बना रहेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य का अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के साथ सम्बन्ध होने के कारण यह स्वाभाविक है कि उन्हें इन सब बातों का ज्ञान है। उन्होंने सरकार के समक्ष काफी सुझाव रखे हैं। मैं इन सुझावों के लिये उनका अभारी हूं। हम निश्चय ही इनपर विचार करेंगे।

Shri Shinkre : We can certainly export valuable timber from Andaman and Nicobar Islands. In case arrangements of barges could be made in Andaman then the timber available in all the 342 islands can be transported to Port Blair. May I know whether he will approach the Industries Minister in order to establish a barge factory there ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विकास के सम्बन्ध में हमें समय समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। मेरे विचार में यह भी एक सुझाव है।

श्री प० मु० सईद : क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि क्या लकड़ी उद्योग अन्दमान के दफ्तरशाही प्रशासन के लिये नवीन उद्योग है। क्या सरकार इन सभी मामलों की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है जो इस बात की भी जांच करे कि क्या प्रशासन इस उद्योग को बढ़ावा देने के अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका है ? वर्ष 1967 में एक समिति की बैठक में अन्दमान से लकड़ी की ढुलाई के लिये एक बड़े जहाज का क्रयादेश देने का सरकार ने निर्णय किया था। क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि वह जहाज कब तक चलाया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम उन माननीय सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिये तैयार हैं जिनको अन्दमान के बारे में कुछ जानकारी है और उसके बाद यदि हमने महसूस किया कि इस मामले की जांच करने की कोई आवश्यकता है तो हम अवश्य ऐसा करेंगे। हम इस सम्बन्ध में सभी रचनात्मक सुझाव स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

जहां तक परिवहन व्यवस्था का सम्बन्ध है, मेरे विचार में भारतीय जहाजरानी निगम ने अन्दमान से मुख्य भूमि तक लकड़ी लाने के लिये कुछ जहाज़ अन्दमान प्रशासन को दिये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और जहाज़ हैं जिनका प्रशासन प्रयोग कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में कुछ और जहाजों का भी उपयोग करने और इमारती लकड़ी की ढुलाई के लिये जहाजरानी महानिदेशक से जहाज़ प्राप्त करने का मामला भी विचाराधीन है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the time by which the arrangements for transhipment of the wood would be made ? Second thing, is that because of lack of transhipment facilities large quantity of Papayas, Pineapples and cashew nuts get rotten there. Would the Government issue any licence so that the same could be transported to the mainland for their proper utilisation ?

Mr. Speaker : I would have allowed it had it been a question of Papayas, but the main question relates to timber.

कनाडा द्वारा पोटाश अम्ललवण उर्वरक की सप्लाई

+
*542. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कनाडा सरकार से भारत को उसके विकास ऋण के अन्तर्गत 40,000 मीटरी टन पोटाश अम्ललवण उर्वरक की सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा इसे जहाज द्वारा भारत में लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने अन्य किसी देश को भी यह उर्वरक भेजने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन देशों से और कितने-कितने मूल्य का तथा कितना-कितना उर्वरक मंगाया गया है और उसे भारत में लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) कनाडा द्वारा इस देश को दिये गये विकास ऋण में से सरकार ने 40,000 मीटरी टन पोटाश अम्ललवण खरीदा है ।

(ख) 40,000 मीटरी टन पोटाश अम्ललवण (एफ० ए० एस०) की लागत 63.69 लाख रुपये है । यह माल सितम्बर से दिसम्बर 1969 तक प्रतिमास 10,000 मीटरी टन के हिसाब से भेजा जायेगा और परिवहन मंत्रालय में चीफ कन्ट्रोलर आफ चार्टरिंग उपर्युक्त माल लाने के लिए जहाजों की व्यवस्था करेगा । जहाज अभी किराये पर नहीं लिये गये हैं अतः भाड़े पर किये जाने वाले व्यय के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता ।

(ग) और (घ) : व्यापार करारों के अन्तर्गत जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य तथा रूस से पोटाश अम्ललवण का आयात किया जा रहा है ।

चालू वर्ष में दिये गये क्रयादेश तथा उसकी लागत निम्न लिखित है :—

देश का नाम	जितने मीटरी टन का क्रयादेश दिया गया	कुल मूल्य (लागत तथा भाड़े सहित) रुपये	ढुलाई कार्यक्रम	मीटरी टन
जर्मन लोकतंत्रीय	60,000	202.70 लाख	अगस्त-नवम्बर 1969	40,000
गणराज्य	(बोरियों में)	(लगभग)	दिसम्बर 1969	20,000

1	2	3	4
रूस	30,000	84.04 लाख दिसम्बर 1969/-	
		लगभग जनवरी 1970	10,000
	(खुला),	फरवरी-मार्च 1970	10,000
		मार्च-अप्रैल 1970	10,000

ये ठेके लागत तथा भाड़े सहित मूल्य के है और उपर्युक्त माल भेजने की व्यवस्था सप्लाई करने वालों ने ही करनी है।

श्रीमती इला पाल चौधरी : विवरण के अनुसार परिवहन मंत्रालय को पोटास अम्ललवण के परिवहन की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है। किन्तु यह नहीं बताया गया है कि उसका क्या परिणाम रहा। क्या पोटाश अम्ललवण लाने के लिए भारतीय जहाज भेजे जा सकते हैं? दूसरे, पूर्वी जर्मनी तथा रूस के साथ करार लागत तथा भाड़ा सहित है। क्या हमने इन देशों से माल की ढुलाई के लिये अपने जहाज जुटाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि यदि हम इस माल को अपने जहाजों में नहीं लायेगें, तो हमें भाड़े में काफी धनराशि व्यय करनी पड़ेगी? तीसरे चूंकि हमें उर्वरक बनाने के लिये भारी मात्रा में पोटाश अम्ललवण का निर्यात करना पड़ता है, अतः क्या इसका कुछ अंश भारत में तैयार करने का प्रयत्न किया गया है?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहाजों को किराये पर लेने का कार्य परिवहन मन्त्रालय में भाटक नियंत्रक द्वारा किया जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारी नीति भारतीय जहाजों को प्राथमिकता देने की है। जहां तक पोटाश-अम्ललवण भारत में तैयार करने का सम्बन्ध है, इसका उत्पादन करने के लिये भारत में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। यद्यपि भावनगर स्थित लवण अनुसन्धान संस्था लवण-पेट्रेस से पोटाश को पृथक करने का प्रयत्न कर रही है, तथापि इसके अधिक मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। इसलिये हमें पोटाश के लिये मुख्यतः आयात पर ही निर्भर करते रहना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्य का प्रश्न भारतीय माल वाहक जहाजों की उपलब्धता के बारे में है।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं बता चुका हूँ कि जहाज किराये पर लेने का कार्य परिवहन मन्त्रालय में भाटक नियंत्रक द्वारा किया जाता है। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी चाहती हैं तो परिवहन मन्त्रालय से जानकारी मांगी जा सकती है।

Shri S. M. Joshi : We have frequently seen that hon. Ministers say that the question is related to some other Ministry. How far it is proper to say like this?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में परिवहन मन्त्रालय से पूछा गया था। इसलिये उनका यह कहना उचित है कि प्रश्न परिवहन मन्त्रालय से पूछा जाये।

Shri Manibhai J. Patel : It has been mentioned in the statement that the Muriate of potash costing Rs. 202.73 lakhs and Rs. 84.04 lakhs will be imported during the periods

from August to November, 1969 and from December, 1969 to January 1970, respectively. Keeping in view the import of such high value, may I know whether Government propose to set up any fertilizer plant in India and if so, what will be its cost if we set up the plant with foreign collaboration? How much quantity we are importing at present and how much amount we have to spend thereon. If we take loan, the time by which we will be in a position to repay it and what will be the rate of interest on it?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उत्पादन कार्यक्रम के बारे में माननीय सदस्य को पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय से प्रश्न पूछना होगा। जहां तक खरीद दर का सम्बन्ध है, कनाडा के लिए यह दर 159.28 रुपये प्रति मीटरी टन है। इसमें जहाज में लदान का भाड़ा भी शामिल है। पूर्वी जर्मनी तथा रूस के लिये यह दर क्रमशः 337.88 रुपये प्रति मीटरी टन और 280 रुपये प्रटि मीटरी टन है। ये दरें लागत तथा भाड़ा समेत हैं। ये दरें वस्तुतः तय किये गये सौदों के आधार पर हैं। बोरों में बन्द माल तथा खुले माल के अन्तर और लदान के समय तक मूल्य तथा लागत बीमा भाड़े समेत कोटेशनों के अन्तर के अनुसार ये सौदे तय किये गये हैं। समान्यतः ये मूल्य समान ही हैं।

Shri Manibhai J. Patel: May I know whether Government are in a position to set up a plant here and if so what will be its cost.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ।

श्री प० मु० सईद : क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि देश में और कितनी मात्रा की वार्षिक आवश्यकता है तथा सरकार इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये देश में उत्पादन करने के लिये कब तक निर्णय करेगी? विवरण में लागत तथा भाड़ा सहित दर दी हुई है। क्या करार में कोई ऐसा खंड है जिसके अन्तर्गत यदि हम अपने जहाजों से इस माल को लाना चाहें तो इसकी अनुमति मिल जायेगी?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक इस वर्ष की आवश्यकता का सम्बन्ध है, हमारा कार्यक्रम एक लाख आठ हजार टन पोटाश का आयात करने का है। जहाज किराये पर लेने का कार्य परिवहन मन्त्रालय का है और उस मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रहित की सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री लोबो प्रभु : विवरण से स्पष्ट है कि कनाडा से आयात किये जाने वाले माल की दर लगभग 2 लाख रुपये प्रति हजार मीटरी टन है जब कि पूर्वी जर्मनी से आयात किये जाने वाले माल की दर 3.2 लाख रुपये प्रति हजार मीटरी टन और रूस से आयात किये जाने वाले माल की दर 2.38 लाख रुपये प्रति हजार मीटरी टन है। क्या साम्यवादी देश हमारे किसानों से 50 प्रतिशत अधिक लेते हैं? क्या कनाडा हमें अधिक मात्रा में माल देने की स्थिति में है और यदि हां, तो क्या उससे और माल नहीं खरीदा जा सकता है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मूल्य, लागत भाड़ा आदि का हिसाब लगा कर इन मूल्यों में कोई अन्तर नहीं है। ये मूल्य समान्यतः बराबर हैं।

श्री लोबो प्रभु : क्या 50 प्रतिशत भाड़े पर खर्च होता है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी हां।

श्री स० चं० सामन्त : मैं मन्त्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। विवरण में एक

स्थान पर कहा गया है कि उपर्युक्त माल की ढुलाई के लिये परिवहन मन्त्रालय में भाटक नियंत्रक जहाजों की व्यवस्था करेगा। इसमें दूसरे स्थान पर यह भी कहा गया है कि जहाजों की व्यवस्था सप्लाई-कर्त्ताओं द्वारा की जायेगी। ये दो परस्पर विरोधी बातें हैं। अतः मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसमें कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है। अभी हमारे पास देश में पर्याप्त स्टाक है। इसका आयात सितम्बर से दिसम्बर तक की अवधि में किया जायेगा। अतः अभी से जहाज किराये पर लेने का कोई लाभ नहीं है।

श्री पीलु मोडी : क्या यह सच है कि इजरायेल ने प्रस्ताव किया है कि वह उस मूल्य से बहुत कम मूल्य पर पोटाश अम्ललवण सप्लाई करने के लिए तैयार है जिस मूल्य पर हम इस समय खरीद रहे हैं और यदि हां, तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे इजरायल के किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बतायें तो मैं देखूंगा।

इंजीनियरिंग कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि

+
*543. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री जि० मो० विश्वास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि करने के बारे में दो लाख इंजीनियरिंग कर्मचारियों प्रतिनिधियों तथा इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन और इंजीनियरिंग ऐसोसिएशन आफ इंडिया के प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : यह सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी उद्योग के नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच जो बात-चीत हुई वह अभी अधूरी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का ध्यान इंजीनियरी कर्मचारी संघ, जो इंटक से सम्बद्ध है, द्वारा कल जारी की गई उस प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है जिसमें संघ के अध्यक्ष श्री काली मुकर्जी ने कहा है कि चूंकि यह बातचीत निष्फल रही है, इंजीनियरी उद्योग के नियोजकों ने कर्मचारियों की मांगे स्वीकार नहीं की हैं तथा पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में इंजीनियरी उद्योग में मजूरी में काफी अन्तर हैं। अतः इंजीनियरी कर्मचारियों के लिये उसी प्रकार लम्बी हड़-ताल करने के लिये तैयार होने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है जिस प्रकार की हड़ताल हाल ही में पटसन कर्मचारियों ने की थी ? क्या मन्त्री महोदय ने यह वक्तव्य देखा है और यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री भागवत झा आजाद : हमने यह वक्तव्य देखा है। पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री के कहने पर एक द्विपक्षीय समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति की दो बैठकें हुईं। अन्तिम बैठक

में उनमें सहमति नहीं हो पाई। नियोजकों ने कुछ प्रस्ताव रखे थे जो कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार नहीं किये। अतः अब वे यह मामला पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री को सौंपने के लिये तैयार हो गये हैं। हम पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पटसन मिल विवाद के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय ने ठीक ऐसा ही रवैया और ऐसी ही प्रक्रिया को अपनाया था। हड़ताल आरम्भ होने से केवल आठ घंटे पहले केन्द्रीय सरकार ने अपने एक मन्त्री को कलकत्ता भेजा था। किन्तु वह कोई भी समझौता करा सकने में असफल रहे। क्या सरकार इस मामले में भी वैसी ही स्थिति पैदा करने की प्रक्रिया अपनायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : ये काल्पनिक बात है। माननीय सदस्य मन्त्री महोदय की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अनुपूरक प्रश्न पूछ कर प्रतिक्रिया जानी जा सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार का विचार इस विवाद में समय पर हस्पक्षेप करने का है अथवा क्या पटसन मिल विवाद की भांति इसे तब तक बढ़ाना चाहती है जब तक कि ब्रड़े पैमाने पर हड़ताल की स्थिति पैदा न हो जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ग्राहय है।

श्री भागवत झा आजाद : प्रतिवेदन के मिलते ही सरकार ने एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई थी जिसमें राज्य के प्रतिनिधि ने यह मांग की थी कि इस मामले को यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाय। श्रमिकों प्रबन्धकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की समिति के निर्णय के अनुसार यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया। हम राज्य सरकारों की अवहेलना नहीं कर सकते। हमें आशा है कि राज्य सरकारें स्थिति का समाधान करने के लिए यत्न कर रही हैं। जब तक उनकी ओर से हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम उचित अवसर पर ही हस्तक्षेप कर सकते हैं।

श्री जि० मो० बिस्वास : कुछ ऐसे भी उदाहरण है जहां सरकार ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय किये है। इस मामले में सरकार निर्णय करने में क्यों विलम्ब कर रही है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। पश्चिम बंगाल में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच बातचीत हुई किन्तु वह सफल नहीं रही। अन्य राज्यों में श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच जो बातचीत हुई उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न का सम्बन्ध तो एक राज्य विशेष से है।

श्री भागवत झा आजाद : मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन मिलने के तुरन्त बाद जो त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी उसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने यह निर्णय किया था कि वे राज्य स्तर पर इस विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। तदनुसार श्रम मंत्री ने विभिन्न राज्य सरकारों को इस बारे में लिखा और वे इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही कर रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने यह लिखा है कि उन्होंने दोनों पक्षों को एक साथ बिठा दिया है, कुछ ने कहा है कि वे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु के निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। राजस्थान सरकार ने कहा है कि वह दोनों पक्षों में बातचीत कराने में तो सफल रही, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि उसे इसमें सफलता मिल गई है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री को भी पता होगा कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड जैसे सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों ने यह निर्णय किया है कि यदि सरकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असमर्थ रही, तो वे एक सामान्य हड़ताल करेंगे। क्या सरकार प्रबन्धकों को सभापति तथा एक स्वतंत्र सदस्य की सिफारिशें जिन्हें श्रमिक समझौते के रूप में मानने को तैयार है, मान लेने के लिए राजी करने का प्रयास कर रही है ?

क्या सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है और यदि हां तो क्या उसे सफलता मिली है ? यदि नहीं तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री भागवत झा आजाद : इंजीनियरिंग मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन में चार सिफारिशें थीं। हमने कहा है कि बातचीत आरम्भ करने के लिए सभापति और स्वतंत्र सदस्य की सिफारिशों को आधार माना जाय।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधि आज सबेरे ही श्रम मंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा था कि वे सभापति से बातचीत कर रहे हैं। मुझे आशा है कि सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों का श्रमिकों के साथ कोई न कोई समझौता हो जायेगा।

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सभी सरकारी उपक्रमों में विभिन्न श्रेणी के इंजीनियरी श्रमिकों का पारिश्रमिक समान है और यदि नहीं, तो क्या सरकार सब उपक्रमों में पारिश्रमिक समान बनाने का प्रयास करेगी जिससे श्रमिकों में व्याप्त ईर्ष्या-द्वेष, असंतोष और निराशा समाप्त हो जाये ? इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या विभिन्न मंत्रालयों में किसी स्तर पर समन्वय है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि पारिश्रमिकों में अन्तर है। इस अन्तर को दूर करने के लिए ही मजूरी बोर्ड नियुक्त किया गया था। अब मजूरी बोर्ड द्वारा दी गई सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारें तथा सरकारी क्षेत्र विचार कर रहा है कि उक्त सिफारिशों को किस हद तक लागू किया जा सकता है।

श्री उमानाथ : श्रमिकों की माँग तो यह है कि भारत सरकार श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय करे। सरकार ने ऐसे निर्णय पहले कई मामलों में किये हैं। उदाहरण के लिए बोनस आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने बहुमत निर्णय को छोड़कर श्री दान्डेकर की विमति टिप्पणी के आधार पर निर्णय किया था। इस मामले में श्रमिकों की एकमत से की गई सिफारिशों के आधार पर निर्णय करने में सरकार क्यों संकोच कर रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : सरकार को यह प्रतिवेदन जनवरी 1969 में मिला था। मार्च में एक बैठक बुलाई गई जिसमें श्रमिक संघों, मालिक संगठनों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसमें राज्य सरकारों ने यह मांग की थी कि दोनों पक्षों में बातचीत कराने के लिए उन्हें समय दिया जाये। केन्द्रीय सरकार इस बात पर सहमत हो गई थी। यहां पर तो बहुमत निर्णय और अल्पमत निर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम निर्णय नहीं कर सकते।

श्री उमानाथ : सरकार ने ऐसे निर्णय अन्य मामलों में किये हैं। फिर इस मामले में सरकार ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह स्पष्ट कर चुके हैं ।

वनस्पति तेलों के अधिक मूल्य

+
*544. **श्री रवि राय :** **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री मधु लिमये : **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में वनस्पति तेलों के मूल्य बहुत अधिक रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) तेलों की कमी और वर्तमान बढ़े हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत सोयाबीन के तेल के आयात के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या तेल की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार साबुन तैयार करने के लिये बकरे आदि की चर्बी का आयात करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) हाल ही के महीनों में विशेषतया मार्च से वनस्पति तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ।

(ख) इस वृद्धि का मुख्य कारण 1968-69 में मूंगफली के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में लगभग 22 प्रतिशत तक की कमी होना है ।

(ग) 1969 (जुलाई तक) में 66,947 मीटरी टन सोयाबीन का तेल आयात किया गया है और अन्य 14,672 मीटरी टन तेल इस महीने के अन्त तक पहुँचना है । संयुक्त राज्य अमेरिका से सोयाबीन के तेल की और मात्रा प्राप्त करने और सोवियत रूस से सूरजमुखी के तेल की कुछ मात्रा मंगाने की कोशिश की जा रही है ।

(घ) और (ङ) : 1969 में जुलाई के अन्त तक लगभग 55,000 मीटरी टन चर्बी आयात की गयी है और अन्य 23,500 मीटरी टन चर्बी के सितम्बर के अन्त तक पहुँचने की उम्मीद है ।

Shri Rabi Ray : Will the hon. Minister be pleased to tell us the consumer price of vegetable oils in detail ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : उपभोक्ता मूल्य बाजार में उपलब्ध कच्चे माल के मूल्य पर आधारित होता है । हर पखवाड़े के पश्चात् लागत लेखापाल इस पर विचार करके लागत का हिसाब लगाते हैं । चूंकि यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका था, इसलिए हमने यह प्रश्न टेरिफ आयोग को सौंप दिया है जो इस लागत-ढांचे का अध्ययन करके इस बारे में रिपोर्ट देगा ।

Shri Rabi Ray : When will the Tariff Commission submit their report.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : अगले दो महीनों में ।

Shri Prem Chand Verma : May I know whether in view of the increasing demand for vegelable oil Government have conducted any survey to know the requirement and production of vegetable oil during 1969-70 ; if the production falls short of the requirement,

how the shortage will be made up; and whether they have calculated as to how much shortage of vegetable oil will be there in next 3 years ?

What steps have been taken by the Food Corporation and Seeds Corporation to boost production of soya beans in Himachal Pradesh, Punjab, and Haryana and other states with a view to minimise the shortage of vegetable oils ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया था कि आगामी कुछ वर्षों में वनस्पति तेलों की देश में कितनी मांग होगी। इसी उद्देश्य से कुछ दिन पूर्व सरकार ने कुछ ठोस कार्यवाही भी की थी। 100 मीटरी टन तक की क्षमता के लिए अब वनस्पति उद्योग में लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति वनस्पति तेल का कारखाना लगा सकता है या अपने कारखाने की विद्यमान क्षमता को बढ़ा सकता है। केवल एक प्रतिबन्ध उस पर है और वह यह कि सामान्य रूप से एक कारखाने की क्षमता 200 मीटरी टन से अधिक न हो। ऐसा एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के ध्येय से किया गया है। दूसरे, देश में सोयाबीन की उपज को बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।

श्री क० लकप्पा : भारत के दक्षिणी राज्यों में मूंगफली का उत्पादन होता है। वनस्पति तेल की बढ़ती हुई मांग और सोयाबीन के तेल के आयात को देखते हुए सरकार ने दक्षिणी राज्यों में मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह सच है कि मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से कुछ दक्षिणी राज्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। गत वर्ष वर्षा के अभाव के कारण मूंगफली का उत्पादन आशानुकूल नहीं हुआ था और इसी कारण कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। जहाँ तक उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनुसंधान कार्य भी किया जा रहा है। मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यवाही की जाती है।

Shri Meetha Lal Meena : On the one hand Government is thinking of reducing the prices and on the other hand State Governments are creating obstacles in the way of increasing the production of ground nuts. Take for instance the Government of Rajasthan, which has imposed heavy land revenue on the yield of groundnuts. Apart from central taxes State Governments are imposing heavy taxes on oils in comparison with other food products. I want to know whether he is going to take any steps to reduce or abolish the heavy burden of land revenue which has created many obstacles ?

There is bumper crop of groundnuts in Rajasthan. But Government do not provide any agricultural facility or know-how to the farmers, even the fertilizers are not made available to them in time. Are Government doing something in this connection ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य यह भी नहीं जानते कि देश भर में उर्वरक बड़ी सुगमता से उपलब्ध हैं। यदि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई है तो मैं उसकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार हूँ।

Shri Meetha Lal Meena : It is not available in the villages.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वर्तमान समस्या तो यह है कि उर्वरकों के स्टाक कैसे खपाये जायें और राज्य सरकारों से हमने कई बार अनुरोध किया है कि वे उर्वरक लें। करारोपण सम्बन्धी मामला इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता फिर भी मेरा विचार है कि इससे उत्पादन की वृद्धि में रुकावट नहीं आती।

Shri Onkarlal Bohra : A scheme has been formulated in the desert of Rajasthan by which thousands of tonnes of groundnuts can be grown in case water and other facilities are provided. May I know the progress made in respect of the research conducted for that desert and in respect of that scheme also and when the same will be implemented ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राजस्थान की नहर के पूरा हो जाने के पश्चात् ही राजस्थान की इन सब उपजों से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में विचार किया जा सकता है। इस के लिए मैं इतना ही उत्तर दे सकता हूँ ।

श्री एस० कण्डप्पन : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मूंगफली की उपज में कमी का कारण सूखा पड़ना है। परन्तु मैं इसका एक अन्य गम्भीर कारण भी समझता हूँ और वह यह है कि प्रत्येक फसल काटने के समय मूंगफली के भाव बहुत गिर जाते हैं और बेचारे निर्धन कृषक को उस समय किसी भी भाव पर बाजार में उसे बेचने पर बाध्य होना पड़ता है। इसी कारण उनको साहस नहीं होता कि वे दुबारा मूंगफली बोएं। तेल के मूल्य में इस प्रकार की भारी अस्थिरता को देखते हुए समाज में निर्धन कृषक वर्ग को बहुत हानि उठानी पड़ती है। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उनको न्यूनतम मूल्य देने के लिए तैयार है, और यदि उपज बहुतायत में हो जाए तथा जब मूल्यों में गिरावट आने की सम्भावना हो तो क्या सरकार स्वयं खरीदारी करने के लिए तैयार होगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि मूंगफली के मूल्यों में कमी अथवा वृद्धि में सट्टेबाजो की प्रवृत्ति का बहुत बड़ा हाथ है। सरकार इस समस्या से अवगत है। यही कारण है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए सचिवों की एक समिति नियुक्त की थी। वे इस समस्या पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक न्यूनतम मूल्यों के निर्धारण का सम्बन्ध है कुछ समय पूर्व हमने इस मामले को कृषि-मूल्य-आयोग के पास भेजा था परन्तु उनका विचार अधिक अनुकूल नहीं था।

Shri Randhir Singh : Shall I be given time to speak on the next question ?

Shri Molahu Prasad : I will also be given time.

Mr. Speaker : If I give time to each and every one the entire question hour will be taken by one question.

मैं यथा सम्भव अधिक से अधिक समय देने का प्रयत्न करता रहा हूँ। यदि आप मेरे साथ सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। परन्तु आप तो एक प्रश्न को तीन भागों में विभक्त कर रहे हैं। जैसे, पहले तो आप अपने प्रश्न के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हैं और अन्त में एक छोटा सा प्रश्न करते हैं। अच्छा होगा कि यदि आप एक ही बार सीधा प्रश्न करें। इससे केवल आपका ही समय नहीं बचेगा बल्कि मन्त्री महोदय का समय भी बचेगा।

Shri S. M. Banerjee : We are trying to improve. You talked about the House of Commons yesterday.

अध्यक्ष महोदय : हाउस आफ कामन्स का कोई प्रश्न नहीं है। यह हमारा अपना सदन है (व्यवधान)। जब आप प्रश्न करते हैं तो उसके साथ एक लम्बा सा भाषण देते हैं। यह प्रतिदिन होता है। (व्यवधान)।

Price of Sugarcane

+

***545. Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Tulsidas Jadhav :**

Shri Shiv Kum 'r Shastri : **Shri R. K. Sinha :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the price of sugarcane for the next year has been fixed ;

(b) if so, whether the damage caused to the farmers last year has also been borne in mind while fixing the price of sugarcane ; and

(c) whether the price of sugarcane has been fixed in consultation with the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Central Government fixes only the minimum sugarcane price payable by sugar factories and this for the year 1969-70 has already been announced.

(b) and (c) : The minimum price of sugarcane was fixed after taking into consideration the recommendations made by the State Governments, the Sugar Mills Association and of Cane Growers and having regard to the interests of farmers, industry and the consumers.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister has just now stated that the price of sugarcane is fixed in consultation with farmers, consumers and other people. I want to know from the Government the price of sugarcane fixed for the next year and what was the price of sugarcane suggested by the farmers, and what were the views of the State Governments and the consumers, respectively, in this regard on the basis of which the Government has fixed the price ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : 9.4 प्रतिशत वसूली के साथ 7.37 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से न्यूनतम मूल्य की घोषणा की गई है । जहाँ तक अन्य सम्बद्ध पक्षों की सिफारिशों का सम्बन्ध है इसकी मेरे पास एक बहुत लम्बी सूची है । उदाहरण के लिए, आसाम में 9.4 अथवा इससे कम प्रतिशत की वसूली के साथ 7.33 रुपये के मूल्य की सिफारिश की थी; उत्तर प्रदेश ने आंशिक रूप में अपनियंत्रण की शर्त पर 8.71 रुपये तथा पूर्ण रूप से नियंत्रण करके 10.72 रुपये के मूल्य की सिफारिश की थी; महाराष्ट्र ने 10 रुपये के मूल्य की और बिहार ने 9 रुपये के मूल्य की सिफारिश की थी । यह लम्बी सूची है परन्तु यह 7.37 रुपये तथा 10.00 रुपये के बीच है... (व्यवधान) । मैं इस सूची को सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हूँ ।

Shri Prakash Vir Shastri : The hon Minister has stated in his satement that they take the consent of the representatives of the cane growers in the matter of fixing minimum price of sugarcane. But he has not told the views of the representatives of the cane growers given in this matter. This question was raised yesterday during half an hour discussion, but no reply was given by the hon. Minister. Today again I want to put that very question that if the Government is not prepared to accept the formula evolved by Late Rafi Ahmed Kidwai that whatever is the price of sugar, per maund, in terms of rupees that should be accepted as the price of sugarcane, per maund, in terms of the same number of annas, what is the objection in accepting this formula that minimum price of sugarcane should be paid to the farmers when they deliver their goods at mills and the remaining amount may be paid to them afterwards on the basis of the price at which sugar is sold ?

The farmers, Mill owners and the consumers would have no objection to this. I want to know what objection Government has got in accepting this principle ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwuan Ram) : There should be noobjecti on to accepting this formula. Some provision of this kind was made in Madras this year when tussel was going on in Uttar Pradesh in the matter of fixing the price and the

crushing of sugarcane was delayed, the question was raised that the minimum price should be immediately given and the balance between the ratio in the price of sugar in the open market and that of the sugarcane be given either after the season or during the season. But the representatives of the conegrowers had no faith in it and they did not agree to this. If Shri Shastriji makes efforts to persuade the Unions of the canegrowers to agree to this suggestion, I think, the Industry, will also agree to it.

Shri Shiv Kumar Shastri : Last year the hon. Minister declared that if the mills do not pay minimum price of Rs. 10/- per quintal, action will be taken against them and Government facilities will be stopped to them. I want to know from the hon. Minister the names of those mills who did not honour the last year's suggestion of the Government and whether Government facilities to them have been dispensed with. May I know whether the Indian Sugarcane Development Councilat its conference held in Banglore some days back had recommended that price of sugarcane should be fixed at Rs. 10/- per quintal ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी हां कौंसिल ने यह सिफारिश की है। माननीय मन्त्री की गन्ना उद्योग से प्रार्थना के फलस्वरूप पिछले वर्ष लगभग 133 चीनी के कारखानों ने आरम्भ में तो 10 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से न्यूनतम मूल्य देना प्रारम्भ किया था परन्तु बाद में कुछ कारखानों ने उद्योग के संकेतों का आदर नहीं किया। जो कुछ माननीय मन्त्री जी ने कहा है वह सब रिकार्ड में है; और उनका संकेत था कि यदि उद्योग ने अपने वचन का पालन किया तो उनके सामने यदि कोई कठिनाई आएगी तो वह उन पर विचार करेंगे। तदनन्तर कुछ कारखानों ने यह तर्क दिया कि गन्ने से चीनी की उपलब्धि कम हो गई है और खुले बाजार में चीनी के मूल्य भी घट गए हैं। उन्होंने इस कठिनाई को अभिव्यक्त किया परन्तु मोटे तौर पर मैं यही कहूंगा कि मद्रास को छोड़ कर दक्षिण के अन्य सहकारी कारखानों ने अपने वचन का पालन किया है तथा उत्तर में भी कुछ कारखानों ने अपने वचन का पालन किया है परन्तु सब कारखानों ने नहीं किया है।

Shri Tulshi Das Jadhav : May I know whether the price of sugar is fixed keeping in view the cost of production of sugar cane, or on the basis of the total sugar production, or basis of demand. What is the basis for it ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसका आधार तो कानून में ही निश्चित किया गया। चीनी नियंत्रण कानून बना हुआ है। गन्ने के मूल्यों को निर्धारित करते समय इन आधारभूत सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है; जैसे गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसल से उत्पादकों को आय, कृषि पदार्थों के मूल्यों का सामान्य रूख, सस्ते मूल्यों पर उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध कराना, चीनी निर्माताओं द्वारा गन्ने से निकाली गई चीनी की मात्रा। चीनी के मूल्य निर्धारित करते समय इन्हीं सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : महाराष्ट्र के कारखानों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कारखानों की अपेक्षा गन्ने से चीनी कहीं अधिक निकलती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उत्पादकों तथा महाराष्ट्र के उत्पादकों को दी जाने वाली धनराशि में अन्तर क्या हैं तथा क्या महाराष्ट्र में उत्पादकों को दिये गये गन्ने के मूल्य में ऊँची वसूली परिलक्षित होती हैं ? क्या ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बोया जाने वाला गन्ना उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भी बोया जाये ताकि वहां भी गन्ने से अधिक चीनी निकले ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह स्वाभाविक है कि मूल्यों का सम्बन्ध वसूली से है तथा महाराष्ट्र के चीनी के कारखाने ऊँचे मूल्य देते हैं...

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : कितने ज्यादा हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : दो रुपये से तीन रुपये प्रति क्विंटल। परन्तु यह हर कारखाना का अलग-अलग है। जहां तक उत्तरी क्षेत्र में गन्ने के सुधार का प्रश्न है, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि देश में कृषि-जलवायु वाले क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न प्रकार के हैं। दक्षिण की किस्म का उत्तर में उपयोग नहीं किया जा सकता। कृषि जलवायु भिन्न होने के कारण भारत के उत्तरी भागों के अनुकूल बुवाई करने के लिये भिन्न किस्मों का उपयोग करना होगा। उत्तरी भारत के क्षेत्रों के लिये उपयुक्त किस्म ढूंढने के लिये अनुसन्धानकर्त्ता प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri K. N. Tiwari : Last time in 1968-69, the Government fixed the price of sugar cane at Rs. 7.37 but the Food Minister had talks with the industry as a result of which the price was fixed at Rs. 10 per quintal. This time also the Government has fixed the price at rupees seven and some paise ; so would the hon. Minister hold talks with the industry and think of raising the price ? If so, what action is being taken in regard to those where crushing will start earlier ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्टों) की मांगें

*546 **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्टों) की मांगों सम्बन्धी विवाद हल हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार और इन कर्मचारी कलाकारों के बीच बातचीत इस समय किस स्थिति में है;

(ग) किन बातों पर समझौता होने में कठिनाई आ रही है; और

(घ) क्या सरकार को उनकी मांगों पर शीघ्र समझौता होने की आशा है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सरकार और आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के बीच कोई विवाद नहीं है।

(ख) से (घ) : सवाल नहीं उठते।

Shri George Fernandes : The hon. Minister is making a totally wrong statement here. Is it not a fact that you have been holding talks with staff Artist's association of All India Radio on their demands ?

श्री इ० कु० गुजराल : जब आकाशवाणी में कार्य कर रहे कर्मचारी कलाकार अपनी मांगे पेश करते हैं और हम उन पर विचार करते हैं, तो इसका अर्थ झगड़ा या विवाद नहीं होता मैं। इसे विवाद नहीं मानता।

Shri George Fernandes : I object to the reply given by the hon. Minister. The All India Radio Staff Artistes Association and the Government have been negotiating for the last two years. I can tell about the question in this House during the last two years, and prove that you had said that you had been having talks in this regard and that there was some difference of opinion regarding which you were trying to reach on early solution. Now

how can the hon. Minister say that the differences in views cannot be termed as demands. Mr. Speaker, please get us a clear answer from the hon. Minister otherwise why should we put question ? I can cite evidence that the talks have been in progress for the last two years. What sor of socialism is it ?

श्री इ० कु० गुजराल : जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरे मित्र श्री जार्ज फरनेन्डीज ने भी सुधार करने के लिये कुछ सुझाव दिये थे जिन पर आदर के साथ विचार किया गया है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि कर्मचारी कलाकारों तथा आकाशवाणी के मध्य कोई विवाद नहीं है। कुछ मांगे तो पहले ही पूरी की जा चुकी हैं तथा अन्य पर विचार किया जा रहा है। इनके बारे में मसानी समिति का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है। सरकार इस पर विचार कर रही है तथा इस बारे में निर्णय करेगी।

Shri George Fernandes : My second questicn is whether the hon. Minister has received complaints, during the last two days, regarding his order that the no news bulletin should be read before that was shown to him... (interrup ions). Has he received such complaint against his order ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस आरोप का मैं खण्डन करता हूँ। ऐसा आदेश कभी भी जारी नहीं किया गया कि समाचार बुलेटिन किसी को पढ़कर सुनाया जाय... (व्यवधान)

Shri George Fernandes : It is there. Mr. Speaker, that the bulletin should be read after they are shown to the hon. Minister. The All India Radio should be converted into All Indira Radio, that is what we are objecting to.

Minister of Information and Broadcasting, and Communications (Shri Satya Narain Sinha) : Sometimes our hon. Friends come to know of certain news which, on our behalf, are said to be quite wrong. So, such apprehensions about the All India Radio are quite baseless (interruptions). Now if you have developed some suspicion, you will not be satisfied with any argument. I assure you that we have never asked for any such arrangement and certainly it is an unfair procedure. We would never allow it.

Shri Sheo Narain : I can cite the news bulletin broadcast yesterday night. I spoke in this House yesterday. The A. I. R. quoted all the hon. Members who spoke, but ignored me. Such are your bulletins. Who cares for us.

Shri Satya Narain Sinha : If we take the example of Shri Sheo Narain, had it been so that the bulletins were to be shown to us before broadcasting then Shri Sheo Narain's name would never have been omitted.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is very likely that Shri Satya Naryan Sinha does not know about it, but it is true and we are receiving complaints that Shri Gujral is interfering in all the matters. I want to know from the hon. Minister the number of complaints and demands received by him from the Staff Artistes during the last one year and the action taken by him thereon ? Which of the demands have been accepted and which of them have not been accepted ?

Shri Satya Narain Sinha : I want to make it clear that certain hon. Members have in their minds and they are propogating also that Shri Gujral has been doing something in All India Radio about which I am not aware. It is quite wrong. There is nothing which I donot know.

Shri Kanwar Lal Gupta : You hold an inquiry and we will prove it that Shri Gujral is interfering in the day-to-day work of A. I. R, that anti Indira elements are opposed and that pro-Indira people are named on A. I. R....(interruptions)

Shri Satya Narain Sinha : You mention here if there is any such thing (Interruptions)

Shri Hukam Chand Kachwai : You please sit down. You do not know anything. You are too simple and innocent to know all these things (interruptions).

अध्यक्ष महोदय : यह सभा है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Mr. Speaker, you might remember that I had given notice of an Adjourn Motion which was not declared in order. But we have been hearing, All India Radio news bulletins during the last three four days about Presidential Elections and the way propaganda is being done in favour of a particular side, is that a proof of the impartiality of All India Radio ? Is it not going on in well planned way ? (interruptions)

Shri Kanwar Lal Gupta : We seek your protection. If you donot allow us to speak, what shall we do then ? (interruptions)

अध्यक्ष महोदय : भाषण नहीं, केवल प्रश्न पूछिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने प्रश्न पूछा है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Shri Satya Narain Sinha should give a reply to my question. He should explain the way in which the All India is propagating. (interruptions).

श्री इ० कु० गुजराल : मुख्य बात यह है कि जब भी श्री कंवर लाल गुप्त प्रश्न पूछते हैं वह उसमें अपनी ही राजनीति ठूंसने की कोशिश करते हैं । यह व्यवहार न तो हमारे प्रति न्याय-संगत है और न ही आकाशवाणी के प्रति...(व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : हम इसका विरोध करते हैं । यह कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसमें राजनीति ला रहे हैं, हम तो तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, यदि आपने आकाशवाणी का प्रसारण सुना होता तो आप भी यही निष्कर्ष निकालते जो श्री कंवर लाल गुप्त तथा श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने निकाला है । आकाशवाणी तो कांग्रेस के कुछ व्यक्तियों के लिये तथा श्री वि० वि० गिरी के लिये केवल एक प्रचार—एजेन्सी बनकर रह गया है । यह बात मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a very important matter. We should have a discussion on this point. The Presidential Elections are due on the 16th (interruptions).

Shri Prakash Vir Shastri : My point was that in the news bulletin at 6-35 Shri Nijalingappa's letter was broadcast but it was deleted, by order, in the main news bulletin. All these things are happening. (interruptions)

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ...(व्यवधान)

श्री पीलु मोडी : वह सख्त विरोध कर सकते हैं या विनय पूर्वक क्षमा माँग सकते हैं । कोई एक बात तो करेंगे ।

Shri S. M. Banerjee : It was not broadcast that Shri Nijalingappa received a bribe of Rs. 10,000 and Shri Patil Rs. 5,000. (Interruptions).

श्री बलराज मधोक : हमें मालूम है कि श्री गिरि की ओर से धन देने के प्रस्ताव किये गये हैं तथा वोट देने के लिये लोगों को खरीदा जा रहा है...(व्यवधान) हम इसका सख्त विरोध करते हैं तथा यह आरोप लगाते हैं कि चुनावों में धांधली हो रही है...(व्यवधान)

Shri Hukam Chand Kachwai : The way in which the All India Radio is doing propaganda, is . . . (interruptions)

अध्यक्ष महोदय : हर व्यक्ति बोल रहा है। यह सब क्या है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : वह तो डा० गोबल्स की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत आश्चर्य की बात है, इस ओर से कहा जाता है कि प्रचार गिरी समर्थक है और दूसरी ओर से वे कहते हैं कि प्रचार निर्जिलिंगप्पा और अन्य लोगों के समर्थन में किया जा रहा है।

श्री उमानाथ : मैं आरोप लगाता हूँ कि आकाशवाणी निर्जिलिंगप्पा के लिए प्रचार कर रहा है... (व्यवधान)

Shri Prakash Vir Shastri : I have not said like this Pro-Nijalingappa, Pro-Giri, Pro-Deshmukh or Pro-Sanjiva Reddy. You can also listen the Bulletins of All India Radio. The way propaganda is being done in favour of a particular party evokes doubt about the impartiality of All India Radio. This is what I said . . . (Interruptions) . . .

Shri S. M. Banerjee : On a point of personal explaination. Sir. (Interruption).

Mr. Speaker : I again request you. Mr. Banerjee it is not proper for you to raise your hands and make such gestures.

श्री बनर्जी, आप कृपया बैठ जाइये। आप अध्यक्ष तथा अन्य लोगों को अपने हाव-भाव दिखा रहे हैं, परमात्मा के लिए इसे बन्द कीजिए। (Interruptions)

श्री जी० भा० कृपालानी :—मुझे एक शब्द कहना है, मैं इन बातों में दखल नहीं देता, परन्तु मुझे आश्चर्य है कि मेरे मित्रों ने यह बात बहुत देर से उठाई है। आकाशवाणी इन तमाम वर्षों में सरकारी प्रचार कर रहा है और इसलिए वे समिति नियुक्त नहीं करना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत रेडियो कार्य करेगा। यदि रेडियो सरकार के अधीन रहा तो हमेशा संदेह बना रहेगा। वे इसे किसी स्वतंत्र संगठन के अन्तर्गत क्यों नहीं रखते ?

An Hon. Member : There are 300 members sitting on this side also and no one have spoken inf avour. (Interruptions).

Mr. Speaker : I donot understand what has happened to these wise men. When they meet outside, no one can imagine that they can behave like this in the House.

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

एक डाक-थैले में छिपाए गए बम का विस्फोट

अ० सू० प्र० सं० 5. श्रीमती इला पाल चौधरी : **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री बी० के० दास चौधरी** :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचना मिली है कि 8 अगस्त, 1969 की शाम को कलकत्ता मुख्य डाक घर के डाक विभाग में एक डाक थैले में छिपा कर रखा गया एक शक्तिशाली बम फटने से 14 डाक कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिनमें से चार को गम्भीर चोटें आई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिन कर्मचारियों को चोटें आई हैं और खासकर जिन्हें गम्भीर चोटें आई हैं, इस समय वे किस दशा में हैं ; और

(घ) अब तक डाक-थैले में बम रखने वाले अपराधी का पता लगाने के और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का क्या विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी हां। 13 कर्मचारियों को चोटें आई थीं, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

(ख) यह विस्फोट 8 अगस्त, 1969 को शाम को लगभग 6 बजकर 40 मिनट पर उस समय हुआ जबकि विभिन्न नगर उप-डाकघरों से प्राप्त थैले उतारे जा रहे थे। विस्फोट भयंकर था और पार्सल के अन्दर की वस्तुएं टुकड़े-टुकड़े होकर चारों ओर बिखर गई थीं। सहायता और छानबीन के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बूलेंस और पुलिस को तुरन्त बुलाया गया था।

(ग) जिन दो व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थीं, उन्हें मेडिकल कालेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। अन्य 11 व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन दो कर्मचारियों की हालत संतोषजनक है और उसमें आगे और सुधार हो रहा है।

(घ) पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं जान सकती हूँ कि क्या पार्सल के सूत्रों की, जो कि स्पष्टतया सियालदाह क्षेत्र के उपकार्यालय से भेजा गया था और पुलिस को जिसके बारे में अधिक जानकारी है जांच की गई है ?

पश्चिम बंगाल में नक्सलपंथियों का उद्देश्य सब स्थानों जैसे सिनेमा हालों आदि में बम रखना रहा है। मैं जान सकती हूँ कि क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग नक्सलपंथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखता है? चूंकि नक्सलपंथियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं तो क्या मैं जान सकती हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे ऐसे बम डाक के पार्सलों में न रखे जायें। और यदि कोई बम रखा हुआ है तो उसका पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? कम से कम ऐसी निगरानी तो होनी चाहिए ? मैं यह भी जान सकती हूँ कि क्या उन कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की गई है जो कि गम्भीर रूप से घायल हुए हैं ? एक व्यक्ति की आँख में चोट आई है और वह जीवन भर के लिए असमर्थ हो सकता है।

श्री शेर सिंह : यह बाद में पता लग गया था, कि पार्सल की वस्तुएँ सियालदाह जोरा मदविर लाइन के नगर उपकार्यालय से आईं, और उसमें 7 वी० पी० पी० और 2 पंजीकृत पार्सल थे। इसकी जांच की जा रही है। हम इस बात का पता नहीं लगा पाये हैं कि क्या यह कार्य नक्सलपंथियों या अन्य लोगों ने किया है। इसका पता जांच के पूरा हो जाने पर ही लगेगा। जांच की जा रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह सब काम श्री अतुल्य घोष के द्वारा किये जाते हैं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ।

Shri Yashpal Singh : This explosion is not an act of one man. A ring or conspiracy is involved in it to destroy India. So I want to know what the Hon. Minister is doing in this

matter so that Bengal may be saved from the flames of fire and such things may not recur ? What is the Hon. Minister doing in this matter ? This is a case of sabotage and there is a big conspiracy behind this and there is a ring also.

What are they doing to crush that ring.

Shri Sher Singh : The department of post office can only send directions to this effect that incoming parcels should be examined carefully.

Shri Yashpal Singh : Is it not their joint responsibility.

Shri Sher Singh : These directions have been issued to all. Regarding the explosion, you have asked whether any ring or a person is behind this, nothing can be said whether it is an act of a ring or a person until the whole investigation is completed. But this thing was contained in some registered parcel.

The Minister of Information and Broadcasting, and Communication (Shri Satya Narayan Sinha) : It is the function of the Post Office to deliver the incoming parcels without opening them. We do not open to see what they contain and if we open, the people will object to that. It is the job of the State Government to see what action is being taken in Bengal or at some other place. We have another Ministry which works into this matter. The suspicion on Naxalites may be correct. But you will know what the reality is after the completion of the inquiry. But so far as our department is concerned, it is their duty to deliver it at the destination. If you give permissions then we can open the letters and parcels of all people.

Shri Rabi Ray : Our letters are opened.

Shri George Fernandes : Our letters have not been delivered.

Shri Kanwar Lal Gupta : If you open our letters then we will leak out your secrets.

Mr. Speaker : These people are already prepared and you give them a chance. In this way the trouble starts. They wait for a chance, and you give them a chance. So I will urge upon the Government to be careful in replying.

Shri Ramavatár Shastri : It is very serious. Such a Bomb explosion took place at Lal Bazar Police station also. The matter wasi nves.igated and it was found that the police is involved that and it is said that some big Congressmen have a hand in this act. I want to know whether Police is not involved in this Bomb explosion and in placing the bomb ? May I know whether the Government have investigated or would make arrangements to conduct investigations ?

Secondly, it is not known when the persons, whose condition is very serious, will recover. Then how much time will he take in getting employment to the members of their families ?

Shri Sher Singh : Shri Shastri is talking of remote future. This matter is under investigation, and it is only after the completion of the investigation that we will come to know who is responsible for it.

We are taking full care of the two injured porters and our officials of the Department of welfare go them daily and give there full help.

श्री बे० कृ० दास चौधरी : माननीय सदस्यों के द्वारा किए गए प्रश्नों से बिल्कुल स्पष्ट है कि 8 अगस्त को कलकत्ते में बम विस्फोट की जो घटना हुई थी वह एक मात्र घटना नही थी। कलकत्ते तथा देश के अन्य भागों में बम विस्फोटों की अनेक घटनाए हो चुकी हैं। जहां तक मेरी जानकारी है बम निर्माण के लिए समस्त आवश्यक पदार्थ निषिद्ध हैं अथवा नियंत्रित हैं। हम यह

नहीं जानते कि लोगों का एक ग्रुप अथवा कोई एक व्यक्ति बमों के निर्माण की स्थिति में कैसे हो जाता है और इन बमों को इधर-उधर प्रयोग कर आतंक की स्थिति पैदा कर देते हैं। देश भर में व्याप्त इस विस्फोटक स्थिति को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से परामर्श करके इस मामले की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त जांच समिति की स्थापना करेगी, अथवा इस स्थिति को सदा के लिए समाप्त करने के लिए क्या इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करायेगी ?

श्री शेर सिंह : इस मामले की जांच पड़ताल राज्य सरकार कर रही है। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए। इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री स्वैल : जो कुछ वरिष्ठ मन्त्री महोदय ने कहा है उससे अवर मन्त्री महोदय के कथन का खण्डन होता है। अवर मन्त्री महोदय ने कहा कि बड़े डाक घर में विस्फोट की इस घटना की जाँच की जा रही है और वरिष्ठ मन्त्री जी ने बताया कि जांच करना उनका कार्य नहीं है बल्कि यह भी राज्य सरकार की जुम्मेदारी हैं। फिर भी, यह उनका आन्तरिक मामला है जिसे वे स्वयं सुलझा सकते हैं। कलकत्ते में बड़े डाक घर में बम विस्फोट की घटना के तुरन्त पश्चात् कलकत्ता के दो सिनेमा घरों में बम रखे गए थे। क्या बम विस्फोट की यह घटना कलकत्ते के अन्य भागों में हुई इस प्रकार की घटनाओं का एक प्रतिरूप मात्र है और क्या बमों के इस प्रकार से रखने के पीछे कोई उद्देश्य तथा प्रयोजन है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : जो कुछ मैंने तथा मेरे सहयोगी जी ने कहा है उसमें कोई अन्तर नहीं है। उन्होंने भी यही कहा है कि राज्य सरकार इस मामले की जांच कर रही है। मैंने भी यही कहा है कि जहां तक डाक घर का सम्बन्ध है हम जांच नहीं कर सकते। यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, क्योंकि इस मामले की जांच पुलिस कर रही है हम उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं दे सकते।

श्री समर गुह : कलकत्ते में, विशेषकर नगर की औद्योगिक क्षेत्रों में बम फेंकना तो एक आम बात हो गई है। अभी कुछ दिन पूर्व, पत्तन क्षेत्र में, बहुत अधिक संख्या में निषिद्ध पोटशियम क्लोरेट पकड़ी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बम स्क्वैड की स्थापना की है क्योंकि वहां चारों ओर, चाहे समाज विरोधी तत्वों के साथ मुठभेड़ हो अथवा राजनीतिक कलह पैदा हो, बमों का प्रयोग खुले तौर से होता है। बड़े डाक घर में जो बम रखा गया था वह साधारण बम नहीं था बल्कि टाइम-बम था। टाइम-बम का निर्माण करने के लिए विशेष यांत्रिक जानकारी की आवश्यकता होती है तथा उसमें समय की व्यवस्था करनी पड़ती है। अभी हाल ही में दो सिनेमा घरों में दो टाइम-बमों का विस्फोट हुआ।

यह एक बहुत गम्भीर मामला है। सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्रालय इस मामले के सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय इस बारे में एक संयुक्त जांच करायेंगे ? क्या वे गृह मन्त्रालय से संयुक्त जांच कराने के लिये कहेंगे कि इन टाइम-बमों के निर्माण में पोटाशियम क्लोरेट तथा नाइट्रिक अम्ल जैसे किस प्रकार के पदार्थों तथा उपकरणों का प्रयोग होता है तथा इन प्रखर विस्फोटक पदार्थों की प्राप्ति का स्रोत क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा सुझाव है। उन्होंने नोट कर लिया है।

श्री शेर सिंह : यह हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है।

श्री सु० कु० तापड़िया : माननीय मन्त्री ने यह कह कर कि उनका विभाग पार्सल नहीं खोलता और वे यह नहीं जान सकते कि उनमें क्या भरा है, अपने भोलेपन का प्रदर्शन किया है। बमों, विस्फोटक पदार्थों तथा प्रज्वलनशील पदार्थों जैसी वस्तुओं को डाक द्वारा भेजना संसार भर में निषिद्ध है। समस्त विकासशील देशों में, यह जानने के लिए कि इन पार्सलों में क्या है, धातु परिचायक जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय ऐसे उपकरणों अथवा यन्त्रों के उपयोग करने पर विचार करेंगे जिनकी सहायता से, विशेषकर बंगाल में, डाक द्वारा भेजे गए पार्सलों के अन्दर की वस्तुओं का पता लगाया जा सके ?

श्री सत्यनारायण सिंह : दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे उपकरण अथवा यन्त्र उपलब्ध नहीं हैं। मैंने इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं सुना है। परन्तु मैं अवश्य ही इस बात का पता लगाऊँगा और देखूगा कि क्या इस प्रकार के यन्त्र रखना सम्भव है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि बड़े डाक घर में बम विस्फोट के पश्चात् श्री सत्य नारायण सिंह ने अपने सहयोगी, कृषि मन्त्री से अनुरोध करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा था कि उन ब्लाक विकास अधिकारियों को, जो उनकी दृष्टि में अधिक उपयोगी नहीं हैं, बम का पता लगाने वाले अधिकारी के पद पर नियुक्त करना अधिक लाभप्रद हो सकता है ? यह सुझाव श्रीमती इला पालचौधरी ने भी दिया था जो चाहती थीं कि इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की जाए।

श्रीमती इला पालचौधरी : मैंने ब्लाक विकास अधिकारियों के बारे में सुझाव कभी नहीं दिया।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the hon. Minister the name of the place from which the parcels were despatched and the name of the persons to whom they were despatched ?

The hon. Minister has said that investigations, are being held. I want to know the name of person who has been appointed to go into this matter. and whether he has started the inquiry, if so, the progress made in this respect so far ?

Shri Sher Singh : The hon. Member has asked regarding the place of despatch of these parcels and the names of the senders of these parcels. In this connection. I have already said that there were seven V. P. P's. and four registered parcels. I place this information on the table of the House with the permission of Mr. Speaker.

Shri Hukam Chand Kachwai I want to know from the hon. Minister the name of the officer who has been entrusted with this inquiry work, the progress made so far in this respect and the details of the report submitted by him so far ?

Mr. Speaker : Shri Ram Gopal Shalwale.

Shri Ram Gopal Shalwale : It is a very serious matter. I want to know from the hon. Minister whether he will seek information regarding such employees of post offices as are in collusion with pro-Pakistani or pro-Chinese elements and will make efforts to remove them from service ?

Shri Satya Narayan Sinha : We donot have such information. In case the hon. member has got such information he should pass that on to us and we shall definitely look into that.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister whether he is preparing to award Padma Vibhushan to Jyoti Basu, the Minister of West Bengal, for his maintenance of law and order, in Bengal in a remarkable manner ? This should be replied to.

Mr. Speaker : Item No. 3. Calling Attention Notice, Shri Himmat Singka.

Shri Chandrika Prasad : I had also given notice of a Calling Attention Motion regarding Eastern U. P. and Western Bihar.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी का विज्ञापन विभाग

*547 **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्रों में एक विज्ञापन विभाग स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी को विज्ञापनों से कुल कितना कारोबार मिला है ;

(ग) क्या इन विज्ञापनों से रेडियो सीलोन के विज्ञापनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या 'सिलोन रेडियो' ने इसके प्रति विरोध व्यक्त किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार 'रेडियो सीलोन' के विरोध पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हां। आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से 1 अप्रैल, 1969 से वाणिज्यिक प्रसारण सेवा शुरू की गई थी।

(ख) दिल्ली केन्द्र से अप्रैल-जून की अवधि में हुई कुल आय 12,38,303 रुपये थी।

(ग) सरकार को निश्चित जानकारी नहीं है।

(घ) जी, नहीं। इस मन्त्रालय को ऐसे किसी विरोध की जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध के मूल्यों में कमी

548. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि दिल्ली दुग्ध योजना के बारे में 'कुरियान प्रतिवेदन' की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया जाये तो क्या दूध के मूल्यों में कमी तथा दूध की किस्म में सुधार होने की गुंजाइश है ;

(ख) कुरियान प्रतिवेदन की सिफारिशों को पूर्णरूपेण क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) दूध की वसूली, परिष्करण तथा स्तर-नियन्त्रण में सुधार करने तथा कम आय वाले

लोगों को कम मूल्य पर दूध सप्लाई करने हेतु व्यय में कमी करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

विवरण

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न किस्मों के दूध के मूल्य हाल ही में 22 फरवरी, 1969 से बढ़ाये गये हैं। इस समय कीमतों के कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली दुग्ध योजना के दूध और दुग्ध उत्पादों की किस्म पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाता है। कुरियन समिति ने दूध की कीमतों के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। उनकी दूध की किस्म सुधारने सम्बन्धी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ख) कुरियन समिति की सभी मुख्य सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और वे कार्यान्वित कर दी गई हैं अथवा की जा रही हैं।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की प्राप्ति, उसे तैयार करने और किस्म नियत्रण के लिये ये उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) जो ठेकेदार दिल्ली दुग्ध योजना को दूध सप्लाई करते हैं उनके साथ पक्के करार किये गये हैं। वर्ष के दौरान यदि ये लोग करार के अनुसार दूध सप्लाई नहीं करते, तो उनपर 5 रुपये प्रति क्विन्टल जुर्माना किया जायेगा।

(2) ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिये उनकी कमीशन में वृद्धि कर दी गई है।

(3) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध प्राप्त करने के क्षेत्र में विस्तार कर दिया गया है। हरयाणा राज्य में करनाल से 20 मील दूर दूध प्राप्त करने का एक नया क्षेत्र लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों से भी दूध एकत्र किया जाने लगा है।

(4) उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, हरयाणा के करनाल और गुडगांव जिलों और राजस्थान के बीकानेर जिले में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध शेडों के लिये चार गहन पशु विकास कार्यक्रम मंजूर किये गये हैं।

(5) करनाल में गहन पशु विकास कार्यक्रम क्षेत्र में सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों दूध उत्पादक सदस्यों को दुधारू पशु खरीदने के लिये ऋण दिय जा रहे हैं।

(6) ऐसी व्यवस्था की गई है कि मेहसाना (गुजरात) में मेहसाना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ से प्रतिदिन 1,00,000 लिटर दूध प्राप्त किया जा सके। गत दिसम्बर से वहां से सप्लाई आरम्भ हो गई है और आजकल वहां से प्रतिदिन औसतन 15,000 लिटर दूध प्राप्त किया जा रहा है।

(7) योजना की केन्द्रीय डेयरी का विस्तार करके उसे अधिकतम क्षमता प्राप्त करने की योजना पर कार्यवाही हो रही है। केन्द्रीय डेयरी की 2,55,000 लिटर प्रतिदिन की आरंभिक क्षमता को बढ़ाकर प्रथम चरण में 3,00,000 लिटर और द्वितीय चरण में 435 000 लिटर प्रतिदिन किया जा रहा है।

(8) राजस्थान में बीकानेर में प्रथम चरण में 50,000 लिटर प्रतिदिन की क्षमता का एक सन्तुलन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

(9) दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्ध समिति तथा शासी निकाय ने दिल्ली दुग्ध योजना की एक दूसरी डेयरी स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से मंजूर कर लिया है।

(10) योजना की किस्म नियन्त्रण प्रयोगशाला में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली दुग्ध योजना व्यय में कमी करने और मितव्ययता करने के लिये बराबर पग उठा रही है। दिल्ली नगर निगम के महापौर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो मितव्ययता की दृष्टि से योजना के कार्य की जांच करेगी।

आकाशवाणी से चुनाव सम्बन्धी प्रसारण

*549. **श्री अदिचन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम चुनावों तथा मध्यावधि चुनावों के अवसर पर दल के दृष्टिकोण का प्रचार करने हेतु आकाशवाणी का प्रयोग करने के बारे में सरकार तथा राजनीतिक दलों के बीच कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कोई सर्वसम्मत सूत्र तैयार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) 1957, 1962 तथा 1967 के आम चुनावों से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा इस बात का प्रयत्न किया गया था कि राजनीतिक दल किसी स्वीकृत आधार पर अपने-अपने घोषणा-पत्रों तथा कार्यक्रमों के प्रचारार्थ सुविधाओं का प्रयोग कर सकें, परन्तु दल प्रसारण के समय के बटवारे के बारे में आपस में किसी ऐसे फार्मूले पर सहमत न हो सकें, जो सभी को स्वीकार्य हों।

(घ) जी, नहीं।

मृत्यु-सहायता लाभ देने के उपबन्धों को उदार बनाना

*550. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** 15 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासधारी बोर्ड से मृत कर्मचारियों के परिवारों को मृत्यु-सहायता लाभ देने के उपबन्धों को उदार बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और मृत्यु सहायता निधि में से दी जाने वाली सहायता की सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रु० करने के सम्बन्ध में आवश्यक मंजूरी दे दी गई है।

Working of Telephones in Delhi

*551. **Shri Prem Chand Verma :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the working of telephones in Delhi is very unsatisfactory and that more than 25 per cent of the telephones remain out of order ;

(b) whether it is also a fact that employees attending to telephone Nos. 197, 198 and 199 of P & T. Department neither behave properly with Subscriber nor pay attention to the complaints ; and

(c) whether Government are taking any concrete steps to improve the working of the telephone system and if so, the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Normal maintenance and development activities are carried out to continually improve the performance of the Delhi Telephone System. Due to Shortage of spares and equipment, the service has not been as good as we want it to be. All efforts are being made to make good the shortages within the limited resources available to the Department.

दिल्ली में भवन-निर्माण मजदूरों को न्यूनतम मजूरी देने का ठेकेदारों द्वारा विरोध

*552. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दिल्ली के भवन-निर्माण मजदूरों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजूरी का अधिकांश ठेकेदारों ने विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालय अधिनियम में संशोधन

*553. **श्री सीताराम केसरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि रोजगार कार्यालय अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि रोजगार के अवसरों के बारे में फर्मों तथा सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिये उसे अधिक कारगर बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : रोजगार और प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार इस समय इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी। आयोग को आशा है कि वह अगस्त, 1969 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

डाक तथा तार बोर्ड को वाणिज्य निगम के रूप में बदलना

*554. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार बोर्ड को वाणिज्य निगम के रूप में बदलना वांछनीय समझा है, जैसा कि ब्रिटेन में किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने मशीनों का प्रयोग करके, विशेष रूप में 'सार्टिंग सैक्शन तथा बेंडिंग विन्डोज' के कामों के लिये बोर्ड के 'सर्विस डिपार्टमेंट' को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित की जाने के लिए इन दो सैक्शनों को आधुनिक रूप देने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख)— डाक-तार बोर्ड के लिए समुचित संगठन का मामला प्रशासन-सुधार आयोग के विचाराधीन है और इस संबंध में उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

(ग) डाक-सेवा को आधुनिकी बनाने की आवश्यकता स्वीकार की गई है। डाकघरों और रेल-डाक व्यवस्था कार्यालयों के लिए आवश्यक कई मशीनों और जुगतों को व्यवहार में ला कर उनके परीक्षण का कार्य चल रहा है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कौन सी मशीनें भारतीय परिस्थितयों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

(घ) जी हां, एक योजना बनाई गई है और चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार की मशीनें और जुगतें प्राप्त करने के लिए 65 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। इन मशीनों का प्रचलन इनके व्यवहार द्वारा परीक्षण के परिणामों और इनके उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की 2,800 मशीनें चालू किये जाने की संभावना है।

दिल्ली में ट्रैक्टरों का वितरण

555. श्री लखन लाल कपूर : श्री प० ला० बारुपाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों के वितरण के बारे में दिल्ली महानगर परिषद में हुए विवाद पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1968-69 में दिल्ली प्रशासन के लिये कितने ट्रैक्टर मंजूर किये गये थे ;

(ग) क्या इन ट्रैक्टरों के अनियमित वितरण के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली संघ क्षेत्र में ट्रैक्टरों के वितरण के विषय में दिल्ली महानगर परिषद् में कोई विवाद नहीं था । कुछ सदस्य ट्रैक्टरों के वितरण के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाई गई नई पद्धति के विषय में जानकारी चाहते थे जिसके विषय में उन्हें अवगत कर दिया गया था ।

(ख) 1968-69 के लिए दिल्ली प्रशासन को विभिन्न किस्मों के 100 आयातित ट्रैक्टर आवंटित किए गए थे । इनमें 1967-68 के आवंटन में से उन्हें दिए जाने वाले 20 ट्रैक्टर भी सम्मिलित थे ।

(ग) और (घ) : कुछ व्यक्तियों के लिये ट्रैक्टरों के आवंटन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । दिल्ली प्रशासन ने शिकायत करने वालों को अपना आरोप सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया और उसके पश्चात उन मामलों का निपटारा कर दिया ।

Agricultural Programmes

556. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Bedabrata Barua :**

Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that agricultural production programmes are still limited to the irrigated areas ;

(b) the action taken by Government to bring desert and dry areas of the country under cultivation ; and

(c) the action taken by Government to derive benefit from the successful experiments in Israel in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development, and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) : A statement is placed on the Table of the Sabha.

Statement

I The following steps have been taken for attending to the problems of desert areas :

1. The Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur 8 Soil Conservation Research Centres and some other agencies have been carrying out researches in grassland improvement, afforestation, sand dunes stabilisation, conservation farming, etc. Results of research conducted in Israel and the practices adopted there are utilised in the experimental programme of the Central Arid Zone Research Institute to test their applicability. Among the trees introduced from Israel, **Acacia tortilis** has been found to be very promising and has already been taken up for large scale plantation by the Forest Department of Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh etc.

2. A Desert Development Board has been set up to keep under review the preparation of schemes for the development of desert areas and their execution, removal of administrative bottlenecks, etc.

3. A provision of Rs. 2.00 crores has been made in the Fourth Five Year Plan in the Central Sector for taking up pilot projects relating to pasture development, soil conservation, afforestation, agricultural development, etc. in the desert areas of Rajasthan, Gujarat and Haryana. The approach in the Plan period is to take up specified items of work, depending on the suitability of the areas selected, in compact and well defined areas. Schemes are being prepared accordingly and are likely to be in operation shortly.

II. As regards the development of chronically drought affected areas, the first and the foremost task was to classify these areas into 'A', 'B' and 'C' categories on the basis of whether almost a total failure of crops in the area had taken place once every three years, six years or ten years. Areas classified as 'A' are to be treated as the 'hard core' of such areas and are to be taken up for treatment first. Due to paucity of funds, it was decided to make a beginning during 1968-69 by taking up pilot projects covering an area not larger than an average district in the hard core of the chronically drought affected areas in a few/selected States. Under this approach, it was proposed to take up investigation of groundwater and mineral resources minor irrigation schemes, soil and water conservation works, afforestation and development of pastures. Two schemes of minor irrigation and soil conservation costing Rs. 30.31 lakhs were taken up in 11 talukas of hard core areas in Anantapur district in Andhra Pradesh during 1968-69 and Central assistance for these schemes was sanctioned according to the standard pattern. With effect from 1st April, 1969, this scheme, which was a Centrally Sponsored Scheme till then, has been transferred to the State Sector. However, 10 of the Central assistance to States will be available in the Fourth Five Year Plan period for special problems, such as chronically drought affected area, etc. States have again been addressed to give priority to early identification of chronically drought affected areas and to investigate the possibilities of taking up surface irrigation schemes for implementation in consultation with the Central Water and Power Commission. Investigations of groundwater resources are being assigned a very high priority. Conservation of soil and moisture through the conventional methods of contour bunding, etc. on a catchment basis, change of land use from agriculture to pastures or forestry, opening of new avenues of employment based on the exploitation of mineral and other industrial resources, where possible, are some of the other items which have been commended to the States for priority attention.

The National Institute of Sciences of India had recently held a Symposium on "Planning for Drought Areas." The suggestions made at this symposium have been brought to the notice of the State Governments for their consideration and adoption of such of them as might be suitable for local conditions.

III. The Indian Council of Agricultural Research have sanctioned a pilot project in drought areas of Telangana Region on the application of package of practices of new technology such as tillage practices, soil amendments, water harvesting and cropping pattern with improved varieties to maximise yields and work out the cost benefit ratio. The I. C. A.R. also propose to launch a co-ordinated research project for improvement of crop production under rainfed conditions with a plan outlay of Rs. 60.00 lakhs for 5 years. The study under

this scheme will pay special attention to water harvesting, efficient use of stored water in soil breeding, drought resistant or escaping varieties of crops and agronomic practices suitable for low soil moisture conditions.

The Ministry of Irrigation and Power have requested the State Governments to give preference to schemes serving drought affected areas, while sponsoring new irrigation schemes. One of the terms of reference to the Irrigation Commission recently set up is to examine in detail the irrigation facilities available in chronically drought affected and food deficient areas and to suggest essential and minimum irrigation works to be undertaken promptly in such areas.

अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के बारे में शिकायतें

*557. **श्री बलराज मधोक** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक टेलीफोन मालिकों को उनके टेलीफोनों के बिल बढ़ाचढ़ा कर भेजे जाने के बारे में शिकायतें बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन विभाग से संबन्धित कुछ लोग अधिक बिल मिलने वाले व्यक्तियों को मिलकर यह सुझाव दे रहे हैं कि यदि वे होने वाली बचत में उनके साथ हिस्सा बाटें तो उनके बिल कम हो जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके बारे में जांच की है और यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए तथा टेलीफोन विभाग की प्रतिष्ठा पुनः कायम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) बढ़ा-चढ़ा कर बनाये जाने वाले बिलों के बारे में शिकायतों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है और इस तरह की शिकायतों की संख्या में कोई लगातार या असामान्य वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) अभी तक इस तरह का कोई ख़ास मामला हमारे देखने में नही आया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खानों में लोगों की नियुक्ति

*558. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों को जिन्हें कुछ अनुभव प्राप्त होता था और जो मौखिक परीक्षा पास कर लेते हैं, बिना किसी लिखित परीक्षा में बैठे, खान प्रबन्धक, खान सर्वेक्षक, माइनिंग मेट तथा फोरमैन के पदों के लिये सेवा प्रमाणपत्र दे दिये जाते थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 अप्रैल, 1969 से मौखिक परीक्षा की प्रणाली समाप्त कर दी गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि वर्तमान खान प्रबन्धकों। सर्वेक्षकों आदि को मौखिक परीक्षा की सुविधा नहीं दी जाती, तो नियोजकों द्वारा उनको नौकरियों से हटा दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान कर्मचारियों को सेवा प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये मौखिक परीक्षा की सुविधा देने के बारे में विचार करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां। सेवा प्रमाण-पत्र धातुप्रद खान विनियम, 1961 के अन्तर्गत मंजूर किये गये।

(ख) जी हां।

(ग) लोगों को मैनेजर तथा सर्वेयर के प्रमाण-पत्रों के लिये वर्ष में एक बार और फोरमैन के प्रमाण-पत्र के लिए वर्ष में दो बार होने वाली नियमित परीक्षाओं द्वारा दक्षता-प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अवसर अभी भी प्राप्त है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वनों में औद्योगिक कच्चे माल का सर्वेक्षण

*559. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों में औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा कुल कितना खर्च किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित करने के लिये वन संसाधनों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण की योजना तैयार की गई है। यह योजना उस केन्द्रीय प्रायोजित योजना (वन संसाधनों के सर्वेक्षण) के अतिरिक्त होगी जिसे वन संसाधन सर्वेक्षण प्रभाग की स्थापना द्वारा राज्य सरकारें कार्यरूप देंगी और जिसके लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 250 रुपये प्रति वर्ग मील की दर से 100 प्रतिशत उपदान दिया जायेगा।

(ख) वन संसाधनों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण 1 नवम्बर, 1968 से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग साढ़े पांच वर्षों की अवधि में अनुमानतः 75,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का सर्वेक्षण करेगा।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन दोनों योजनाओं पर 306 लाख रुपये खर्च होने की सम्भावना है, जसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(i) वन संसाधनों का निवेशपूर्व सर्वेक्षण	167 लाख रुपये
(ii) केन्द्रीय प्रायोजित योजना	139 लाख रुपये
कुल	306 लाख रुपये

समाचार पत्र उद्योग एकाधिकार

*560. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री 19 फरवरी 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रम जीवी पत्रकार संघ के साथ समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार को रोकने के लिये की गई कार्यवाहियों के बारे में बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) और (ख) : जी, नहीं। तथापि, सरकार इस बारे में भारतीय प्रेस परिषद की सलाह को प्रतीक्षा कर रही है जिसका काम समाचार पत्रों के स्वामित्व या उनके वित्तीय सम्बन्धी ढांचे के अध्ययन सहित उन गतिविधियों का अध्ययन करना है जिससे समाचार पत्रों में एकाधिकरण या कई समाचार पत्रों के एक मालिक के हाथ में आने की प्रवृति बढ़े, और आवश्यकतानुसार उसके उपाय सुझाए। प्रेस प्ररिषद ने अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकारों के अन्दर यह अध्ययन करने के लिए एक उप समिति नियुक्त की है जो निस्सन्देह विषय पर प्रेस के विभिन्न वर्गों के विचारों का भी ध्यान करेगी।

चौथी योजना में आकाशवाणी के नये केन्द्रों का खोला जाना

*561. **श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री रामकृष्ण गुप्त :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में आकाशवाणी के नये केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने केन्द्र खोलने के विचार हैं और वे कहां-कहां खोले जायेंगे ; और

(ग) इन केन्द्रों के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) उन 39 केन्द्रों की सूची, जिनके बारे में प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल है, सदन की मेज़ पर रख दी गई है। [पुस्तकालय मे रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 1678/69] तथापि, योजना प्रस्तावों के कार्यान्वित के दौरान कुछ समंजन हो सकते हैं।

(ग) योजना अवधि के दौरान।

कलकत्ता में टेलीफोन सेवाओं में अव्यवस्था

*562. **डा० रानेन सेन : श्री भगवान दास :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता की टेलीफोन सेवा बहुत ही अधिक बिगड़ गई है, जिसके कारण जनता को असुविधा हो रही है तथा जनता में रोष है ;

(ख) क्या यह सच है कि जनता द्वारा की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) टेलीफोन व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिये रख-रखाव का सामान्य कार्य किया जाता है।

कृषि क्रान्ति के कृषकों को लाभ

*563. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन दिनों जो कृषि क्रान्ति की जा रही है उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ख) कृषि क्रांति के अन्तर्गत छोटे किसानों को क्या लाभ प्रदान किये जा रहे हैं ;

(ग) इस अभियान के प्रति किन-किन राज्यों ने उत्साह तथा रुचि दिखाई है ; और

(घ) इस क्रांति के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नयी कृषि नीति, जिनका कि प्रायाः "हरी क्रान्ति" के रूप में उल्लेख किया जाता है, की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं ;

अधिक उत्पादनशील किस्म के बीजों की खेती, बहुउद्देशीय फसलें, सघन कृषि के लिये छोटी सिंचाई योजनायें, उर्वरक और कीटनाशक आदि आदानों का संगठित प्रावधान, संस्थागत वित सहित उदार ऋण सुविधाओं की सामायिक व्यवस्था, कृषकों की शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य को गतिमान करना।

(ख) कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी छोटे बड़े किसानों के लिये बीज, उर्वरक, कीटनाशक और ऋण आदि अपेक्षित आदान मुहैय्या करने को निश्चित व्यवस्था मौजूद है। विभिन्न फसलों की कृषि के लिये सुझायी गयी पैकेज प्रणाली का प्रयोग में लाने के लिये प्रत्येक फसल के मौसम के प्रारम्भ में भाग लेने वाले किसानों को प्रशिक्षण देने की सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ग) सभी राज्यों ने नयी कृषि नीति को लागू करने में काफी तत्परता दिखायी है।

(घ) नयी कृषि पद्धति वर्ष 1966-67 से लागू की गई थी। 1967-68 के दौरान, खाद्यान्नों का उत्पादन 1964-65 में प्राप्त अब तक के अधिकतम उत्पादन से 66.0 लाख मीटरी टन बढ़ गया। 1968-69 के खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान संकलित किये जा रहे हैं।

वस्त्र मजदूरों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का विरोध

*564. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपड़ा मिल संघ ने कपड़ा श्रमिकों के संबन्ध में दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का सर्वसम्मति से विरोध किया है ;

(ख) क्या भारत सरकार को भारतीय कपड़ा मिल संघ से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि बढ़ाई हुई मजूरी देने में उद्योग असमर्थ है ;

(ग) क्या मजूरी बोर्ड ने स्वयं यह सिफारिश की है कि उन मिलों को, जो वित्तीय कठि-

नाइयों का सामना कर रही हैं, मजूरी के लिये द्विपक्षीय समझौता करने की अनुमति दी जाये ; और

(घ) इस पंचाट के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों को सुलझाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख) : मजूरी बोर्ड में फैडरेशन के दोनों प्रतिनिधि बहुमत सिफारिशों से इस आधार पर असहमत रहे कि उद्योग में अधिक वेतन देने की क्षमता नहीं है परन्तु सरकार द्वारा बहुमत सिफारिशों की स्वीकृति की घोषणा किये जाने के बाद फेडरेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ग) और (घ) : मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट संबंधी सरकारी सकल्प में यह कहा गया है कि सरकार को विश्वास है कि उद्योग की कुछ कमजोर इकाइयों में सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर दोनों पक्ष परस्पर मान्य समझौते करने के लिये द्विपक्षीय विचार-विमर्श करेंगे ।

राष्ट्रीय श्रम आयोग की बैठक

*565. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की हाल ही में ऊटकमंड में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ ; और

(ग) इसमें क्या निर्णय किये गये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) से (ग) : रिपोर्ट के मसविदे पर विचार करने और उसे अंतिम रूप देने के लिये आयोग की बैठक ऊटी में हुई । आयोग को आशा है कि वह अगस्त, 1969 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ को वित्तीय सहायता

*566. **श्री समर गुह : श्री विश्वम्भरन :**
श्री राम चरण : श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ ने राष्ट्रीय सहकार विकास निगम से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां । 1968-69 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिन्हें ये प्रस्ताव भेजे गए थे, ने इन पर विचार किया ।

पुनर्वास उद्योग निगम में कर्मचारियों के वेतनमान तथा काम की शर्तें

*567. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनर्वास उद्योग निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों तथा काम की शर्तों के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में अब नियम बनाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड एक कम्पनी है जिसे भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम-1) के अधीन पंजीकृत किया गया है । कम्पनी द्वारा रोजगार पर लगाये गये कर्मचारियों के वेतनमानों तथा काम की शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाना कम्पनी का काम है । वेतनमानों के सम्बन्ध में अब तक कोई नियम तैयार नहीं किये गये हैं क्योंकि निगम विभिन्न प्रकार की बीस औद्योगिक इकाईयों के जो इस द्वारा चलाई जा रही हैं, सम्बन्ध में नियम बनाना सुगम नहीं समझता है । जिन दरों पर मजदूरी दी जाती है वह इस प्रकार के औद्योगिक संस्थापनों के कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी की तुलना में अच्छी है । निगम ने उद्योग रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 के अन्तर्गत अपने स्थायी आदेशों का मसौदा प्रादेशिक श्रम-आयुक्त को प्रमाणीकरण के लिये भेज दिया है ; काम की शर्तें इनके द्वारा शासित होंगी ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि के क्षेत्र में सहयोग के बारे में पोलैण्ड के मन्त्रियों के साथ वार्ता

*568. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री उमानाथ :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलैण्ड के मन्त्रियों के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के बारे में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बातचीत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : राज्य मन्त्री के पौलैण्ड के दौरे की अवधि में कृषि के क्षेत्र में भारत के लिये पौलैण्ड की सहायता के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ था । इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप, आवश्यकता पड़ने पर पोलैण्ड ने सुअर पालन के लिये प्रजनन-सामग्री तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया था । उन्होंने आलू के बीज मुहैय्या करके भी भारत की सहायता करने का प्रस्ताव रखा था । प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

पुनर्वास उद्योग निगम को वित्तीय सहायता

*569. श्री गणेश घोष : श्री गो० राममूर्ति :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम के अन्तर्गत योजनाओं के लिये सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की है ;

(ख) अधिकारियों ने जिन योजनाओं को कार्यान्वित किया है, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ योजनाओं को त्याग दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार पहले त्याग दी गई योजनाओं का पुनः आरम्भ करने का है ; और

(च) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार ने पुनर्वास उद्योग निगम की शेयर-पूँजी में 2.83 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और उसको 3.01 करोड़ रुपये के ऋण भी मंजूर किये हैं ।

(ख) औद्योगिक एकक स्थापित करने तथा निजी उद्योगपतियों की वित्तीय सहायता करने और इस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के उद्देश्य से 1959 में निगम की स्थापना की गई थी । इस समय विभिन्न स्थानों पर निगम द्वारा 20 औद्योगिक एकक चलाये जा रहे हैं । निजी उद्यमकर्ताओं को किराये के आधार पर औद्योगिक शैड प्रदान करने के लिये निगम ने तीन औद्योगिक संपदायें भी स्थापित की हैं ।

(ग) केवल एक औद्योगिक एकक—रूप नारायणपुर वुड वर्क्स बन्द कर दिया गया है ।

(घ) यह एकक निरन्तर हानियों में चल रहा था और इसलिये निगम के निदेशकों के बोर्ड ने इसे बन्द करने का निश्चय किया । कामगारों को पुनर्वास उद्योग निगम के अन्य एककों में वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया गया है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

कीटनाशी दवाओं के विशेषज्ञों को अमरीका में प्रशिक्षण

*570. श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में एशिया के विकासशील देशों से कीटनाशी दवाओं के विशेषज्ञों को अमरीका में जुलाई, 1969 में आरम्भ किये गये सात सप्ताह के प्रशिक्षण-कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था ;

(ख) किस-किस देश के कीटनाशी दवाओं के विशेषज्ञों को उसमें भाग लेने के लिये बुलाया गया था और किस-किस देश के विशेषज्ञों ने उसमें भाग लिया ; और

(ग) भारत की ओर से उस कार्यक्रम में किन-किन कीटनाशी दवा विशेषज्ञों ने भाग लिया और उनका चयन किस आधार पर किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

विवरण

(क) तथा (ख) : संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने, इसके द्वारा जुलाई अगस्त 1969 में अमरीका में आयोजित किये जाने वाले कृमिनाशी तथा कीटनाशी औषधियों के उत्पादन सम्बन्धी ग्रुप औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए प्रगतिशील देशों को 20 अधिछात्रवृत्तियां देने के लिये नवम्बर, 1968 में उनसे नाम मांगे थे। भारत सरकार को दो नाम भेजने के लिए कहा गया था। उक्त संगठन द्वारा विभिन्न देशों को दी गई अधिछात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण पाठ्य क्रम का अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों का अभी पता नहीं है।

(ग) तकनीकी अधिकारियों की सलाह से सरकार ने दो नाम भेजे थे। उनमें से एक (डा० के० डी० शर्मा, तकनीकी विकास महा निदेशालय के सहायक विकास अधिकारी) को अन्ततः अधिछात्रवृति के लिये चुना गया। वह इस समय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

स्टाफ आर्टिस्ट संस्था

3521. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों ने 1964 में एक संस्था बनाई थी;

(ख) इस संस्था का पहला अध्यक्ष कौन था; और

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त पहला अध्यक्ष एक राजनैतिक व्यक्ति है और इसलिए वह आकाशवाणी में राजनीति लाया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) श्री एस० एस० सेंगर।

(ग) प्रश्न में प्रकट किया गया विचार सामान्य प्रकृति का है। सरकार को ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है जो इस निष्कर्ष को सिद्ध करती हो।

भारतीय खाद्य निगम

3522. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में श्रेणीवार कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ख) इन कर्मचारियों के वेतन आदि पर कुल कितना व्यय होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना

साहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम में पहली अप्रैल, 1969 को श्रेणीवार काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

1) श्रेणी 1	210
2) श्रेणी 2	1104
3) श्रेणी 3	14246
4) श्रेणी 4	10530
जोड़	26090

(ख) लगभग 95 लाख रुपये प्रति मास। इस खर्च में वेतन तथा भत्ता, पैंशन तथा छुट्टी वेतन अंशदान, स्टाफ कल्याण तथा प्रशासन पर यात्रा भत्ता और विभागीय मजदूरों पर खर्च भी शामिल हैं।

मान्यता प्राप्त विदेशी संवाददाता

3523. **श्री जुगल मंडल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी दूतावासों तथा विदेशी सूचना सेवा के कर्मचारियों के बारे में, जिन्होंने संवाददाता के रूप में भारत सरकार से मान्यता प्राप्त की है, पूरा विवरण दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ;

(ख) क्या अमरीका सूचना सेवा द्वारा इस कार्य में पहल किये जाने के बाद साम्यवादी देशों के दूतावासों के बहुत से कमचारियों ने विदेश प्रचार डिवीजन और प्रेस सूचना ब्यूरो को आवेदन पत्र देकर प्रेस मान्यता पत्र प्राप्त कर लिया है ; और

(ग) क्या आकाशवाणी के एक पूर्णकालिक कर्मचारी कलाकार को जिसका दूतावासों के साथ सम्बन्ध है, उर्दू के समाचार पत्रों की ओर से मान्यता दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख) नियमों के अन्तर्गत प्रत्यायन केवल उन्हीं पत्रकारों को दिया जा सकता है जो पूरे समय के समय के लिये पत्रकारिता का कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी दूतावासों तथा उनकी सूचना सेवाओं को समाचार पत्र संवाददाता के रूप में प्रत्यायन नहीं दिया जाता। अपवाद केवल वहां होता है जहां विदेशी सूचना सेवा का एक सदस्य पूर्ण-कालिक संगठन यथा देश के रेडियो का प्रतिनिधित्व करता हो। विदेशी सूचना सेवाओं के सदस्यों को ऐसे कार्यक्रमों के समाचार लेने की तदर्थ सुविधायें भी दी जाती हैं जिनमें वे रुचि रखते हों जैसे उनके सम्बन्धित देशों या सरकारों के प्रमुख की यात्रा इत्यादि।

(ग) आकाशवाणी में एक स्टाफ आर्टिस्ट ठेके पर है जो उर्दू के दो समाचार पत्रों की ओर से प्रत्यायित है। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि वह विदेशी दूतावासों के ठेके पर है।

होटल प्रबन्ध तथा भोजन व्यवस्था प्रौद्योगिकी संस्था

3524. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री सी० बेलफील्ड-स्मिथ किस रूप में, कितने वेतन पर और किस तारीख को भारत सरकार की सेवा में आये और उनके साथ करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ख) उनके सेवाकाल को कितनी बार और किन-किन तारीखों को बढ़ाया गया और इसके वास्तविक क्या कारण थे ;

(ग) होटल प्रबन्ध तथा भोजन व्यवस्था प्रौद्योगिक संस्था को प्रतिवर्ष कितना अनुदान दिया जाता है और उसे अब तक कुल कितना अनुदान दिया गया है ;

(घ) इस संस्था द्वारा किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण की अवधि कितनी है और यह किस प्रकार के डिप्लोमे देती है ;

(ङ) इस संस्था से अब तक प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी पास हुए हैं और उनको किस प्रकार को डिग्रियां अथवा डिप्लोमे मिले हैं ; और

(च) इन प्रशिक्षित व्यक्तियों के रोजगार की क्या सम्भावनाएँ हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) श्री सी० बेलफील्ड स्मिथ ने खान-पान औद्योगिकी के रूप में 1.1.1962 से भारत सरकार में कार्य प्रारम्भ किया था। उनको वेतन तथा भत्ते खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा दिए जाते हैं और भारत सरकार को सेवा पर उनके आन्तरिक यात्रा और स्थानीय यापन भत्ते अदा करने पड़ते हैं।

(ख) उनका सेवाकाल अब तक 31-12-1969 तक पांच बार बढ़ाया गया है। श्री सी० बेलफील्ड स्मिथ विभिन्न खाद्य क्राफ्टों में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए खान-पान (केटरिंग) संस्थानों की स्थापना से सम्बद्ध रहे हैं। केटरिंग शिक्षा जो कि इस देश के लिए नई है, केटरिंग संस्थानों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, उनकी सेवाओं का उपयोग करना आवश्यक था। इसके अलावा, खाद्य विभाग ने कुछेक अन्य सम्बद्ध परियोजनाएं शुरू की थीं जिसके लिए उनकी सेवाएँ उपयोगी थी।

(ग) दिल्ली के संस्थान को वर्ष 1968-69 के दौरान दिया गया अनुदान 4,66,596 रुपये था। अब तक स्वीकृत अनुदान 59,06,080 रुपये है जिसमें भवन, उपकरणों आदि की लागत शामिल है।

(घ) **पूरे समय के पाठ्य क्रम**

(क) होटल मैनेजमेंट, केटरिंग और पोषाहार में तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स।

(ख) विशेषीकृत होटल मैनेजमेंट में एक वर्ष डिप्लोमा कोर्स।

(ग) डिब्बा बन्दी और खाद्य परिरक्षण में एक वर्ष डिप्लोमाकोर्स।

(2) **पूरे समय के क्राफ्ट्समैन शिप पाठ्यक्रम** (6 महीने)

(क) होटल स्वागत तथा बुककीपिंग।

(ख) बेकरी तथा कनफेक्शनरी।

(ग) रेस्टोरेंट तथा काउंटर सेवा।

(घ) कुकरी।

(3) हाऊस वाइवज के लिए नानसार्टिफिकेट अंशकालिक पाठ्यक्रम

(क) कुकरी।

(ख) बेकरी तथा कनफेंक्शनरी।

(ङ) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1679/69]

(च) देश में विभिन्न केटरिंग प्रतिष्ठानों और संस्थागत फीडिंग संगठनों में इन उम्मीदवारों के रोजगार के अच्छे स्कोप है।

समाचारपत्रों के संवाददाताओं के दौरे

3525. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभा पटल पर एक ऐसा विस्तृत विवरण रखेगी जिसमें यह बताया गया हो कि 1 अप्रैल, 1965 से 30 जून, 1969 तक आयोजित तथा आमन्त्रित किये जाने पर समाचारपत्रों के सवाददाताओं ने देश में तथा विदेशों में मुफ्त कितने दौरे किये तथा इन समाचार-पत्रों और संवाददाताओं के नाम क्या-क्या थे ; और

(ख) क्या इन समस्त दौरों अथवा अधिकांश दौरों के लिये संवाददाताओं के चयन के मामले में प्रेस एसोसियेशन की सलाह ली गई थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) दो विवरण ('क' और 'ख') संलग्न हैं जिनमें पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित पत्रकारों के दौरो के बारे में अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1680/69]

(ख) विदेशों में अधिकांश मुफ्त दौरों और देश में कुछ दौरों के बारे में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रेस एसोसिएशन की सलाह ली गई थी।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न का खराब हो जाना

3526. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में पिछले दो वर्षों में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का अनाज खराब हुआ और मानव उपभोग के अयोग्य पाया गया ;

(ख) भविष्य में अनाज की बर्बादी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गेहूँ और चावल के गोदामों को पशुओं के चारे और मुर्गी के दाने को रखने के लिये प्रयोग करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) खाद्यान्नों की क्षति / बर्बादी रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाये जाते हैं :—

(1) सरकार द्वारा बनवाये गये गोदाम चूहों और सीलन से सुरक्षित होते हैं। किराये के गोदामों में निभार की व्यवस्था की जाती है।

(2) मानसून से पूर्व गोदामों की जांच कर ली जाती है और बरसाती पानी के चूने की जहां भी सम्भावना होती है वहां उसकी मरम्मत कर दी जाती है।

(3) खाद्यान्नों की समय-समय पर जांच करने हेतु योग्यता प्राप्त और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

(4) जन्तुवाधा को रोकने के लिए "पेस्ट कन्ट्रोल" सम्बन्धी उचित उपाय किये जाते हैं।

(5) मार्ग में खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिए खाद्यान्न बन्द माल-डिब्बों में भेजे जाते हैं और जब कभी खुले माल-डिब्बे अथवा ट्रक प्रयोग मे लाए जाते हैं तब उन्हें तिरपालों से ढक दिया जाता है।

(ग) क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों हेतु अलग गोदामों की व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि, क्षतिग्रस्त अनाजों को अच्छे अनाजों से अलग रखा जाता है।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

3527. **श्री बाबू राव पटेल : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में कुल कितने विस्थापित व्यक्ति आये ;

(ख) उन्हें फिर से बसाने के लिये किये गये उपायों का व्यौरा क्या है और इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(ग) इनके लिये कितने मकान बनाये गये और इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) आगामी तीन वर्षों में विस्थापित व्यक्तियों के आवास और पुनर्वास के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) 47.40 लाख।

(ख) और (ग) : पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास 1960-61 के अन्त तक प्रायः पूर्ण हो चुका था। उसके उपरान्त, केवल मुआवजे के भुगतान सम्बन्धी अवशिष्ट कार्य, जैसे कि सम्पत्तियों का हस्तान्तरण तथा उनका पंजीकरण, लेखा-विवरणों द्वारा सम्पत्ति के मूल्यों का समायोजन, लेखों इत्यादि का समाप्त किया जाना, इत्यादि शेष रहता था। विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये किये गये उपायों में लगभग 5.68 लाख परिवारों का भूमि पर पुनर्व्यवस्थापन, 1.93 लाख रिहायशी एककों का निर्माण, लगभग 0.92 लाख व्यक्तियों के लिये तकनीकी तथा व्यवसायक प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिये व्यवस्था, मध्यम तथा लघु कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिये सहायता, शहरी ऋणों का वितरण किया जाना तथा रोजगार कार्यालयों के जरिये रोजगार दिलाना इत्यादि शामिल है।

मार्च 1968 तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये आवास योजनाओं पर 66.01 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास पर मार्च, 1969 तक किया गया कुल खर्च 212.97 करोड़ रुपये होने की आशा है।

(घ) वर्ष 1969-70 के बजट अनुमानों में 40.26 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1970-71 के बजट अनुमान अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं। 1971-72 के बजट अनुमान आगामी वर्ष में तैयार किये जायेंगे।

खाद्यान्नों में राजकीय व्यापार के कारण हानि

3528. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितना घाटा हुआ ; और

(ख) सस्ता अनाज सप्लाई करने के लिये राज्यवार पिछले तीन वर्षों में ति वर्ष कितनी राज्य सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार में कुल नुकसान इस प्रकार हुआ है :—

वर्ष	नुकसान करोड़ रुपयों में
1966-67	93.28
1967-68	93.69
1968-69	18.80 (अनुमानित)

(ख) राज्य सरकारों को ऐसी कोई राज-सहायता अलग से नहीं दी जाती है। तथापि केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकारों को कुछेक खाद्यान्न जिन रियायती मूल्यों पर सप्लाई किए जाते हैं उनमें राज-सहायता की मात्रा शामिल होती है जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जातो है।

आकाशवाणी का निरीक्षण एकक

3529. **श्री शिव नारायण :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का एक निरीक्षण एकक है, यदि हां, तो यह कब बनाया गया था और इसके कृत्य क्या हैं ;

(ख) इस एकक में कितने नियमित तथा तदर्थ कर्मचारी कार्य करते हैं और वर्ष 1967, 1968 में तथा 30 जून, 1969 तक इस एकक को बनाये रखने, दौरों आदि पर कुल कितना वार्षिक खर्च हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के एक सचिव ने इस एकक को बन्द करने की सिफरिश की थी क्योंकि इसका कोई विशेष लाभ नहीं है और इस पर बहुत अधिक राशि खर्च हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ङ) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि इस एकक की उपयोगिता, इसके कृत्यों तथा इसके बनाये रखने पर किये जाने वाले खर्च के समतुल्य नहीं है ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का एक विभागीय समिति द्वारा इस एकक के समस्त कृत्यों और उपयोगिता की जांच कराने और इस पर खर्च होने वाली सरकार की बहुत बड़ी राशि को बचाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हां। यह एकक 1955 में बनाया गया था और इसके कार्यों में आकाशवाणी के केन्द्रों/कार्यालयों द्वारा निर्धारित लेखा और प्रशासनिक प्रक्रिया का ठीक तरह से पालन किया जा रहा है, इसे देखने और इस बारे में मार्गदर्शन करने के लिए उनका आवधिक निरीक्षण शामिल है। यह एकक आकाशवाणी मैनुअल का पुनरीक्षण भी करता है ताकि समय समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार उसे अद्यतम रखा जाए।

(ख) जानकारी इस प्रकार है :—

मद	कलैंडर वर्ष		
	1967	1968	1969 (30 जून, 1969 तक)
(1) एकक से सम्बद्ध कर्मचारियों की संख्या	21	21	20
(2) उपर्युक्त (1) के कर्मचारियों में तदर्थ कर्मचारियों की संख्या	—	—	3
(3) अनुरक्षण पर व्यय	1,42,234 रुपए	1,57,149 रुपए	82,564 रुपए
(4) दौरों पर व्यय	29,693 रुपए	22,824 रुपए	16,870 रुपए

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) और (च) : जी, नहीं। वित्त मन्त्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक ने आकाशवाणी महानिदेशालय का पिछले साल कार्य अध्ययन किया था और उसने यह पाया था कि महानिदेशालय का निरीक्षण एकक उपयोगी काम कर रहा है और एकक के कार्य-भार के आधार पर वर्तमान स्टाफ की सिफारिश की थी।

गुजरात में अधिक उपज वाली किस्में उगाने सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि

3530. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में गुजरात में अधिक पैदावार वाली किस्में उगाने सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि में खेती की गई थी ;

(ख) 1969 में कितने एकड़ भूमि में खेती करने का विचार है ; और

(ग) 1969 में खाद्यान्न की कितनी अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के दौरान गुजरात में अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 10.82 लाख एकड़ क्षेत्र लाया गया है।

(ख) राज्य सरकार का 1969-70 के दौरान 15.59 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती करने का प्रस्ताव है।

(ग) आशा है इस 15.59 लाख एकड़ क्षेत्र से लगभग 7 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

आकाशवाणी में कार्यक्रम संयोजन और प्रस्तुतीकरण संवर्गों का मिलाया जाना

3 31 **श्री नरदेव स्नातक** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसानी समिति नामक विभागीय समिति ने आकाशवाणी में कार्यक्रम संयोजन और प्रस्तुतीकरण संवर्गों के मिलाये जाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि इसे स्वीकार कर लिया जाये, तो इसको क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रस्तुतीकरण संवर्ग के कर्मचारियों अर्थात् सहायक प्रस्तुत-कर्त्ता आदि की भर्ती तथा पदोन्नति बिलकुल बन्द कर दी गई है जब कि कार्यक्रम संयोजन संवर्ग में भर्ती और पदोन्नति निर्बाध रूप से चल रही है और यह उपर्युक्त सिफारिश का प्रभाव है ;

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में सहायक प्रस्तुतकर्ताओं तथा प्रस्तुतकर्ताओं की सामान्य भर्ती और पदोन्नति पर रोक लगाई गई है और कार्यक्रम संयोजन संवर्ग में पदोन्नतियां करना जारी रखा गया है ; और

(ङ) क्या उपर्युक्त प्रतिवेदन की क्रियान्वित करने का काम निष्पक्ष अधिकारियों को सौंपने का विचार है, जिनका सम्बन्ध किसी संवर्ग से न हो ताकि प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी के साथ न्याय किया जा सके ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। अंतिम निर्णय निकट भविष्य में लिये जाने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) यह सही है कि यह निर्णय किया गया था कि सहायक प्रोड्यूसरों और प्रोड्यूसरों के नए पद विशेष आवश्यकता होने पर ही बनाये जाने चाहिये। परिणामस्वरूप नई नियुक्तियां विशेष मामलों में ही की जाती हैं। इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और आवश्यकतानुसार पद बनाये गये हैं और भरे गये हैं। क्योंकि यह सिविल पदों का संगठित संवर्ग नहीं है, अतः सहायक प्रोड्यूसरों के पदों से प्रोड्यूसरों के पदों पर पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता। प्रत्येक पद के बारे में सरकार और सम्बन्धित व्यक्ति के बीच अलग-अलग कन्ट्रैक्ट होता है।

प्रोड्यूसरों और सहायक प्रोड्यूसरों के बारे में उपर्युक्त निर्णय लिये जाने के बाद कार्यक्रम संवर्ग में पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है। तथापि, भर्ती नियमों के अनुसार संवर्ग के अन्दर अगले उच्चतर पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं। जो रिक्तियां हो गई थी उन्हें भरने के लिये ऐसा करना आवश्यक था। जैसे कि पहले कहा गया है, प्रोड्यूसरों आदि की रिक्तियां भी जब भी काम की दृष्टि से आवश्यक समझा गया, भरी गई हैं।

(ङ) रिपोर्टों पर निर्णय लेने और उन्हें कार्यान्वित करने का काम मंत्रालय में उन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो आकाशवाणी में काम नहीं करते परन्तु प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि आकाशवाणी की विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ बिल्कुल निष्पक्षता से काम हो।

सूरत, (गुजरात) में रेडियो स्टेशन

3533. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात राज्य में सूरत में एक नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस रेडियो स्टेशन की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और आशा है यह योजना के दौरान कार्यान्वित हो जायेगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात में खरीदा गया अनाज

3534. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने गुजरात में 1 अक्टूबर, 1968 से 30 अप्रैल, 1969 तक कुल कितनी मात्रा में अनाज खरीदा ; और

(ख) यह अनाज किस मूल्य पर खरीदा गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस अवधि में भारतीय खाद्य निगम ने गुजरात में कोई खाद्यान्न नहीं खरीदा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीफ कन्ट्रोलर आफ टेलीग्राफ स्टोर्स, कलकत्ता के विरुद्ध आरोप

3535. **श्री गणेश घोष :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान चीफ कन्ट्रोलर आफ टेलीग्राफ स्टोर्स, कलकत्ता ने कलकत्ता में अपनी नियुक्ति के बाद अनियमित रूप से बहुत सी वस्तुएं खरीदी हैं और निर्धारित स्तर से कम स्तर की वस्तुएं स्वीकार की हैं जिसके कारण सरकारी धन की काफी हानि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें की गई हैं कि वह मृत कर्मचारियों के अर्हता प्राप्त पुत्रों तथा पुत्रियों को बिना किसी वैध कारण के नियुक्त करने से इंकार करता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसके विरुद्ध उपयुक्त अधिकारियों से शिकायतें की गई है कि उसने अपनी वर्तमान आय की तुलना में बहुत अधिक धन जमा कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में छोटी सिंचाई योजना के लिये धन का नियतन

3536. **श्री देवराव पाटिल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग से छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये अधिक धन देने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए अधिक धन मांगने के लिए कोई अनुरोध नही किया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होते ।

आकाशवाणी से वार्ता प्रसारण के लिये बुलाये गये व्यक्ति

3537. **श्री राम चरण :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, ·967, 1968 में और 15 जुलाई, 1969 तक आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र पर हिन्दी और अंग्रेजी वार्ताओं, महिला कार्यक्रमों, बाल कार्यक्रमों फौजी भाइयों के लिए और पंजाबी कार्यक्रमों, देहाती कार्यक्रमों, परिवार नियोजन कार्यक्रमों, तथा स्कूल प्रसारण कार्यक्रमों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किये गये ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को प्रसारण के लिए एक वर्ष में पांच बार से अधिक बुलाया गया ; और

(ग) इन व्यक्तियों को पांच बार से अधिक अवसर देने के क्या विशिष्ट कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) 1968 के वर्ष के दौरान सामान्य तथा विशेष श्रोता कार्यक्रमों में वार्ताओं के लिये दिल्ली केन्द्र और समाचार प्रभाग ने 1834 व्यक्तियों को बुक किया। शेष अवधि की सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) 1968 में 81.

(ग) पांच बार से अधिक बुक करने के कारण थे :—विशिष्ट क्षेत्र में उनका विशेषज्ञ होना, उनकी व्यावसायिक स्थिति, कार्यक्रमों को तैयार करने में उनकी योग्यता तथा थोड़े समय के नोटिस से उनकी काम को लेने की इच्छा।

हिन्दी की परीक्षा पास करने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को नकद पुरस्कार का दिया जाना

3538. **श्री रामजी राम : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को, जिन्होंने जून, 1967 में केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हिन्दी की प्राज्ञ और अन्य परीक्षायें पास की थी ; अभी तक नगद पुरस्कार नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उन कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र जो तीन वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं, हिन्दी प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजे जाते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे सांविधिक निकायों के कर्मचारियों को दिसम्बर, 1967 तक की परीक्षाओं के बारे में गृह मन्त्रालय द्वारा नकद पुरस्कार मंजूर किये गये है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कोई भी कर्मचारी जून, 1967 को हुई हिन्दी प्राज्ञ और हिन्दी प्रवीण परीक्षाओं की योग्यता-सूचियों में नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिये धन का नियतन

3539. **श्री दे० वि० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कृषि योग्य कुल भूमि में से केवल 400 लाख हेक्टर भूमि में कृषि होती है और इस भूमि में से केवल 6.4 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने योजना आयोग से प्रार्थना की है कि कृषि की उन्नति के लिए छोटी तथा बड़ी सिंचाई बिजली तथा ट्रैक्टरों की सप्लाई और अन्य कृषि साधनों के लिए काफी धन का नियतन किया जाये ; और

(ग) उस सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए योजना आयोग के समक्ष सिंचाई, बिजली की सप्लाई और अन्य कृषि विकास कार्यों के लिए क्या बिशिष्ट मांगें रखी हैं और योजना आयोग तथा सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 1966-67 वर्ष के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में खेती योग्य कुल क्षेत्र 217.15 लाख हेक्टेयर था जिसमें 172.05 लाख हेक्टेयर शुद्ध क्षेत्र कृषि के अन्तर्गत था। इस वर्ष 10.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हुई थी। कुल सिंचित क्षेत्र और कुल बोये गये क्षेत्र की प्रतिशतता 6.4 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) विभिन्न कृषि तथा सिंचाई और बिजली के कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित खर्च प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार योजना आयोग ने कम व्यय स्वीकार किया है।

विवरण

(रु० करोड़ों में)

	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उद् व्यय	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित उद्व्यय
कृषि कार्यक्रम		
कृषि उत्पादन	32.52	24.00
लघु सिंचाई	50.00	30.00
भूमि संरक्षण	21.00	13.00
आयाकट विकास	0.36	0.50
सिंचाई तथा बिजली		
सिंचाई	120.00	61.00
बाढ़ नियंत्रण	0.50	0.50
बिजली	95.00	60.46

New Post Office at Fatehpur Sandha in District Gaya (Bihar)

3540. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Village Fatehpur Sandha, Thana Arval Distt. Gaya in Bihar had petitioned to the Post Master General of Bihar at Patna for the opening of a regular Post Office in that village ;

(b) if so, whether the authorities have made it a condition to sanction the opening of the said Post Office provided the villagers pay Rs. 1284 to the Government ;

(c) if so, whether a Postal Overseer of the area, while on an on the spot study of this

proposed Post Office, had demanded four bags of rice from the villagers as a bribe before he recommended the opening of the said Post Office; and

(d) if so, the stage at which this matter stands and whether Government would send another high official to make an on the spot enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) As it was found that the Post Office was not justified on the normal standards and will work at a loss, it was ordered to be opened on recovery of Rs. 1200.84 only as a Non-Returnable contribution from the interested parties to meet the loss.

(c) **and** (d) No such complaint has been received. However the Post Master General Patna has been directed to investigate the matter.

Complaints Regarding Working of Food Corporation of India

3541. **Shri Shiv Kumar Shastri** : **Shri Prakash Vir Shatri** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some complaints have been received in regard to the working system of the Food Corporation of India during the last one year ;

(b) if so, the States where such complaints have been made and the nature of complaints; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) **to** (c) : There have been no complaints with regard to the working system of the Food Corporation of India. Some difficulties, however, do arise in operational matters and in day to day details of working. These are, however, resolved by discussion with the Food Corporation of India and the State Governments concerned.

Scheme after the Survey of Underground Water Resources

3542. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been prepared after conducting a survey of underground water ; and

(b) the acreage of area where in the underground water has been found as also the quantity of water likely to be found therein as per Government's estimate ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) **and** (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, on its receipt.

हिमाचल प्रदेश के लिये छोटी सिंचाई योजनाएं

3543. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के लिये हिमाचल प्रदेश की छोटी सिंचाई योजना मन्जूर कर ली गई है ;

(ख) इस योजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और उसमें से केन्द्रीय सरकार कितनी धनराशि देगी और उक्त संघ राज्य क्षेत्र कितनी धनराशि देगा ; और

(ग) क्या छोटी सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई तदर्थ परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिये कोई नियतन किया गया है और यदि हाँ, तो इस नियतन का सही-सही स्वरूप क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 300 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है। केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता योजनावार आधार पर नहीं दी जाती। जिन संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विधान सभायें हैं उनके राजस्व व्यय में यदि कोई घाटा हो जाता है तो वह भारत सरकार द्वारा उन्हें अनुदान के रूप में और यदि घाटा पूंजीगत व्यय में हो तो वह ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। सहायता का यह प्रतिमान संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल पर भी लागू होता है।

(ग) जी हां। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रारम्भ की जाने वाली योजनाओं में गैर सरकारी गूलों का नवीकरण करने के लिये 15.0 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छोटी सिंचाई योजनाओ पर व्यय की जायेगी।

अंगूर तथा फलों के उगाने के लिए राजस्थान के रेगिस्तान को पट्टे पर दिये जाने की इसराइल की प्रार्थना

3544. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल सरकार ने अंगूर तथा अन्य फलों के उत्पादन के लिये राजस्थान के रेगिस्तान को 20 वर्ष के लिये पट्टे पर देने का भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां तो इसराइल सरकार ने किन शर्तों की पेशकश की है ;

(ग) क्या वे शर्तें भारत सरकार को मान्य हैं ; और

(घ) सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Imports of Tractors

3545. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent to which the supply of tractors is less as compared to the demand this year ;

(b) the number of tractors imported so far ;

(c) the number of tractors to be imported ; and

(d) the number of tractors received from foreign countries as gift ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c): As against the demand of 60,000 tractors for 1968-69, imports for 15,500 tractors had been arranged. Besides, 15466 tractors were manufactured indigenously. Owing to constraint of foreign exchange it was not possible to arrange for larger imports. Taking into account the backlog of previous years the demand of tractors for the current financial year 1969-70 has been assessed at about 83,000 tractors. Against this the indigenous production is estimated to be of the order of 20,000 tractors. A substantially larger programme for import of tractors for the year 1969-70 is under consideration of the Government.

(d) Custom Clearance Permits have been issued for import of 502 tractors as gift. As these tractors are received directly by the individuals, the required information is not available.

गुजरात तथा राजस्थान में कृषि उत्पादिता में कमी

3546. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादिता (वार्षिक वृद्धि) गुजरात में 4.09 प्रतिशत से राजस्थान में 11 प्रतिशत तक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियंत्रण वाली फसलों के अधिक मूल्य मिलने के कारण दालों की उत्पादिता कम हो गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके अन्य क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि की वृद्धि-दर के अध्ययन के अनुसार 1952-53 से 1964-65 की अवधि में कृषि उत्पादिता का मिश्रित वृद्धि-दर राजस्थान में (--) 0.11 प्रतिशत से गुजरात में 4.09 प्रतिशत तक रही है ।

(ख) समस्त राज्यों में कृषि विकास समान रूप से नहीं हुआ है क्योंकि भूमि की किस्म, जलवायु, सिंचाई संसाधन तथा अन्य ऐसी बातें जिन पर ऐसा विकास निर्भर करता है समस्त राज्यों में एक सी नहीं हैं । विभिन्न क्षेत्रों में कृषि विकास की क्षमता अलग अलग होने के कारण एक-सा प्रयास करने पर भी उनका परिणाम समान नहीं होता ।

(ग) और (घ) : अन्य खाद्यान्नों के प्रतिकूल, मौसम पर अधिक निर्भर करने और अधिक उत्पादनशील किस्मों की कमी के कारण दालों की उत्पादकता नही बढ़ी है । उत्पादकता न बढ़ने का कारण मूल्य नहीं है क्योंकि मूल्यों के सूचकांकों के अनुसार 1963 से धान्यों की तुलना में दालों के मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है ।

किसानों की समस्याओं के अध्ययन के लिये विशेष अभिकरण

3547. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये कोई विशेष अभिकरण स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। छोटे किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिये 20/21 मार्गदर्शी जिलों में लघु कृषक विकास एजेन्सियां स्थापित की जायेंगी ।

(ख) विशेष एजेन्सियां स्थापित करने के कारण निम्न है :—

1. छोटे किसानों की समस्याओं का पता लगाना और उनके विशेष वातावरण के आधार पर उनका समाधान किया जाना चाहिये। उनकी समस्यायें विस्तृत और जटिल हैं परन्तु इस सम्बन्ध में किये जाने वाले मार्गदर्शी परीक्षण निश्चय ही उपयोगी हैं। छोटे किसानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो कि आज विकासक्षम और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। किन्तु यदि ये किसान भूमि में थोड़ा सा सुधार करके अधिक उत्पादनशील किस्मों के बीजों के प्रयोग और दूसरे कृषि आदानों की सहायता से सघन कृषि अपना लें तो उन्हें सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्धि योग्य और आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सकता हैं। विशेष रूप से स्थापित लघु कृषक विकास एजेन्सियाँ इस श्रेणी के किसानों की सहायता कर सकती हैं, और इनके द्वारा उनकी ऋण, कृषि आदानों, सेवाओं और अन्य प्रासंगिक कार्यों की आवश्यकताओं को समुचित रूप से आंक कर पूर्ण किया जा सकता है।

2. छोटे किसानों की संख्या काफी बड़ी है और यदि उनकी ऋण और अन्य आवश्यकताओं की इसी प्रकार उपेक्षा की जाती रही तो कृषि उत्पादन की निश्चय ही हानि होती रहेगी।

3. ऐसी एजेन्सियों की स्थापना होनी चाहिए जो खेतिहर जनता के इस विशाल वर्ग को समुचित ऋण और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण कृषि और दूसरे ग्राम्य विकास कार्यक्रमों में बाधा न पड़ और दूरगामी सामाजिक और आर्थिक जटिलतायें उत्पन्न न होने पायें।

4. लघु कृषक विकास एजेन्सियां चुने हुये जिलों में स्थापित की जायेंगी। ये एजेन्सियां छोटे किसानों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास की योजना बनायेंगी और समस्त उपलब्ध स्रोतों से छोटे किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से योजना की विभिन्न एजेन्सियों के कार्यक्रमों का समन्वय करेंगी। ये एजेन्सियाँ वर्तमान सहकारी एजेन्सियों के माध्यम से अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋणों के लिये पर्याप्त व्यवस्था करेंगी। ये एजेन्सियां सार्वजनिक कुंवों, भूमि समतल करने और नल कूपों आदि के लिये व्यवस्था करने के विषय में ध्यान देंगी। ये एजेन्सियां छोटे कृषकों को ट्रैक्टर, कृषि यन्त्र, रिग, बोरिंग उपकरण आदि भाड़े पर देकर कस्टम सेवाओं की भी व्यवस्था करेंगी। ये उनके लिये पशु पालन और कुक्कट पालन सम्बन्धी कार्यक्रमों द्वारा उपसंगी कार्यों की भी व्यवस्था कर सकती हैं। इस प्रकार ये एजेन्सियां ऋणों, दूसरे कृषि आदानों व सेवाओं आदि की समुचित व्यवस्था करके छोटे किसानों को निर्वाहात्मक कृषि से वाणिज्यिक कृषि की ओर अग्रसर होने में सहायता देगी।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसानों को ऋण दिया जाना

3548. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आगामी खरीफ फसल के दौरान एक एकड़ भूमि तक के मालिक किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज पर 5 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सभी राज्यों में किसानों को इस प्रकार के ऋण देने पर विचार किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के बारे में सारे देश के लिये एक निश्चित नीति बनायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आगामी खरीफ फसल के दौरान एक एकड़ भूमि तक के मालिक किसानों को 4 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर 5 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय नहीं किया है। परन्तु पश्चिम बंगाल की सरकार ने चालू वर्ष के बजट मे किसानों को नल कूप लगाने हेतु ऋण देने के लिये 2.11 करोड़ रुपये को व्यवस्था की है। ऐसे ऋणों पर 3.5/8 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा।

(ख) किसानों को कम दर पर ऋण देने के प्रश्न पर राज्य सरकारें विचार कर सकती हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को 4 प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि के ऋण देती है ताकि वे उरर्वकों बीजों, कीटनाशक दवाईया, आदि खरीद सकें, उनका स्टाक कर सकें और वितरण कर सकें। मूल राशि और ब्याज के समय पर भुगतान किये जाने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(ग) जी नहीं। विभिन्न ऋण देने वाली एजेन्सियों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की वर्तमान दरों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहार्य नहीं है। परन्तु भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही कर रही है कि विकासक्षम तथा छोटे किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी हों और चुने हुए ज़िलों में किसान विकास एजेन्सियां स्थापित करने सम्बन्धी योजना पर विचार किया जा रहा है। यह किसानों को सहकारी समितियों की वर्तमान ब्याज दरों पर ऋण दिलायेंगी।

Minor Irrigation Schemes

3549. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Ram Charan** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the decisions for the expansion of the minor irrigation schemes have not been taken so far ;

(b) if so, the main difficulties being experienced in this regard ; and

(c) whether Government propose to take certain new decisions to provide facilities of minor irrigation schemes to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. Minor irrigation is being expanded from Plan to Plan and year to year according to the regional techno-economic feasibilities for different types of schemes and the organisational and financial resources available. As against a total estimated outlay of about 439.11 crores during the 3rd Plan, the outlay during the three years period i. e. 1966-69, is estimated to be Rs. 530.39 crores. In 1969-70, the outlay on minor irrigation is expected to be stepped up to the level of Rs. 220.0 crores as compared to the level of Rs. 196.0 crores in the previous year. Against an area of 12.8 m. acres and 10.4 m. acres benefited respectively during the 3rd Plan and the year 1966-69, it is estimated that in the 4th Plan a total area of 18.0 m. acres would be benefited by execution of minor irrigation schemes.

(b) Does not arise.

(c) New steps recently taken or proposed to be taken by the State to speed up the provision of minor irrigation facilities to the farmers include increased provision of finances through institutional and public agencies, intensification of groundwater investigations, increased availability of drilling equipment through indigenous production and imports if necessary, intensification of the rural electrification programmes, liberalisation of the criteria of coverage of land for the purpose of fixing the loan eligibility of the farmers of irrigation works and extension of subsidies on failed dug-wells.

All India Radio Programme for Youth

3550. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the date by which the scheme for broadcasting a 'Programme for Youth' from various stations of All India Radio would be implemented ;

(b) whether a high level advisory Committee has been constituted therefor ; and

(c) if so, whether the experiences of other countries in regard thereto are also being utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Youth Programme from Delhi started on 21.7.69. The question of extending it to other stations is still under examination.

(b) An Advisory Committee for the service from Delhi Station has been set up.

(c) Yes, Sir ; To the extent they are relevant.

Recruitment to Posts in A. I. R.

3551. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the applicants who appeared for the various recruitment examinations of A. I. R. held during the last 3 years had not been appointed till April last ; and

(b) if so, the manner in which those vacant posts were filled up during that period ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) : In a few cases appointments were delayed pending completion of certain formalities like verification of character and antecedents. Work of the vacant posts in the meantime was managed by administrative adjustments within the organisation and partly by engaging suitable persons on casual basis.

Per Capita Consumption of Milk

3552. **Shri Suraj Bhan :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Ranjeet Singh : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Jagannath Rao Joshi** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimated per capita consumption of milk in 1950, 1956, 1966 and this year ;

(b) its impact on public health ;

(c) the action so far taken or proposed to be taken in this regard ; and

(d) whether in order to increase milk production Government propose to impose complete ban on the slaughter of bovine wealth ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) As per F. A. O. Production Year Book, the per capita consumption of milk in India is estimated to be :

1949-50	120 Grams per day.
1955-56	133 Grams per day.
1965-66	110 Grams per day.

(b) No systematic study appears to have been made to assess the impact of low consumption of milk on public health during the years under reference. However, it may be stated that milk forms only a part of the human diet. Naturally one tries to meet one's nutritive requirements from other sources if milk is not available in required quantity.

(c) Both the Central Government as well as the State Governments are fully alive to the need for increasing the production of milk. Increasing attention is, therefore, being given to the improvements of cows and buffaloes for increasing their capacity for milk production. The cattle breeding policy has specially been reoriented for bringing about a rapid improvement in the quality of our cattle and thereby quick increase in the production of milk. A large nnmber of bulls and frozen semen of exotic breeds have been imported during last three years for undertaking large scale cross breeding in the Intensive Cattle Development Projects and key village areas linked with dairy schemes. Some important cattle development schemes which aim at increasing the production of milk are as follows :

1. Key Village Scheme.
2. Intensive Cattle Development Scheme.
3. Establishment of artificial insemination centre in Urban and suburban areas
4. Establishment of cattle breeding and bull rearing farm.
5. Calf rearing Scheme.
6. Progeny Testing Scheme.
7. Feeds and Fodder Development Schemes.
8. Strengthening and expansion of State Livestock Farm.
9. Cattle Shows and milk yielding Competitions.
10. Disease control programme.

(d) The subject of preservation, protection and improvement of stock coming under entry 15 of List II of 7th Schedule to the Constitution is a state subject. The State Legislatures have exclusive powers to make laws on this matter under Article 246 (3) of the Constitution. Most of the State Governments have already imposed ban on slaughter of bovine wealth. A statement showing the position of laws (Acts, Orders Rules/Regulations) promulgated in States prohibiting/regulating slaughter of cattle, is enclosed. (Placed in Library. See No. LT 1681/69).

गोरखपुर और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था

3553. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह व्यवस्था कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(घ) सीधी टेलीफोन व्यवस्था के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किन-किन नगरों को दिल्ली से जोड़ा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग)—गोरखपुर और दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था (अर्थात् उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग) चालू करने के बारे में तुरन्त कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) वाराणसी पहले ही कानपुर के साथ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग से जुड़ा है। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इलाहाबाद को भी कानपुर के साथ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग पर जोड़ने का प्रस्ताव है। इन नगरों को दिल्ली के साथ सीधी टेलीफोन व्यवस्था द्वारा जोड़ने के कोई तुरन्त प्रस्ताव नहीं है।

विज्ञापनों का प्रसारण

3554. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** **श्री एन० शिवप्पा :**

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से हाल में आरम्भ किये गये विज्ञापनों द्वारा मधुर गीतों के काट दिये जाने पर आकाशवाणी के श्रोताओं को एक कड़वा घूंट पीना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो विज्ञापनों का अन्तर और समय इस प्रकार रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे कि भविष्य में श्रोताओं की रुचि पर प्रभाव न पड़े ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं।

(ख) इस बारे में कदम उठा लिये गये हैं कि एक विज्ञापन को स्थान देने के लिये किसी गीत में रूकावट न पड़े या उसको काटना न पड़े।

दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइनें

3555. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के साथ दिल्ली को मिलाने वाली ट्रंक टेलीफोन लाइनें खराब रहती हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) प्रयोक्ताओं की कठिनाइयों और असुविधा को दूर करने के लिये इस लाइन को ठीक रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन केन्द्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी जानबूझ कर प्रयोक्ताओं को और विशेषकर संसद् सदस्यों को परेशान करते हैं; और

(घ) संसद् सदस्यों के लिये सुगम तथा शीघ्र सेवा की कार्यवाही करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वे संसद् सदस्य संबंधी अपने कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) नई दिल्ली से वाराणसी और इलाहाबाद को मिलाने वाली ट्रंक लाइनें अच्छा काम कर रही हैं। दिल्ली से गोरखपुर और आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर और गाजीपुर के जिला मुख्यालयों की लाइनों में बार-बार खराबी आ जाती है। वाराणसी के आसपास के इलाके में खुली तार लाइनों से तांबे के तार की चोरी की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं।

(ख) वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर तांबे के कंडक्टरों को बदल कर अल्युनीयम कंडक्टर लगाने का काम, प्राथमिकता के आधार पर, आरम्भ कर दिया गया है और तार बदलने का यह कार्यक्रम अन्य प्रभावित सेक्शनों पर भी लागू किया जायेगा ?

(ग) समय-समय पर उपभोक्ताओं की ओर से और कभी-कभी संसद सदस्यों की ओर से ट्रंक काल मिलाने में विलम्ब और प्रचालन कर्मचारियों के असंतोषजनक व्यवहार के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(घ) संसद सदस्यों की शिकायतों पर पूरा ध्यान दिया जाता है, उनकी तुरन्त जांच पड़ताल की जाती है और उपचार के लिए शीघ्र ही कार्रवाई आरम्भ कर दी जाती है।

Procurement Price of Milk by Delhi Milk Scheme

3556. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bombay Milk Scheme purchases milk from the villagers at the rate of Rs. 1.30 per litre, while the Delhi Milk Scheme is purchasing at the rate of 80 paise per litre as a result of which buffaloes of better breed are being exported to Bombay Milk Scheme area from the Delhi Milk Scheme area ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to see that keeping of buffaloes in Delhi Milk Scheme area becomes more beneficial ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Prices paid by Bombay and Delhi Milk Schemes for purchase of buffalo milk (6.5 fat, 9 S. N. F.) from villages in various seasons are given below :

	Delhi Milk Scheme	Bombay Milk Scheme
	(In paisas)	
1. Transitory season July to Oct. 1968.	96.68	100
2. Flush season Nov. 1968 to Feb., 1969.	88.56	95
3. Lean Season March to June, 1969	97.31	125

Bombay Milk Shed area is short of cattle and traditionally obtains its requirements of cattle from additional cattle breeding areas like Rohtak. This is not directly connected with the milk price offered by Delhi Milk Scheme.

(b) The procurement price of milk by Delhi Milk Scheme in the Delhi Milk Shed area is kept under constant review and is revised upwards as and when considered necessary to offer remunerative prices to the cattle owners, keeping in view simultaneously the interest of the consumers.

Timber sold in Blackmarket in the Andaman Nicobar Islands

3557. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Government Saw Mill at Chattiam in the Andaman and Nicobar Islands the timber belonging to the Forest Department was sold in black-market on such a large scale that more than 50 per cent of the timber was shown as missing after having been sawed and was written off ; and

(b) if so, the action taken against the persons found guilty therefor and the measures adopted to improve the management ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Develovment and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) There has been no case of black marketing in the Government Saw Mill at Chattam as reported by Andaman Administration.

(b) Does not arise.

Employment of Skilled Labour in Private Sector

3558. **Shri Bal Raj Madhok** : **Shri Ram Swarup Vidyarthi** :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that even the skilled labourers sent by Employment Exchanges are offered so meagre a salary by the employers in private sector that these skilled labourers prefer starvation to such employment and to wait for a new job ;

(b) whether they accept such employment only to leave it after a short period ;

(c) whether the employers do not get cheaper skilled labourer in the market and so they again intimate vacancies to Employment Exchanges and that such vacancies become a part of figures of unemployed persons;

(d) if so, whether it is proposed to impose a condition on the employers in private sector while renewing their licences, that they should give proper salary to skilled labourers ; and

(e) if not, the measures proposed to be taken to protect the skilled labourers from the tactics of employers ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation. (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No. Employment Exchanges sponsor applicants for vacancies in respect of which terms and conditions are clearly stated and are acceptable to applicants. Really skilled persons have no difficulty in getting good wages.

(b) Does not arise.

(c) No. Under the provisions of Employment Exchanges Compulsory Notification of Vacancies Act, 1959, private employers (employing 25 or more persons) engaged in non-agricultural activities are obliged to notify their vacancies (with certain exemptions) to the prescribed Employment Exchange.

(d) and (e) Do not arise.

Films censored by Board of Film censor

3559. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Indian and Foreign Films which were not approved by the Board of Film Censors during the year 1968 because of obscentity in them and the names of those films ;

(b) whether there were certain films which were not passed by the Board but were passed by his Ministry during the said period ; and

(c) if so, the names of such films ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) One film viz., "Angels on the Move".

(b) and (c) Yes, Sir. The Central Board of Film Censors had refused certificate in respect of the film "The Incident" but on appeal the Central Government allowed under section 5-C of the Cinematograph Act, 1952 grant of a certificate for public exhibition restricted to adults only.

Import of Milk Powder Ghee

3560. **Shri Om Prakash Tyagi** : **Shri Narain Swarup Sharma** : **Shri Ram Swarup Vidyarthi** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether government are aware that milk-powder, butter, ghee, cheese and curd of the value of crores of rupees are imported from foreign countries ; and

(b) if so, whether it is attributable to the indiscriminate slaughter of milch-Cattle in India with a view to exporting their meat and hides and skin to the foreign countries ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The requisite particulars are being obtained from various Ministries/Departments and will be placed on the Table of the Sabha when received.

नई दिल्ली में सारे दिन खुले रहने वाले दूध के डिपो

3561. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली क्षेत्र में सारे दिन खुले रहने वाले दूध के डिपो स्थापित करने का विचार है ;

(ख) प्रत्येक डिपो में दूध ठंडा रखने के 'केबिनेट' की व्यवस्था करने पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) क्या सारे दिन खुलने वाले दूध के इन डिपुओं से लम्बी पंक्तियों में खड़े होने की परेशानी समाप्त हो जायेगी और साथ ही जनता में दिल्ली दुग्ध योजना की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) 8250 रुपये ; जिसमें 7500 रुपये प्रशीतन एकक और 750 रुपये इसके लिए पावर केबल की लागत शामिल है ।

(ग) कुछ अत्याधिक भीड़ वाले डिपुओं को छोड़कर उपभोक्ताओं को आमतौर पर दूध लेने में कोई अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती । इन डिपुओं पर भीड़ को कम करने के लिए 100 अतिरिक्त दुग्ध डिपुओं के निर्माण का कार्य हो रहा है ।

नई दिल्ली के 'जी' पाइन्ट एरिया में रहने वाले डाक-तथा तार कर्मचारियों की आवास की स्थिति

3562. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में 'जी' पाइन्ट एरिया में रहने वाले अनेक डाक तथा तार कर्मचारियों की स्थिति सफाई व्यवस्था खराब होने के कारण दयनीय है ;

(ख) आवास की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और 'जी' पाइन्ट एरिया में आवास, सफाई, शिक्षा तथा समाज कल्याण के लिये क्या व्यवस्था है ; और

(ग) 'जी' पाइन्ट एरिया के सुधार के लिये गत वर्ष में कितने वित्त की व्यवस्था की गई थी । और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि नियत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । 'जी' पाइन्ट क्षेत्र में रहने वाले डाक-तार कर्मचारियों की दशा दयनीय नहीं है। अलबत्ता सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है ।

(ख) मकानों और सफाई व्यवस्था की मरम्मत और उनकी स्थिति में सुधार नियमित रूप से किया जाता है । तो भी अब बड़े पैमाने पर रद्दोबदल और सुधार संबंधी कार्य करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि स्वीकृत क्षेत्रीय योजना के अनुसार इन क्वार्टरों को गिराया जाना है, और इस क्षेत्र का पुनर्विकास किया जाना है ।

(ग) 68-69 के दौरान 6413 रु० सामान्य मरम्मत पर खर्च हुए थे और 25,855 रु० विशेष मरम्मत पर जिसमें (i) टाइल की छतों की टीपदारी और (ii) सड़कों और मार्गों का सुधार (iii) फिर से पलस्तर कराने और फर्श बंधवाने का काम शामिल है ।

चालू वर्ष में सामान्य मरम्मत के लिए 7000 रु० की रकम निर्धारित की गई है ।

गेहूँ और चावल की वसूली

3563. **श्री अदिचन :** **श्री रा० कृ० सिंह :**

श्री चन्द शेखर सिंह : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अब तक भारतीय खाद्य निगम तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों ने विभिन्न राज्यों में गेहूँ और चावल की कितनी वसूली की है;

(ख) गत दो वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कम हैं अथवा अधिक हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों के वसूली के क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और उन्हें कहां तक पूरा कर लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम तथा सम्बंधित राज्य सरकारों ने अब तक विभिन्न राज्यों में। चालू रबी विपणन वर्ष 1969-70 (अप्रैल, 1969 से मार्च, 1970) तथा खरीफ विपणन वर्ष 1968-69 (नवम्बर, 1968 से अक्तूबर, 1969) के दौरान क्रमशः 23.6 लाख मीटरी टन तथा 30.6 लाख मीटरी टन गेहूँ तथा चावल की कुल अधिप्राप्ति की है।

(ख) इसी अवधि के लिये गत दो वर्षों में गेहूँ तथा चावल के तदनुरुपी आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	गेहूँ	चावल	
1967-68	5.9	1966-67	--22.2
1968-69	20.9	1967-68	--29.5

(ग) 1968-69 के खरीफ सीजन में सभी राज्यों में चावल की अधिप्राप्ति के लिये लगभग 34.6 लाख मीटरी टन का एक अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया गया था । रबी सीजन 1967-70 के दौरान गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिये कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे, लेकिन कृषि मूल्य आयोग ने लगभग 36.4 लाख मीटरी टन के एक लक्ष्य का सुझाव दिया था । इस समय शेष सीजन के दौरान गेहूँ और चावल की आगामी अधिप्राप्ति के सही अनुमान बताना सम्भव नहीं है ।

नौसेना जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा मछलीपालन सम्बन्धी सर्वेक्षण

3564. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना जल सर्वेक्षण संगठन ने मछली पालन के सम्बन्ध में तटवर्ती सर्वेक्षण किया है;

(ख) किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग तटीय क्षेत्रों और तट से दूर स्थित द्वीपों का (जिनमें सभी प्रमुख तथा अप्रमुख बन्दरगाहें शामिल हैं) सर्वेक्षण करता है । इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप निर्मित चार्टों का उपयोग सभी जलयानों और मत्स्य जलयानों द्वारा किया जाता है ।

(ख) और (ग) सन् 1947 से जिन बन्दरगाहों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी

सूची नीचे दी गई है। इन बन्दरगाहों के लिये नौपरिवहन चार्ट पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं और विक्रय के लिये उपलब्ध हैं :—

जखाऊ	बडागरा
मांडवी	बेपोर
नवलाखी	कोचीन
रोजी	एल्लप्पी
सिक्का	निन्दाकरा
औखा	क्विलन
सूरत अंकोरेज	विलिनजम
मुराद-जनजीरा	कोलाचल
रत्नगिरी	टूटीकोरिन
श्रीवर्धन	नागापट्टिनम
वनकोट	कुडालौर
जयगढ़	पांडिचेरी
विजयगुर्ग	मद्रास
मालवन	कृष्णापत्तनम
पानाजी	मछलीपत्तनम
कारवार	काकीनाडा
बेलेकेरी	विशाखापत्तनम
होनावर	पोर्टमीडोज
भनकल	पोर्ट ब्लेयर
कुंड़ापुर	एलफिन्सटोन हारवर
मंगलौर	नानकोरी हारवर
कासरगौड़	

आकाशवाणी की वैदेशिक सेवा डिवीजन द्वारा प्रसारण

3565. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री प० मु० सईद :**

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के भाषा पर्यवेक्षक के पद के लिये निर्धारित अर्हताएं क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में कुछ पर्यवेक्षक (विशेष रूप से आकाशवाणी के विदेश सेवा डिवीजन में अरबी और पुश्तो भाषाओं के पर्यवेक्षक) निर्धारित अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो उन्हें उन पदों पर नियुक्त रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि आकाशवाणी के विदेश सेवा डिवीजन द्वारा प्रसारित किये गये कार्यक्रमों का स्तर बहुत घटिया होता है जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित क्षेत्रों में वस्तुतः उनको कोई नहीं सुनता;

(ङ) गत छः महीनों में अन्य देशों में विदेशियों से किसी भारतीय कार्यक्रम को सुनने की प्रार्थना करने वाले कितने पत्र प्राप्त हुए;

(च) कितने पत्रों में केवल फिल्मी कलाकारों के फोटो मांगे गये हैं; और

(छ) विदेश सेवा डिवीजन की सेवा में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी में विदेशी भाषा सेवा के पर्यवेक्षक के लिए हाल ही में निर्धारित की गई अर्हताएं इस प्रकार हैं :—

(1) **आवश्यक :**

(1) अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री।

(2) यदि स्नातकोत्तर डिग्री सम्बन्धित भाषा में न हो तो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान की सम्बन्धित भाषा में उच्च पाठचर्या (3 वर्ष के अध्ययन से कम की नहीं) की डिग्री या डिपलोमा।

(3) सामयिक भारतीय और विश्व मामलों में रुचि।

(4) भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी।

(5) सम्बन्धित भाषा भाषी लोगों और उनके देशों के इतिहास और संस्कृति से परिचय।

(2) **वांक्षनीय :**

(2) पत्रकारिता और / या प्रसारण अनुभव ।

(2) प्रसारण के लिए उपयुक्त आवाज।

वर्तमान अर्हताओं के लागू होने से पूर्व पद के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित थी :—

(1) **आवश्यक :**

पृष्ठभूमि

(1) अच्छी शेक्षणिक के साथ किसी विश्वविद्यालय की डिग्री।

(2) सम्बन्धित भाषा की अच्छी जानकारी, भाषित तथा लिखित दोनों ;

(3) सामयिक भारतीय तथा विश्व मामलों में रुचि तथा भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी।

(2) **वांछनीय**

(1) पत्रकारिता या प्रसारण अनुभव।

(2) सम्बन्धित भाषा भाषी लोगों और उनके देशों के इतिहास और संस्कृति से परिचय ।

(3) प्रसारण के लिए उपयुक्त आवाज ।

(ख) जी, नहीं । आकाशवाणी की विदेशी भाषा सेवाओं के सभी वर्तमान पर्यवेक्षक वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं जो उनकी नियुक्ति के समय लागू थी ।
अरबी सेवा और पुश्ता सेवा में इस समय कोई पर्यवेक्षक नहीं है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) समय-समय पर इस प्रकार के सुझाव मिले हैं कि आकाशवाणी की वैदेशिक सेवाओं में सुधार किया जाए । तथापि, यह कहना सही नहीं है कि आकाशवाणी के वैदेशिक सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का स्तर घटिया है और अपेक्षित क्षेत्रों में वस्तुतः इन कार्यक्रमों के श्रोता नहीं है ।

(ङ) 1 जनवरी, 1969 से 30 जून, 1969 तक की अवधि में विभिन्न वैदेशिक सेवाओं के श्रोताओं से प्राप्त पत्रों की कुल संख्या 84,894 है । इसमें कलकत्ता से प्रसारित होने वाली विशेष बंगला सेवा के बारे में प्राप्त पत्र शामिल नहीं हैं ।

(च) पांच ।

(छ) वैदेशिक सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का लगातार पुनरीक्षण होता रहता है और उनके स्तर में सुधार करने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं ।

कृषि विकास के लिये फ्रांस के साथ करार

3566. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिये फ्रांस सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में कृषि के विकास के लिए फ्रांस से आने वाली सहायता का विवरण क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : फ़्रान्स सरकार के साथ खासकर कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुये हैं । परन्तु, दिनांक 22 मई, 1969 को शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय के द्वारा भारत-फ्रेंच सांस्कृति कार्यक्रम के करार पर हस्ताक्षर हुये थे जिसमें यह उल्लेख था कि आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में परस्पर स्वीकृत शर्तो पर कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिये खाद्य और कृषि मन्त्रालय तथा फ्रांस सरकार के मध्य एक तदर्थ कार्यक्रम सम्पन्न हो सकता है ।

अनन्तपुर जिले के अर्ध शुष्क क्षेत्र के कृषि विकास की परियोजना के सम्बन्ध में कुछ प्रस्तावों पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं ।

कृषि प्रयोजनों के लिये विमानों का प्रयोग

3567. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पास गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में कृषि प्रयोजनों के लिए स्थिर विंग वाले 18 विमान तथा 14 हेलीकाप्टर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विमानों द्वारा कीटाणुनाशक दवाइयों के विमान द्वारा छिड़कने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हें पर्याप्त समझा गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने चौथी योजना अवधि में ऐसे उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) कृषि-प्रयोजन हेतु वायुयानों के माध्यम से कार्यवाही करने के लिए देश में इस समय 25 फिक्सड-विंग एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकाप्टर मौजूद हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : चौथी योजना के दौरान 250 लाख एकड़ भूमि का वायुयानों की सहायता से उपचार किया जायेगा। इस कार्य के लिए 1973-74 के दौरान अनुमानतः 212 जहाजों की आवश्यकता होगी।

World Conference on Fruits

3568. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a world Conference on fruits is going to be held in London from the 15th September to the 19th September, 1969 ;

(b) if so, whether India would send her representative to participate in it ; and

(c) if so, the names of the fruits on which discussion is likely to take place particularly ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) A proposal to this effect is under consideration.

(c) Discussion on Bananas, Citrus, Avocado, Mango and Pine-apple particularly is to take place.

Recruitment of Packers after Strike of 19th September, 1968

3569. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Packers recruited after the one-day token strike held on the 19th September, 1968 have been compelled to fill in the forms for field service (A. P. S.) ;

(b) if so, the rule under which they have been made to do so ;

(c) whether Government propose to give the same facilities to all Packers as are being given to the clerks and also to transfer them to Delhi ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b) : Consequent on the liberalised policy of Govt. towards the employees who took part in the strike, a number of such employees of Delhi Postal Circle who had been placed under suspension or whose services had been terminated were reinstated and hence persons who had been recruited in their place, were rendered surplus. Efforts are being made to disperse these surplus employees among the neighbouring Circles. Surplus Class IV employees who did not volunteer to go to other Circles were required to join the A. P. S. as an alternative to discharge.

(c) Surplus Class IV employees who are willing to go on transfer to any of the neighbouring Circles, are being permitted to do so as has been done in the case of Clerks. Once transferred out of Delhi, their transfer back to Delhi will be in accordance with the normal rules.

(d) Does not arise.

Publication of Reports of Agriculture Labour Enquiry in Hindi

3570. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 321 on the 6th March, 1969 and state :

(a) whether it is proposed to publish the reports of the first, second and the third Agriculture Labour Enquiry and/or distribute cyclostyled copies thereof in Hindi to Members not knowing English ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No. It is, however, proposed to bring out a Hindi translation of the report of the Third Agricultural Labour Enquiry which is known as the Rural Labour Enquiry.

(b) No useful purpose will be served by bringing out Hindi versions of the reports published as early as in 1954 and 1960, more so when the salient data contained in these reports will be incorporated in the Report on the Rural Labour Enquiry which will have a Hindi version.

Implementation of the Instruction of the Ministry of Home Affairs Regarding Reservations in Promotions

3571. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9735 on the 15th May, 1969 and state :

(a) whether the requisite information regarding the implementation of the instructions of the Ministry of Home Affairs regarding reservations in promotion has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes.

(b) A statement showing the details is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See No. LT 1682/69).

(c) Does not arise.

तार मनीआर्डरों की वापसी

3572. **श्री लखन लाल कपूर : श्री समर गुह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक कर्मचारियों द्वारा काम ठीक न करने के कारण बहुत से तार मनीआर्डर तथा अन्य मनीआर्डर मूल डाकघर को वापिस आ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष अप्रैल, 1968 से अप्रैल, 1969 तक ऐसे तार मनीआर्डरों तथा अन्य मनीआर्डरों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, विभिन्न कारणों से रुपया भेजने वालों को मनीआर्डर की रकम लौटाने के लिए जारी करने वाले डाकघर को वापिस किये गए मनीआर्डरों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा और यह सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) मनीआर्डर और तार मनीआर्डर कभी-कभी रुपया भेजने वाले को रकम लौटाने के लिए मूल डाकघर को इस कारण से वापिस किये जाते हैं कि या तो पाने वाले का पता पूरा नहीं होता या पाने वाला रुपया लेने से इन्कार कर दे या वह बिना कोई हिदायतें छोड़ उस स्थान से चला गया हो । ऐसे सभी सम्भव तरीके अपनाए जाते हैं कि जनता की शिकायतो, खासतौर पर मनीआर्डर से संबंधित शिकायतो पर तुरन्त ध्यान दिया जाए । ऐसी हिदायतें जारी की गई हैं कि मनीआर्डरों के दावों का निपटान समुचित समय में कर दिया जाए । मनीआर्डरो के दावो का निपटान करने के लिए समय-समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं ।

केरल के थियेटरों में दिखायी गयी छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्म

3573. **श्री यज्ञदत्त शर्मा : श्री जय सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री 13 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 458 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केरल के थियेटरों में वियतकांग के छापामार युद्ध तथा वियतनाम की 'एपिक लिबरेशन स्ट्रगल' सम्बन्धी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या इस बारे में उनका ध्यान केरल के मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि वियतनाम के लोगों की 'एपिक लिबरेशन स्ट्रगल' नामक फिल्म 17 मार्च, 1968 को वराजा टाकीज, बलियापतम (कन्नोरे जिला) में और 19

मार्च, 1968 से 21 मार्च, 1968 तक प्रतिमा टाकीज, पजयंगडी (कन्नोरे जिला) में केवल सी० पी० एम० के कार्यकर्ताओं और उनके शुभ चिंतकों के सामने प्रदर्शित की गई थी। चालचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 7 (1) के उपबंध राज्य सरकार के ध्यान में ला दिए गए थे, जिनके अनुसार किसी ऐसी फिल्म जो केन्द्रीय फिल्म बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित न हो, को किसी स्थान पर दिखाना या दिखाने की अनुमति देना अपराध है जिसकी सजा 3 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों है। आगे राज्य सरकारों से यह निवेदन किया गया था कि वे अधिनियम का उल्लंघन करने के उत्तरदायी प्रदर्शकों को कड़ा दंड दें।

राज्य सरकार के अनुसार, सम्बन्धित प्राधिकारियों को ये निदेश दिए गए हैं कि वे थियेटरों के लाइसेंसधारियों को अप्रमाणित फिल्मों के प्रदर्शन के अपराध की पुनरावृति करने के बारे में चेतावनी दें।

भारत में वियतनाम दूतावास सहित विदेशी दूतावासों का भी ध्यान फिल्मों के प्रदर्शन सम्बन्धी भारत के कानून का पालन करने की ओर आकर्षित किया गया है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केरल के मुख्य मन्त्री ने एक अवान्तर प्रश्न के उत्तर में 30 अगस्त, 1968 को केरल विधान सभा में यह बताया था कि राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि वियतकांग की छापामार युद्ध सम्बन्धी फिल्में मार्क्सवादी वालेंटीयर कैम्पों में दिखाई जा रही हैं।

दिल्ली में चिड़ियाघर का विकास

3574. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली स्थित चिड़ियाघर के विकास के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अगले दो वर्षों में इसके विकास के लिए कौन सी योजनायें हैं तथा इस पर कितना रुपया खर्च किया जायेगा ;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है; और

(घ) दर्शकों की दैनिक औसत संख्या क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली चिड़ियाघर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र को विकसित किया गया है चिकित्सालय क्षेत्र के निकट और मथुरा रोड पर स्थित मुख्य दरवाजे के निकट का जंगल साफ कर दिया गया है।

(1) हमदरयास बैबून्स, (2) लंगूरों और (3) हाथियों के लिये तीन बाड़े भी बनाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ सड़कों, पैदल मार्गों, बिना साफ किये पानी के नलों के सम्बन्ध में तथा निचाई वाले स्थानों को भरने, सड़कों को पक्का करने और बाड़ों आदि की मरम्मत के विषय में भी कार्य किया गया है। बागवानी के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में वृक्ष, लतायें व झाड़ियां लगाई गयी हैं।

(ख) चालू वर्ष में निम्नलिखित कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है। प्रत्येक मद पर व्यय होने वाली अनुमानित राशि निम्न प्रकार हैं :—

	(रुपये लाखों में)
1. चिड़ियाघर में शीतागारों की व्यवस्था	0.71
2. 'ए' कोटि के पक्षियों का चिड़ियाखाना	0.45
3. बी० सी० डी० ई० कोटि के पक्षियों का चिड़ियाखाना	1.00
4. तृतीय श्रेणी के मकान	0.32
5. हाथी का बाड़ा	0.30
6. उड़ने वाले पक्षियों का चिड़ियाखाना	1.11
7. कृष्णसार शाखी मृगों का बाड़ा	0.50
कुल	4.39

आगामी दो वर्षों का ब्यौरेवार कार्यक्रम अभी नहीं बनाया गया है, किन्तु इस कार्यक्रम पर लगभग 10 लाख रुपये की राशि व्यय होने की सम्भावना है।

(ग) दिल्ली चिड़ियाघर पर लगभग एक करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

(घ) 3,000 से कुछ अधिक ।

दिल्ली कंज्यूमर्स कोआपरेटिव होलसेल स्टोर्स

3575. **श्री श्रीचन्द गोयल : श्री कार्तिक ओरांव :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी : श्री म० ला० सोंधी :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली कंज्यूमर्स कोआपरेटिव होलसेल स्टोर्स की शेयर पूंजी कुल कितनी है ;

(ख) मार्च 1969 तक उसे कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) मार्च, 1969 तक उसके द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण लिये गये ; और

(घ) उक्त स्टोर द्वारा प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि दी जाती है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 31.3.69 को 13,05,000 रु०।

(ख) 5,42,427 रु० (लगभग)।

(ग) 31.3.69 को समिति ने कुल 45,05,078.83 रु० के ऋण लिए थे।

(घ)

1963-64	21,236.31 रु०
1964-65	82,698.70 रु०
1965-66	1,70,841.39 रु०
1966-67	1,46,126.42 रु०

1967-68	2,56,937.48 रु०
1968-69	1,60,878.90 रु०
(31.3.69 तक)	

महाराष्ट्र में कृषि उद्योग निगम

3576 : **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कोई कृषि उद्योग निगम नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में एक ऐसा निगम स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र में एक कृषि उद्योग निगम अर्थात् "महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड" की स्थापना हो चुकी है। यह निगम 15 दिसम्बर, 1965 को स्थापित किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान

3577. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री महाकाली कोयला खानों के परिस्मापन के बारे में 14 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3963 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने दावेदारों को उनकी भविष्य निधि की राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ख) कितने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) : 243

(ख) : 21

(ग) अनिर्णीत दावों के निपटान के लिए अभी कुछ सूचना की प्रतीक्षा है।

Cooperative Movement in Bihar

3578. **Shri Bibhuti Mishra : Shri K. M. Madhukar :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the reasons due to which Co-operative Movement in Bihar is lagging behind other States ;

(b) whether Government are preparing any scheme for strengthening the Co-operative Movement there ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) to (c) : Bihar alongwith certain other States like Assam and West Bengal has been recognised as relatively backward in the Cooperative Movement. The recent Report of the All-India Rural Credit

Review Committee has specified certain factors like characteristics of agriculture in the State, record of the State Government and cooperatives in implementation of policies, as contributing to the relative backwardness of that State. Pressure of population on land, traditional operations of agriculture, high proportion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, recurrence of natural calamities like flood and drought, existence of nonviable and organisationally weak primary societies, continuance of uneconomic Central banks, mounting overdues, lack of effective leadership and trained cooperative personnel and defects in tenancy law have been cited by the Committee as some of the reasons.

The Government of India have already laid down certain measures for strengthening cooperatives including credit, marketing, processing, consumer cooperatives and cooperative farming. No other special scheme for strengthening the cooperative movement in Bihar has been drawn up by the Government of India for the current year.

भूमि को कृषि योग्य बनाना

3579. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में भूमि को कृषि योग्य बनाने पर कुल कितना धन व्यय किया गया तथा कुल कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :

विवरण

भारत के संविधान के अन्तर्गत भूमि राज्य का विषय है। राज्य सरकार द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने पर किये गये व्यय के बारे में और कृषि योग्य बनायी जाने वाली भूमि के क्षेत्र के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है।

फिर भी, सरकार की सहायता से गत 3 वर्षों में कृषि योग्य बनायी गई भूमि के बारे में कृषि विभाग के पास उपलब्ध जानकारी इस प्रकार है :—

1966-67	—	1 लाख 40 हजार हेक्टर
1967-68	—	90 लाख हेक्टर
1968-69	—	80 लाख हेक्टर

2. बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाने और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के पुनर्वास की एक केन्द्रीय योजना तृतीय योजना की अवधि में चालू की गई थी और वह 1968-69 में उस सेक्टर में चली। केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिये राज्यों द्वारा 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में व्यय की गई 5,43,55,560 रुपये की राशि उन्हें दे दी है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली को पट्टे पर दी गई भूमि

3580. **श्री बलराज मधोक** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णनगर गांव तथा नई दिल्ली में हौस खास के बीच पड़ी भूमि दिल्ली सुपर बाजार को सब्जियां उगाने के लिए पट्टे पर दे दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भूमि में कृष्णनगर को हौस खास से मिलाने वाली एक पुरानी सड़क भी शामिल है जिसे अब बन्द कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप कृष्णनगर तथा मुहम्मदपुर के लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन गांवों के लोगों ने सरकार से बार-बार प्रार्थना की है कि उन्हें इस सड़क से गुजरने का अधिकार फिर से दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सड़क का प्रयोग करने के लोगों के अधिकार को गैर-कानूनी तौर से छीन लिये जाने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां । दिल्ली प्रशासन द्वारा हौज खास, जिया सराय और हुमायूं पुर ग्रामों में 165.29 एकड़ भूमि सुपर बाजार (दी कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली) को अस्थायी पट्टे पर खेती करने के लिए दी गई थी ।

(ख) हौज खास तथा हुमायूं पुर (कृष्ण नगर) के राजस्व अभिलेखों से दोनों गांवों को मिलाने वाली किसी भी सड़क का पता नहीं चलता है । तथापि, मौके पर की गई पूछताछ से पता चलता है कि हौज खास तालाब के चारों ओर के बांध पर हुमायूं पुर गांव की ओर जाने वाला एक छोटा कच्चा मार्ग था ।

(ग) दिल्ली प्रशासन को इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(घ) भूमि के पूर्व की ओर एक पैदल-पथ की व्यवस्था करने के बारे में एक प्रस्ताव किया गया है, जो सफदरजंग "बी" ब्लाक के दक्षिण से जाने वाली 80 फुट सड़क को हौज खास स्मारक से मिलायेगा । इससे हुमायूं पुर के ग्रामीणों की शिकायत में भी कमी हो जाएगी । पहले वाले कच्चे पथ की पुनः स्थापना करना सम्भव नहीं है, चूंकि हुमायूं पुर के चारों ओर का क्षेत्र एक आवासीय कालोनी के रूप में विकसित किया जा चुका है । तथापि, कालोनी में अनेक सड़कों की व्यवस्था की गई है, जो कृष्ण नगर, हुमायूं पुर, अर्जुन नगर तथा मुहम्मद पुर के लिए भी उपलब्ध हैं ।

सिन्धी में आकाशवाणी का समाचार बुलेटिन

3581. **श्री बलराज मधोक** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंधी में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण अब तक केवल बम्बई तथा जयपुर रेडियो स्टेशनों से ही होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में भी सिंधियों की जन-संख्या बहुत अधिक है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली, अहमदाबाद, जालन्धर तथा लखनऊ स्टेशनों से भी सिंधी में प्रसारण की मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, नहीं : सिन्धी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण बम्बई तथा जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, भुज तथा अहमदाबाद से होता है ।

(ख) 1961 की जनगणना के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में सिन्धियों की

जनसंख्या क्रमशः 27,198; 57,457; तथा 1,56,152 है जो क्रमशः अपने-अपने राज्य की कुल जनसंख्या के 1.03 प्रतिशत .008 प्रतिशत तथा .75 प्रतिशत है।

(ग) जी, हां।

(घ) आकाशवाणी के बम्बई, अहमदाबाद, भुज तथा जयपुर केन्द्रों से सिन्धी भाषा में कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के दिल्ली, नागपुर, भोपाल तथा इन्दौर केन्द्र कभी-कभी सिन्धी संगीत प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी के उर्दू की विशेष सेवा में भी सिन्धी संगीत शामिल किया जाता है। दिल्ली तथा लखनऊ केन्द्रों से नियमित रूप से सिन्धी कार्यक्रम चालू करने का निकट भविष्य में कोई विचार नहीं है।

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को जम्मू तथा काश्मीर में सम्पत्ति अधिकार

3582. **श्री बलराज मधोक : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान तथा जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्र से आये ऐसे हजार लोगों को जो जम्मू और काश्मीर राज्य में बसे हैं, अलाट की गई निष्क्रान्त भू-सम्पत्ति में अभी तक सम्पत्ति-अधिकार नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे काफी समय से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें पंजाब तथा अन्य स्थानों में विस्थापित व्यक्तियों की तरह सम्पत्ति अधिकार दिया जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जो लोग सितम्बर, 1965 के युद्ध में देशद्रोह करके पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मिल गये थे अथवा पाकिस्तान चले गये थे, उन्हें वापिस लेकर राज्य सरकार ने बसा दिया है तथा उदारतापूर्वक अनुदान तथा अन्य लाभ भी दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान के हाथों कष्ट उठाने वाले देशभक्त नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण तथा पाकिस्तानी एजेंटों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति हितकर व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य की दृष्टि में कौन से "सम्पत्ति अधिकार" हैं। तथापि, निश्क्रान्त भूमियों के बारे में जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने अलाटी विस्थापित व्यक्तियों को उन भूमियों के स्वाम्य अधिकार प्रदान करने के लिये एक विधेयक विधान मंडल में प्रस्तुत किया है।

(ख) सामान्यतः जम्मू और काश्मीर राज्य के विस्थापित व्यक्ति कुछ समय से विभिन्न विषयों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करते रहे हैं।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेलेक्शन ग्रेड के उच्च पद बनाना

3583. **श्री दा० रा० परमार : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों में सेलेक्शन ग्रेड के उच्च पद बनाने के मापदण्ड समान नहीं रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सेलेक्शन ग्रेड के उच्च पद बनाने का मापदण्ड क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : यह आंशिक रूप में सत्य है। जहां भी सेलेक्शन ग्रेड के उच्च पदों के लिए मानक निर्धारित किये गए हैं, वहां उन पर अमल किया जाता है। जहां ऐसे मानक नहीं है, सर्किल अध्यक्ष किसी विशेष डाकघर की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर इन पदों की मंजूरी देते हैं। ऐसे मामलों में एक जैसी कार्रवाई नहीं की जाती ।

(ग) (i) हर एक प्रधान डाकघर एक सेलेक्शन ग्रेड के उच्च पद के पोस्टमास्टर के अधीन होता है।

(ii) जिस उप-डाकघर में 35 क्लर्क (जिनमें छंटाई पोस्टमैन भी शामिल हैं) काम करते हैं और प्रतिमास 5 लाख रुपये का लेन-देन किया जाता है, वह उप-डाकघर सेलेक्शन ग्रेड के उच्च पदाधिकारी के मातहत रखा जाता है।

अन्य सेलेक्शन ग्रेड के उच्च पदों के लिए मानक निर्धारित करने के प्रश्न पर गौर किया जा रहा है।

गांधीनगर डाक डिवीजन का दो शाखाओं में विभाजन

3584. **श्री द० रा० परमार :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधीनगर डाक डिवीजन में, जिसके अन्तर्गत अहमदाबाद (मुफस्सिल), गांधीनगर तथा साबरकांथा जिले आते हैं, अत्यधिक काम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या साबरकांथा जिले को एक स्वतंत्र डाक डिवीजन बनाकर, गांधीनगर डाक डिवीजन को विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह सच है कि गांधीनगर डाक डिवीजन में अहमदाबाद (मुफस्सिल), गांधीनगर और साबरकांथा के जिले शामिल हैं, लेकिन फिर भी यहां काम अधिक नहीं है।

(ख) गांधीनगर डाक डिवीजन को, जो कि अभी जून, 1968 में ही बनाया गया है, दो भागों में विभक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विभागीय मानकों के आधार पर साबरकांथा जिले के लिए एक नया डिवीजन बनाने का औचित्य नहीं है।

A. I. R. Weather Bulletin for North Bihar

3585. **Shri Bibhuti Mishra :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the weather bulletin which is broadcast from the Radio Station does not include weather forecast about North Bihar ;

(b) whether it is also a fact that North Bihar has so far been deprived of the Services of All India Radio ; and

(c) if so, whether Government propose to include North Bihar in the weather bulletin of All Indio Radio ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir. North Bihar is covered by two weather bulletins broadcast from Patna Station.

(6) No, Sir.

(c) Does not arise.

Broadcast of Weather Bulletins in local Languages

3586. **Shri Bibhuti Mishra :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any suitable scheme to broadcast weather bulletins in the various local languages particularly during the period from June to October pointing out the names of places and the period during which there will be rain at those places ; and

(b) if so, the date from which it will be enforced ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Weather bulletins are already being broadcast by regional Stations in regional languages. These weather forecast are received from the Meteorological Department and generally indicate the broad areas where rain is likely to occur. Special weather warnings about heavy rainfall, storms etc. are also broadcast as and when received from the Meteorological Department. No special scheme to broadcast weather bulletins particularly during the period from June to October is being formulated.

(b) Does not arise.

भूमिगत टेलीफोन तारों की चोरी

3587. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में दिल्ली जंक्शन तथा ओखला रेलवे स्टेशन के बीच कई स्थानों पर भूमिगत टेलीफोन तार हाल में काट ली गई थी और चोरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्योरा क्या है तथा उससे कितनी हानि हुई है ;

(ग) कितने रेलवे तथा अन्य टेलीफोन बेकार हो गये हैं ; और

(घ) तारों को लगाने तथा टेलीफोन लाइनों को फिर से चालू करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Testing of Soil in Madhya Pradesh for Growing Fruits

3588. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the soil in Madhya Pradesh will be tested for the purpose of growing various kinds of fruits on commercial scale ;

(b) whether any site has been selected by the Indian Council of Agricultural Research for location of a Fruit Research Centre in Madhya Pradesh ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Soil testing is mainly the responsibliity of the State Government. The Council has no proposal to test soils in Madhya Pradesh for purposes of commercial fruit production.

(b) No.

(c) Madhya Pradesh has an Agricultural University in Jabalpore which gets grants from the Council to carry out its objectives of research, education and extension. Fruit crops research forms an important part of work being taken up at the University. In the case of the All India Co-ordinated Fruit Improvement Project, the approach has been region-wise and only such of those centres in a region, which have well established and adequate trained staff, germ-plasm, land and laboratory facilities have been selected. The problems of major fruits particularly mango met with in Central Region will be investigated at Sangareddy in Andhra Pradesh and that of citrus in Shrirampur in Maharashtra. The two centres would supplement the University's research efforts on these crops.

Development of Agriculture in Madhya Pradesh

3589. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount proposed to be spent on the development of agriculture out of the proposed total allocation made in the Fourth Plan of Madhya Pradesh ;

(b) whether Government propose to formulate any special schemes for the development of agriculture in Madhya Pradesh in view of the drought conditions prevailing in certain parts of that State so that self sufficiency may be achieved on the food front during the Fourth Five Year Plan period in the State ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Out of the total plan outlay of Rs. 355.96 crores for Madhya Pradesh, a sum of Rs. 85.5 crores is proposed to be spent on Agricultural Programmes in that State.

(b) and (c) : According to the decision of the National Development Council, one of the criteria for determining the overall block grants and loans to the State Government, from the Centre, will be the assistance required for tackling special problems such as the chronically drought-affected areas. It is, therefore, for the State Gavernment to formulate the schemes for the purpose.

It may, however, be added that self-sufficiency in foodgrains is being aimed at not State-wise but on an all-India basis.

Indian Cooperative Training and Education Conference

3590. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Central Government has been invited to the inaugural speech delivered by the Deputy Chairman of Planning Commission in the Indian Cooperative Training and Education Conference in Bangalore wherein he has stated among other that all the programmes relating to cooperative education and training are formulated in view of the future needs when the need is that the present requirement should also be attended to along with the future ones ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and whether Government propose to take steps according to the suggestions made in the said speech ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The suggestions of Dr. Gadgil are acceptable to Government.

Central Loan to Madhya Pradesh for Purchase of Tractors

3591. **Shri G. C Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount given by the Central Government to the Madhya Pradesh Government during 1968-69 in order to give loans and subsidy to farmers for the purchase of tractors, pumping sets and other imported implements ;

(b) whether the State Government have given loans and subsidy without the assistance of the Central Government ; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Sinde) : (a) Under the revised procedure, which was introduced from 1958-59 and remained operative till the end of 1968-69, Central financial assistance for Central Aided Schemes was released to State Governments only under the Major Heads of Development and not according to individual schemes or group of schemes.

(b) and (c) : The required information is being collected from the State Government and would be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

Development of Telephone Exchanges, Public Call Offices in Indore Division

3592. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to State :

(a) whether any scheme has been prepared or approved for the development of telephone exchanges and opening of public call offices in Indore Division of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department for Communications (Shri Sher Singh) : (a) The cases for opening new exchanges and PCOs and expansion of the existing exchanges all over country are reviewed from time to time and schemes are approved taking into account the demands and the requirements for the telephone service and the availability of resources. Such schemes have been approved for various stations in Indore Division also.

(b) Installation of 12 new exchanges in the Indore Telegraph Division at stations indicated below has been approved.

1. Bagli
2. Bamania
3. Betwa
4. Dharampuri
5. Indore MAX
6. Jobat
7. Nalkheda
8. Naraingarh
9. Patlawad
10. Piploda
11. Rajpur
12. Ranapur

In addition to the above, expansion of the following 9 exchanges already existing has also been approved.

1. Alote
2. Indore
3. Jaora
4. Manasa
5. Mandsaur
6. Mhow
7. Piplia
8. Ratlam
9. Ujjain

Opening of six long distance PCOs in Indore Division has also been approved.

(c) Does not arise.

पी० एल० 480 के अंतर्गत अनाज का आयात

3593. **श्री रा० कु० बिड़ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत चालू वर्ष में अब तक अमरीका से कितनी मात्रा में अनाज का आयात किया गया ; और

(ख) आगामी वर्ष में कितना अनाज आयात किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अधीन पहली जनवरी, 1969 से 31 जुलाई, 1969 तक की अवधि में 16.99 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आयात हुआ है।

(ख) 1970 के लिए आयात सम्बन्धी जरूरतों का अभी अन्दाजा नहीं लगाया गया है।

टेलीफोनों की मांग तथा सप्लाई

3591. **श्री रा० कृ० बिड़ला : डा० रानेन सेन :**

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोनों की मांग तथा सप्लाई के बीच बड़ा भारी अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो मांग तथा सप्लाई का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अन्तर को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 31 मार्च, 1969 के दिन तक टेलीफोन की मांग 12.71 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों की थी। इसके मुकाबले में 8.12 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें काम कर रही थीं। इस प्रकार प्रतीक्षा सूची में 4.60 लाख आवेदन बाकी थे।

(ग) आशा है कि चतुर्थ योजना की अवधि में 6 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें या लगभग 7.6 लाख टेलीफोन सेट लगाए जाएंगे।

फिर भी, तेजी से बढ़ती हुई टेलीफोनों की मांग और सीमित साधनों के कारण, मांग और सप्लाई के अंतर को कम करना संभव नहीं हो सकेगा।

Female Workers in P and T Department

3595. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8259 on the 1st May, 1969 regarding Female Staff in P and T Department and state :

(a) whether the information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when it is likely to be collected and placed on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Total number of female workers in Department of P and T . . . 16,297

The number thereof sanctioned maternity leave during the last two years . . . 3,828.

The extra annual expenditure Government had to incur as a result thereof . . .

The amount of leave salary paid in respect of maternity leave is given below :

1967---Rs. 8,21, 301

1968---Rs. 10, 35, 660

(c) Does not arise.

Misappropriation of Savings Bank Accounts in Ramnagar P. O., Meerut

3596 **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given Unstarred Question No. 2022 on the 6th March, 1969 regarding misappropriation in Savings Bank Accounts in Ramnagar Post Office, Meerut and state :

(a) whether Government have since received the result of the Departmental enquiry and sent the case to the Police ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the action proposed to be taken by Government to expedite the work of the departmental enquiry ?

The Minister of state in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) Shri Banarsi Das Sharma. SPM, Ramnagar (Meerut) misappropriated the amounts deposited in the post office accounts and also made fraudulent withdrawals from S.B. accounts without the pass books. The total amount involved in the fraud is about Rs. 64,000/-. The culprit has since been arrested by the police and their investigation is in progress.

(c) Does not arise.

Night sub-Post Office at Ujjain

3597. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 7550 on the 24th April, 1969 and state when the night-sub-Post Office at Ujjain City Railway Station, which has been sanctioned, will start functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : The Ujjain Railway Station Night Post Office has started functioning with effect foom the 25th July, 1969.

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी

3598. **श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगार की विशेष समस्या को हल करने के लिये यदि कोई सहायता दी गई/दी जा रही है तो कितनी ; और

(ख) पश्चिम बंगाल के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में (एक) पहली पंचवर्षीय योजना (दो) दूसरी पंचवर्षीय योजना (तीन) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में तथा (चार) 1968-69 में बेरोजगारों तथा अपूर्ण रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या कितनी थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्य में अधिकाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिये 1966-69 की वार्षिक योजनाओं में विभिन्न विकास कार्यक्रम सम्मिलित किये गए थे। इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि,

सिंचाई और बिजली, उद्योग, यातायात और परिवहन, समाजिक सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम सम्मिलित किये गए हैं जिनके द्वारा राज्य में अधिकाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सहकारिता सम्बन्धी विधियों का संशोधन

3599. **श्री वि० नरसिम्हाराव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋणों को वसूल करने सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किये जाने के लिये सहकारी विधियों जहां कहीं आवश्यक हो, में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा ; और

(ग) मई, 1969 तक ऋण की कुल कितनी राशि बकाया थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : **(क) और (ख)** : विभिन्न राज्यों में लागू सहकारी समिति अधिनियमों तथा नियमों में उचित उपबन्ध हैं जिनके द्वारा सहकारी समितियां अपने बकायादार सदस्यों से ऋण वसूल कर सकती हैं। वर्तमान उपबन्धों में संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। वास्तव में केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर इस प्रकार का विधि-निर्माण केन्द्र के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तथापि, उन समितियों, जो अपने सदस्यों के विरुद्ध विधियामी कार्यवाही नहीं करती हैं और इस प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, से निबटने के लिये भारत सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे अपने-अपने राज्य अधिनियमों में एक उपबन्ध शामिल करें जिससे सम्बन्धित वित्तदायी बैंक सम्बद्ध प्राथमिक समितियों के बकायादारों के विरुद्ध विधियामी कारवाई करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर सकें।

(ग) 1.74 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े 30 जून को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकत्र किये जाते हैं। अत: मई, 1969 के अंत में जो ऋण बकाया था उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि 30 जून, 1969 को समाप्त होनेवाला सहकारी वर्ष अभी-अभी समाप्त हुआ है, अतः 30 जून, 1969 को जो ऋण बकाया थे उनके आंकड़े उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा। 30.6.1968 को जो ऋण बकाया थे वे निम्न प्रकार हैं :—

	(करोड़ रु० में)
(1) प्राथमिक ऋण समितियों के सदस्यों से बकाया अल्प तथा मध्यकालीन ऋण	519.87
(2) भूमि विकास बैंकों के सदस्यों से बकाया दीर्घकालीन ऋण	269.98

Residential Accommodation to employees in Bihar Circle

3600. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of employees working in the Posts and Telegraphs Department in Bihar Circle ;

(b) the number of employees out of them to whom residential accommodation has been provided ;

(c) whether any allowance is paid by Government to the employees to whom residential accommodation has not been provided ; if so, the nature of the allowance and the amount thereof ; and

(d) the number of Posts and Telegraphs employees at Patna and the number of employees out of them to whom Government have provided residential accommodation ; and

(e) the arrangements proposed to be made by Government to provide residential accomodation to the remaining employees and the time by which such arrangements are likely to be made ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) 19,982.

(b) 2015.

(c) Yes, Sir, such employees in classified towns are eligible to draw a house rent allowance. Bihar Circle has only some 'C' class towns where employees drawing salary upto Rs. 620 are entitled to draw a house rent allowance at 71/2 per cent of pay subject to marginal adjustments.

(d) 2,998 and 302.

(e) 64 quarters at Bhagalpur and 100 quarters at patna are under construction and are likely to be completed by March, 1970 and June, 1971 respectively. Tenders for construction of 52 quarters at Ranchi have been received and the work will soon be awarded. Sanctions for construction of 24 additional quarters at other stations in Bihar have been issued. Efforts will be made to construct more quarters during the 4th Plan period subject to availability of funds.

Outstanding Trunk Call Bills

3601. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rs. 6 crores on account of telephone trunk calls bills are outstanding against the subscribers througout the country ; if so, the State-wise details thereof;

(b) the maximum and minimum amount due from any subscriber ; separately ;

(c) whether Government hava taken any action to realise the aforesaid outstanding amount ; if so, the details thereof ;

(d) the number of subscribers out of them whose telephones have been disconnected ; and

(e) the reasons for which the telephones of the remaining subscribers have not been disconnected ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Commi unicationo **(Shri Sher Singh) :**

(a) A sum of Rs. 5.96 crores was outstanding on 1-3-69 for bills issued upto 30-11-63 on account of telepone bills (i. e., Rentals, Local Call and Trunk Call charges) and not

for trunk call bills alone. A statement showing details of the amount indicated above according to P&T Circles/Telephone Districts is placed on the table of the Lok Sabha.

(b) Minimum Re. 1/.

Maximum Rs.2.41 lakhs.

(c) Yes. Action, such as, personal contact and correspondence. with subscribers, disconnection of telephones and finally legal action, where necessary, is taken for realisation of outstanding dues.

(d) The number of telepones which stood disconnected for non-payment as at the beginning of January, 1969 was 35,000i.

(e) Non-disconnection of telephones is due either to bills being under dispute or for reasons of public interest etc.

Statement

Sl. No.	Name of Circle/District	Amount (In lakhs of rupees)
	Circles	
1.	Andhra	4.46
2.	Assam Circle	30.57
3.	Bihar Circle	36.67
4.	Madhya Pradesh Circle	36.39
5.	Maharashtra Circle	15.71
6.	Gujarat Circle	11.15
7.	Jammu and Kashmir Circle	24.47
8.	Kerala Circle	1.19
9.	Madras Circle	0.66
10.	Mysore Circle	2.81
11.	Orissa Circle	25.48
12.	Punjab Circle	35.99
13.	Rajasthan Circle	9.32
14.	Uttar Pradesh Circle	54.31
15.	West Bengal Circle	25.32
	Districts	
16.	Calcutta Telephones District	48.94
17.	Delhi Telephones District	196.95
18.	Bombay Telephones District	24.97
19.	Madras Telephones District	4.55
20.	Hyderabad Telephones District	1.46
21.	Bangalore Telephones District	1.83

22. Ahmedabad Telephones District	0.56
23 .Poona Telephones District	2.51
	596.27

संचार सुविधाओं के लिए देहाती क्षेत्रों में ट्रंजिस्ट्राइज्ड टेलीफोन

3602. श्री वि० नरसिम्हाराव : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के देहाती क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के लिये ट्रंजिस्ट्राइज्ड टेलीफोनों को व्यवस्था करने का विचार है ;

(ख) क्या ऐसे टेलीफोन आयात किये जायेंगे अथवा उन्हें देश में बनाया जायगा ;

(ग) टेलीफोन की अनुमानतः कितनी लागत होगी ; और

(घ) टेलीफोन लगाने का काम कब तक आरम्भ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार का यह प्रस्ताव है कि देश के देहाती क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों के बीच तथा एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन घरों के बीच बहुत उच्च आवृत्ति रेडियो टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किए जाएँ। सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि जिन देहाती क्षेत्रों में बहुत उच्च आवृत्ति रेडियो टेलीफोन सम्पर्क काम में लाये जाते हैं, वहां टेलीफोन कनेक्शन खोले जाएं।

(ख) मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलौर, भारतीय डाक-तार विभाग के दूर-संचार अनुसंधान केन्द्र के डिजाइन के मुताबिक उपस्करों का निर्माण करेंगे।

(ग) इस व्यवस्था के लिए एक सिरे पर लगाये जाने वाले उपस्कर और उसके साथ साज-सामान और भूमि आदि की अनुमानित लागत 30,000 रुपये हैं।

(घ) प्रोटो टाइप उपस्करों को इस्तेमाल करके 2 या 3 सम्पर्क स्थापित करने का कार्य 1970 के शुरू में आरम्भ कर दिया जाएगा। फील्ड परीक्षण के बाद आवश्यक सुधारों को ध्यान में रख कर ही इसके बाद के सम्पर्क स्थापित किये जायेंगे।

Refugees in Camps

3603. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugee camps in which the refugees coming from Pakistan during the last few years have been accommodated ;

(b) the number of refugees in various camps at present ; and

(c) the expenditure incurred by Government to rehabilitate them and on other related items during the year 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) A fresh influx of migrants from East Pakistan commenced in January, 1964 and as a result thereof, new camps had to be opened. The number of new camps which were opened varied from time to time according to the number of migrants who sought admission

into these camps. The maximum number of camps which functioned was 105 during January/February, 1965, as against 30 at present.

(b) As on 2.8. 1969, there were 10,665 families comprising 44,592 persons in various camps.

(c) The actual expenditure incurred during 1968-69 on rehabilitation and other related items in regard to these migrants was of the order of Rs.10.36 crores.

रिमिंगटन रैंड आफ इंडिया कंपनी में स्वचालित मशीनों का लगाया जाना

3604. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि रिमिंगटन रैंड आफ इंडिया कम्पनी ने अनेक स्वचालित मशीनें लगाई हैं जिनके परिणामस्वरूप उस उद्योग में 2000 कर्मचारियों की छंटनी हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के बारे में उद्योग के प्रबन्धकों से बातचीत की है, तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

भूमिगत जल के संसाधन

3605. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसाधनों की उपलब्धता के ब्यौरे की उचित जानकारी न होने के कारण राज्यों में भूमिगत जल के संसाधनों का या तो लापरवाही से उपयोग किया जा रहा है अथवा बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा रहा ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार उपलब्ध संसाधनों का उचित अनुमान लगाना तथा उनका पूर्ण और नियमित रूप से लाभ उठाने के लिये राज्यों को पर्याप्त सहायता देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। हाल के वर्षों में भूगत जल की उपलब्धता में वृद्धि होने के कारण प्रादेशिक भूगत जल संसाधनों का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने की ओर भूगत जल विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शन तथा नियमित करने के लिये अपेक्षित तकनीकी जानकारी एकत्रित करने की दृष्टि से भूगत जल सर्वेक्षणों / अध्ययनों के लिए प्रबन्धों को गतिमान कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण और इस मंत्रालय की समन्वेषी नलकूप संस्था पहले ही विभिन्न प्रदेशों में उपलब्ध भूगत जल संसाधनों को उन्नत करने व समन्वेण तथा अनुमान लगाने के उद्देश्य से भूगत जल सर्वेक्षण / अध्ययन में राज्यों को सक्रिय सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, तमिल नाडु और उड़ीसा ने पहले ही जलीय एकक स्थापित कर दिये हैं और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत

भूगत जल सर्वेक्षण शुरू कर दिये हैं। अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं। चौथी योजना में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, समन्वेषी नलकूप संस्था और राज्यकीय जलीय एकक नामक तीन अभिकरणों की गतिविधियों को गतिमान किया जा रहा है।

भूगत जल सर्वेक्षणों के अतिरिक्त, उपलब्ध भूगत जल संसाधनों का तेजी से पता लगाने के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—संस्थानात्मक तथा सरकारी अभिकरणों के माध्यम से धन की व्यवस्था को बढ़ाना, आन्तरिक उत्पादन तथा जहां आवश्यकता हो आयातों द्वारा ड्रिलिंग उपकरणों की उपलब्धि में वृद्धि करना और ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम को गतिमान करना।

पश्चिम बंगाल में सहकारी समितियां

3606. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान श्री निर्मल कुमार घोष द्वारा लिखित 'संतानेर समवाया' (डेवल्स कोआपरेटिव) नामक एक बंगाली पुस्तिका की ओर दिलाया गया है जिसे उसने मई, 1967 में 28/3 ए साहनगर रोड, कलकत्ता-26 से प्रकाशित कराया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की सहकार समितियों में श्री निर्मल घोष द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा भाई-भतीजावाद के आरोपों की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो (एक) जांच किसने की थी, (दो) उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं, और (तीन) जिन व्यक्तियों पर पक्षपात, भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद के आरोप लगाये गये हैं उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) : जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

Long Stay of A. I. R. Programme Executives at one Station

3607. **Shri A. Dipa : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of such Programme Executives as are working in Delhi and other Stations of All India Radio for the last more than ten years at one Station ; and

(b) the main reasons for not transferring them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a)	1. Delhi	6
	2. Ahmedabad	2
	3. Madras	2
	4. Vijayawada	1

5. Srinagar 2

(b) Requirements for specialization in certain posts and administrative considerations in some cases and compassionate grounds in others.

कल-पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े नलकूप

3608. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल-पुर्जों के न मिलने के कारण विभिन्न राज्यों में अनेक नल-कूप बेकार पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन नल-कूपों के लिये कल-पुर्जे उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) वर्ष 1968-69 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने कुएँ खोदे गये तथा कितनों को बिजली दी गई ; और

(घ) अभी तक बेकार पड़े नल-कूपों की राज्यवार कुल संख्या क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

फलों को भंडार में रखना तथा उनका परिवहन

3609. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व काश्मीर में फलों के परिवहन तथा भण्डाराकरण की सुविधाओं की ओर कम ध्यान दिये जाने के कारण प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये के फल नष्ट हो जाते हैं ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बारे में समुचित ध्यान दिया जा रहा है तथा इन सुविधाओं को अपेक्षित सीमा तक उपलब्ध कराने के लिये समुचित धनराशि प्रदान करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा इससे क्या लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

3610. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** **श्री तुलसी दास दासप्पा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मैसूर राज्यों को वर्ष 1968-69 के दौरान अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) इन राज्यों द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि मांगी गई, कितनी धनराशि का उपयोग किया गया तथा कितनी धनराशि अनुपयुक्त पड़ी रही ;

(ग) क्या इन राज्यों ने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति की; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक की ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये जो केन्द्रीय सहायता दी गई है वह (1) कृषि उत्पादन (भूमि विकास सहित) और (2) लघु सिंचाई नामक विकास शीर्षकों के अन्तर्गत आती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मैसूर सरकारों को राज्य योजना तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये 1968-69 में उपरोक्त दो विकास मदों के अन्तर्गत, इन राज्यों के द्वारा दिये गये व्यय के आंकड़ों के आधार पर दी गई सहायता निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य	दी गई सहायता	
	ऋण	अनुदान
आन्ध्र प्रदेश	236.64	204.16
मध्य प्रदेश	455.70	172.99
मैसूर	428.84	293.40

(ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता उनके द्वारा दिये गये व्यय की प्रगति के आधार पर दी जाती है। 1968-69 में राज्य प्लान स्कीम के लिये, इन राज्यों के द्वारा मांगी गई सारी राशि इनको दी गई थी। जहां तक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का सम्बन्ध है सहायता की राशि, सहायता के ढांचे के आधार पर निर्धारित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा सहायता मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

इन राज्यों द्वारा 1968-69 में वस्तुतः उपयोग हुई सहायता के बारे में पता उसी समय चल सकेगा जबकि वे उसे वर्ष के विषय में व्यय हुई राशि के परीक्षित आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे।

(ग) और (घ(: उपरोक्त दो मदों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये प्रत्याशित उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

कार्यक्रम	इकाई	राज्य		
		आन्ध्र प्रदश	मध्य प्रदेश	मैसूर
1. लघु सिंचाई का विस्तार	लाख एकड़	1.82	1.03	1.00
2. अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती		6.74	6.57	7.40
3. बहु फसलें		5.60	0.40	9.00
4. रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की प्राप्त सीमा	हजार मैट्रिक टन	222.80	33.58	92.50

5.	पौध संरक्षण उर्वरक	लाख एकड़	75.00	38.25	40.00

(ये आंकड़े अनन्तिम हैं और इनमें संशोधन हो सकता है)

दिल्ली/नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध केन्द्र खोलना

3611. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली / नई दिल्ली में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां निकट भविष्य में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध केन्द्र खालने के बारे में विचार किया जा रहा है ;

(ख) इन दुग्ध केन्द्रों की किस तारीख तक खुल जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उनकी सप्लाई क्षमता क्या होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अधिक भीड़ वाले वर्तमान दुग्ध केन्द्रों को राहत देने के लिये निर्मित किए जाने वाले 100 अतिरिक्त दुग्ध केन्द्रों में से 40 के लिये दिल्ली नगर निगम / नई दिल्ली नगर पालिका की सलाह से स्थान चुन लिये गये हैं जिनकी एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1683/69] ।

(ख) अतिरिक्त दुग्ध केन्द्रों के निर्माण में लगभग 6 महीने लग जाने की सम्भावना है ।

(ग) प्रत्येक दुग्ध केन्द्र आसानी से दूध की 650 बोतलें संभाल सकता हैं ।

गन्ने और पटसन की उपज

3612. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री दिनांक 15 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9740 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में वर्ष 1965-66 की तुलना में घट गयी है तथा पटसन की उपज भी वर्ष 1967-68 में पिछले दो वर्षों की अवधि की तुलना में घटी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं तथा इसके उपचार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी नहीं । 1965-66 की तुलना में गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज 1966-67 में कम थी, जब कि 1967-68 में अधिक थी । 1967-68 में पटसन की प्रति हैक्टेयर उपज पिछले दो वर्षों की तुलना में अधिक बताई जाती है ।

1966-67 में गन्ने की उपज पर प्रतिकूल मौसम का प्रभाव पड़ा था ।

तराई बीज निगम

3613. **श्री कृ० गु० देशमुख :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तराई बीज निगम ने आगामी खरीफ की ऋतु के दौरान तराई क्षेत्र की 4600 एकड़ भूमि में बीज के दाने उगाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है ;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस निगम को ऋण देना स्वीकार कर लिया है यदि हां, तो कितना ;

(ग) यदि हाँ, तो इस ऋण के उपयोग के लिये विश्व बैंक के ऋण की यदि कोई शर्तें हैं तो वे क्या हैं ; और

(घ) तराई बीज निगम के गठन का ब्यौरा क्या है तथा उसमें स्थानीय किसानों की क्या स्थिति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खरीफ के चालू मौसम में केवल 8,000 एकड़ क्षेत्र में बीजों की फसलें बोई गयी हैं। परियोजना की अवधि समाप्त होने तक 46,000 एकड़ क्षेत्र में बीजों की फसलें बो दी जायेंगी।

(ख) तराई विकास निगम के माध्यम से तराई बीज परियोजना की क्रियान्वित के लिये विश्व बैंक ने भारत सरकार को 130 लाख डालर (10 करोड़ रुपये) का ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

(ग) विश्व बैंक के ऋण का ब्याज साढ़े 6 प्रतिशत वार्षिक है। इसके अतिरिक्त ऋण की अवितरित राशि पर भी 1 प्रतिशत का .75 की दर से उपार्पण प्रभार भी देना होगा। ऋण की यह राशि 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष में लौटानी होगी।

(घ) तराई विकास निगम की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

		अंश पूंजी
(1)	उत्तर प्रदेश कृषि विद्यालय	40 प्रतिशत
(2)	तराई क्षेत्र का किसान	40 प्रतिशत
(3)	राष्ट्रीय बीज निगम	20 प्रतिशत

उड़ीसा के लिये गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना

3614. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष 1969-70 तथा चौथी योजना के लिये मत्स्यपालन के विकास तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई योजना स्वीकार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में मत्स्यपालन के विकास के लिए जो योजनाएं स्वीकार की गई हैं, वे संलग्न विवरण में दी गई हैं [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1684/69]। सूची में चौथी योजना तथा वार्षिक योजना 1969-70 के लिये प्रस्तावित परिव्यय भी प्रदर्शित किया गया है।

उड़ीसा में सहकारी भू-बन्धक बैंकों को ऋण सहायता

3615. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में वहां के राज्य सहकारी भू-बन्धक बैंकों के सामान्य ऋण-पत्रों में अंशदान देने के लिए कोई ऋण सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) ऐसे बैंकों के समान्य ऋण पत्रों के लिये वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के लिए राज्य सरकार का अशदान कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : 1968-69 में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लि० के साधारण ऋण-पत्रों में धन लगाने के लिए उड़ीसा सरकार को 33.45 लाख रु० की ऋण सहायता दी थी। कार्यक्रम यह है कि 1969-70 में केन्द्रीय सरकार इस बैंक के साधारण ऋण-पत्रों में 56 लाख रुपया लगायेगी।

(ग) 1968-69 में उड़ीसा सरकार का अपना अंशदान 10 लाख रु० था। 1969-70 में उनके द्वारा 20 लाख रु० का अंशदान दिए जाने की सम्भावना है।

विदेशी राजनैतिक प्रचारकों का पंजीकरण

3616. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी राजनैतिक प्रचारकों के पंजीकरण के लिये कोई वैज्ञानिक और प्रशासनिक कानून बनाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक विदेशी राजदूतावास वैदेशिक प्रचार प्रभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच घुस आने का प्रयत्न कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार गुप्त सूचना विभाग तथा प्रेस सूचना ब्यूरो के सहयोग से तैयार किया गया एक विस्तृत ब्यौरा जिसमे नई दिल्ली के उन सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची हो जो किसी समय विदेशी दूतावासों में सेवा करते रहे, सभा-पटल पर रखेगी तथा उनके सूचना तथा राजनैतिक पक्षों के नाम भी हों ; और

(ङ) क्या नफेन (NAFEN) तथा इन्फा (INFA) जैसा रूपक प्रस्तुत करने वाली अभिषदें; वर्ष 1963 से कई विदेशी शक्तियों के जन सम्पर्क सलाहकारों के रूप में कार्य कर रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) :

(क) और (ख) : जी, नहीं। इस प्रकार के उपाय की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) सूचना एकत्र की जायेगी और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ङ) इस मन्त्रालय के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

पंचायतों, ब्लाकों तथा तालुक मंडलों में सेवायें

3617. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायतों, ब्लाकों तथा तालुक मंडलों में चालू की गई नई सेवाओं में पदोन्नतियो के बहुत कम अवसर हैं;

(ख) कृषि सेवाओं में ग्राम सेवकों के लिये पदोन्नति के क्या अवसर हैं और वे किन स्तरों पर हैं;

(ग) एक पदालि के होने पर भी एक जैसी योग्यतायें वाले राजस्व विभाग के कर्मचारियों तथा पंचायतों, ताल्लुक मंडलों के कर्मचारियों के बीच परस्पर तबादले करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस परस्पर तबादले से राजस्व कर्मचारियों को प्रशासन के लिये महत्वपूर्ण विकास सम्बन्धी अनुभव नहीं प्राप्त होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ?

दिल्ली की विभिन्न प्रौद्योगिक संस्थाओं में फायरमैन प्रशिक्षकों के सेवावधि में वृद्धि

3618. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि दिल्ली की विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थाओं में फोरमैन प्रशिक्षकों के पद पर कार्य करने के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध हैं परन्तु फिर भी कार्य कर रहे कुछ फोरमैन प्रशिक्षकों को 58 वर्ष की आयु के बाद भी उनकी सेवावधि में वृद्धि प्रदान कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो जिन फोरमैन प्रशिक्षकों को वर्ष 1968 और 1969 में सेवावधि में वृद्धि प्रदान की हुई है उनकी संख्या तथा तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है ;

(ग) उनको इस प्रकार सेवावधि में वृद्धि प्रदान करने के क्या कारण हैं जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त तथा अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध हैं तथा जिसके कारण कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नतियों के अवसर अवरुद्ध होते हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार 58 वर्ष की आयु के बाद इस प्रकार सेवावधि में वृद्धि करना बन्द करने और इस प्रकार कनिष्ठ तथा योग्य व्यक्तियों की पदोन्नतियों के मार्ग खोलने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ग) : वर्तमान फोरमैन प्रशिक्षकों को जब 58 वर्ष की आयु के बाद भी उनकी सेवावधि में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई थी तब दिल्ली की बिभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में फोरमैन प्रशिक्षकों के पद पर कार्य करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त और अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) 1968—शून्य
1969—दो

(i) श्री चन्दूलाल, फोरमैन प्रशिक्षक
(प्रिंटिंग प्रेस)

(ii) श्री शिव सरण सिंह, फोरमैन प्रशिक्षक
(नक्शा नवीश सिविल)

(घ) और (ङ) : निर्वतन की आयु के बाद सेवावधि में वृद्धि की स्वीकृति समय-समय पर भारत सरकार (गृह मन्त्रालय) द्वारा जारी की गई हिदायतों अनुसार की जाती है और साथ में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है :—

(i) सार्वजनिक हित ;

(ii) अन्य अधिकारी इतने सशक्त नहीं कि पदभार संभाल सकें ;

अथवा

(iii) सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी का विशिष्ट गुणयुक्त होना ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की सीधी भर्ती

3619. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध सीधी भर्ती की नीति के कारण देश भर के कर्मचारी भविष्य निधि सगठन के कर्मचारियों में निरन्तर असंतोष बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस अन्याय को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सीधी भर्ती रोक दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (घ) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का ताल्लुक न्यासियों के केन्द्राय बोर्ड से है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन एक स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार से इसका ताल्लुक नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह सूचित किया है कि कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं कि प्रादेशिक आयुक्त तक के स्तर की सभी नियुक्तियां प्रवरता के अनुसार पदोन्नति से की जानी चाहिएं। सरकार को ऐसे अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं कि संगठन में कोई भी पद सीधी भर्ती से नहीं भरा जाना चाहिए। इस सिद्धांत को न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया है। कुछ पदों के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गई सीधी भर्ती कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारी तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 के अनुसार है।

Complaints against Allotment of Land by Gram Samaj

3620. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed any Committee to enquire into the fact that in States where land is under the Control of Gram Samaj has been allotted by land

management Committees to their favourits rather than to landless harijans and ex-servicemen ; and

(b) if so, the State-wise number of such cases brought to the notice of Government and action taken in those cases ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : The Central Government has not appointed any such Committee.

Land is a State subject under the Constitution. The State Governments have enacted legislation or framed statutory rules for allotment of land to various categories of persons. Persons aggrieved by such allotment can file appeals to the appropriate authority in the State Governments for redress.

In Uttar Pradesh, allegations of injudicious exercise of powers by the Land Management Committee of Gram Samaj in the allotment of land under sections 195 and 197 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, were made. Amendment have been made by the President's Act 17 of 1968, providing for checks on the powers of the Land Management Committees.

Cases of irregular allotment had also been reported earlier in the implementation of the Delhi Land Reforms Act, 1954 in the matter of allotment of land by the Gaon Sabha under Section 73 and 74 of the Delhi Land Reforms Act. The Delhi Act was amended by the Parliament in 1965 (No. 38 of 1965) empowering the Deputy Commissioner, on his own motion or on the application of any person aggrieved by an order of the Gaon Sabha, to enquire into the allotment and, if he is satisfied that the Gaon Sabha has committed substantial irregularities of active otherwise than in accordance with the provision of the Act, to cancel such orders. In Bihar and some other States also there are provisions empowering the State Government to vest vacant lands in the Gram Panchayats and for allotment of such lands is by the Panchayats.

No information relating to irregularities in other States has been received by Government of India.

Telegraph system in Dacoit infested area of Madhya Pradesh

3621. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand has been made to connect the District Headquarters of dacoit-infested Bundelkhand area of Madhya Pradesh with police stations by telegraph system ; and

(b) whether Government would take immediate action to implement the proposal by treating the dacoit problem as a national problem ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No such demand has been received by P and T Department so far.

(b) The proposals, when received will be examined in accordance with the present policy of department, and the facility provided wherever justified.

आकाशवाणी, दिल्ली में महिलाओं के कार्यक्रम का उद्घोषक (कम्पीयर) की नियुक्ति

3622. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र पर महिलाओं के कार्यक्रम के लिये उद्घोषक का पद कब से खाली पड़ा है;

(ख) भर्ती के नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या एक विशेष अस्थायी कलाकार को बुकिंग दी जा रही है जबकि इस पद के लिये चयन अप्रेल, 1969 में हो जाना ज्ञात हुआ है ; और

(घ) स्थायी कलाकारों की भर्ती तथा पदों को भरने सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) :

(क) 9 जनवरी, 1969 से ।

(ख) पद विज्ञापित किया गया था और चयन अप्रेल, 1969 में किया गया था । यह वास्तव में 9 जुलाई, 1969 को भरा गया था ।

(ग) चयन को अंतिम रूप दिए जाने तक, कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुसार दो व्यक्तियों को अनियमित आधार पर बुक किया गया था ।

(घ) स्टाफ आर्टिस्टों के भर्ती नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

विवरण

कर्मचारी कलाकारों की भर्ती के नियम

(क) **मुख्य निर्माता, उप-मुख्य निर्माता तथा कंडक्टर :** इनकी भर्ती एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सचिव, आकाशवाणी के महानिदेशक तथा प्रत्येक श्रेणी के कार्यक्रम के लिए मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत बाहर का कम से कम एक असेसर होगा ।

(ख) **निर्माता, सहायक निर्माता आदि** : इनकी भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें आकाशवाणी के महानिदेशक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी, सम्बद्ध मुख्य निर्माता और प्रत्येक श्रेणी के कार्यक्रम के लिये मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत बाहर का कम से कम एक उपयुक्त असेसर होगा ।

(ग) **कर्मचारी कलाकार (ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित पदों को छोड़ कर)** : इनकी भर्ती एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें स्थानीय केन्द्र के मुख्य अधिकारी तथा आकाशवाणी के महानिदेशक द्वारा मनोनीत दो सदस्य होंगे । सम्बद्ध स्थानीय-निर्माता का परामर्श के लिए सहयोग लिया जा सकता है परन्तु वह समिति के सदस्य नहीं होंगे । एक से अधिक केन्द्रों के लिये कर्मचारी कलाकारों के चयन के लिए आकाशवाणी के महानिदेशक एक केन्द्रीय चयन समिति बना सकेंगे ।

(घ) यदि किसी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी का आकाशवाणी में कर्मचारी कलाकार के रूप में नियुक्ति के लिए चयन होता है तो उसके लिए सम्बद्ध केन्द्र कार्यालय में, समुचित दर्जे का, अस्थायी पद बनाया जायेगा । इस प्रकार नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के अवकाश, वेतन, वेतन अंशदान का समायोजन केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच लेखा संहिता,

खण्ड एक, के परिशिष्ट 3, में दिये गये सामान्य नियमों, समय-समय पर संशोधित रूप में, के अनुसार किया जायेगा।

(ङ) कर्मचारी कलाकारों के रिक्त स्थानों को समाचार पत्रों मे विज्ञापित किया जायेगा तथा / अथवा आकाशवाणी से प्रसारित किया जायेगा। चयन समिति हर मामले में महानिदेशक के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अनुसार आवेदन पत्रों को जांच करने तथा उम्मीदवारों से साक्षात्कार करने के पश्चात प्रतीक्षा सूचियां तैयार करेगी जिनमें से नियुक्तियों के लिए कार्यालय के मुख्य अधिकारी द्वारा आकाशवाणी के महानिदेशक से सिफारिशें की जायेंगी। प्रतीक्षा सूचियां साधारणतः एक वर्ष के लिए विधिमान्य होंगी।

(च) सभी संगीतज्ञ कर्मचारी कलाकारों की नियुक्ति संगीत श्रवण बोर्ड द्वारा विधिवत् रूप से गठित किसी अन्य श्रवण समिति अथवा बोर्ड द्वारा किये गये श्रेणीकरण के अनुसार की जायेगी, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी छूट न दी गई हो।

बेरोजगार इन्जीनियरों के लिए कार्य-केन्द्र

3623. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में यूथ आर्गेनाइजेशन की एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने दिनांक 24 जून को यह कहा बताते हैं कि कार्य-केन्द्र खोल कर बेरोजगार इंजीनियरों को आंशिक रूप से रोजगार देने की एक योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) क्या वह योजना उनके मन्त्रालय से सम्बन्धित है ;

(ग) यदि हां, तो तैयार की गई उस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(घ) यह योजना किस सीमा तक रोजगार प्रदान करने में समर्थ होगी ; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में इन कार्य-केन्द्रों का राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा क्या होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य और कृषि मन्त्री ने कहा था कि सरकार कार्य-केन्द्र खोल कर बेरोजगार इंजीनियरों को अंशकालिक रोजगार देने की एक योजना पर विचार कर रही थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं होते।

विज्ञापनों पर लागत

3624. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाई समाचार-पत्रों को कितने-कितने मूल्य के विज्ञापन आवंटित किये गये ; और

(ख) उन दैनिक पत्रों के नाम तथा उनकी प्रकाशन संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1685/69]

(ख) देश में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों के नाम तथा अन्य विवरण 'प्रेस इन इण्डिया-1968 (भाग 2)' में दिया गया है। इसकी प्रतियां पहले ही सदन की मेज़ पर रखी जा चुकी हैं।

गायों, भैंसों आदि की वृद्धि तथा घी के उत्पादन पर उसका प्रभाव

3625. **श्री अब्दुल गनीदार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पन्द्रह वर्षों में गायों, भैंसों, भेड़ों तथा बकरियों की संख्या तिगुनी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो बाजार में दूध तथा शुद्ध घी की कमी तथा मूल्यों के छः गुना हो जाने का क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। अनुमान लगाया गया है कि सन् 1951 से 1966 तक की अवधि में पटना, लुधियाना और कलकत्ते में दूध के मूल्यों में क्रमशः 36.4, 41.0, और 78.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस अवधि में खुर्जा (उत्तर प्रदेश), शिकोहाबाद (उत्तर प्रदेश), रोहतक (हरियाणा) और कलकत्ते में घी के मूल्यों में क्रमशः 67.6, 72.9, 78.9 और 104.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अनाज की हानि

3626. **श्री अब्दुल गनीदार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बाढ़ों, चूहों, चोरी तथा पशुओं के कारण कितने खाद्यान्न की क्षति हुई थी ; और

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में इसे रोकने के लिये कोई प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गत तीन वर्षों की अवधि में बाढ़ों, चूहों, चोरी तथा पशुओं के कारण देश में खाद्यानों की क्षति की कीमत तथा मात्रा के ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटों तथा रोगों के कारण वर्ष भर में कुल कृषि उत्पत्ति का 20 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है। इस अनुमान में चूहों तथा जानवरों द्वारा होने वाली क्षति भी सम्मिलित हैं।

(ख) भारत सरकार तथा राज्य सरकारें बाढ़ों, चूहों, चोरी और जानवरों के कारण खाद्यान्नों की होने वाली क्षति की समस्या के विषय में पूर्णरूप से अवगत है। राज्य सरकारों के कृषि विभागों ने वनस्पति रक्षा संगठनों की स्थापना की है और क्षति को कम करने के लिये मौसमी अभियान शुरू किये जाते हैं। 1966-67 की अवधि में भारत सरकार ने राज्य सरकारों की कृन्तकनाशी के मुफ्त वितरण के लिये 12.9 लाख रुपये का अनुदान दिया है। इस अनुदान को 1967-68 ओर 1968-69 के अन्तर्गत 40 लाख रुपये प्रति वर्ष बढ़ा दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष से यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्य क्षेत्र को सौंप दी गई है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने बाढ़ नियन्त्रण के लिये भी आवश्यक कदम उठाये हैं।

टेलीविजन के शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्थायी कलाकार

3627. **श्री शिवनारायण** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन के शिक्षा कार्यक्रम के लिये नियुक्त किये गये प्रस्तुत कलाओं/सहायक प्रस्तुतकर्ताओं, कार्यक्रम संयोजकों आदि सहित स्थायी कलाकारों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने के लिये टेलीविजन केन्द्र द्वारा कितने अध्यापकों तथा विशेषज्ञों को बुक किया गया था तथा उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया ;

(ग) इसी अवधि में कर्मचारियों, प्रस्तुतकर्ताओं तथा सहायक प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा कितने पाठ तैयार किये गये तथा टेलीविजन पर दिखाये गये ; और

(घ) स्कूल प्रसारण/टेलीकास्ट एकक में लगे हुए संयोजकों तथा सहायक संयोजकों के मुख्य कर्तव्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क)

स्टाफ आर्टिस्ट	11	कुल योग 20
प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	1	
टेलीविजन अधिकारी	8	

(ख)

वर्ष	**पाठ तैयार करने के लिए बुक किए गए अध्यापकों तथा विशेषज्ञों की संख्या**	भुगतान की गई राशि
		रुपए
1966	225	10,540.00
1967	210	10,190.00
1968	280	13,680.00

(ग)

वर्ष	कर्मचारियों द्वारा लिखी गई तथा टेलीविजन के लिए प्रयुक्त की गई स्क्रिप्टों की संख्या
1966	72
1967	55
1968	34

(घ) (1) शिक्षा निदेशालय से मिलकर स्कूल कार्यक्रमों की योजना बनाना।

(2) स्कूल कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास करना तथा तैयार करना।

(3) पाठों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए स्कूलों का दौरा करना।

(4) अध्यापक गोष्ठियों और मूल्यांकन बैठकों में भाग लेना।

आकाशवाणी, दिल्ली के एक हिन्दी प्रस्तुतकर्ता द्वारा दुर्व्यवहार

3628. **श्री शिव कुमार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के एक हिन्दी प्रस्तुतकर्ता ने ड्यूटी कर रहे एक इंजीनियरी सहायक को चांटा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तुतकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) आकाशवाणी के स्टूडियो में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रस्तुतकर्ता को दिल का रोग है; और उसके स्वभाव में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो उसे चिल्लाने तथा अपने सहयोगियों पर बल प्रयोग करने आदि पर बाध्य करती हैं, इस रोग से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है और वह प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता जिसके कारण आकाशवाणी दिल्ली के हिन्दी कार्यक्रम के स्तर में काफी गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी, हां ।

(ख) प्रोड्यूसर ने लिखित में क्षमा मांग ली है और इंजीनियरी सहायक अपनी शिकायत पर जोर नहीं देना चाहता । महानिदेशक ने प्रोड्यूसर को चेतावनी दी है कि वह अपने आचरण में सावधान रहे ।

(ग) यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी । सरकार यह आशा रखती है कि इसके कर्मचारी एक दूसरे से अच्छी तरह व्यवहार करें ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सवाल नहीं उठता ।

Loan by World Bank for Improved Seeds

3629. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank has agreed to extend loan for improved seeds ; and

(b) if so, the terms on which such loans are proposed to be extended by the Bank ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The World Bank has extended a loan of 13 million dollors (Rs. 10 crores) for the production of improved seeds under the Terai Seed Development Project in Uttar Pradesh.

(b) This loan carries an interest rate of 6.5 per cent per annum, a committment charge of .25 of 1 per cent per annum on the undisbursed amount of the loan and is repayable in 30 years including a grace period of 10 years. No other proposal for World Bank loan for the production of improved seeds is under consideration at present.

19 सितम्बर, 1968 को होशंगाबाद डाक डिवीजन में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3630. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) डाक-डिवीजन के कितने कर्मचारी हड़ताल पर रहे तथा कितने कर्मचारी अपने काम पर आये ;

(ख) उपरोक्त हड़ताल करने वालों में से कितने लोगों को उनके निवास के समीप के अथवा अपनी पसन्द के स्थानों पर स्थानान्तरित करके पुरस्कृत किया गया, तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) हड़ताल करने वालों में से कितनों को पहले स्थानान्तरित तो किया गया परन्तु बाद में उनकी प्रार्थना पर उनका स्थानान्तरण रद्द कर दिया गया; तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) हड़ताल नहीं करने वाले ऐसे कितने वफादार कर्मचारी हैं जिन्हें उनके विरोध के बावजूद भी स्थानान्तरित किया गया, और उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों की संख्या—82

काम पर आये कर्मचारियों की संख्या—520

(ख) से (घ) : कोई नहीं। कुछ व्यक्तियों को सेवा के हित में स्थानान्तरित किया गया था। हड़ताल करने वाले और काम पर आने वाले कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं बरता गया अर्थात् किसी भी काम पर आये कर्मचारी को पुरस्कृत करने या हड़ताल करने वाले को तंग करने के लिए कोई भी स्थानान्तरण का आदेश नहीं दिया गया।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण का पुनरीक्षण

3631. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलाप के पुनरीक्षण के लिए मई, 1969 में एक उच्च स्तरीय सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया गया था ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पंचायती राज संस्थायें प्रगति पर हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) देश के लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं प्रगति कर रही हैं। जम्मू तथा काश्मीर, नागालैण्ड तथा केरल को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कानून बना लिया गया है। बिहार तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है। तथापि, तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली बिहार के तीन जिलों में लागू की गई है।

नागालैण्ड में क्षेत्र, प्रक्षेत्र तथा जनजाति परिषदें विद्यमान हैं, जो अन्य स्थानों की पंचायती राज संस्थाओं से न्यूनाधिक मिलती-जुलती हैं। इन परिषदों को विकास कार्यक्रम के आयोजन तथा कार्यान्वयन में पूरी तरह सम्मिलित किया जाता है।

समाचार भारती समाचार अभिकरण की आकाशवाणी के साथ टेलीप्रिंटर व्यवस्था

3632. **श्री शिव चंडिका प्रसाद : श्री नम्बियार :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि समाचार भारती न्यूज एजेंसी की आकाशवाणी में स्थापित टेलीप्रिन्टर व्यवस्था 1968-69 में लगभग सारे वर्ष खराब रही थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसकी स्थापना दोषपूर्ण होने के कारण उक्त न्यूज एजेंसी से आकाशवाणी को समय पर समाचार नहीं मिल रहे हैं और समझौते की शर्तों के विरुद्ध आकाशवाणी इस न्यूज एजेंसी को भुगतान कर रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि टेलीप्रिंटर सेवा में कोई सुधार न किये जाने पर भी इस वर्ष इस प्रयोजन के लिए राशि बढ़ा दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या औपचारिक कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, नहीं। मशीन या लाइन में कभी-कभी खराबियां हुई हैं जो रिपोर्ट किये जाने पर ठीक कर दी गईं।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल डाक सेवा, अम्बाला के वरिष्ठ अधीक्षक का दुर्व्यवहार

3633. **श्री सूरज भान** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "1" डिवीजन अम्बाला के 100 रेल डाक सेवा कर्मचारी रेल डाक सेवा, अम्बाला के वरिष्ठ अधीक्षक के दुर्व्यवहार, अशिष्टता तथा तानाशाही रवैये के विरुद्ध शिकायत करने के लिए 3 जुलाई, 1969 को अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल से एक प्रतिनिधिमण्डल के रूप में मिले थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अगले दिन जब उस अधिकारी को उक्त प्रतिनिधिमंडल की भेंट का पता चला तो वह और अधिक क्रुद्ध हो गया और उसने एक अस्थायी सार्टर श्री चांद नारायण शर्मा को, जिसकी सेवाएं गत वर्ष हुई हड़ताल के सम्बन्ध में समाप्त कर दी गई थी, अपने कार्यालय में जुलाई, 1969 को चांटा मारा और गालियां दीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिकारी ने पुलिस को बुलाया और उस गरीब कर्मचारी को एक झूठे तथा मनगढंत मामले में फंसाने की कोशिश की, परन्तु वह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सका, क्योंकि पुलिस अधिकारी ने उक्त अधिकारी की इच्छाओं के अनुसार उस गरीब व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उस अधिकारी को अम्बाला से तुरन्त स्थानान्तरित करेगी ताकि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां। यह सच है कि रेल डाक सेवा 1 मंडल अम्बाला के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने रेल डाक सेवा के वरिष्ठ अधीक्षक के व्यवहार के बारे में 3 जुलाई, 1969 को पोस्टमास्टर जनरल से भेंट की थी, लेकिन इन कर्मचारियों की संख्या 100 न होकर लगभग 20 थी।

(ख) जी नहीं। श्री चांदराम शर्मा को निरीक्षक, रेल डाक सेवा के कमरे में उसकी अनुपस्थिति में दफ्तर के समय के बाद अनाधिकारिक रूप से सरकारी कागजों की तांक-झांक करते हुए पकड़ा गया। जब उसको टोका गया तो उसने बच निकलने की कोशिश की जिस पर वरिष्ठ अधीक्षक रेल डाक सेवा ने उसे डांटा और अतिलंघन के आरोप में मामले की सूचना पुलिस में दी।

(ग) पुलिस में इस मामले की सूचना इसलिए दी गई कि चांद नारायण शर्मा, जो कि एक भूतपूर्व कर्मचारी था, अनाधिकारिक रूप से सरकारी कागजों को देख रहा था। इस प्रकार उसे किसी झूठे या मनगढ़ंत मामले में फंसाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पुलिस उपनिरीक्षक 18.10 बजे घटना स्थल पर पहुंचा और उसके कहने पर श्री शर्मा ने क्षमा मांग ली, जिस पर वरिष्ठ अधीक्षक रेल डाक-सेवा ने पुलिस उपनिरीक्षक और वहां पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों की सलाह से उसे जाने दिया।

(घ) जी नहीं। मामले के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अधिकारी को स्थानांतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नरसिंहपुर तथा होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में बन्द किये गये डाकघर

3634. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर तथा हौशंगाबाद जिलों में कितने डाकघर हैं ; और

(ख) उक्त जिलों में गत दो वर्षों में कितने डाकघर बन्द किये गये हैं और उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) नरसिंहपुर जिला—	128
हौशंगाबाद जिला	160
(ख) नरसिंहपुर जिला	1. चिकसा
	2. मुगली
	3. देवनगर पुराना
	4. भैसराखी
हौशंगाबाद जिला	1. डोंगढ़ी
	2. दीप गांव
	3. वंछ द्वाडा

ये डाकघर इस शर्त पर खोले गए थे कि इच्छुक पार्टियां डाकघर खोलने पर होने वाले

घाटे को पूरा करने के लिए, वापिस न किये जाने वाले अंशदान की अदायगी करेंगी। क्योंकि यह अंशदान जमा नहीं कराया गया था, इसलिए इन डाकघरों को बंद करना पड़ा।

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संचार के साधन

3635. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में संचार सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में 8 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 8915 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल के पोस्टमास्टर जनरल ने प्रस्तावों की जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि जांच पूरी नहीं हुई है तो उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जिन स्थानों के पुलिस स्टेशन सब-इंस्पेक्टरों के चार्ज में हैं, उन स्थानों पर तारघर खोलने के 7 प्रस्तावों (होशंगाबाद ज़िले के 3 और नरसिंहपुर ज़िले के 4) में से 4 की जांच की गई है। बाकी तीन की अभी जांच की जा रही है।

(ख) जिन स्थानों के पुलिस स्टेशन सब-इंस्पेक्टरों के चार्ज में हैं उन स्थानों पर 4 तारघरों (होशंगाबाद और नरसिंहपुर दोनों जिलों में दो-दो) की मन्जूरी दे दी गई है।

(ग) बाकी 3 प्रस्तावों की जांच का कार्य इसी वर्ष के दौरान पूरा किये जाने की सम्भावना है।

आकाशवाणी का 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम

3636. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री द्वारा वित्त मन्त्रालय का कार्यभार सम्भालने के बाद आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्टी के एक दल (ग्रुप) की अवहेलना करके दूसरे दल का पक्ष लिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना में लोअर डिवीजन क्लर्कों / कैश क्लर्कों का स्थायीकरण

3637. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में नियुक्त किसी भी लोअर डिवीजन क्लर्क/कैश क्लर्क को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है बावजूद इसके कि उन्होंने अपेक्षित टाइपराइटिंग तथा अन्य परीक्षाएँ पास कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार उनके स्थायीकरण के आदेश कब तक जारी करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : दिल्ली दुग्ध योजना में निम्न श्रेणी लिपिकों के स्थायी करने का कार्य बहुत से वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा विहित टाईपिंग टेस्ट पास करने के कारण रुका हुआ है। ये व्यक्ति 1959 से 1962 के दौरान बिना टाईप टेस्ट पास किये निम्न श्रेणी लिपिक के ग्रेड में नियुक्त किए गए थे। यद्यपि इस ग्रेड में सरकारी सेवा में भर्ती से पहले उनके लिये यह टेस्ट पास करना आवश्यक था। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उन व्यक्तियों के मामले में टाईपिंग की शर्त उन्हें स्थायी करने के उद्देश्य के लिये लागू रखी जाए या नहीं। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने पर निम्न श्रेणी लिपिकों को स्थायी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यदि पहले से टाईपिंग टेस्ट पास किये हुये व्यक्तियों को अब स्थाई कर दिया जाता है तो इससे दिल्ली दुग्ध योजना में निम्न श्रेणी लिपिकों की मौजूदा परस्पर वरिष्ठता को काफी धक्का लगेगा।

भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे रेलवे विभाग के अधिकारी

3638. **डा० सुशीला नैयर : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग के श्रेणी 2 सेवा के सहायक अधिकारी भारतीय खाद्य निगम में वर्ग 1, श्रेणी 1 के वरिष्ठ वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं, जिससे खाद्य विभाग / भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम / खाद्य विभाग के अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : रेलवे के श्रेणी 2 के तीन राज-पत्रित अधिकारियों को 700-1250 रुपये के वरिष्ठ वेतनमान में भारतीय खाद्य निगम में उप-प्रबन्धक (संचलन) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है और ज्यों ही अपेक्षित अनुभव और विशिष्ट जानकारी रखने वाले अधिकारी निगम में ही उनकी जगह पर काम करने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे त्यों ही उन्हें उनके मूल संवर्ग को वापिस भेज दिया जाएगा।

रेलवे बोर्ड के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में रोजगार देना

3639. **डा० सुशीला नैयर : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड तथा रेलवे मन्त्रालय के सेवा निवृत्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम में अब भी पुनर्नियुक्त किया जा रहा है और उनका सेवा-काल बढ़ाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसा किये जाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम में ऐसे कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनके नाम क्या हैं और उनको कितनी अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि खाद्यान्नों के संचलन की व्यवस्था करने और रेलवे के साथ दावों की पैरवी करने के लिए सामान्यतः रेलवे नियमों और कार्यविधि के विशेषज्ञ और अपेक्षित अनुभव रखने वाले अधिकारी अपेक्षित संख्या में न तो रेलवे से और न ही निगम में कार्यरत अधिकारियों में से उपलब्ध हैं ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम में रेलवे के सेवा निवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पुनर्नियुक्ति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार की जाती है और इस कार्य के लिए जब निगम को प्रशिक्षित तथा अनुभवी कर्मचारी मिल जाएँगे तो इसे शनैः शनैः बन्द कर दिया जाएगा ।

(घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1686/69] ।

समाचार भारती के कर्मचारियों द्वारा पेश किया गया ज्ञापन

3640. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार भारती समाचार अधिकरण के कर्मचारियों तथा इस अधिकरण के कार्य संचालन के बारे में जनता से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों के परामर्श से करदाताओं, समाचार-पत्रों तथा श्रमजीवी पत्रकारों के हित में इस समाचार अभिकरण की प्रबन्ध-व्यवस्था को सुधारने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) समाचार भारती समाचार एजेंसी के कर्मचारियों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु इस सदन के एक सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें समाचार एजेन्सी के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था ।

(ख) मामले की जांच हो रही है ।

Import and Manufacture of Tractors

3641. **Shri Yaswant Singh Kushwah** : **Shri Deorao Patil** : **Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the programme for the import of tractors during the current year in order to meet the demand of farmers in the country, the value thereof and the countries from where they would be imported ;

(b) the time by which India is expected to become self-sufficient in the manufacture of tractors indigenously ;

(c) whether any scheme to manufacture light and low-cost tractors has been formulated ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :(a) A proposal to import a substantially larger number of tractors during 1969-70 is under consideration of the Government.

(b) From the trend of growth of production of tractors in India, it is anticipated that self-sufficiency in tractor production may be achieved during the Fifth Five Year Plan period.

(c) **and** (d) : Two schemes for the manufacture of small tractors M/s Ghaziabad Engineering Co. Pvt. Ltd., New Delhi, for the manufacture of DT-14B agricultural tractors (14 HP) and that of M/s Indian Agro Machines, Bombay, for the manufacture of RS-09 Implement carrier (20 HP) have been approved in principle. The combined capacity of these two schemes will be 20,000 Nos. per annum. Besides, the following proposals are under consideration of the Government :

(1) Setting up of a unit tn the public sector for the manufacture of small tractors with a capacity of 12,000 Nos. per annum.

(2) Manufacture of 15 HP tractors as well as 25,35 and 45 HP by Dr. R. Kemal of Hyderabad, with a total capacity of 10,000 nos. per annum.

श्रम विधियों में संशोधन

3642. **श्री यशपाल सिंह : श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ : श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने, औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने तथा कार्मिक संघ आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ श्रम विधियों में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से परिवर्तन किये जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : इस समय सरकार के सामने कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार इन मामलों पर विचार करेगी ।

बंगलौर के लिये टेलीविजन

3643. **श्री क० लकप्पा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण भारतीय नगर बंगलौर में टेलीविजन कार्यक्रम शुरू करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसूर सरकार को यह सूचित किया गया है कि साधनों की कमी के कारण टेलीविजन के विकास का काम चरणों में करना पड़ रहा है और बंगलौर को टेलीविजन विस्तार के अगले चरण में शामिल किया जाएगा ।

दक्षिण भारत के नगरों में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार

3644. **श्री क० लकप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत के नगरों में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार टेलीफोन व्यवस्था में कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) चौथी योजना की अवधि में समूचे देश में, जिसमें दक्षिण के शहर भी शामिल हैं, टेलीफोन व्यवस्था के पूर्ण विकास और विस्तार पर कार्य किया जा रहा है ।

(ख) टेलीफोन व्यवस्था में अधिकांश कठिनाइयां इस कारण उत्पन्न होती हैं कि टेलीफोन कनेक्शन की मांगों को पूरा करने और स्थानीय और ट्रंक काल मिलाने में एक्सचेंज क्षमता कम है । इन कठिनाइयों को नीचे लिखे ढंग से दूर करने का प्रस्ताव है—

1) नए टेलीफोन एक्सचेंज खोल कर और चालू टेलीफोन एक्सचेंजों में विस्तार कर के ;

2) खुली तार लाइनों सहधुरीय केबलों और सूक्ष्मतरंग प्रणालियों पर अतिरिक्त लम्बी दूरी की टेलीफोन सारणियों का निर्माण करके ;

3) नए ट्रंक एक्सचेंज खोल कर चालू ट्रंक एक्सचेंजों में विस्तार करके ;

4) प्रमुख शहरों में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली चालू करके । हम आशा करते हैं कि 1969-70 के दौरान एक्सचेंज क्षमता की 16,000 लाइनें और 355 ट्रंक पोजीशन और लगा देंगे और आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, केरल और तमिलनाड़ु के दक्षिण भारतीय राज्यों में 2 मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली चालू की जाएगी । पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

तमिल नाडु में कृषि विश्वविद्यालय

3645. **श्री किरुतिनन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में तमिल नाडु सरकार की ओर से कोई पहल की गई है ;

(ख) क्या निकट भविष्य में अथवा चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु में भी यह विश्वविद्यालय खोला जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के दौरे के लिये तथा राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। राज्य सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय करेगी।

(ख) भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के एक अंग के रूप में प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया है। तथापि ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है ।

(ग) उपरोक्त (ख) की मौजूदगी में प्रश्न ही नहीं होता।

फीरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन के डाकघर में गोलमाल

3646. **श्री सूरज भान : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सर्किल में फीरोजपुर छावनी रेलवे स्टेशन के डाकघर में हाल में 48,000 रुपये के गोल-माल का मामला पकड़ा गया है और इस मामले में दोषी डाक क्लर्क 24 अप्रैल, 1969 से लापता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसको वहां पर उसकी कालावधि से अधिक समय तक रहने दिया गया था, यद्यपि मार्च/अप्रैल, 1968 में उसने इस डाकघर से स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उसे अक्तूबर, 1968 में रेलवे विभाग में गार्ड के रूप में चुना गया था परन्तु उसे छोड़ा नहीं गया और इस प्रकार उसे गोलमाल करने के लिये वहीं रहने दिया गया ;

(घ) क्या इस डाक क्लर्क के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारियों का इस गोलमाल में कोई हाथ है और यदि हां, तो उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) में उल्लिखित अधिकारी से यह जानने के लिये कोई पूछताछ की गई है कि इस गोलमाल में उसका कितना हाथ है, या वह कहाँ तक इस गोल-माल के लिये जिम्मेदार है ; और यदि हां, तो किस वस्तु का गोलमाल किया गया है और किस प्रकार से ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ। वास्तविक रकम 49,156 रुपये है।

(ख) जी हां।

(ग) यह सच है कि अभियुक्त को रेलवे गार्ड चुन लिया गया था और उसने 8 जनवरी 1969 को भार-मुक्त किये जाने के लिए निवेदन किया था, लेकिन उस समय डिवीजन में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण उसे भार-मुक्त नहीं किया जा सका था। चूंकि गोलमाल के इस मामले का पता 8 जनवरी, 1969 के बाद चला था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जिन

लोगों ने उसे भार-मुक्त नहीं किया उन्होंने उसे गोलमाल करने के लिए वहां जानबूझ कर रहने दिया था।

(घ) इस गोलमाल के लिए अन्य कर्मचारी किस हद तक जिम्मेदार हैं, यह नीचे दिया गया है—

(1) श्री हंसराज गुलाटी, नायब-पोस्टमास्टर ने अभियुक्त के काम पर निगाह रखने में अत्यन्त गम्भीर रूप से लापरवाही की।

(2) श्री वी० एल० मानेकटला, सहायक अधीक्षक इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने पासबुक और बचत-बैंक खाते में बकाया रकम में अन्तर होने संबंधी शिकायत की गहराई में नहीं गए, क्योंकि यदि वे इसकी ठीक तरह से जांच करते तो यह मामला पहले ही सामने आ जाता।

(3) श्री दौलत राम, डाकघर निरीक्षक (बचत बैंक) और

(4) श्री बिन्दरावन ने भी सहायक अधीक्षक की ही तरह लापरवाही से काम लिया।

(5) श्री बूटाराम, प्रधान क्लर्क कर्मचारी के कार्य-काल की समाप्ति पर उसका स्थानान्तरण सुनिश्चित करने में असफल रहे।

(6) इसके लिए अन्य कर्मचारी किस हद तक जिम्मेदार हैं, इस बात की जांच की जा रही है और उनकी जिम्मेदारी भी निश्चित की जाएगी।

(ङ) ऊपर (ख) और (ग) के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की गई थी, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इसमें उनका भी हाथ है।

कोयला खान मजूरी बोर्ड की उपदान संबंधी सिफारिश की कार्यान्विति

3647. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला खान मजूरी बोर्ड की उपदान संबंधी सर्वसम्मत सिफारिश को अभी तक स्वीकार नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी बड़े उद्योगों, जैसे रुई, कपड़ा, पटसन तथा इंजीनियरिंग उद्योगों में उपदान प्रणाली लागू है;

(ग) क्या उपदान संबंधी सिफारिश को कार्यान्वित करने तथा उसे लागू करने में सरकार की असफलता के कारण कोयला खनिकों में बड़ा असंतोष व्याप्त है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को शीघ्र स्वीकार करने का है, और यदि हां, तो कब तक?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (घ) : जी हां, परन्तु सिफारिश को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) इन उद्योगों के प्रतिष्ठान विशेष में उपदान योजना के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) कोयला खान के श्रमिकों द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड की उपादान संबंधी सिफारिशें शीघ्र स्वीकार करने के लिए मांग की गई है ।

1971 तक अनाज का निर्यात

3648. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई, 1969 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार के अनुसार उन्होंने दिल्ली में 4 जुलाई, 1969 को कृषि क्रान्ति पर बोलते हुए कहा था कि भारत 1971 तक अनाज का निर्यात आरम्भ कर देगा ;

(ख) यदि हां, तो 1971 तक अनाज उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा ; और

(ग) देश को 1971 तक अनाज का निर्यात करने योग्य बनाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह कहा गया था कि यदि स्थिति ठीक रही तो देश के खाद्यान्नों के मामले में केवल आत्म निर्भर ही नहीं हो जायेगा बल्कि वह 1971 में खाद्यान्नों को निर्यात करने की स्थिति में होगा ।

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि 1971 के बाद रियायती शर्तों पर खाद्यान्नों का आयात नहीं किया जायेगा ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 980 लाख मैट्रिक टनों के आधारभूत उत्पादन के मुकाबले में 1973-74 के लिये लक्ष्य 1290 लाख मीट्रिक टन है । 1970-71 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य विशेष रूप से अभी तक निश्चित नहीं किया गया है । फिर भी, उत्पादन और खपत में निहित वृद्धि की वार्षिक दरों के अनुसार 1971 के दौरान यदि मौसम सामान्य रहा तो सम्भवतः उत्पादन कुल आवश्यकताओं के अनुरूप होगा ।

(ग) कृषि विकास की नई नीति के अन्तर्गत देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस नीति के मुख्य तत्वों में ये सम्मिलित हैं : बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती, बहुउद्देशीय फसल, सघन उत्पादन के लिये सिंचाई का विकास, उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियों वस्तुओं को प्रायोजित व्यवस्था, भूमि तथा जल प्रबन्ध तरीकों को अपनाना, किसानों का प्रशिक्षण तथा शिक्षा, कृषि आवश्यकताओं के लिए विस्तार, अनुसंधान था संस्थानात्मक ऋण की व्यवस्था को बढ़ाना । आन्तरिक आवश्यकताओं और समीकरण भण्डारों की जरूरतों को पूरा करने के बाद फालतू खाद्यान्न निर्यात के लिए उपलब्ध किए जा सकते हैं ।

खरीफ की फसल की संभावना

3649. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से देश में खरीफ की फसल की संभावनाओं के बारे में जानकारी मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर खरीफ की फसल की सम्भावनाएं कैसी हैं ; और

(ग) क्या वर्षा देर से होने का फसल पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फसल रिपोर्टिंग की मौजूदा पद्धति के अन्तर्गत राज्य सरकारें, बोये गए क्षेत्रों के प्रारम्भिक अनुमानों सहित, विभिन्न फसलों से संबंधित प्रथम पूर्वानुमान रिपोर्टों में खरीफ की फसलों की सम्भावनाओं के बारे में जानकारी देती हैं। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों से विभिन्न फसलों की स्थिति के बारे में समय समय पर गुणात्मक रिपोर्टें भी प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) **और (ग) :** खरीफ की फसलों की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अभी से कुछ कहना कठिन है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग फसलों की बुवाई के क्षेत्र तथा फसलों की सम्भाव्यताओं के बारे में पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

गुजरात के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में डाक घर

3650. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कितने डाकघर काम कर रहे हैं ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में जिलावार, कितने डाकघरों के खोले जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) शहरी--532 ; ग्रामीण 5739

(ख)

1. सूरत--9	11. बांसाकांथा--15
2. बुलसार--9	12. राजकोट--10
3. डांग्स-कोई नहीं	13. भावनगर--13
4. बड़ौदा--19	14. अमरेली--6
5. बडोच--10	15. सुरेन्द्रनगर--4
6. पंचमहल--26	16. जूनागढ़--17
7. कैरा--10	17. कच्छ--11
8. अहमदाबाद--12	18. गांधीनगर--10
9. साबरकांथा--15	19. जामनगर--11
10. मेहसाना--5	कुल 212

चीतों की संख्या में कमी

3651. **श्री प० मु० सईद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि देश में चीतों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसका कारण यह है कि राजधानी में खाल का बहुत व्यापार होता है ;

(ग) क्या सरकार ने चीते तथा बाघ की खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इन व्यापारियों को विदेशों के साथ कितने वायदे पूरे करने हैं ;

(ङ) क्या इन व्यापारियों ने सरकार से तब तक प्रतिबन्ध न लगाने का अनुरोध किया है जब तक कि विदेशों से प्राप्त वर्तमान क्रयादेशों को वे क्रियान्वित नहीं कर लेते ; और

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार इस समस्या को कैसे हल करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) पूर्व वाणिज्य मन्त्रालय की सलाह पर निश्चय किया गया था कि 15 जून, 1968 को प्रतिबन्ध लगने की तारीख से पूर्व हुये करारों का पालन किया जाये। तदनुसार चार मुख्य पत्तन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को समुचित आदेश जारी किये गये थे। इन आदेशों के फलस्वरूप प्रतिबन्ध लागू किये जाने से पूर्व के उपयुक्त वचनबद्ध मामलों में लाइसेंस जारी किये गये। जिन मामलों में पार्टियां अपने इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकीं कि ये करार प्रतिबन्ध से पूर्व तय कर चुकी थी उन्हें नामंजूर कर दिया गया था।

(ङ) किसी भी व्यापारी या निर्यातक ने सरकार से प्रतिबन्ध स्थगित करने का अनुरोध नहीं किया और साथ ही उपर्युक्त (घ) की मौजूदगी में ऐसा करने की आवश्यकता भी न थी।

(च) उपरोक्त (घ) की मौजूदगी में प्रश्न ही नहीं होता।

नई किस्म का लोबिया

3653. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में दुर्गापुर के कृषि अनुसंधान केन्द्र ने नई किस्म के लोबिये (सी० 67.7) का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पूसा फागुनी से इसकी उपज बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्षेत्र को प्रोत्साहन देने का विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : मांगी गई जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

जहानाबाद से बिहार शरीफ तक सड़क का निर्माण

3654. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहानाबाद से बिहार शरीफ तक कोई पक्की या कच्ची सड़क नहीं है और न ही पक्की सड़क बनाने के लिये कोई लेवलिंग किया हुआ है जिससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फीरोजी ग्राम पंचायत काको खण्ड के अन्तर्गत पक्की सड़क से केवल दो मील दूर है और बड़ावन पंचायत उस सड़क से 4 मील दूर है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सड़कें न होने के कारण वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है और पंचायतें विकास कार्य नहीं कर पा रही हैं और उनकी अत्यन्त उपेक्षा की जा रही है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि फीरोजी ग्राम पंचायत के निवासियों द्वारा बिहार के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को एक याचिका पेश की गई थी ; और

(ङ) उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वहां पर सड़क का निर्माण करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ङ) : राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Recognition of the Rajya Pariwahan Karmachari Sangh, Bihar

3655. **Shri Makhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Labour and Rehabilittaion** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rajya Pariwahant Karmachari Sangh, Bihar is a registered Union which is represented by all the categories of he employees ;

(b) whether it is also a fact that far from considering the suggestions and proposals made by the said Sangh regarding the augmentation of the Corporation's income, the Sangh has not even given departmental recognition ; and

(c) if so, the action being taken by Government to recognise the above Sangh ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : **(a) to (c)** : The required information is being collected from the Government of Bihar and will be placed on the Table of the House when received.

उड़ीसा के फूलबानी जिले के लिये विशेष क्षेत्र विकास योजना

3656. **श्री अ० दीपा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण उड़ीसा के फूलबानी जिले के लिये विशेष क्षेत्र विकास योजना का काम अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्य के आरम्भ करने में विलम्ब के कारण इस क्षेत्र के लोग दयनीय स्थिति में रहने को बाध्य हैं ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में इस योजना की पूर्णतः उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस विकास योजना की शीघ्र क्रियान्विति के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन फूलबानी क्षेत्र के विकास के लिये भारत सरकार ने कोई योजना मंजूर नहीं की है।

(ख) से (घ) : विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आर्थिक दृष्टि से अल्प-विकसित क्षेत्रों के लिये दृष्टि में रखा गया है कि जन संख्या में छुट-पुट हो किन्तु प्राकृतिक संसाधनों में परिपूर्ण हों और जहां त्वरित विकास कार्यक्रम द्वारा स्थानीय जन संख्या के जीवन स्तर में वृद्धि हो सके और साथ-साथ विस्थापित व्यक्तियों, प्रवासियों तथा स्वदेश लौटे भारतीयों को रोजगार के सुअवसर प्राप्त हों। विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अब और नये क्षेत्र सम्मिलित नहीं किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों को पिछड़े क्षेत्रों का विकास अपनी योजनाओं द्वारा करने के योग्य बना दिया गया है और इसके लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों के लिये सहायता का सूत्र पर्याप्त व्यवस्था करता है। प्रसंगतः, यह सूत्र न केवल राज्यों के व्यापक पिछड़ेपन पर ही अपितु किसी भी क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये, जो विकास की दृष्टि से पीछे रह गया हो, राज्यों के उत्तरदायित्व पर भी विचार करता है।

A. I. R. Correspondent in Paris for Despatch of News about Appollo-12

3657. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a representative of the All India Radio had gone to Paris for despatching news-item about Appollo-12 ;

(b) whether the expenses of his visit to Paris had been borne by the Government of India or by U. S. I. S. ; and

(c) the number of news-items despatched by the representative in Hindi and English separately ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) By the Government of India.

(c) Twelve news despatches for New-sreel and two commentaries of "Spotlight" programme. All despatches were in English.

पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र

3658. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बनाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-कौन सी संस्थाएं इन केन्द्रों को चला रही हैं ;

(ग) क्या मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र में एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र बन्द हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो वह कैसे चलाया जा रहा है और उसे चलाने के लिये प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) : विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मनीपुर में टेलीफोन

3659. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में वर्ष 1968-69 में तथा चालू वर्ष में अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ;

(ख) मनीपुर में इस समय तक कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं और कनेक्शनों के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या एक वर्ष से अधिक समय से भी आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) 1968-69 के दौरान —85

चालू वर्ष में इस समय तक—27

(ख) मनीपुर में इस समय तक 706 टेलीफोन कनेक्शन हैं और 340 आवेदन बकाया हैं ।

(ग) जी हां । इसका कारण यह है कि एक्सचेंज के जरूरी सामान, जमीन में डाले जाने वाले केबल और लाइन के सामान की कमी है । उपलब्ध साधनों को देश के सभी भागों में समानता के आधार पर बांटना होता है और भारत के सभी एक्सचेंजों में टेलीफोन के आवेदकों की काफी लम्बी प्रतीक्षा सूची है ।

मनीपुर के पहाड़ी सब-डिवीजन के लिए टेलीफोन सुविधाएं

3660. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में मनीपुर के पहाड़ी सब-डिवीजन के कुछ कस्बों तथा मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुविधाएं देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : मनीपुर राज्य के 10 सब डिवीजन के मुख्यालयों में से 7 में पहले ही टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था है । बाकी तीन सब डिवीजन के मुख्यालयों के प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए साज-सामान का प्रबन्ध करना पड़ता है, इसलिए इन स्थानों पर टेलीफोन सुविधा देने में अभी कुछ समय लगेगा ।

मनीपुर में स्त्रियों को रोजगार

3661. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र में अब तक कुल कितनी स्त्रियों को रोजगार दिया गया है और उन्हें क्या काम दिया गया है ;

(ख) मनीपुर में रोजगार कार्यालय में कुल कितनी महिला उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं ; और

(ग) मनीपुर की शिक्षित बेरोजगार स्त्रियों को रोजगार देने तथा उनमें बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) उपलब्ध जानकारी, उन महिला उम्मीदवारों की संख्या से संबंधित है जिन्हें रोजगार कार्यालय इम्फाल, मनीपुर द्वारा रोजगार दिलाया गया, जो संलग्न विवरणों में दी गई है। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1687/69]

(ख) 30 जून, 1969 को नौकरी चाहने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 2344 थी।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना तथा मनीपुर के लिए 1969-70 की वार्षिक योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, यातायात व संचार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और समाज कल्याण की सामाजिक सेवाओं के विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा स्त्रियों समेत बेरोजगार व्यक्तियों के लिये अधिकाधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है।

Aid by US for Development of Agriculture

3662. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount of money provided by U. S. Government to Government of India for the development of agriculture during 1967-68, 1968-69 nnd 1969-70 separately ; and

(b) the amount provided by Government of India to each State during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) A statement is attached. (Placed in Library. See No. LT-1688/69)

(b) The assistance received under US Aid, like all other aid, is not directly passed on to the State Governments. Fertiliser imports from the U. S. are, for instance, allotted to different States along with fertilisers imported from other sources, having regard to the availability from domestic production and consistent with the requirements of the States. The PL 480 loans provide general budgetary support to the Government of India and State Governments receive assistance from the Centre in accordance with their plan allocations approved by the planning Commission. For these reasons, it is not possible to arrive at a break-down of U. S. assistance on a State-wide basis.

Programmes of Song and Drama Division

3663. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the Song and Drama Division undertakes the propagation work independently or it works in cooperation with other social institutions ; and

(b) in the manner in which it is going to organise cultural programmes on the occasion of Gandhi Birth Centenary celebrations ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Song and Drama Division undertakes publicity work through its own departmental drama troupes and performing parties as well as through private troupes and artists registered with it for such work. It also does so in cooperation with other Government agencies as well as voluntary, social and cultural organisations.

(b) During the current financial year the Division has set apart a sum of Rs. 1.75 lakhs for presenting programmes on the occasion of Gandhi Birth Centenary celebrations. Within this provision programmes of various media like drama, songs and religious discourses etc. high-lighting the teachings of Mahatma Gandhi are also being presented. The Division has already aqcuired/prepared 9 new plays in Hindi, Urdu, Kannada, Marathi, Oriya and Gujarati on the teachings of Mahatma Gandhi. A Deputy Director has been specially engaged to write a script for a play in Hindi on Gandhi's teachings. Acquisition of new plays in other languages is also under active consideration. 11 songs in Hindi and Marathi have also been purchased. Programmes of these plays and songs are being given/will be given during the remaining part of the Centenary year. Six scripts in Hindi, Marathi, Gujarati and Kannada on the teachings of Gandhiji acquired earlier are also being used in the field. The Song and Drama Division will also be organising 50 special performances in the Gandhi Darshan Exhibition to be held in Delhi.

Broadcast of 'Yuva Vani' Programme on A.I.R.

3664. **Shri Deve Sen** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the various topics included in the 'Yuva Vani' programme broadcast over the All India Radio, New Delhi for the youth ;

(b) whether this includes topics on national sentiments also ;

(c) whether this programme would also be broadcast over other radio stations ;

(d) if so, the time by which it would be done ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Entertainment programmes produced or presented by group of young people, talks, discussions, interviews on sports, literature, science, religion, social problems, employment opportunities, education, current affairs, etc. which are of special interest to the youth.

(b) Yes, Sir.

(c) to (e) : The service is proposed to be extended to other Stations depending on availability of and resouces technical and financial.

Demand for Nationalisation of Sugar Mills in U. P.

3665. **Shri Yashwnat Singh Kushwah** : **Shri K. M. Madhukar** :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand has been made for the nationalization of Sugar Mills in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) No demand for nationalisation of Sugar Mills in Uttar Pradesh has been received by the Government.

(b) Does not arise.

आकाशवाणी में साधारणतया प्रयोग में आने वाले हिन्दी शब्दों का प्रयोग

3666. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी द्वारा तैयार किए गए साधारण प्रयोग में आने वाले लगभग 25,000 हिन्दी शब्दों और पदों का शब्दकोष प्रकाशित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक यह शब्दकोष प्रकाशित हो जायेगा और क्या यह आकाशवाणी के कर्मचारियों को निःशुल्क दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) और (ख) : जी, हां। शब्दकोष को यथाशीघ्र छापने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। इसकी प्रतियां नाममात्र के मूल्य पर उपलब्ध होंगी। मूल्य अभी निर्धारित करना है। तथापि, सम्बन्धित स्टाक तथा सरकारी कार्य के लिये ये उपलब्ध होंगी।

उत्तर प्रदेश समाज सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली

3667. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश समाज सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली के वर्ष 1965-66 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में तत्कालीन सचिव के पास 6,458 रुपये की राशि नकद दिखायी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्कालीन सचिव ने ऐसी कोई नकद राशि अपने पास रखने से इंकार किया था और यह मांग की थी कि इस धन के गबन के बारे में जांच की जाये ;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किन साधनों से इतनी बड़ी राशि को नियमित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सूरतगढ़ प्रक्षेत्र में बाढ़ के पानी से हानि

3668. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नहर टूट जाने के कारण घग्घर नदी का बाढ़ का पानी सूरतगढ़ के यन्त्रीकृत प्रक्षेत्र में घुस गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक खड़ी फसल और यंत्रों को हानि पहुँची है ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां । जुलाई के 1969 के अन्तिम सप्ताह में नहर में दो स्थानों पर दरारें पड़ जाने के कारण 10 एकड़ धान के क्षेत्र व 5 एकड़ कपास के क्षेत्र में बाढ़ आयी ।

(ख) धान की फसल अथवा यंत्रों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँची । कपास की फसल को कुछ हानि पहुँचने की सम्भावना है ।

(ग) दोनों स्थानों पर दरारों को तुरन्त बन्द कर दिया गया और फसलों से पानी बाहर निकाल दिया गया । नहर राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन है और उनसे अनुरोध किया गया है कि नहर में पुनः इस प्रकार की दरारें रोकने के लिये सावधानी बरती जाये और नहर के किनारों को मजबूत बनाया जाये । बान्धों पर चौकसी रखी जा रही है ।

दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

3669. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की मण्डियों में खाद्यानों की कीमतें, विशेषकर गेहूं की बहुत अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले कुछ महीनों में दिल्ली की मण्डियों में गेहूँ सहित अनाजों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृति आई है ।

(ख) लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिये इस महीने के दौरान उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिये 10,000 मीटरी टन गेहूँ आबंटित किया गया है । कार्डधारियों को गेहूँ उत्पाद अर्थात् आटा, सूजी तथा मैदा भी सप्लाई किया जा रहा है ।

उत्तर गोहाटी तथा अमीनगांव के बीच सीधी टेलीफोन लाइन

3670. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर गोहाटी तथा अमीनगांव क्षेत्रों के मुख्य गोहाटी स्थानीय एक्सचेन्ज से सीधी टेलीफोन लाइनों द्वारा मिलाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह लाइन कब तक चालू हो जाने की आशा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) उत्तर गोहाटी में अमीनगांव एक्सचेन्ज पहले ही एक सीधी ट्रंक लाइन द्वारा गोहाटी से मिली हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात के लिये शराब बनाने के लिये अंगूरों का बाग लगाना

3671. **श्रीमती सुधा रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा प्रस्ताव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन के परामर्श से निर्यात के लिये शराब बनाने के लिये अंगूरों के बाग लगाये जायें ;

(ख) क्या विश्व संगठन ने इस परियोजना के लिए विशेषज्ञों को भेजना स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) क्या इसके लिए मैसूर और हैदराबाद को अन्तिम रूप में चुन लिया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में अंगूरों की बहुतायत है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होते।

कीटाणुनाशक औषधियों का मूल्य

3672. **श्रीमती सुधा रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य बहुत से देशों की तुलना में अधिकांश कीटाणुनाशक औषधियों का उपभोक्ता मूल्य भारत में अधिक है ;

(ख) क्या भारत में उत्पादित कीटाणुनाशक औषधियों का मूल्य आयातित कीटाणुनाशक औषधियों के मूल्य से अधिक है ;

(ग) क्या ऊँची कीमतों के कारण देश में किसानों की हितों को हानि पहुँच रही है ; और

(घ) यदि हां, तो मूल्यों को कम करने और आयात में उदारता लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) बहुत से देशों की तुलना में अधिकांश कीटनाशक औषधियों का उपभोक्ता मूल्य भारत में अधिक नहीं है।

(ख) भारत में उत्पादित तकनीकी ग्रेड (व्यापारिक रूप से शुद्ध) में अधिकांश कीटनाशक औषधियों के मूल्य अधिक हैं किन्तु तैयारी के बाद उनके उपभोक्ता मूल्य अधिक नहीं है, क्योंकि डिलूएन्ट, कैरियर्स, प्रक्रिया, पैकिंग तथा वितरण की लागत सामान्य रूप से भारत में कम पड़ती है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं होते, क्योंकि अन्य देशों में चल रहे कीटनाशक औषधियों के उपभोक्ता मूल्य भारत में तुलनात्मक रूप से उचित ही हैं।

Procurement of Foodgrains in Bihar

3673. **Shri K. M. Madhukar** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the target fixed by the Food Corporation of India for the procurement of foodgrains in Bihar during this year and the extent to which the said target has been achieved ;

(b) the reasons for which the Food Corporation of India could not procure foodgrains in Bihar according to the targets fixed ;

(c) whther it is a fact that the high officers are not extending full cooperation to the Government in this work and they have no faith in this method ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

a) and (b) : During the current kharif marketing year 1968-69 (November, 68 to Oct. (69) and the rabi marketing year 1969-70 (April 2969 to March, 1970) the Food Corporation expected to purchase 75 thousand tonnes of rice and 50 thousand tonnes of wheat in Bihar. So far a quantity of about 65.3 thousand tonnes of rice and 9.2 thousand tonnes of wheat have been procured by the F. C. I. The Corporation expects that they would be able to purchase about 75 thousand tonnes of rice during the current season. As regards wheat, the purchases were being made by the Corporation as a measure of price support and as the market prices of wheat in Bihar are generally higher than the procurement price the Corporation donot expect any sizeable further procurement of wheat in that State during the remaining part of the season.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Refugees in Champaran District

3674. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about three hundred refugees of the Western Hazari Camp in Betia in Champaran District, Bihar went to Champaran and presented their demands in writing, through some Members of Parliament, to the Development Officer, Champaran District and the said officer had given an assurance to look into their demands and remove their difficulties ;

(b) if so, whether the said officer has so far looked into their demands and found out a way to remove their difficulties ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor and the time by which these demands are likely to be attended to and their difficulties removed ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) to (d) : The Government of Bihar has informed that about two to three hundred inmates of Bettiah Camp met the Additional District Magistrate, Champaran, on the 1st July, 1969, to represent their grievances. Their main grievance, which was against non-supply of rice, has since been redressed, Other demands of the refugees, which are stated to be of a minor nature, are being looked into by the local officers of the State Government.

Agricultural University in Bihar

3675. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Pusa has been selected as a site for the proposed agricultural university in Bihar ;

(b) if so, the initial steps taken in this regard ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) A site Selection Committee for the proposed Agricultural University has been constituted by the State Government.

(c) Does not arise.

कालकाजी कालोनी नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भूमि का आवंटन

3676. **श्री देवेन सेन : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को आवंटित की गई भूमि के प्रीमियम के रूप में उनसे लगभग 28 लाख रुपये वसूल किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने भूखण्ड दिये जा चुके हैं और कितने शरणार्थियों को अभी तक आवंटन नहीं किया गया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान से आये उन सभी शरणार्थियों को पुनर्वास योजनाओं का लाभ पहुँचाने का है, जो 30 जून, 1969 तक दिल्ली में थे, परन्तु जो समय पर उपयुक्त आवेदन पत्र नहीं दे सके ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 4-1-1966 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के उत्तर में आवेदन पत्र भेजने वाले 1,750 व्यक्तियों में से 1365 व्यक्तियों को योग्य पात्र घोषित किया गया था और उन्होंने प्रारंभिक जमा की रकम जमा करवा दी थी और उनको प्लाट अलाट किये जा चुके हैं । उनसे प्राप्त की गई कुल राशि 27.14 लाख रुपये हैं ।

13-8-1967 को जारी की गई दूसरी प्रेस विज्ञप्ति के उत्तर में जिन 752 व्यक्तियों ने प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र भेजे थे उनमें से अब तक 443 व्यक्ति योग्य पात्र पाये गये हैं और उनमें से 357 व्यक्तियों ने 4.06 लाख रुपये जमा करवा दिये हैं । उनको प्लाटों का आवंटन करने के लिये शीघ्र ही लाटरी निकाली जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को गृह निर्माण ऋण

3677. **श्री देवेन सेन :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन ने पूर्वी पाकिस्तान से आये उन विस्थापित व्यक्तियों को गृह-निर्माण के लिये पर्याप्त ऋण देना स्वीकार कर लिया है, जिनको समझौते के आधार पर, जो उनकी भूमि के सम्बन्ध में यथोचित रूप से पंजीकृत किया गया था, कालकाजी, नई दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित, व्यक्तियों की कालोनी में भूखण्डों का आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गृह निर्माण अग्रिम धन देने की शर्तों की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार पुनर्वास के लिये पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को उनके अपने घर का निर्माण करने में सहायता देने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : जिस योजना के अन्तर्गत कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाट अलाट किये जा रहे हैं, वह उन विस्थापित व्यक्तियों को विकसित प्लाट देने के लिये तैयार की गई थी जो दिल्ली में लाभकारी रोजगार पर लगे हुये थे। इन व्यक्तियों के लिये और कोई सहायता देना दृष्टि में नहीं रखा गया था। इसलिये उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन्हें बस्ती में प्लाट अलाट किये जा रहे हैं विशेष रूप से गृह-निर्माण के लिये ऋण मंजूर करने के लिये कोई योजना मंजूरी नहीं की गई है और न ही ऐसी योजना दृष्टि में है। इन प्लाटों के अलाटी उन सामान्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जो कि दिल्ली के अन्य निवासियों को गृह-निर्माण ऋणों के लिये प्राप्य हैं और जिनके लिये वे योग्य पात्र हैं।

आकाशवाणी के विदेश सेवा तथा समाचार सेवा प्रभागों में प्रोडयूसरों की संख्या

3678. **श्री शिव नारायण :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और विदेश सेवा प्रभाग की उर्दू सेवा में कितने प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं ; और स्टाफ कलाकर के रूप में उन्होंने दिल्ली में कितने वर्ष सेवा की है और उनकी अर्हताओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) :

	प्रोडयूसर	**सहायक प्रोड्यूसर**
वैदेशिक सेवा प्रभाग	4	शून्य
समाचार प्रभाग	शून्य	शून्य (प्रभाग में उर्दू सेवा नहीं है)

चारों प्रोडयूसरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1689/69]।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राणिविज्ञ द्वारा मछली प्रजनन प्रणाली की खोज

3679. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्लो विश्वविद्यालय के एक प्राणिविज्ञ ने एक प्रणाली का आविष्कार किया है जिसके द्वारा मछलियों का प्रजनन काल से बहुत पहले प्रजनन किया जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार एक बड़ी पारियोजना द्वारा इस अविष्कार की परीक्षा करने का विचार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। यह तथ्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्राणीविज्ञ ने एक ऐसी प्रणाली का अन्वेषण किया है, जिसके द्वारा कैटफिस की एक जाति को प्रजननकाल से बहुत पहले प्रजनन के लिये अभिप्रेरित किया जा सकता है।

(ख) केन्द्रीय आन्तरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर इस प्रकार के कार्य को कई वर्षों से कर रहा है और संस्थान में विकसित प्रणाली को भारतीय मुख्य कार्प मछलियों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों में विस्तृत रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। संस्थान में 'रेवा' पर की गई जांच पड़ताल के आधार पर परिपक्वता शीघ्र प्राप्त कर प्रजनन अवधि को भी उसे 4 मास तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) केन्द्रीय अन्तरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान की एक अभिप्रेरित प्रजनन सम्बन्धी योजना थी, जिसमें शीघ्र परिपक्वता प्राप्ति की प्रेरणा कार्प्स म्यूरत्स और कैट फिश मछली में अभिप्रेरित प्रजनन के लिये विभिन्न संश्लिष्ट सानीग्र हारमोनों का प्रयोग भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 'दलदलों में वायु जीवी मछलियों के संवर्धन के लिये बीजों के प्रचार और भण्डारण' की एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में अभिप्रेरित प्रजनन तकनीक के उपयोग से विभिन्न वायु भक्षी मछलियां, जिनमें कैट फिस भी है, के प्रसार का विस्तृत अध्ययन भी सम्मिलित है।

Food Problem of Rajasthan

3680. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rainfall in Rajasthan is the least of all the places in the country ;

(b) whether it is also a fact that the means of irrigation are also comparatively less in the said area ;

(c) whether it is a fact that the foodgrains production of the said area is also very less ;

(d) whether it is also a fact that there are no other means of livelihood for the people in the said area ; and

(e) if so, the details of the steps being taken by Government to solve the food problem of the said area ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) While West Rajasthan gets the least annual rainfall in the country, East Rajasthan gets more annual rainfall than a few other meteorological sub-divisions in the country.

(b) While the percentage of net irrigated area to net sown area in Rajasthan is lower than the all-India average, it is higher than that in some other States.

(c) The yield per hectare of total foodgrains during 1963-64 to 1966-67 in Rajasthan was the lowest in the country. However, during 1967-68, the average yield of foodgrains in Rajasthan has been slightly higher than in Maharashtra.

(d) In addition to crops production, cattle breeding and sheep rearing are also carried on in Rajasthan.

(e) Measures for increasing production of foodgrains are being taken by the State Government under the successive plans. These include cultivation of high yielding varieties of seeds, development of irrigation-both surface and groundwater-organised provision of inputs like fertilisers, pesticides, adoption of soil and water management practices, etc. Other programmes for building up the infra-structure are also being undertaken.

गुजरात में कृषि उद्योग निगम

3681. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट सिफारिश पर 2 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से एक कृषि-उद्योग निगम की स्थापना की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त निगम की अंश पूंजी में 1 करोड़ रुपये लगाना स्वीकार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, गुजरात कृषि उद्योग निगम 2 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से 9 मई, 1969 को स्थापित किया गया था ।

(ख) और (ग) : निगम द्वारा भारत सरकार को शेयर नियतन करने के बाद ही, निगम की अधिकृत पूंजी में केन्द्रीय सरकार के अंशदान के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि

3682. **श्री सूरज भान** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1968-69 के अन्त तक टेलीफोन शुल्क की देय बकाया कुल राशि कितनी है ;

(ख) जनता केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों / कार्यालयों और राज्य सरकार के अधिकारियों/कार्यालयों के प्रति बकाया राशि के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) गत 10 वर्षों में टेलीफोन शुल्क की कुल कितनी राशि बट्टे खाते में डाल दी गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 28 फरवरी, 1969 तक जारी किये गये बिलों की 13.09 करोड़ रुपये की रकम बकाया है। इसमें से तीन महीने से अधिक अवधि के (अर्थात् 30-11-68 तक जारी किये गए) बिलों की बकाया रकम 5·96 करोड़ रुपये थी।

(ख) जनता की ओर बकाया रकम	--	3.11 करोड़ रुपये
केन्द्रीय सरकार की ओर बकाया रकम	--	1.98 करोड़ रुपये
राज्य सरकारों की ओर बकाया रकम	--	0.87 करोड़ रुपये
	कुल	5.96 करोड़ रुपये

(ग) केवल गत पांच वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाली गई रकम के संबंध में सूचना उपलब्ध है, जो इस प्रकार है—

1963-64	2.17 लाख रुपये
1964-65	1.44 लाख रुपये
1965-66	3.30 लाख रुपये
1966-67	4.39 लाख रुपये
1967-68	3.78 लाख रुपये

त्रिपुरा में भूख से मौतें

3683. **श्री किरित बिक्रम देव वर्मन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि त्रिपुरा के अकाल-ग्रस्त आदिम जातीय क्षेत्रों में भूख से कम से कम 40 मौतें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सच पाया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में खाद्य कीमतें इतनी अधिक हो गई हैं कि खाद्य सामग्री गरीब आदिम जातीय व्यक्तियों और अन्य कम आय वाले लोगों की पहुँच से बाहर हो गई है और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) त्रिपुरा प्रशासन द्वारा की गई जांच से पता चला है कि भूख से हुई मौतों और अकाल सम्बन्धी बातें निराधार और झूठी हैं।

(ग) जी नहीं। इस वर्ष खाद्यान्नों के मूल्य गत वर्षों की उसी अवधि में चल रहे मूल्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम थे। तथापि, क्योंकि अप्रैल से जुलाई तक की कम आमद की अवधि में कुछ क्षेत्रों के लोगों की क्रय-शक्ति सामान्यतः कम होती है, त्रिपुरा प्रशासन ने 2 लाख रुपये से कुछ अधिक की लागत के टेस्ट राहत कार्य शुरू किये थे और लगभग 10,000 रु० मुफ्त सहायता के रूप में दिये थे। उचित मूल्य की दुकानें भी खोली गई थीं। स्वयं सेवी संस्था 'केयर' ने भी जरूरतमन्द क्षेत्रों के लगभग 20,000 लोगों में शुरू में 20 दिन तक 'मुफ्त' खाना वितरण किया है।

दूरदर्शन केंद्र के प्रयोगशाला सहायकों, फ्लोर सहायकों तथा सामान्य सहायकों के वेतनमान

3684. **श्री राम चरण : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी दिल्ली के दूर-संचार केन्द्र के प्रयोगशाला सहायक, फ्लोर सहायक तथा सामान्य सहायकों के वेतन-मान क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान देने से पूर्व उन सब के लिए एक ही वेतनमान था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रयोगशाला सहायकों का वेतनमान कम कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और समान कार्य करने वाली अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर उनका वेतनमान करने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) फीस की दरें (वेतन की दरें नहीं) इस प्रकार है :

(1) प्रयोगशाला सहायक 110-4-150-व. र.-4-170-5-180-व. र.-5-200 रुपए।

(2) फ्लोर सहायक 133-7-175-10-195 रुपए ।

(3) सामान्य सहायक 110-7-166-10-286 रुपए ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । तथापि, शुरू में प्रयोगशाला सहायक के लिये 133-7-175-10-195 रुपए की फीस दर निश्चित करने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु अंतिम रूप से उपर्युक्त (क) में उल्लिखित फीस दर निश्चित करने का निर्णय किया गया ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के पत्रकारों के पदों का केन्द्रीय सूचना सेवा में विलय

3685. **श्री बूटा सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय के पत्रकारों के पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा में मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला पहले-पहल कब आरम्भ किया गया था और अन्तिम रूप में विलय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव, जो पहले-पहल मार्च, 1967 में शुरू किया गया था, प्रतिरक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से विचाराधीन रहा है । आयोग पत्रकारिता सम्बन्धी पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा में विलय के लिये सिद्धांत रूप से सहमत हो गया है । पदों

के वर्तमान पदधारियों के केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा समय छांट की जाएगी।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्रों का विकास

3686. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज' बंगलौर ने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र का विकास तथा डिजाइन करने का काम आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब तक चालू हो जायेगा ; और

(ग) इस योजना पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मन्त्री : (क) से (ग) : इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों के डिजाइन और विकास का काम इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर ने हाथ में नहीं लिया है। हां, डाक और तार विभाग के दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टेलीकम्यूनिकेशन रिसर्च सेण्टर) ने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों के डिजाइन और विकास का कार्य अवश्य शुरू किया है। इस प्रकार के एक्सचेंज के एक आदि रूप के, 1971 तक, प्रयोगशाला क्षेत्र-परीक्षण के लिये तैयार हो जाने की संभावना है।

क्योंकि इस एक्सचेंज के डिजाइन और विकास का काम अभी चल ही रहा है इसलिये इस योजना पर होने वाले संभावित धन-व्यय का संकेत इस समय करना संभव नहीं है।

चांद पर मानव के उतरने की स्मृति में विशेष डाक-टिकट जारी करना

3687. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चांद पर मानव के उतरने की स्मृति में विशेष डाक टिकट जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) : इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी प्रस्तावित सुझाव डाक-टिकट सलाहकार समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।

मत्स्यपालन के विकास सम्बन्धी भारत नार्वे परियोजना में नार्वे के कर्मचारी

3688. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मत्स्यपालन उद्योग से सम्बद्ध भारत-नार्वे परियोजना में नार्वे से गत 12 वर्ष में 11 निदेशक आये हैं ;

(ख) क्या नार्वे के तकनीकी कर्मचारियों को भी जल्दी-जल्दी बदल दिया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें जल्दी-जल्दी क्यों बदला गया है ; और

(घ) इस परियोजना को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जी हां। निदेशक और तकनीकी कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिये प्रति-नियुक्ति की औसतन अवधि एक वर्ष है। परन्तु नेवल आर्किटेक्ट, मैरीन इंजीनियर, ओसियनो-ग्राफर, रेफरिजरेशन इंजीनियर और गेयर एक्सपर्टस आदि वर्गों के मामले में प्रतिनियुक्ति की औसत अवधि लम्बी-अर्थात् दो से साढ़े तीन वर्ष तक होती है।

(ग) भारत नार्वे परियोजना के अधीन होने वाली नार्वे के विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिये चुनाव अन्तर्राष्ट्रीय विकास विषयक नार्वेजियन एजेंसी द्वारा होता है। उन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भ में इन विशेषज्ञों को एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति की अवधि में वृद्धि की जा सकती है।

(घ) ऐसे मामलों में जहां प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाना ठीक समझा जाएगा, नार्वे के प्राधिकारियों के परामर्श से समुचित प्रबन्ध किए जायेंगे।

कृषकों द्वारा ट्रैक्टरों की खरीद तथा देख भाल

3689. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि ट्रैक्टरों की खरीद तथा देख-भाल कृषकों की वर्तमान आय क्षमता के बाहर है और इसके लिये एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत खेतों में मशीनों का अधिकतम प्रयोग हो सके और साथ ही उनका सामूहिक आधार पर प्रयोग तथा देखभाल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से लोग ट्रैक्टर खरीदने के लिये आगे आयेंगे और यदि एक उपयुक्त भूमि जुताई प्रशुल्क लागू कर दिया जाता है तो भूमि जोतने के लिये इसे किराये पर देंगे ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि बड़े कृषक तो ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरण खरीदने और उनके रख-रखाव में समर्थ होते हैं परन्तु छोटे और मध्यम दर्जे के कृषकों के लिये सदा ऐसा करना सम्भव नहीं होता है।

(ख) और (ग) : फारमों में खेती करने के लिये ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरण खरीदने के कार्य में छोटे कृषकों को सहायता देने के विचार से भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के अधीन ऐसे केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है जहां से कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस योजना के अधीन चौथी योजना की अवधि में 30 केन्द्र स्थापित करने का विचार है जिनके साथ बहुत से उपकेन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक केन्द्र में सम्बन्धित क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत से 'क्रालर' तथा पहियों वाले ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरण रखे जायेंगे। प्रत्येक केन्द्र में वर्कशाप स्थापित किये जायेंगे। जिन राज्यों में कृषि-उद्योग

निगम स्थापित किये गये है वहाँ पर ये केन्द्र इन निगमों द्वारा चलाये जायेंगे। पंजाब, हरियाणा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आसाम राज्यों के निगमों ने पहले ही कुछ प्रायोगिक केन्द्र स्थापित कर दिये हैं। इनके अतिरिक्त ट्रैक्टर खरीदने तथा किसानों को अन्य उपकरण कृषि-उद्योग निगमों तथा वाणिज्यिक बैंकों को किराये पर दिलवाने के लिये ऋण देकर व्यक्तियों तथा सहकारी संस्थाओं आदि को सहायता देने के लिये कहा गया है।

त्रिपुरा में सहकारी संस्थाएं

3690. **श्री किरित बिक्रम देव वर्मन** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में अधिकतर सहकारी संस्थाएं, विशेषकर, टैम्पो संचालित सहकारी संस्थाएं घाटे में चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों से घाटे में चलने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या तथा प्रतिशतता क्या है और इनमें प्रति वर्ष कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ग) हानि के क्या कारण हैं और उक्त संघ राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय सरकार ने उनको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है तथा कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) : एक विवरण, जिसमें 1966-67 तथा 1967-68 के सहकारी वर्षों में सहकारी समितियों की स्थिति बताई गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1690/69]

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में न्यूनतम मजूरी का निर्धारण

3691. **श्री के० आर० गणेश** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ने इस बीच न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यूनतम मजूरी परामर्शदात्री समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ग) क्या कर्मचारियों और विमको फैक्टरी तथा अंदमान टिम्बर इंडस्ट्रीज पोर्ट ब्लेयर के बीच चल रहे विवाद के सम्बन्ध में औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अंदमान और निकोबार द्वीपों में न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये कुछ सिद्धान्तों का सुझाव दिया था ;

(घ) यदि हां, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण ने उस समय कितनी मजूरी निर्धारित की थी ; और

(ङ) क्या अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन ने न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित सिद्धान्त का पालन किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां, यह बताया गया है कि सड़क निर्माण अथवा अनुरक्षण, भवन निर्माण-कार्यों तथा पत्थर

तोड़ने व पत्थर पीसने से संबंधित रोजगारों के बारे में न्यूनतम मजूरियां 29-5-69 को अनुसूचित की गई ।

(ख) समिति की सिफारिशें इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई हैं कि अकुशल श्रमिकों के लिए समिति द्वारा सुझाई गई 5.15 रु० की न्यूनतम दैनिक दर की जगह पर प्रशासन ने देश के अन्य भागों में निर्धारित मजूरी दरों को दृष्टि में रखकर 4.92 रु० दैनिक दर निश्चित कर दी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों द्वारा सोयाबीन की मांग

3692. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य ने राष्ट्रीय बीज निगम से 1969-70 में अधिक उपज देने वाला सोयाबीन का बीज कितनी मात्रा में मांगा था ;

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने उन्हें कितनी मात्रा में यह बीज देने का वचन दिया ;

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने राज्यवार वस्तुतः कितना बीज दिया है ; और

(घ) यदि मांग की अपेक्षा सम्भरण कम रहा है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी सहित एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1691/69]

केन्द्रीय कृषि उद्योग निगम

3693. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री देवराव पाटिल :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक केन्द्रीय कृषि उद्योग निगम स्थापित करने का विचार कर रही है, जो कृषि-यन्त्रों के डिजाइन तैयार करने में सहयोग दे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

खाद्य, कृषि, सामुदयिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय कृषि उद्योग निगम जो और बातों के साथ कृषि मशीनरी के विकास पर भी ध्यान देगा, की स्थापना के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में यथा समय निर्णय किया जाएगा।

(ग) प्रस्तावित निगम को सौंपे जाने वाले कार्यों पर भी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली के उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए स्वदेशी गेहूँ देना

3695. **श्री रा० बरुआ : श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि स्वदेशी गेहूँ के भंडार को जिसमें पंजाब सुपरियर तथा दड़ा किस्म का गेहूँ भी शामिल है, दिल्ली के उपभोक्ताओं को उचित कीमत की दुकानों के द्वारा बेचे जाने के लिए दे दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक दिए जाने की सम्भावना है ;

(ग) इसकी कीमत क्या होगी ; और

(घ) सरकार का यह निर्णय दिल्ली में गेहूँ की बढ़ रही कीमतों को कम करने में कहां तक सहायक होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) खाद्य कार्डधारियों को 13-8-1969 से गेहूँ देना शुरू किया जा रहा है।

(ग) खुदरा मूल्य 81 पैसे प्रति किलोग्राम है।

(घ) यह आशा की जाती है कि इससे खुले बाजार में गेहूँ के मूल्यों में गिरावट आएगी। दैनिक समाचार पत्रों में इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद कि सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से देशी गेहूँ की बिक्री करेगी, खुले बाजार में गेहूँ के मूल्यों में गिरावट आयी है।

संचार विभाग में वास्तुशिल्पियों की संख्या

3696. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार संचार विभाग के पास कितने वास्तुशिल्पी थे और प्रत्येक के पास कितना-कितना कार्यभार था ;

(ख) क्या विभागीय वास्तुशिल्पियों से परामर्श करने के पश्चात् गैर-सरकारी वास्तुशिल्पियों को बड़े काम दिये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो इस में से प्रत्येक वास्तुशिल्पियों ने क्या राय दी; और

(घ) यदि नहीं, तो कोई राय न दी जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क)	वास्तुशिल्पियों की संख्या	सभी वास्तुशिल्पियों का कार्यभार
1966-67	12	1269 लाख रु०
1967-68	12	1178 लाख रु०
1968-69	13	1692 लाख रु०

(ख) से (घ) : पिछले तीन वर्षों में केवल दो निर्माण-कार्य गैर-सरकारी वास्तुशिल्पियों

को सौंपे गये हैं । एक मामले में विदेश संचार सेवा द्वारा बम्बई में विदेश संचार भवन के निर्माण के लिये एक गैर-सरकारी वास्तुशिल्पी को नियुक्त किया गया है क्योंकि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने, जो कि विदेश संचार सेवा के निर्माण-कार्यों के लिये उत्तरदायी है, इस निर्माण-कार्य को 12 से 18 महीने में पूरा कर देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी । एक दूसरे मामले में जो कि डाक और तार विभाग से सम्बद्ध था, निर्माण कार्य एक गैर-सरकारी वास्तुशिल्पी को सौंपना पड़ा क्योंकि विभागीय वास्तुशिल्पियों पर अत्यधिक कार्यभार था और इसी लिये उनसे परामर्श नहीं किया गया ।

गैर-सरकारी वास्तुशिल्पियों और अभियन्ताओं को दिया गया काम

3697. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाखों तथा करोड़ों रुपयों के बड़े काम गैर-सरकारी वास्तुशिल्पियों को दे दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वास्तुकला डिजाइनों और संरचनात्मक डिजाइनों के लिए कौन कौन सा काम विभिन्न गैर-सरकारी वास्तुशिल्पियों और अभियन्ताओं को दिये गये और प्रत्येक कार्य की लागत कितनी थी और गत तीन वर्षों में वर्ष-वार इन वास्तुशिल्पियों को उनके काम के लिए कितना धन दिया गया ; और

(ग) इतने बड़े काम सार्वजनिक टेंडर बुलाये बिना ही गैर-सरकारी वास्तुशिल्पियों को देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, लेकिन विभाग के भवन निर्माण कार्यों के कार्यक्रम की तुलना में ऐसे कार्यों की संख्या और लागत बहुत कम है ।

(ख) (i) पिछले तीन वर्षों में केवल एक इमारत अर्थात् 20 अशोक रोड, नई दिल्ली पर बनाई जाने वाली डाक-तार महानिदेशालय की इमारत के वास्तुकला डिजाइनों और संरचनात्मक डिजाइनों का काम गैर-सरकारी वास्तुशिल्पियों और इंजीनियरों को सौंपा गया था जिसकी लागत (लगभग) 120 लाख रुपये थी ।

(ii) पिछले 3 वर्षों में निम्नलिखित राशियां वास्तुशिल्पियों और इंजीनियरों को उनके व्यावसायिक शुल्क के तौर पर दी गई :—

1966-67	36,673 रुपये
1967-68	89,993 रुपये
1968-69	81,680 रुपये
	कुल 2,08,346 रुपये

(ग) चूंकि विभागीय वास्तुशिल्पियों की संख्या इतनी पर्याप्त नहीं कि वे भवन निर्माण संबंधी कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा कर सकें, इसलिए भवन निर्माण का कुछ काम गैर-सरकारी वास्तुशिल्पियों को सौंपा गया था । विभाग की वास्तुशिल्प शाखा में विस्तार करने के संबंध में पहले

से ही आवश्यक कदम उठाए गए हैं। ये कार्य सुविख्यात वास्तुशिल्पी फर्मों को सौंपे गए थे और इस काम के लिए सार्वजनिक तौर पर टेंडर देने के लिए नहीं कहा गया था क्योंकि वास्तुशिल्पियों को काम देने के लिए टेन्डर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, विशेषकर जब कि वे सब अपनी व्यावसायिक संहिता के अंतर्गत दिए गए शुल्क के मानक का प्रतिशत समान ही लिख कर भेजते हैं।

ठेके के आधार पर काम करने वाले कलाकार

3698. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो कलाकार ठेके के आधार पर आकाशवाणी में काम करते हैं; वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आते हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कलाकारों की श्रेणी नियमित सरकारी सेवा से भिन्न है और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी तथा सिविल पदधारी नहीं माना जाता ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

Conference of Chairmen and Managing Directors of Agro Industrial Corporations

3699. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of Chairmen and Managing Directors of the Agro-Industrial Corporations was held in Delhi recently ; and

(b) if so, the various decisions taken thereat ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Argriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes. The First Conference of the Chairman and Managing Directors of the Agro-Industries Corporations was held in New Delhi on 26th and 27th July, 1969.

(b) No decisions were taken at the Conference. The Conference, however, made certain recommendations which are being examined by the Government.

चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या का कम होना

3700. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या घटती जा रही है जब कि चाय की खेती अब पहले की तुलना में अधिक क्षेत्र में होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) चाय उद्योग के रोजगार में कुछ कमी आई है, परन्तु काश्त किये गये क्षेत्रफल के हिसाब से श्रमिकों की संख्या में ठीक-ठीक किस सीमा तक कमी हुई है उसके संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) रोजगार में हुई कमी के कारण अभिनवीकरण संबंधी उपाय, बेहतर संगठन, श्रमिकों

में कार्य-भार का पुनः समंजन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति की वजह से हुए खाली स्थानों को न भरना कहे जा सकते हैं।

अभ्रक उद्योग में काम करने वाले श्रमिक

3701. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में और विशेषकर बिहार में अभ्रक की खानों तथा अभ्रक उद्योग में कितने श्रमिक काम करते हैं ;

(ख) कितने लोग ठेके पर अभ्रक को काटने या तोड़ने का काम अपने घरों पर करते हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है ;

(ग) क्या इस व्यापार में मन्दी होने के कारण ऐसे स्वनियोजित श्रमिकों की संख्या घटती जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) रोजगार के अंतिम उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	वर्ष	अखिल भारतीय	बिहार
अभ्रक खानें	1968	16,424	9,529
अभ्रक कारखाने	1967	14,436	12,808

(ख) और (ग) : सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंदमान वन विभाग के औद्योगिक कर्मचारियों के पेंशन के मामलों को निपटाना

3702. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान वन विभाग के औद्योगिक कर्मचारियों के पेंशन के कितने मामले पश्चिम बंगाल के महालेखापाल के पास विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) इन औद्योगिक कर्मचारियों में से प्रत्येक व्यक्ति किस-किस तारीख को सेवानिवृत्त हुआ था ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अंदमान वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वेतन लिया जाना

3703. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान वन विभाग नियमित औद्योगिक कर्मचारियों का वेतन उपस्थिति रजिस्टर (मस्टर रौल) के आधार पर ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करना गृह-कार्य मन्त्रालय के तत्सम्बन्धी आदेश के अनुरूप है ;

(ग) यदि नहीं, तो यह विभाग किस के आदेश से ऐसा कर रहा है ; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के महालेखापाल ने इस पर आपत्ति की थी, और यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वन विभाग अन्दमान द्वारा काटी गई लकड़ी के लट्ठों की ढुलाई

3705. **श्री के० आर० गणेश : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान वन विभाग द्वारा निकाले गये 1500 मीटरी टन लकड़ी के लट्ठे मध्य अन्दमान द्वीप में कोरेंग क्षेत्र से कई महीनों से उठाये नहीं गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो लकड़ी के उन लट्ठों को उठाये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) लकड़ी निकालने का काम कब पूरा हुआ था तथा वह लकड़ी वहां से कब उठाई गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । जून, 1969 से कोरेंग क्षेत्र में केवल 381 टन लकड़ी के लट्ठे वनों से तथा सड़क के किनारे के डिपुओं से नहीं उठाए गए ।

(ख) और (ग) : जून, 1969 तक लकड़ी की निकासी का कार्य चलता रहा, जबकि लोक निर्माण विभाग ने चकबन्दी के लिये सड़क को बन्द कर दिया । उस समय तक लकड़ी के लट्ठे उठाने का कार्य जारी था । परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बन्द करने पर इस कार्य को रोकना पड़ा । शेष 381 टन लकड़ी के लट्ठों को अब सम्भवतः नवम्बर, 1969 तक, जबकि उस क्षेत्र में लकड़ी निकालने का कार्य फिर से शुरू किया जाएगा, उठा लिया जाएगा ।

त्रिपुरा में पंचायतों के प्रधानों के अधिकार

3706. **श्री कीर्ति विक्रम देव बर्मन : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में पंचायतों के प्रधानों को इतने अधिकार नहीं दिये गये हैं, जिनसे वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा में पंचायतों के प्रधानों के अधिकार मनीपुर, असम के पर्वतीय

तथा मैदानी क्षेत्रों, नेफा तथा उत्तर प्रदेश के पंचायतों के प्रधानों के अधिकारों की तुलना में कैसे हैं और यदि कम हैं तो कितने कम हैं ; और

(ग) त्रिपुरा में पंचायतों के प्रधानों के अधिकारों को सीमित तथा कम करने के क्या कारण हैं और उनको यथोचित अधिकार देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

संसद सदस्यों के टेलीफोन के बिल

3707. **श्री. रामावतार शास्त्री : श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री क० मि० मधुकर : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों के टेलीफोन बिलों में अनियमितताएं पाई गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ सदस्यों के वेतन में से टेलीफोन बिलों के लिये 300 रुपये से भी अधिक राशि काट ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने इस सम्बन्ध में लिख कर शिकायत की है, जो डाक तथा तार विभाग के महानिदेशक के पास कई महीनों से विचाराधीन पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो बिलों में अनियमितताएँ किन कारणों से हुई हैं। और उन्हें ठीक करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) कुछ संसद् सदस्यों से जो फालतू राशि ले ली गई है, उसे उन्हें वापस लौटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :

(क) जी नहीं। ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया जिसमें संसद् सदस्यों के टेलीफोन बिलों में अनियमितता पाई गई हो।

(ख) जी हां, कुछ मामलों में टेलीफोन बिलों का बकाया 300 रुपये से अधिक हो गया था।

(ग) कुछ शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। कुछ अन्य शिकायतों की जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) विचाराधीन शिकायतों की जांच के बाद यदि यह निर्णय किया गया कि कोई छूट दी जाय तो वह रकम वापस लौटा दी जायगी।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण से रोजगार की स्थिति पर प्रभाव

3708. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध करने की योजना बना रही है जिनका उपबन्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कुछ कम था ;

(ख) यदि हाँ, तो इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) से (ग) : इतनी जल्दी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि, 14 बड़े भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य कृषि, लघु उद्योग एवं निर्यात आदि की त्वरित प्रगीत के लिये बैंक सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके फलस्वरूप रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है।

बिहार के गोदामों में गेहूँ का नष्ट होना

3709. **श्री रामावतार शास्त्री : श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री क० मि० मधुकर : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पटना जिले के अधीन बिहार सब-डिवीजन में पिछले दो वर्ष से, विभिन्न सरकारी गोदामों में 800 क्विंटल गेहूँ नष्ट हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ;

(ग) उपरोक्त गेहूँ का कुल मूल्य कितना है ;

(घ) सरकार का विचार इस गेहूँ को किस प्रकार उपयोग में लाने का है; और

(ङ) क्या उपरोक्त गेहूँ के नष्ट होने देने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) से (ग) : जी नहीं। 1967 में प्राप्त 60,840 क्विंटल गेहूँ में से केवल 53 क्विंटल बिहार शरीफ सब-डिवीजन में भण्डार में है। 1967 में प्राप्त गेहूँ में कुछ गेहूँ वर्षा से भीगी हुई थी। प्राप्त अनाज को अलग किया गया और साफ करके 53 क्विंटल को छोड़ कर, शेष 3195 रुपये पर बेच दिया गया था।

(घ) इस गेहूँ की बिक्री की भी व्यवस्था एक स्टार्च फैक्ट्री के साथ कर दी गयी है और शीघ्र ही सुपुर्दगी दिए जाने की आशा है।

(ङ) क्योंकि इस क्षति के लिए कोई जिम्मेदार नहीं पाया गया है इसलिए कोई

कार्यवाही करने का विचार नहीं है। यह क्षति कुल सम्भाली गयी गेहूँ का 0.26 प्रतिशत बैठती है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार में गंगा नदी में बाढ़

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे उस संबंध में एक वक्तव्य देवें।

"बिहार में गंगा में भीषण बाढ़"

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : यह वक्तव्य दो पृष्ठों में है। मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1637/69]

श्री हिम्मतसिंहका : इस बात को देखते हुए कि गंगा नदी द्वारा सींचा जाने वाला प्रदेश सब से अधिक उपजाऊ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ें आती हैं, जिस से हर वर्ष अत्याधिक हानि होती है क्या सरकार का विचार प्रतिवर्ष होने वाली जीवन तथा फसलों की इस हानि को रोकने के लिये बाढ़ों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय सत्र पर कोई कार्यवाही करने का है?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : इस विशेष मामले में हानि गंगा-खादर क्षेत्र में हुई है तथा इस क्षेत्र के लिये कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है। जहाँ तक पुनपुन नदी का सम्बन्ध है, उस में इस समय भारी बाढ़ आई हुई है परन्तु उस पर बांधे गये बांध अभी तक बने हुए हैं।

गंगा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन की हिफाजत की जा सकती है। निचले क्षेत्रों को बाढ़ों से बचाने के लिये हम शाहबाद में बांध बना रहे हैं।

Mr. Speaker : The hon. Minister's reply pertains to U. P., while the question pertains to Bihar.

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The river Ganga flows through U. P. also.

Mr. Speaker : If the hon. Minister wants to say something about U. P., he can do so. He can give information about all areas which are effected by Ganga.

Shri Mudrika Singh (Aurangabad) : In view of the fact that very frequently enormous loss is being caused by the floods in Ganga and Punpun rivers. I want to know whether any scheme has been prepared to control these floods permanently and if so the time by which that will be implemented ?

डा० कु० ल० राव : बांध बांधा गया है, जो अभी तक बना हुआ है। कोई हानि हुई है, जिस से दरारें पड़ जायें। जहां तक गंगा नदी की बाढ़ों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही निवेदन कर चुका

हूं कि खादर क्षेत्र की हिफाजत करना संभव नहीं है। परन्तु बांध को कोई हानि नहीं हुई है। मैं पहले ही इस बात का संकेत दे चुका हूँ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Speaker. Sir, sometime back I raised the question of devastating floods in Bihar and the enormous damage caused by them. But no satisfactory answer was given by the Minsters. According to the last night's radio bulletin a situation has arisen when in nearly one thousand villages people are vacating their homes and 150 villages already been completely vacated. The train service between Shahibkamal and Mongyr Ghat has been stopped due to heavy floods in Gandak. Evening and Night railway steamer service between Pahalejaghat and Mahandrugarh has been stopped and the private steamer service has been completely stopped. The result is that people from Sonpur, Hajipur and Chapra have to travel via Mokama due to floods in Kosi. The condition of Nirmali, Lokahli and many other areas is very pitiable. One person in Patna district has died due to floods. Three dead bodies have been found floating in river Ganga in Hamijpur. The information so far given by me is according to Government reports. The hon. Minister might be knowing that enormous loss has been caused in Danapur Sub-Division, Baner, Shahbad. Patna, Monghyr, Darbhanga and Bhagalpur. People in large number have completely vacated their homes. As the floods are an annnal feature there and the question of soil erosion has reached to an alarming proportions, I want to know what permanent steps Government propose to take to save the people ?

The embankments constructed on Gandak and Kosi are in danger due to heavy floods in these rivers. There is very heavy flow of water. The question of Bahmara, apart from the question of Ganga and Kosi is also causing grave concern to the people. So I want an assurance from the hon. Minister about the permanent measures which are being taken by the Government.

Bihar is under President's rule. So the responsibllity of giving relief to the people there also rises with the Central Government. The relief sanctioned so far is negligible. I would like to know the steps being taken hy the hon. Minister for giving immediate relief in the form of clothes, food, medicines etc. to the flood affected people and the steps being taken to provide them employment.

डा० कु० ल० राव : उत्तर बिहार में अभी तक भीषण बाढ़ नहीं आई है। उदाहरण के तौर पर कोसी नदी का अधिकतम बहाव अभी तक लगभग 3 लाख क्यूसक्स रहा है, जब कि इस नदी का अधिकतम बहाव लगभग 9 लाख क्यूसक्स है। इस तरह गंडक नदी का वर्तमान बहाव 1·4 लाख क्यूसक्स है, जब कि इस नदी का अधिकतम बहाव 7 लाख क्यूसक्स रहा है। इस का कारण यह है कि वास्तव में उत्तर बिहार में इस वर्ष औसत से कम वर्षा हुई है और मुझे आशंका है कि यदि वहां और वर्षा न हुई, तो सूखे की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गंगा का बहाव, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, 13 लाख क्यूसक्स है। गंगा एक बहुत बड़ी नदी है। यह उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े क्षेत्र में से बहती है, जहां इस बार भारी वर्षा हुई है तथा पानी का बह कर नीचे आना स्वाभाविक है। यह कोई असाधारण बात नहीं है। यदि ये बाढ़ें न आतीं, तो देश को लाभ नहीं हो सकता था। गंगा के उत्तरी तट पर बने सब तटबन्ध सुरक्षित हैं। अतः बिहार में बाढ़ों की वर्तमान स्थिति से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है।

जहां तक राहत कार्य का सम्बन्ध है, राहत कार्य इस मन्त्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। राहत कार्य की जिम्मेदारी पुनर्वास तथा वित्त मन्त्रालयों की है। माननीय सदस्य कृपया राहत सम्बन्धी उपायों के बारे में सम्बन्धित विभागों से पूछें। फिर भी माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उन बातों को मैं आज टेलीफोन पर बिहार सरकार को सूचित कर दूंगा।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): The statement given by the hon. Minister in reply to this call Attention Motion is not correct. The hon. Minister has said that the North Bihar rivers were not in floods. It is a white lie. I have two papers i. e. "Searchlight" and "Indian Nation" dated 12th published in Patna District. It has been reported in the 'Searchlight' that though the flood discharge of the turbulant Kosi had not gone beyond three lakh cauescs so far this year, it has created a serious situation by eroding its banks in Nirmali and Morana blocks Saharsa district and Laulahi block in Darbhanga District. In Nirmali Block also parts of villages Piprahi and Siyani have been washed away. Forty families have been rendered homeless. These areas are in North Bihar and so it is wrong to say that north Bihar rivers were not in floods. About Muzaffarpur it has been reported in the "Indian Nation" dated 12th that the floods have affected about 1810 villages in an area of 103 square miles. It has also been reported in the said paper that in Saharsa district the Kosi food have inundated 81 Square miles submerging crops on 42,000 acres. So it is completely wrong to say that the North Bihar rivers were not in floods.

The floods in Ganga are an annual feature. In future also floods will be there. But their devastation can be minimised. I want to know what steps are being taken to minimise the devastation of these floods. Are you going to appoint a committee consisting of engineers and the local social workers in order to minimise the devastation of floods ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाईये। मैं आगे इजाजत नहीं दे रहा हूँ। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, न कि वाद-विवाद। मैं आप से विनती करता हूं कि आप बैठ जायें।

Shri Shiv Chandra Jha : I will sit down after putting my question. I want to know whether a Flood Inquiry Committee consisting of officers and public workers will be constituted. Emergency relief was given by the Prime Minister when there were floods in Andhra Pradesh. I want to know whether the hon. Minister will write to the Prime Minister for giving immediate relief from the Prime Minister's Relief Fund ? I also want to know whether free seeds and tacavi loans will be given to farmers, because there had been large scale devastation and people are in great trouble.

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने कहा है कि जो जानकारी दी गई है, वह सही नहीं है। मैंने जो जानकारी दी है, वह बिहार सरकार से प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर दी है।

माननीय सदस्य ने कोसी नदी के कटाव का उल्लेख किया है। मेरा निवेदन है कि कोसी के तटबन्ध सुरक्षित हैं। उनको कोई खतरा नहीं है। कोसी के बारे में जो कुछ हुआ है, वह यह है कि बहुत से गांव तटों से बाहर नहीं गये हैं, और जब भी नदी में पानी होता है, उन्हें हानि उठानी पड़ती है। नदी की दायीं और बाईं ओर तटबन्ध हैं तथा वे गांव इन तटबन्धों के बीच में हैं। अतः उन्हें हानि उठानी ही पड़ती है। वास्तव में उन गांवों की संख्या बहुत अधिक है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या हम तटबन्धों को और निकट बना कर कुछ गांवों को बचा सकते हैं। परन्तु इस समय कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है और उन गांवों को जो तटबन्धों के अन्दर हैं, हानि उठानी ही पड़ेगी।

मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने मुजफ्फरनगर के बारे में अपनी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहा है। बूढ़ी गंडक नदी का बहाव बहुत कम है, जो कि लगभग 24,000 क्यूसक्स है। तटबन्धों में कुछ दरारें पड़ गई थीं, जिनके कारण बाढ़ आ गई थी। उन दरारों को बन्द कर दिया गया है।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बाढ़ों का मुकाबला करने के लिये हमारे पास एक दल होना चाहिये जिसमें अधिकारी तथा समाजिक कार्यकर्त्ता हों, जो कि तटबन्धों की देखभाल करें। वास्तव में हम ऐसा प्रयत्न करते रहे हैं। मैंने एक योजना बनाई है परन्तु मैं उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं कर सका हूँ। माननीय सदस्य के सहयोग से हम उस क्षेत्र में एक ऐसा दल बनाने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Ramavatar Shastri : Nothing has been said about relief.

Shri Shiva Chandra Jha : Nothing has been told about giving money from Prime Minisrer's Fund.

Mr. Speaker : He has said it is not his responsibility.

डा० कु० ल० राव : मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ तथा एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि सहायता कार्य मेरे मन्त्रालय का काम नहीं है। यह कार्य वित्त मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आन्ध्र प्रदेश को बाढ़ के समय राहत के लिये धन दिया गया था, वह सही नहीं है। आन्ध्र प्रदेश को कोई धन नहीं दिया गया था। प्रधान मन्त्री की राहत निधि से 30,000 रुपये उड़ीसा को तथा 30,000 केरल को दिये गये थे क्योंकि इन राज्यों में स्थिति बड़ी गम्भीर थी। राहत के कार्यों से सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कार्य वित्त मन्त्रालय का है।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : On a point of order, Sir. President's rule has been clamped in Bihar and the Legislative Assembly has been suspended. No debate has been held in Lok Sabha about that so far. Now the conditions in Bihar are very serious, Thousands of acres of land has been submerge under water. So I demand that an opportunity should be given to this House to have a debate on Bihar.

Mr. Speaker : There is no point of order. Even then I agree that there should be a debate about Bihar. I shall talk to the Minister of Parliamentary Affairs.

Shri Georage Fernandes (Bombay South) : While having a discussion on the flood situation in India sometime back, it was said by the hon. Minister that the season from July to October may be termed as flood season. We have been seeing during the last few weeks that devastating floods had been there in the various parts of the country resulting in enormous loss of life and property. According to the Government figures itself last years the loss due to floods was to the tune of Rs. 200 or 300 crores. Actually the loss was much higher. It was to the tune of nearly Rs. 500 crores. This loss is an annual recurring feature. I want to know whether this Government would ever be able to come out of this situation. I want to know whether any effective programme especially crops insurance scheme has been prepared to help the flood affected people. This Government has failed to do anything during the last 22 years. Sometime back it was suggested by U. Thant, Secretary General, U. N. O. that India should utilise the expert opinion and technical know how avail with U. N. O. for flood control. May I know whether any long term programme has been prepared and whether any steps have been taken for linking all the rivers of India by canal ?

डा० कु० ल० राव : भारत में बाढ़ नियंत्रण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं। अब तक हमने 200 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, जब कि हमें लगभग 2000 करोड़ रुपये की जरूरत है।

इस प्रश्न को देखते हुए मैं अपने कथन को बिहार तक ही सीमित रखूंगा। इस बात को

देखते हुए कि हमें इतना रुपया उपलब्ध नहीं हो सकता है, हमने प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की एक सूची तैयार की है। इन परियोजनाओं पर लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च होंगे, तथा इन की संख्या 11 है। इनसे उत्तर बिहार में बाढ़ों के नियंत्रण में प्रभावी योगदान मिलेगा। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए हम चौथी पंचवर्षीय योजना में बिहार के लिये अधिक से अधिक लगभग 8 करोड़ रुपये प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी कठिनाई ही यह है। अतः हमारे रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाई धन की है। फिर भी हम अपना अधिकतम प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। दूसरी ओर हमने देश में बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में बहुत से उपाय किये हैं और कई बाँध बनाये हैं जिनकी कुल लम्बाई लगभग 4800 मील है। हमने एक अत्युतम जल निकास व्यवस्था का निर्माण किया है। इतना करने पर भी मैं यह मानता हूँ कि अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है और इस पर थोड़ा समय लगेगा।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मैंने उद्योग विभाग में हो रहे गम्भीर भ्रष्टाचार के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना का प्रस्ताव दिया था। तकनीकी विकास के महानिदेशक ने बम्बई की एक फर्म को पत्र लिखा है जिसमें लाइसेंस की विविधता के लिये 4 लाख रुपये की माँग की गई है······

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सभा-पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बैंक आफ बिहार के सम्बन्ध में बिलम्बन आदेश

The Deduty Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : Sir, on behalf of Shri P. C. Sethi I lay on the table a statement on moratorium in respect of the Bank of Bihar. **(Placed in Library. See No. LT** 1674/69)

अखिल भारतीय सेवाएं (अध्ययन छुट्टी) पहला संशोधन विनियम, 1969 और पंजाब राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा मार्केट समितियां (पुनर्रचना तथा पुनर्गठन) आदेश, 1969.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन अखिल भारतीय सेवायें (अध्ययन छुट्टी) पहला संशोधन विनियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 26 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1746 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1675/69]

(2) (एक) अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (5) के अधीन पंजाब राज्य कृषिक विपणन बोर्ड तथा मार्केट समितियां (पुनर्रचना तथा पुनर्गठन) आदेश, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 21 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या

एस० ओ० 3021 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 3022 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1676/69] ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संशोधित अनुमान तथा बजट अनुमान

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1968-69 के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 1969-70 के बजट अनुमानों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 1677/69] ।

वित्तीय समितियां 1968-69 (एक समीक्षा)

FINANCIAL COMMITTEES 1968-69. (A Review)

सचिव : मैं "वित्तीय समितियां, 1968-69 (एक समीक्षा)" की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :—

"कि राज्य सभा ने अपनी 12 अगस्त, 1969 की बैठक में प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1969 पारित कर दिया है ।'

प्रेस परिषद् संशोधन विधेयक

PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा-पटल पर रखा गया ।

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर कैदियों की रिहाई के बारे में याचिका

PETITION re : RELEASE OF PRISIONERS DURING GANDHI CENTENARY

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : मैं महात्मा गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर कैदियों

की रिहाई के बारे में श्री आर० आर० दिवाकर तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश करता हूँ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

18 अगस्त, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य

संसद कार्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 18 अगस्त, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 1968 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(आगे खण्डवार विचार तथा पास करना)

(2) वर्ष 1969-70 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) वर्ष 1967-68 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) वर्ष 1969-70 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) प्रेस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1969, के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प, जो श्री यशपाल सिंह द्वारा पेश किया जायेगा, पर विचार।

(6) प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(7) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी विधेयक, 1968।

(विचार तथा पास करना)

(8) भारतीय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(9) शपथ विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(10) विदेश विवाह विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(11) वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(12) अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1968 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(**विचार तथा पास करना**)

(13) गृह-कार्य मन्त्री द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने पर दल-बदल संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(14) बिहार राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अनुमोदन संबंधी संकल्प, जो गृह-कार्य मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, पर चर्चा ।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : The statement on the Government business in the Lok Sabha for the next week does not include a discussion on the Perumal Committee Report on the Socio-economic uplift of the Scheduled castes and Scheduled Tribes. The report was laid on the Table several months back. We want an opportunity for an immediate discussion on the Report.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वर्ष 1968 की हड़ताल के दौरान केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के उत्पीड़न के बारे में संकल्प पर अगले सप्ताह 19 तारीख को विचार-विमर्श किया जायेगा, लेकिन इसके लिये केवल एक घंटे की चर्चा रखी गई है। क्या इस चर्चा की अनुमति अध्यक्ष महोदय ने दी है और क्या संसद कार्य मंत्री ने इसका प्रस्ताव नहीं रखा था। मैं इस बारे में आप से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, it was agreed to last week that there would be a discussion on Telengana.

Mr. Speaker : It will be discussed.

श्री रघुरामैया : जहां तक आदिवासियों सम्बन्धी समिति का सम्बन्ध है मुझे इस बारे में जांच करनी पड़ेगी, अन्य बातों के बारे में भी मैं अवश्य विचार करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर पांच मिनट (म० प०) पर पुन: समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at five minutes past fourteen of the Clock

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

मंत्रिमंडल द्वारा कांग्रेस दल सम्बन्धी मामलों पर कथित चर्चा

Re. ALLEGED DISCUSSION BY CABINET OF CONGRESS PARTY MATTERS

Shri George Fernendes (Bombay South) : Sir, I raise a point of order under

provisions of the Constitution. Yesterday the cabinet discussed the crisis facing the Congress Party. This morning it appeared almost in all the Newspapers that the cabinet failed to solve the crisis : the Union Cabinet discussed this evening the grave crisis facing the party but was unable to evolve a solution to prevent the split in the Party.

What I want to submit is that the Government and the ruling party have separate intities and the party matters and disputes connot be discussed at the cabinet meeting. I would like to refer to articles 74 (1) and 75 (1) which clearly say that the council of Ministers, broadly speaking the cabinet is to aid and advise the President in the exercise of his functions. And the Council of Ministers is collectively responsible to the House of the People i. e. Lok Sabha. The responsibility of the cabinet is, therefore, linked with this House.

Discussion at the cabinet meetings of the party issues or difference of opinion in the party either on Presidential Election or on nationalisation of Banks undermines the very spirit of the constitution. The Union Cabniet owes responsibility to this House and not to the Congress Party. We have, therefore, reasons to take exception to these matters being discussed in the Cabinet meetings. It destroys, violates and murders the constitution. We request to convey these feelings to the Prime Minister and ask her to clarify the position.

सभापति महोदय : मुझसे विनिर्णय देने के लिये नहीं कहा गया है क्योंकि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था। माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते थे और उन्होंने वह बात कह दी है। क्या विधि मन्त्री इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : माननीय सदस्य ने जिस समाचार का उल्लेख किया है वह सच नहीं है। मन्त्रिमंडल ने किसी चीज पर विचार-विमर्श नहीं किया लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों ने जो मंत्रिमन्डल के सदस्य हैं, हो सकता है, किसी बात पर विचार-विमर्श किया हो।

सभापति महोदय : अगर माननीय सदस्य इसे इतना ही अधिक गम्भीर, महत्वपूर्ण तथा संवैधानिक मामला समझते, तो वह आज प्रातः नोटिस दे सकते थे और उस पर चर्चा अथवा वाद-विवाद की अनुमति मांग सकते थे, कुछ भी-हो, मुझसे निर्णय देने के लिये अनुरोध नहीं किया गया है, यह केवल समाचार पत्रों की रिपोर्ट है।

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक-जारी

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL--(Contd.)

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : प्रस्तुत विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन जिस रूप से इसे लाया गया है उससे अधिकारियों तथा मन्त्रियों की अनुचित गतिविधियां नही रुकेंगी और न उन पर नियन्त्रण ही रखा जा सकेगा।

प्रधान मन्त्री को इस विधेयक से बाहर रखने से राज्यों में मुख्य मन्त्रियों को भी इसके क्षेत्राधिकार में नहीं रखा जायेगा इसके अलावा, इसे संसद सदस्यों पर लागू न किये जाने के कारण राज्य विधान सभाओं के सदस्यों पर भी इसे लागू नहीं करेंगे। किन्तु संसद सदस्य और विधान सभाओं के सदस्य विशेषतः सत्तारूढ़ दल के सदस्य मंत्रियों और अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों के लिये अनुचित कार्य करवाते हैं, तब उसका शिकार कौन बनेगा ? छोटा से छोटा अधिकारी जो दूसरों के सिर पर आरोप नहीं डाल सकेगा क्योंकि मंत्री के स्तर से नीचे को आकर वह आरोप कहीं न कहीं तो पड़ेगा ही और वह उसी पर पड़ेगा जो

दूसरों पर नहीं डाल सकेगा। इसलिये मेरा यह संशोधन कि प्रधान मंत्री को भी इसकी परिधि में लाया जाये, स्वीकार किया जाना चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि उन राजनैतिक दलों को भी जो मंत्रियों तथा अधिकारियों पर अपना प्रभाव डालते हैं और उन्हें ऐसी चीजें करने के लिये बाध्य करते हैं जिसके लिये वे जवाबदेह नहीं हैं, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों पर भी चाहे वे केन्द्र स्तर पर हों चाहे राज्य स्तर पर अथवा नगर पालिका या स्थानीय प्रशासनिक निकायों में हों, इस विधेयक के उपबन्ध लागू किये जाने चाहिए, अन्यथा इससे कोई लाभ नहीं होगा।

इस विधेयक पर इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने ठोस सुझाव भी दिये हैं और कुछ सदस्यों ने कुछ आलोचना भी की है।

मुख्य तौर लोकपाल के क्षेत्राधिकार से प्रधान मंत्री को बाहर रखने सम्बन्धी उपबन्ध की आलोचना की गई है। विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय मैंने इस के कारण बताये थे कि प्रधान मंत्री के पद को क्यों लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि संसद सामान्य रूप में सांविधिक ढंग से अपना कार्य करें। सरकार का ऐसा विचार नहीं है कि प्रधान मंत्री कोई गलती नहीं कर सकता। कोई भी प्रधान मंत्री गलती कर सकता है परन्तु उस गलती को लोकपाल के समक्ष उठाना हमारे विचार में उचित नहीं है क्योंकि इसके लिए हमारे विचार में सभा ही उचित स्थान है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : साधारण नागरिक सभा में आकर ऐसे मामलों को नहीं उठा सकता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम सब साधारण जनता के प्रतिनिधि हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहां आकर ऐसे मामलों को उठाना आवश्यक नहीं है। सरकार बदलना एक राजनैतिक तथा सांविधिक प्रक्रिया है जो कि पूर्णतया सभा के पदाधिकार में है। अतः लोकपाल को सरकार बदलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सभी मंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाये गये हैं क्योंकि किसी मंत्री के बदलने से सरकार नहीं बदल सकती। परन्तु प्रधान मंत्री के त्यागपत्र पर समूचे मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना होता है। अतः यह अधिकार केवल सभा का है। अतः प्रधान मंत्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधान मंत्री के विरुद्ध जांच गठित करने का अर्थ यह होगा कि सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा क्योंकि ऐसी कोई सरकार प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकती जिसका प्रधान मंत्री भ्रष्ट हो अथवा जिसके भ्रष्ट होने की शंका हो। प्रधान मंत्री को देश में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसका मुख्य मंत्रियों अथवा राज्य सरकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बात को स्वीकार करने का अर्थ सभा की कुछ शक्ति को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना होगा जिसको सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि प्रधान मंत्री के विरुद्ध जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रपति होना चाहिए। इस बात को स्वीकार करने का अर्थ संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करना होगा क्योंकि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल तथा प्रधान मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करना होता है। अतः राष्ट्रपति स्वतंत्र स्थिति ग्रहण नहीं कर सकता

और न ही वह सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। लोकपाल को सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और प्रधान मन्त्री को उसके कार्य संचालन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाना मेरे विचार में गलत है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : जहां तक इस विधेयक के उपबन्धों का प्रश्न है लोकपाल को राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति तथा विरोधी पक्ष के नेता के परामर्श से नियुक्त किया जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : स्थिति यह है कि सरकार उनसे परामर्श करने के पश्चात लोकपाल नियुक्त करेगी। राष्ट्रपति सरकार के परामर्श तथा सहायता से लोकपाल की नियुक्ति करेगा। विरोधी दल के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधिपति से इस बारे में परामर्श किया जायेगा। राष्ट्रपति को मन्त्री परिषद् के परामर्श के बिना किसी प्राधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : क्या राष्ट्रपति को अपना खिदमतगार नियुक्त करने का अधिकार है अथवा नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नहीं।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : The hon. Minister has just now stated that President in consultation of the Cabinet and Prime Minister will appoint the Lokpal. But it has been written in this Bill that President will appoint Lokpal in consultation with the Chief Justice of India and the leader of the opposition. Therefore I would say that the hon. Minister is giving the wrong interpretation.

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र शर्मा ने कहा है कि सरकार विरोधी पक्ष को विभाजित करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने ऐसा उपबन्ध विधेयक में रखा है कि सरकार विरोधी पक्ष के नेता का चयन करेगी और लोकपाल की नियुक्ति के लिए उससे परामर्श किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि समूचा विरोधी पक्ष लोकपाल के पद के लिए किसी व्यक्ति के नाम पर सहमत हो। हमारे विचार से विरोधी पक्ष किसी एक नाम पर सहमत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है क्योंकि किसी भी दल के सदस्यों की इतनी संख्या नहीं है कि उसके नेता को समूचे विरोधी पक्ष का नेता कहा जा सके।

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि लोकपाल के प्रतिवेदन की जांच के लिए संसदीय समिति नियुक्ति की जायें। एसा कोई उपबन्ध विधेयक में नहीं किया गया है क्योंकि हमारे विचार में इससे कोई लाभदायिक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। लोकपाल के प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुत होने पर यदि संसद यह निर्णय करे कि प्रतिवेदन की जांच संसदीय समिति द्वारा की जानी चाहिए तो संसद सदा ही समिति नियुक्त कर सकती है। अधिनियम में एसा उपबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

उप-राज्यपालों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है क्योंकि वे संघ राज्य क्षेत्रों के काम करते हैं और लोकपाल के कूल संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। राज्यपालों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं लाया गया है क्योंकि राज्य प्रशासन के अंग हैं न कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के।

जहाँ तक आरोपों का सम्बन्ध है सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है, परन्तु शिकायतों को इसमें शामिल नहीं किया गया है ।

हम इस विचार से सहमत हैं कि लोकपाल तथा लोक आयुक्त को सेवा निवृत्ति के पश्चात अन्य कोई नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये परन्तु संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाई जा सकती । कुछ युक्ति युक्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं । हमने इस मामले पर विचार किया है और इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि हम उसको सेवा-निवृत्ति के बाद कोई नौकरी न करने का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते ।

श्री प्र० के देव० ने यह सुझाव भी दिया है कि लोकपाल और लोकायुक्त की सेवा की शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य जजों के समान होनी चाहिए । लोकपाल को एक बिल्कुल ही पृथक ढंग से नियुक्त किया जा रहा है । लोकपाल की कालावधि नियत होगी अर्थात पांच वर्ष की होगी जबकि मुख्य न्यायाधिपति की कालावधि नियत नहीं है । भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जज एक निर्धारित आयु पर सेवानिवृत होते हैं परन्तु लोकपाल के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं की गई है । अतः उनकी सेवा की शर्तों को समान करने की कोई बात नहीं है । वेतन तथा अन्य मामलों में लोकपाल को उनके समान स्थिति दी गई है ।

जांच करने के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त का अपना कर्मचारी वर्ग होगा ।

विधि विशेषज्ञों की संयुक्त समिति के समक्ष जो साक्ष्य दिये गये हैं उससे पता लगता है विधि शास्त्री इस मामले में एकमत है कि किसी भी सेवानिवृत जज को लोकपाल के पद के लिए नहीं चुना जाना चाहिए । परन्तु मैं यह नहीं कहता कि सर्वोच्च न्यायालय के अथवा उच्च न्यायालयों के जजों को इस पद पर नियुक्त करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिये । मेरे विचार में इनके साथ-साथ इस क्षेत्र के अन्य लोगों को भी इस पद पर नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए ।

यह मांग भी की गई थी कि इस विधेयक को राज्यों पर भी लागू किया जाना चाहिए । मेरे विचार में यह उचित प्रक्रिया नहीं है । राज्य अपना विधेयक पारित कर सकते हैं ।

इस विधेयक द्वारा निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित की जा रही है । मुझे आशा है कि उचित परिस्थितियों के होते हुए और सभा के सहयोग से लोकपाल और लोकायुक्त अपने कार्यों को अच्छी तरह कर सकेंगे । लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यसंचालन बहुत सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि इन पदों पर आसीन व्यक्ति किस हद तक गैर-विवादास्पद तथा गैर राजनैतिक हैं । यदि ये व्यक्ति राजनैतिक मतभेद में अन्तर्ग्रस्त हो जाते हैं तो इनकी निष्पक्षता संदेहजनक हो जायेगी और सार्वजनिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और भ्रष्टाचार अवमूल्यन के प्रयासों पर भी इसका प्रभाव होगा ।

सभापति महोदय : इस पर तीन संशोधन आये हुए हैं । क्या मैं उनको इकट्ठे सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत कर दूँ ?

श्री बि० प्र० मण्डल (मधेपुर) : माननीय मन्त्री ने मेरी बातों को स्पष्ट नहीं किया है । मेरा कहना यह था कि लोकपाल को राजनैतिक प्रभाव से ऊपर रखा जाना चाहिए और इसलिए

मैंने विशेष रूप से कहा था कि तीन व्यक्तियों की एक तालिका बनाई जानी चाहिए। इन तीन व्यक्तियों में से एक का नाम मुख्य न्यायाधिपति तथा दूसरे का लोकसभा के अध्यक्ष तथा तीसरे का नियंत्रका तथा महा लेखापाल द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि प्रधान मन्त्री तथा विरोधी पक्ष के नेता से इस बारे में परामर्श किया जाता है तो सब जांच ठीक नहीं होगी......

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रकार की तालिका से कोई लाभ नहीं होगा कि क्योंकि लोकपाल की कालावधि पांच वर्ष की एक नियत अवधि होगी। तालिका बनाई जा सकती है परन्तु उस तालिका में से हमें एक व्यक्ति को इस पद के लिए चुनना होगा और ऐसा मुख्य न्यायाधिपति तथा विरोधी पक्ष के नेता के परामर्श से करना होगा अतः हमने चयन के लिए तालिका बनाने की पद्धति को ठीक नहीं समझा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 131,136 और 137 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments No. 131, 136 and 137 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की और से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही के अन्वेषण के लिए कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 19 तथा 23 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं अपने संशोधन संख्या 28 तथा 31 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं संशोधन संख्या 42, 45 तथा 46 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 62, 63 तथा 64 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नि० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं संशोधन संख्या 65 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं संशोधन संख्या 86, 87 तथा 88 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : मैं संशोधन संख्या 91 तथा 95 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नि० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 100 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : मैं संशोधन संख्या 101 तथा 103 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नि० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 104 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मैं संशोधन संख्या 105 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नि० श्रीकान्तन नायर : मैं संशोधन संख्या 106 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I move amendment No. 113, 114 and 115.

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुर) : मैं संशोधन संख्या 118 तथा 119 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : (चित्रदुर्ग) : मैं संशोधन संख्या 138 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : मैं संशोधन संख्या 143 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 145 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 146 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं संशोधन संख्या 6, 7 तथा 8 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं संशोधन संख्या 18 तथा 49 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : यदि आप इस विधेयक के उद्देश्यों के विवरण को देखें तो पता चलेगा कि इसके द्वारा एक ऐसी व्यवस्था करना है जिससे जनता की शिकायतों की छानबीन की जा सके और प्रशासन की मनमानियों की पोल खोली जा सके। सेवाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। हम आशा करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को लोकपाल नियुक्त किया जायेगा जो प्रतिभाशाली होगा और उसे न्याय तथा कानून का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होगा। यह बड़े निष्पक्ष तरीके से मामलों की जांच करेगा। उस पर किसी प्रकार के राजनैतिक दबाव का प्रभाव नहीं होगा। उसे प्रधान मन्त्री के विरुद्ध आरोपों की जाँच का भी अधिकार होना चाहिये। लोकपाल एक प्रकार से नागरिकों की अदालत होगा। उसके समक्ष सभी एक समान होने चाहियें। यदि प्रधान मन्त्री को लोकपाल के कार्यक्षेत्र से ऊपर रखा गया तो उसका अर्थ होगा कि हम तानाशाही प्रवृति को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अतः मैं अपने संशोधन संख्या 39 पर बल देना चाहता हूँ। लोकपाल को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोघन संख्या 39 तथा 39 का समर्थन करता हूं। हमारे देश में साम्प्रदायिकता का बहुत प्रभाव है। जातिवाद और साम्प्रदायिकता के उन्मूलन के लिये कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

प्रधान मन्त्री को भी इस विधेयक के कार्यक्षेत्र में लाया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि इन दो संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : खण्ड 2 (ख) में उन आरोपों के बारे में बताया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाये जा सकते हैं। इस बारे में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। इस खंड से पता चलता है कि आरोप तभी लगाये जा सकते हैं यदि वे किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार करने के कारण लगाये गये हैं अथवा उसकी निष्ठा में कमी हो या उसने लोगों को अनुचित हानि पहुँचाई हो। मेरे विचार में यह 'अनुचित' शब्द निकाल दिया जाना चाहिये। क्योंकि यदि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता परन्तु वह किसी को अनुचित हानि नहीं पहुंचाता तो वह इस कानून के घेरे में नहीं आता। अतः मेरा संशोधन संख्या 88 स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): The Prime Minister should also be brought under the purview of this Bill otherwise the very purpose of this Bill will be defeated. The basis on which it has been argued to exclude The Prime Minister are not rational. It is necessary that integrity of the king of a country should be above board. There is no doubt about this fact that integrity of influential personality and leader or a king affects the people of the concerned country. Even if a Prime Minister is not corrupt, but if he shields a corrupt person, he also falls in the line of corrupt people. It has been argued that if it is proved that Prime Minister is corrupt then the Government itself would fail. I am of the opinion that such Government should not remain even for a second. There should be provision in the Bill to elect a new leader in such a contingency atleast till the case is proved otherwise. It will not be proper to exclude the Prime Minister for the fear that Government itself may not fail. In case the Prime Minister and Governors are excluded then what is the use of this Bill ? The House has discussed the integrity of a Governor, who took action against the provisions of the Constitution. It is not proper for a Governor to give any decision keeping in view his party interests. The fact remains that party in power provides seats for the candidates who are defeated in the elections. They are appointed on high posts in some institution which gets crores of rupees as grant etc. from the Government. The corruption should be checked on all levels. In view of above it is requested that the Prime Minister, Governors and Government aided institutions should also be brought under the purview of this Bill.

श्री उमानाथ (पुदूकोटै) : इस विधेयक में प्रधान मन्त्री के पद को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। इसके विरुद्ध मन्त्री महोदय ने यह तर्क दिया है कि यदि लोकपाल को आरोप भेजे जाते हैं तो सरकार का बहुमत होने के बावजूद, हालांकि प्रधान मन्त्री को स्वयं पद त्याग नहीं करना चाहिये फिर भी जब तक वे आरोप विचाराधीन हों तब तक सरकार को शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रहता। ऐसी स्थिति में सरकार समाप्त हो जायेगी।

यदि प्रधान मन्त्री पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये जायें और सभा में उन पर चर्चा की जाय और सभी समाचार-पत्रों में उनका प्रकाशन भी हो परन्तु अन्त में यदि शासक दल प्रधान मन्त्री को संरक्षण दे तो क्या स्थिति होगी ? संसद से प्रधान मन्त्री बरी हो जायेंगे परन्तु जनता पर उसका गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। यह स्थिति भी वांछनीय है। मेरा अभिप्राय यह है कि यदि प्रधान मन्त्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर इस सभा में चर्चा किये जाने के बावजूद सरकार चलाना सम्भव है तो लोकपाल को आरोप भेजने पर भी सरकार चलाई जा सकती है। अत: यह दलील तर्क संगत नहीं है और इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत न्यायपालिका को भी लाया जाना चाहिये। भ्रष्टाचार के विचार से न्यायाधीश तथा साधारण असैनिक व्यक्ति समान हैं। बल्कि यदि न्यायाधीश भ्रष्टाचार का शिकार होता है तो यह और भी गम्भीर बात है क्योंकि उसके हाथ में बहुत से व्यक्तियों का जीवन होता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बनूल) : इस प्रयोजन के लिये न्यायाधीश जांच अधिनियम है।

श्री उमानाथ : न्यायाधीशों के लिये इस विधेयक में भी व्यवस्था होनी चाहिये। जब साधारण व्यक्ति इस विधेयक के अन्तर्गत आते हैं तो उन्हें इससे अलग नहीं रखना चाहिये। हाल ही में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा ने सेवा-निवृत्ति के पश्चात मुंदडा बन्धुओं को एक करोड़ रुपये के कर के भुगतान से बचाने के लिये अपने प्रभाव का उपयोग किया था (**व्यवधान**)

यदि कोई भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी उपक्रम में नियुक्त होता है

तो वह पहले भी ऐसे उपक्रम पर नजर रख सकता है। अतः इस मामले में न्यायापालिका को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरे संशोधनों को भी प्रस्तुत समझा जाय।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री लोबो प्रभु : हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इस विधेयक से शिकायतों का निपटान शीघ्र हो सकेगा ? इसकी प्रक्रिया बहुत लम्बी है। इस प्रक्रिया के अनुसार किसी एक शिकायत से निपटने के लिये तीन वर्ष से कम समय नहीं लगेगा और तब तक लोग उस शिकायत को भूल जायेंगे। अतः यह प्रक्रिया बिलकुल गलत है। इससे दोषो अधिकारियों को समय मिल जायेगा और अन्य लोग उस शिकायत के बारे में सब कुछ भूल जायंगे। अतः इस प्रकार की प्रक्रिया से हम किसी परिणाम तक नहीं पहुँच सकेंगे। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा दोष यह है कि प्रत्येक शिकायत के सम्बन्ध में अन्तिम प्राधिकार राष्ट्रपति को है जिन्हें कार्यपालिका का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है। वह व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित शिकायत भेजेंगे; वह शिकायत राष्ट्रपति द्वारा नहीं तैयार की जायेगी बल्कि वह शिकायत वही विभाग तैयार करेगा जिसने दोषी मन्त्री अथवा सचिव का बचाव किया है। यह सारा मामला धोखा तथा परिहास मात्र है।

इस विधेयक को किसी ने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा, केवल इसका आकार देखा है। बेईमान मंत्रियों तथा सचिवों को अग्रतर संरक्षण देने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है। यदि सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मन्त्री को सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिये। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति कहता है कि अमुक मन्त्री ने अपराध किया है तो उसकी उचित जांच की जायेगी। हम लोकपाल की इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि इस प्रणाली को अपनाने से किसी शिकायत के साथ निपटने में बहुत समय लगेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 6, 7 और 8 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : इस विधेयक के अन्तर्गत प्रधान मन्त्री, सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों, सभी राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों को लाया जाना चाहिये अन्यथा इस विधेयक से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यदि किसी मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाये जाये परन्तु प्रधान मन्त्री मुख्य मन्त्री का समर्थन करना चाहते हों तो वह जांच को रोक सकते हैं। मैसूर के कुछ विधेयकों तथा संसद सदस्यों ने वर्ष 1962 में मैसूर के मुख्य मन्त्री तथा वर्तमान मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाया था कि मैसूर के मुख्य मन्त्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष ने अमरीकी गुप्तचर विभाग से 4 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं··· **(व्यवधान)**

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरा एक व्यवस्था का **प्रश्न** है। माननीय सदस्य राज्य के वर्तमान मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य का विधान मंडल वहां के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोपों की जांच करने में पूर्णतया समर्थ है। संसद में मुख्य मन्त्री के विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोपों का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

सभापति महोदय : जहाँ तक राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा अन्य लोगों का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों को उन पर लगाये जाने वाले आरोपों के ब्यौरे पर इस सभा में चर्चा नहीं करनी चाहिये। परन्तु उस सम्बन्ध में हवाला देने से उन्हें रोका नहीं जा सकता जैसा कि कुछ सदस्यों ने

किसी मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाये थे और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था। इस प्रकार का हवाला दिया जा सकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह मैसूर के वर्तमान मुख्य मन्त्री के बारे में कह रहे थे। हमारी प्रक्रिया के नियमों के अनुसार बिना सूचना दिये इस प्रकार की बातों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय : वह आरोपों का विस्तार से उल्लेख न करें। ऐसा करने के लिये समुचित सूचना दी जानी चाहिये। वह केवल निर्देश दे सकता है।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मामले को मैं आपकी व्यवस्था के लिए रखता हूँ। गृह मन्त्री भ्रष्ट मन्त्रियों की ढाल बन रहे हैं।

जैसा कि श्री उमानाथ ने उल्लेख किया था न्यायपीठ ने मैसूर राज्य में 1168 दुकानों के आवंटन में शीघ्रता एवं पक्षपात से कार्य किया था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आरोपों के विवरण का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा था कि मुख्य मन्त्री ने किसी से रुपया लेकर उसका पक्ष लिया। न्यायालय में केवल मैसूर की सरकार का नाम लिया गया है।

श्री क० लकप्पा : मैंने न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित न्याय निर्णय का उल्लेख किया है।

श्री उमानाथ : उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : परन्तु आपको न्यायालय के निर्णय से आगे नहीं जाना चाहिए।

श्री क० लकप्पा : मैं इस बात पर जोर डाल रहा था कि मुख्य मन्त्रियों को तथा प्रधान मन्त्री को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में मैंने उल्लेख किया कि मैसूर राज्य में, यहां से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, मुख्य मन्त्री राजनीतिक भ्रष्टाचार से सम्बद्ध थे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वे पुनः आरोप लगा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बृतल) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। उन्होंने ऐसी बातें उठाई हैं जिनका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष पर भ्रष्ट-कृत्यों का आरोप लगाया गया है। क्या किसी माननीय सदस्य को किसी पर इस प्रकार भ्रष्टाचार का आरोप लगाने दिया जा सकता है जिसका कि इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं ?

सभापति महोदय : उन्हें विधेयक के सामान्य प्रस्तावों पर ही बोलना चाहिए।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : व्यवस्था के प्रश्न पर मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। आपने इन्हें नामोल्लेख करने से रोका था परन्तु इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का उल्लेख किया है, जो अपना बचाव पक्ष यहाँ नहीं रख सकते।

श्री उमानाथ : उन्होंने अभी अपना वाक्य पूरा नहीं किया। आप उन्हें पूरी तरह सुनने के पश्चात् ही कोई व्यवस्था दें।

प्रधान मन्त्री को इस विधेयक के दायरे में रखने के पक्ष में तर्क देते हुए उन्होंने यह सब बातें कहीं है। ये विधेयक से संगत बातें हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The arguments given by Shri Umanath are very relevant. If we exclude the Prime Minister we would have to exclude the Chief

Ministers as well. It is relevant to refer to the allegations against the Chief Ministers whether in the law courts or outside. The discussious should not be kept restricted like that.

सभापति महोदय : जहां तक मैं समझता हूँ सदस्य ने यह सोचते हुए कि यदि प्रधान मंत्री को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाता है तो मुख्य मंत्रियों को भी विधेयक के दायरे के बाहर रखा जायेगा, इसी दृष्टिकोण से उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। मैं उन्हें, किसी ऐसे व्यक्ति पर जो इस सदन का सदस्य नहीं, आरोप लगाने की छूट नहीं दे सकता। परन्तु न्यायालयों के निर्णय का उल्लेख वे कर सकते हैं।

श्री क० लकप्पा : मैं केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि प्रधान मन्त्री द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा सकता है। मैं यहां केवल यही बताना चाहता हूँ कि कैसे राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री मुख्य मन्त्रियों को संरक्षण दे सकते हैं जिससे कि उन्हें चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्र मिल सके। 1963 में जब वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हार गये...।

सभापति महोदय : आप विस्तार में मत जाइये।

श्री क० लकप्पा : वे मैसूर राज्य का मुख्य मन्त्री बनना चाहते थे इसलिये उन्होंने विधान परिषद के एक सदस्य से त्याग पत्र दिलाया। मैं चाहता हूँ कि प्रधान मन्त्री को विधेयक के दायरे में रखें। प्रधान मन्त्री ने 14.2.1963 को......

सभापति महोदय आप पुनः चर्चा के विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री क० लकप्पा : प्रधान मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री भ्रष्ट आचरणों को संरक्षण देना चाहते थे। जब आरोप पत्र मिलता है तब वे उसे समाप्त कर देते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committee on Private Members' Bills and Resolutions

बावनवां प्रतिवेदन

श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति के 52 वें प्रतिवेदन से, जो 13 अगस्त, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति के 52 वें प्रतिवेदन से, जो 13 अगस्त, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

वैदेशिक व्यापार, सामान्य बीमे इत्यादि के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प
RESOLUTION Re. NATIONALISATION OF FOREIGN TRADE, GENERAL INSURANCE, ETC.

सभापति महोदय : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के भाषण को समाप्त हुआ समझा जाता है। इस संकल्प पर कुछ संशोधन है।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बि० अ० मंडल (माधेपुरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बि० अ० मंडल : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अब्दुल गनीदार : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : संकल्प के प्रस्तावक उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था और कोई सूचना भी नहीं भेजी।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर) : ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि उनका भाषण समाप्त हो गया।

श्री स० क० तापड़िया : श्री पाटोडिया का संकल्प पर अनुपस्थिति में चर्चा की गई थी।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : इस विधेयक के मुख्य प्रस्तावक ने सामयिक राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होकर इसे समय पर विस्फोटित होने वाले बम्ब के समान यहां रखा और स्वयं नहीं आईं, संभवतः इस आशा से कि यह उनकी अनुपस्पिति में विस्फोटित होगा। मेरे विचार से इस पर चर्चा करना व्यर्थ समझता हूँ।

स्वतन्त्र पार्टी तो साम्यवादी दल के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रही है परन्तु प्रतिक्रियावादी सरकार ने इस पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। कुछ लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय करण से दूसरों की जेबों से धन उनके पास आ जायगा। केवल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, शेष को खुला छोड़ दिया गया। किसी ने भी यह सुझाव नहीं दिया कि मेरे सहयोगियों के खातों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। मेरा सुझाव है उनके विदेशों में खातों की पूरी-पूरी जांच की जाये। विदेशो व्यापार के राष्ट्रीयकरण, मुद्रा का चलन बन्द करने आदि बातों से सरकार के इरादे प्रकट होते हैं। यदि वास्तव में सरकार कर छिपाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहती है तो वे वर्तमान कानूनों के अधीन कार्रवाई कर सकती है। परन्तु मैं समझता हूँ कि न तो सरकार का और न उन व्यक्तियों का जिन्होंने इस संकल्प को प्रस्तुत किया है, ऐसा कोई इरादा है।

जिस गंभीरता से यह प्रस्ताव रखा गया है उससे प्रकट होता है कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी की सरकार हास्यास्पद कार्य करती है। इस सरकार के चलते रहने का यही कारण है कि सरकार के भीतर तथा बाहर ऐसे व्यक्ति विद्यमान हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ।

यह चर्चा हमारे वर्तमान संकट को प्रकट करती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश को एक उपयुक्त दिशा मिली है। यद्यपि इससे व्यक्तियों के पारस्परिक हितों में टकराव होता है किन्तु यह एक साहसपूर्ण कदम है। श्री पीलु मोडी आदि माननीय सदस्यों ने दक्षिण कोरिया के श्री री तथा वियतनाम के बाओ दाई जैसे विचार व्यक्त किये हैं। जो कई वर्ष पूर्व व्यक्त किये गये थे।

थे । मेरा निवेदन है कि इन व्यक्तियों के साथ जो हुआ शायद माननीय सदस्य भी उसी की प्रतीक्षा में हैं ।

देश में बैंकों के राष्ट्रीकरण को लेकर काफी विरोध भावना फैली हुई है । कुछ व्यक्ति सम्पत्ति पर आधिपत्य रखना चाहते हैं तथा पूंजी पर एकाधिकार के पक्ष में हैं । अतः वे राष्ट्रीय-करण की निंदा करते हैं तथा इस कार्यवाही का उपहास करते हैं किन्तु राष्ट्रीयकरण एक लक्ष्य या साध्य नहीं है यह साधन है । इसके द्वारा बैंकों में जमा राशि जनता के हाथों में आयेगी तथा उसका लाभदायक उपयोग होगा । हमें इसके अतिरिक्त अन्य उपायों पर भी विचार करना होगा । आज देश की जनता अर्थ व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन चाहती है ।

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

जनता के दिल में प्रजातंत्र प्रणाली के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता जा रहा था । वह समझने लगी थी कि प्रजातंत्र पद्धत्ति में जनता की कठिनाइयों तथा असमताओं को दूर करने की क्षमता नहीं है । युवक वर्ग हिंसक होने पर उतारू होने वाला था । किन्तु इस उपाय से स्थिति सुधर गई है तथा यह कदम उपयुक्त समय पर ही उठा लिया गया है । कोरिया तथा वियतनाम जैसे देशों में जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था लोगों की आवश्यकता को पूरा करने में असफल रही तथा वहां तानाशाही को बल मिला । किन्तु प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश में वैसी स्थिति नहीं आने पाई तथा सरकार ने उपयुक्त समय पर यह कदम उठा कर जनता के मन में पुनः लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति आस्था उत्पन्न कर दी ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगरीय सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव उत्तम है तथा यह मांग प्रशंसनीय भी है । बहुत से स्थानों पर और उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश में लोगों के पास हजारों करोड़ रुपये हैं तथा इस राशि से वे काला बाजार चलाते हैं । अब वे इस धन को भूमि खरीदने में उपयोग कर रहे हैं । किन्तु नवम्बर या दिसम्बर माह में लोग स्वयं मरने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो उपाय सरकार करना चाहती है वह इनके हितों के प्रतिकूल है । ये लोग प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता के नाम पर पिछले 20 वर्ष से गरीब लोगों का रक्त चूसते रहे हैं । किन्तु अब भारत की जनता को सत्य की अनुभूति हो गई । और मुझे आशा है कि अब उसकी विजय ही विजय है ।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि उसे अगला कदम नगरीय सम्पत्ति पर सीमा निश्चित करने के बारे में उठाना चाहिये । बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिये तथा साथ ही अब विदेश व्यापार का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । इसमें भय की कोई बात नहीं है । सरकार के इस उपाय से जनता में उत्साह बढ़ा है तथा उसके मन में नई आशाएँ जागी हैं । माननीय मन्त्री को अब यह घोषणा कर देनी चाहिये कि अन्य उपाय भी शीघ्र ही किये जा रहे हैं जिससे भारतीय जनता को बल मिले तथा वह समझने लगे कि अब प्रजातंत्र व्यवस्था में जागरण आया है । और अब देश कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों, पूंजीपतियों के चंगुल से बच गया है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, Sir, the objectives with which the motion in question has been sponsored are undoubtedly commendable. It envisages nationalising of general insurance, steel trade, foreign investment etc. and fixing a ceiling over

the urban property. The tenor of the motion, thus, is that the blackmoney should be unearthed through the nationalisation that could be utilised for betterment of the general public. I agree with the intention of the mover which is quite praiseworthy and it is the duty of the Government to provide the necessities of life to all the classes of our society.

But what I am surprised of is this that the same Government have been in power since a long period of 20-23 years but such a stringent step was not taken by Shri Nehru or Shri Lal Bahadur Shastri, though the slogan of socialism and all that were repeatedly announced by this Government. The concentration of wealth in a few hands and the exploitation of the poor have never been given a serious thought by the Government. Not only this, patronage has been given to the 75 business houses by the Government resulting in more and more concentration of wealth in the hands of these capitalists who have been ruling over the Indian economy and who have usurped 40 per cent of the total trade under the private sector. The hon. Prime Minister has come forward now to act on the lines which could be followed before. But he has not nationalised all the banks. She has not touched the foreign banks because she has not got so much courage to touch them. I am constrained to say that the policies of our government have been guided by foreign countries. We are free yet our economy is governed by Russia and other countries otherwise our five year plans would come to an end.

Actually, we are not against the principle of nationalisation but we are afraid of the fact that by nationalising the banks an unlimited power will go in the hands of the Government and the bureaucrats who will misuse this power. The money will not be percolated to the poor class but it will be intercepted by certain money-bags which in turn will, as usual, subserve the party in power in getting elected. The Government have been hand and glove with the big industrialists and capitalist who have prevented the Government implementing the various laws and legislations which, if implemented in their real spirit, were capable of removing the concentration of wealth.

Heavy arrears of taxes are pending against so many big industrialist and capitalists. like Aghakhan but they could not be recovered by the Government due to the corruption both in the party in power and the vested interests. Therefore, unless this corrupt Government is dragged aside the objectives of eradicating the concentration of wealth in a few hand and the prosperity of exploited classes can never be achieved. I am prepared to accept the utility of the nationalisation of banks provided the Government take responsibility of providing neccessities of life to the poors and if they undertake guarantee to do so at least by 1971. But I dare say that this Government will never utilise the additional resources got from nationalised banks in providing the accommodation, employment and foodstuff to the poors especially to Harijans but the same will be utilised to concentrate the political power.

At present the Government are leaning towards the dictatorship. The hon. Prime Minister is defying the orders of the President of the party in power on the Presidential election. She wants to maintain her position with help and advice of Communists. But I want to warn her that after two or three years her Communist suporters will bring her down fall. It is quite strange to note that 'peace and progress' radio announced about the proposed nationalisation of banks in India while even Mr. Morarji Desai was not aware of the proposal. Thus, we see that all the policies of this Government are guided by Moscow and not by the needs of the country herself. Therefore, we are against the nationalisation of banks if it is meant for bringing dictatorship in the country.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, Shri Gupta should not be worried about the position of the hon. Prime Minister and Congress Party. She has got her ten-point programme which will be implemented for the benefit of the public.

For a long period of 20-22 years the difference between the poor and the rich

continues to be stratified but now the Government have determined to eradicate this difference. Attempts are to be made to ameliorate the conditions of the peasants, economically backward classes and the labourers. The programmes of rural electrification, supply of drinking water and the medical facilities are to be undertaken by the Government and for implementing these programmes money is badly needed. According to the present conditions we can not expect additional revenue by imposing more taxes because 80 to 90 per cent of the total population can not bar the burden of taxes. We are not interested in mortgaging the country in the hands of any foreign power by demanding more and more loans from them. Therefore we want to utilise the additional sources stemmed from the nationalisation of banks to undertake and implement these programmes which will improve the conditions of the poor.

So far as the urban property is concerned, I suggest the Government should impose a ceiling on the urban property. The Government should take over the property worth over Rs. 2-3 lakhs as has been done in the case of the farmers. If it is done the Harijans and the economically backward people would be provided with better accommodation and other benefits.

I am happy that the proposal is receiving the attention of the Government. I would very much wish for speedy implementation of the Resolution.

Secondly, the inflow of foreign capital, which is a constant drain on our economy, in that it diverts astronomical sums in the shape of profits, should be stopped forthwith.

As to the foreign trade I would like to submit that at present a host of middlemen intercept in this trade and deprive the actual tiller of the soil of his legitimate share in the profit. I would therefore urge for the nationalisation of foreign trade without loss of time.

Next, there is a strong case for the nationalisation of general insurance not only from the income point but from the utilitarian point also. Crop insurance, cattle insurance, house insurance etc. should be brought within the purview of the nationalised insurance. The income accruing from this can be utilised for developmental schemes and projects.

There is, however, one thing in the Resolution which does not carry conviction and that is demonetisation of the currency. I am apprehensive it might harm the poor peasants. As regards the other proposals in the Resolution, I strongly support them and I hope the Government is seized of these problems and steadly moving in that direction.

The days of the capitalists are numbered. The Jan Sangh is on its wane. The I. C. S. officers who have built properties worth crores of rupees are on the vanishing point. They have lived their lease of life. I am waiting for the resurrection of the down-trodden and for the day when the disparity in income will be narrowed to the ratio of 1 : 10 between the lowest and the highest paid. Purging is the necessary concomitant of any revolution and it is a process which rejuvenates the party.

I support this Resolution and wish the Government to accept its spirit and bring its own Resolution.

श्री क० अनिरुद्धन (चिरयन्कलि) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। स्वतन्त्रता से कुछ वर्ष पूर्व कांग्रेस ने कराची में बैंकों, विदेश व्यापार तथा उत्पादन और वितरण के प्रमुख क्षेत्रों के राष्ट्रीकरण के लिये संकल्प पारित किया था। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात् भी सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। केवल हाल ही में 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव लाया गया है। वर्तमान प्रणाली से आज देश में कोई भी सन्तुष्ट नहीं है। अतः वर्तमान प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाने के लिये हमें नई नीति अपनानी होगी।

मैं केरल राज्य से आता हूँ। 50-60 वर्ष पूर्व कुछ यूरोपीय वहां आये और सरकार ने उन्हें हजारों एकड़ भूमि कोड़ियों के मोल दे दी। अब वे लाखों रुपया विदेशों को भेज रहे हैं। इनमें से अधिकांश बागान विशेषत: रबड़, इलायची और चाय के अंग्रेजों के हैं। अत: इनके राष्ट्रीकरण के सुझाव का हम स्वागत करते हैं।

कांग्रेस के 20 वर्ष के शासन काल में बेरोजगारी फैली है। केरल में 18 और 25 वर्ष की आयु के बीच के 13 लाख पढ़े-लिखे व्यक्ति बेरोजगार हैं। आज गांवों और शहरों में लोग बड़ी संख्या में गन्दी बस्तियों में रहते हैं। देश की अर्थ व्यवस्था गहरे संकट में है।

श्री उमानाथ : विचाराधीन विधेयक के आचरण के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा की प्रक्रिया के अनुसार किसी विधेयक के प्रस्तावक को सभा में उपस्थित रहना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय ने अनेक बार यह विनिर्णय दिया है कि किसी विधेयक के प्रस्तावक मन्त्री का उस विधेयक पर विचार करते समय सभा में अनुपस्थित रहना सभा का अवमान है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित मन्त्री को तुरन्त सभा से बुलाया जाता है। कभी-कभी ऐसे अवसर भी आये हैं जब कि मन्त्री महोदय के आने तक सभा की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। किसी विधेयक अथवा सकल्प पर सभा में विचार करते समय यदि प्रस्तावक ही उपस्थित न हो, तो उस पर सदस्यों द्वारा विचार व्यक्त करना निरर्थक सा हो जाता है क्यों सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का ही प्रस्तावक उत्तर देता है। प्रस्ताव के लिये इसलिये उपस्थित रहना भी आवश्यक है क्योंकि उसे यह बताना होता है कि वह प्रस्ताव को वापिस लेने का इच्छुक है अथवा नहीं।

वर्तमान मामले में भी इस संकल्प की प्रस्तावक श्रीमती तारकेस्वरी सिन्हा की अनुपस्थिति सभा के अवमान के बराबर ही है। अब इस संकल्प पर चर्चा प्रायः समाप्त होने वाली है। अत: मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष पीठ इस अनुपस्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त करे।

सभापति महोदय : मैं इसे सभा का अवमान नहीं समझता हूँ। हो सकता है कि माननीया सदस्या इस संकल्प पर मतदान के लिये जोर देना नहीं चाहती हों।

श्री वेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : सभापति महोदय, इस संकल्प में उन सभी बातों को कार्य रूप दिये जाने की व्यवस्था है जिनके लिये सरकार देश में समाजवाद लाने के हेतु वचनबद्ध है। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यह कहते हैं कि वे समाजवाद के समर्थक हैं। वे यह कहते हैं कि बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाये, देश का औद्योगिक विकास हो तथा देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो। किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि जब कभी भी सरकार इस दिशा में कोई कार्य करती है, तो यही लोग सरकार की इस प्रकार की कार्यवाही का विरोध करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत के रूढ़िवाद और पाश्चात्य रूढ़िवाद में अन्तर है। भारतीय रूढ़िवादी कहलाने वाले वास्तव में प्रतिक्रियावादी हैं, जब कि पश्चिम के देशों में रूढ़िवादिता उन्मुक्त प्रतियोगिता का अनुसरण करती है जिससे मूल्य कम रहते हैं। भारत में रूढ़िवादिता का अर्थ है मुनाफे को बनाये रखना। इसलिये भारतीय रूढ़िवादिता को पाश्चात्य रूढ़िवादिता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अनेक असंगत बातें कह-कह लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में पूंजी विनियोजन पर नियंत्रण रहेगा। यह कहना निराधार है कि पूंजी पर बिल्कुल सरकार का एकाधिकार

हो जायगा। कुछ लोग यह कहते हैं कि मंत्रियों, संसद सदस्यों आदि को आम जनता से अधिक पारिश्रमिक तथा सुविधाएं दी जाती हैं जो कि समाजवाद के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। भारत एक विशाल देश है इसमें विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग रहते हैं। हमें इन लोगों में पारस्परिक समन्वय बनाये रखने के लिए तथा देश का शासन चलाने के लिए एक केन्द्रीय प्रशासन की आवश्यकता है। इस प्रशासन को चलाने के लिये हमें उच्च अधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं जो देश के प्रत्येक क्षेत्र का कार्य सुचारु रूप से चलाते हैं। जो लोग यह प्रशासन चलाते हैं वे भिखारियों जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। उनके लिये कुछ सुख-सुविधाओं की व्यवस्था अवश्य करनी पड़ेगी। अतः इस प्रकार बात कहना कि मंत्रियों, अधिकारियों को अधिक सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उचित नहीं है।

हमारी नीतियां नदी के प्रवाह की भांति गतिशील हैं नकि रुके हुये पानी की भांति जिसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। हमारी नीतियां स्पष्ट और प्रगतिशील हैं और देश को प्रगति की ओर ले जाने वाली हैं। इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

राष्ट्रीयकरण एक नीति है। कुछ लोग कहते हैं कि वे राष्ट्रीयकरण में विश्वास करते हैं और वे राष्ट्रीयकरण की नीति को कार्य रूप देना चाहते हैं। किन्तु केवल इतना कहना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, अतः प्रश्न केवल यह कह देने मात्र का नहीं है कि कुछ उपाय किये जाने चाहिये अपितु प्रश्न यह है कि उपायों को कार्य रूप दिया जाये। मैं उन लोगों के विचारों से सहमत नहीं हूँ कि जो यह कहते हैं कि ये उपाय सफल नहीं होंगे। प्रत्येक किस्म की अर्थ-व्यवस्था में भिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप कुछ समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। इन समस्याओं का सामना करने पर ही हम सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं।

जनसंघ पार्टी कहती कुछ और है तथा करती कुछ और है। उसका कहना है कि हमारी पूंजी पर विदेशी प्रभुत्व है। मैं कहता हूँ कि यदि ऐसी बात है कि सरकार द्वारा इस समय अपनाई जा रही नीतियां ही इस समस्या का वास्तविक हल है। सरकार देश को सुदृढ़ आधार पर खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और देश का विकास करना चाहती है। इसी को कार्य रूप देने के लिये वह नीतियां अपना रही है अतः सरकार की इन नीतियों का विरोध करना अनुचित है। विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने से सरकार को करोड़ों रुपये की आय होगी। सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण से भी सरकार को काफी आय होगी। विदेशी पूंजी निवेश देश के विकास के लिये अपेक्षित है किन्तु वह इस सीमा तक नहीं होना चाहिये कि वह हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रभुत्व ही जमा ले।

जहां तक नगरीय सम्पति की सीमा निर्धारण का प्रश्न है, मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करके नगरीय सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित करेगी। नगरीय सम्पति का युक्ति संगत वितरण होना चाहिए ताकि कोई यह अनुभव न करे कि यह सम्पति केवल कुछ ही लोगों के अधिकार में है।

विमुद्रीकरण काले धन को बाहर निकालने का केवल एक साधन मात्र है। सरकार द्वारा लगाये गये नियंत्रणों से काले धन के बाहर निकल जाने की आशा है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि केवल उन लोगों की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है जो हमारी अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित किये हुए

हैं। हमारी जनता तभी स्वतंत्र हो सकती है जब उन्हें ऐसे प्रभाव से मुक्त किया जाये जिससे हमारे देश के विकास में बाधक प्रभावों को दूर किया जाये।

उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के बारे में

Re : ABSENCE OF DEPUTY SPEAKER

सभापति महोदय : मुझे अध्यक्ष से उन्हें लोक-सभा के उपाध्यक्ष से प्राप्त एक पत्र पढ़ने का निदेश मिला है। पत्र में कहा गया है :

"प्रिय श्री ढिल्लों,

मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि कल इस सभा में मेरी अनुपस्थिति का प्रश्न उठाया गया था। आपको स्मरण होगा कि मैंने आपको पहले ही सूचित किया था कि मेरा इलाज चल रहा है और मुझे सलाह दी गई है कि मैं लगातार शारीरिक और मानसिक कार्य के बोझ से बचूं। मैंने यह भी कहा है कि मेरे भाई साहब हृदय रोग से पीड़ित हैं और उनका बम्बई में इलाज हो रहा है अतः हो सकता है कि मुझे बम्बई जाना पड़े। यदि इस मामले में माननीय सदस्य और जानकारी चाहें तो तदनुसार कृपया उन्हें सूचित कर दीजिये।

सादर,

भवदीय,

ह० आर० के० खाडिलकर

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : कृपया आप उन्हें सूचित कर दें कि हम चिन्तित हैं और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं।

वैदेशिक व्यापार, सामान्य बीमे इत्यादि के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION Re. NATIONALISATION OF FOREIGN TRADE, GENERAL INSURANCE-ETC. CONTD.

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : Mr. Chairman, Sir, the Congress Government have always been raising a slogan of socialism but in practice they have not been able to bring any socialism in the country. They use this slogan as a device for geting votes. The Government admit themselves that per capita daily income of 28 crores of the people of the country is not more than seven annas. What to say of socialism out side the House even there is no socialism in the House itself the salary of a Member of Parliament is Rs. 500/- a month whereas the Prime Minister gets Rs. 5,000 a month. Mahatma Gandhi fought for a principle. The nation which Bapu wanted to build, is not being built.

Government are spending Rs. 245/- per month on dogs imported from America for detecting crimes whereas the salary of a teacher of a District Board school who is the real nation builder, is only Rs. 75/- a month. This system must be changed.

This Government cannot bring socialism because it has its root in the capitalism. Although nationalisation of banks has been effected, it has not yet benefitted the poor because capitalists have still big hold on the banking industry.

It is necessary to change the order of the rule if we really want to bring in socialism in the country. We will have to instal a Government which may be guided by the principles of Mahatma Gandhi otherwise capitalism would reign the country in the name of socialism. I want to know whether those people who pay Rs. 1500/- as rent per day for luxurious accomodation in Ashoka Hotel are not capitalist and parasites ?

The Government have adopted a very discriminating policy towards the peasants. In their case a long and delaying procedure is followed while granting them loans and qper cent interest is charged on these loans whereas these capitalists are given loans within no time and at the rate of 6 per cent interest. Similarly a farmer who increases agricultural production is charged 16 paise per unit for the electricity supplied to him for tube vells and other agricultural purposes, but in the case of an industrialist, electricity is supplied at a nominal rate of 3 paise per unit. Unless we introduce a change in our basic approach, we cannot achieve our aims of bringing real socialism in the country.

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : For the last so many years, the congress has been raising the slogan of socialistic pattern of society. We have heard of socialism but the term "socialistic pattern of society" is not used any where in the world which shows the expression is not only an ambiguity but also a hypocracy. That is why I have moved my amendment to substitute this expression by "socialism" and in my other amendment I have suggested to the Government to bring the disparity of highest and lowest income groups to the ratio of 1 : 10 as also to nationalise all means of production.

How can we achieve socialism when there is a vast difference between the income of the highest and the lowest income groups ? Even in Government service we see the wide disparity between pay scales of highest paid officers and a messenger. Still we talk of socialism.

If the Congress wants to bring socialism, my amendment should be accepted by the Government otherwise the socialism cannot be brought in any other manner.

[**श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए**
Shri Prakash Vir Shastri in the Chair]

In my opinion, if they want to bring socialism in the country they should nationalize all the means of production. For this purpose they should accept our amendment.

श्री एस० कन्डप्पन (मेटूर) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं इस संकल्प के प्रस्तावक को बधाई देना चाहता हूँ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद देश की जनता में आशा की एक लहर आई थी और यह अच्छा भी होगा यदि सरकार इतने ही उत्साह से भविष्य में भी प्रगतिशील नीतियों का अनुसरण करती रहे। जहां तक संकल्प में निहित आशय का सम्बन्ध है, सरकार उससे पूर्णतः सहमत है, मेरा ऐसा विचार है। परन्तु कुछ मामलों में एकदम राष्ट्रीयकरण करना सरकार के लिए कठिन है। इसके लिए सरकार को समय की आवश्यकता होती है। जहां तक वैदेशिक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, सरकार ने पहले ही राज्य व्यापार निगम की स्थापना कर रखी है। इस मामले में तो सरकार इस निगम के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके ही अभीष्ट प्राप्त कर सकती है। इस्पात उद्योग का एक बड़ा अंश सरकार के हाथ में है अतः इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण में भी सरकार के सामने कोई कठिनाई नहीं आयेगी। विदेशी कम्पनियों को अपने हाथ में लेने, नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और काले धन को समाप्त करने के लिए भी सरकार निकट भविष्य में कोई कार्य अवश्य करेगी। जहां तक सामान्य बीमे का प्रश्न है, सरकार ने जीवन बीमे को इसके सम्पूर्ण दोषों सहित राष्ट्रीयकृत कर रखा है।

इसी संदर्भ में मैं फसल बीमे की कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है। सरकार भी कई बार यह आश्वासन दे चुकी है कि वह इसके लिए एक परीक्षणार्थ परियोजना लायेगी। परन्तु अभी तक वह परियोजना अस्तित्व में नहीं आई है। मैं बलपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि अब सरकार को सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करके फसल बीमे की योजना शुरू कर देनी चाहिये। ग्रामीण जनता सदा से उपेक्षित रही है क्योंकि वह शान्त प्रकृति की और अल्पभाषी होती है। उसके पास समाचारपत्रों का सहारा भी नहीं होता। वह अब भी पिछड़ी हुई है। फसलों का बीमा उसके लिये एक अनिवार्य आवश्यकता है। आज शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र घाटे में रहता है। अतः मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि गांधी शताब्दी वर्ष में ग्रामीण जनता के हित के लिए फसल बीमा योजना प्रारम्भ कर दी जाये। इससे ग्रामीण जनता को जो देश की रीढ़ की हड्डी के समान होती है अत्यधिक लाभ होगा। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में आश्वासन देगी।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में सरकार पहले से ही वचनबद्ध है। आज कुछ लोग दिल्ली, बंगलौर और मद्रास जैसे बढ़ते हुए शहरों में भूमि खरीदते हैं और कुछ समय बाद उसे कई गुना दामों पर बेच कर बिना परिश्रम किये ही अपार धनराशि कमा लेते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रकार की सौदेबाजी को बन्द करने के लिए तत्काल कोई कार्यवाही करे तथा नगरीय सीमा की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाये। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूँ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Mr. Chairman, Sir, a country is like a body. If every system of body works well, it is said to be healthy. Similarly, if means of production are properly and equitably distributed among the public and every gets what he requires to lead his life in a particular country, we can say that there is a sound economy. Non-existence of disparity between rich and poor is also a sign of healthy economic system. It is misfortune for our country people that the gap between rich and poor is still increasing even after a number of years of independence. Compliments are being paid for nationalization of banks. But it will yield no good results if evils and corruption rampant therein are not eradicated.

It is also necessary that our economy should be balanced. Till now it is not so. There is no ceiling on urban property while ceiling on agricultural holdings has been imposed in certain States. I favour the idea that ceiling should be imposed on urban property also. I want to add one thing more. Pay scales should also be fixed on the basis of rationalization and socialistic pattern. In U. P. the pay scale for a peon is Rs. 30/ per month plus some dearness allowance while there are some officers who get Rs. 3000/- per month. There should not be such a great disparity in pay scales. These all things are necessary for a balanced economy.

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Chairman, I am thankful to you for a chance you have givenme to speak on this resolution. I fully support this resolution because it is a very good resolution. I would request the Government to accept it. Now the principle of free voting was declared by Government, So I make an appeal to all concerned that it should be passed. I want to know the reason why the resolution of nationalization for foreign trade moved by Shrimati Tarkeshwari Sinha should not be passed.

I favour the nationalization of banks. I want that all foreign investment in India should be taken over. I also want that an inquiry should be conducted in respect of deposits made by the Ministers in foreign banks. Foreign investment should also be controlled. With these words I support the resolution moved by Shrimati Tarkeshwari Sinha and request her not to withdraw it.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सभापति महोदय, श्रीमान, जहां तक श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के संकल्प का सम्बन्ध है, मैं उसमें निर्धारित प्राथमिकताओं से सहमत नहीं हूँ। उदाहरणार्थ उन्होंने इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण को प्राथमिकता दी है जबकि मैं तेल उद्योग को प्राथमिकता देना चाहता हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसमें विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र नहीं किया है। हमने सदा इस बात पर बल दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक बार बहुत पहले भी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का संकल्प इस सभा में लाया गया था। परन्तु उस समय सरकार ने उसे नहीं माना था। श्री सी० डी० देशमुख, श्री कृष्णमाचारी, श्री मोरारजी देसाई या श्री सचिन चौधरी के वित्त मन्त्रीत्व काल में इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया।

श्री पीलु मोडी को हर स्थान पर साम्यवाद ही नजर आता है। वह इस संकल्प को भी साम्यवादी रंग से रंगा हुआ देख रहे हैं। इसके विपरीत श्री कंवरलाल गुप्त में विरोधाभासों का जमघट है। एक ओर वह एकाधिकार को समाप्त करना चाहते हैं दूसरी ओर वह बैंक राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं। जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तब तक एकाधिकारों को कैसे तोड़ा जा सकता है। एकाधिकार तोड़ने की दिशा में यह एक कदम है।

इस प्रस्ताव पर विचार करते समय मैं विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर बल देना चाहता हूँ। यहां पर तीन बड़े विदेशी बैंक हैं जिनमें जमा राशि 300 करोड़ रुपये हैं। ऐसे विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। मेरी समझ में यह नहीं आया कि उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया। सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण पर भी मैं सहमत हूँ। साथ ही मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि सभी विदेशी तेल कम्पनियों को भी सरकार अपने हाथ में ले ले, क्योंकि वे देश को लूट रही हैं।

जहां तक आयात और निर्यात व्यापार का सम्बन्ध है, उससे भी गैर सरकारी क्षेत्र में लोगों के करोड़ों रुपये बन रहे हैं।

जहां तक इस संकल्प के पाठ का प्रस्ताव है, मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है और यदि यह प्रस्ताव इसी रूप में अथवा संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे इस प्रस्ताव पर तो नहीं परन्तु इस प्रस्ताव को रखने वाले व्यक्ति पर आश्चर्य है क्योंकि सदन के बाहर श्रीमती सिन्हा ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सरकार की कार्यवाही का विरोध किया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : कब ? माननीय सदस्य मुझे बतायें कि यदि इन सब वर्षों में मैंने एक भी बार बैंकों के राष्ट्रीयकरण, निजी थैलियों को समाप्त करने और दस-सूत्री कार्यक्रम का विरोध किया है। उन्हें अपनी धारणा को ठीक करना चाहिये और सभा के समक्ष सच बात ही रखनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैंने यह कभी नहीं कहा कि इन सब वर्षों में उन्होंने इसका विरोध किया। मैं तो गत मास की 19 तारीख के बाद से उनकी स्थिति का उल्लेख कर रहा हूँ।

उन्होंने इस महीने की 2 तारीख की 'करेंट' पत्रिका में एक लेख लिखा है, जिसमें सामान्य रूप से प्रधान मन्त्री की आलोचना की गई है। मैं उसमें से कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूँ।

"One cannot deny that she . . . ."

मैं समझता हूँ कि 'She' से तात्पर्य प्रधान मंत्री से है।

"arranged her cards in such way that by showing determination towards nationalisation, she has brought creditworthiness to her remarkabl: document that it was seriously meant to be implemented. . . . Actually she had decided about the strategy of linking the exit of the Finance Minister with her economic strategy. . . . "

श्रीमती सिन्हा के वैदेशिक व्यापार, सामान्य बीमा, इस्पात उद्योग आदि के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प को लेकर यही बात श्रीमती सिन्हा के बारे में भी कही जा सकती है। उन्होंने अपने लेख में प्रधान मन्त्री के बारे में आगे कहा है :—

"She does not seem to be guided by purposefulness but is governed by moods and strategy to out-manoeuvre the Syndicate."

"Even her proposal to nationalise banks which has received support from a large number of people was out of vindictiveness."

इसलिए मैं कह सकता हूँ कि श्रीमती सिन्हा ने यह प्रस्ताव प्रधान मन्त्री को नीचा दिखाने और द्वेष की भावना से रखा है। उनका सभा में और बाहर दृष्टिकोण भिन्न है।

मैं इस प्रस्ताव के पाठ का समर्थन करता हूँ, यदि इसमें उचित शब्दों का प्रयोग किया जाये और इसमें सुधार किया जाये, जिसमें इस देश की प्रगति के लिये उठाये जाने वाले कदम बताये जायें। लेकिन मैं उन परिस्थितियों का समर्थन नहीं कर सकता, जिनमें प्रस्तावक ने यह प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया है।

श्री लोबो प्रभु (उड्डीपी) : सभापति महोदय, मैं दो शर्तों पर इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। एक यह कि इससे साधारण आदमी को लाभ हो और दूसरे यह संविधान के विरुद्ध न हो। हम सब यहां पर साधारण आदमी के लिये चिन्तित हैं और उनके मतों के आधार पर ही यहां पर चुनकर आये हैं। मैंने कल ही प्रश्न पूछा था कि क्या साधारण आदमी को रोजगार और जीविकोपार्जन के उसके अधिकार का आश्वासन दिया जायेगा। यदि आप ऐसा संकल्प नहीं ला सकते, तो कृपा करके अपने आप को साधारण आदमी के हितों का दावेदार न कहो।

हमें इन प्रस्तावों पर साधारण आदमी के हितों की दृष्टि से और संविधान को ध्यान में रखते हुए विचार करना है। यद्यपि हम संविधान के कारण ही यहां पर है, संविधान का विरोध करने वाले दल भी संविधान के कारण ही यहां पर हैं, हममें उसके प्रति सम्मान नहीं है। हम अनुच्छेद 19 (च) और (छ) से अनभिज्ञ हैं, जिसके द्वारा सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान की गई है और कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। हम नहीं जानते कि अनुच्छेद 14 भी है, जो कानून की दृष्टि में प्रत्येक नागरिकता को समानता प्रदान करता है। यही स्थिति अनुच्छेद 31 की है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के अतिरिक्त और उचित प्रतिकर दिये बिना किसी व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं ले सकता है।

यदि इस सभा का यह प्रस्ताव है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये उचित प्रतिकर दिया जाये, तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन यह साधारण आदमी के हितों के विरुद्ध है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर 150 करोड़ रुपए लागत आयेगी। आज प्रातः खाद्य मन्त्रालय में मेरे साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने मुझे टेलीफोन किया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का परिणाम यह हुआ है कि उनकी पास बुक खो जाने पर उन्हें मौखिक रूप से बताया गया है कि वित्त मन्त्रालय से पूछा जा रहा है कि पास बुक खो जाने पर क्या किया जाये। जनसाधारण को इसका यह लाभ हुआ है।

आप देखेंगे कि बैंक को पैसा देने के बाद आपको अपना धन वापस नहीं मिलेगा। इसे शेयरों में बदला जा सकता है।

राष्ट्रीयकरण के विशिष्ट प्रस्तावों में पहला वैदेशिक व्यापार का है। हमारा वैदेशिक व्यापार लगभग 3100 करोड़ रुपए का है। क्या आप इतने धन की व्यवस्था कर सकेंगे? आज राज्य व्यापार निगम 150 करोड़ रुपए से काम कर रहा है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम 65 करोड़ से काम कर रहा है। क्या आप इसका बोझ बेचारे करदाता पर डालेंगे। इस राष्ट्रीयकरण का परिणाम क्या होगा? उदाहरण के लिये राज्य व्यापार निगम सुपारी की आठ गुना कीमत और नायलोन की छः गुना कीमत ले रहा है। राज्य व्यापार में इस प्रकार की मुनाफाखोरी हो रही है। जनसाधारण को आप इस मुनाफाखोरी का शिकार बना रहे हैं।

अगला प्रस्ताव सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण का है। मुझे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि जीवन बीमा निगम में, जिसने ओरियेंटल इन्श्योरेंस को अपने अधिकार में ले लिया, सामान्य बीमे की तुलना में प्रबन्ध व्यय 12 प्रतिशत अधिक है। क्या आप जनसाधारण पर इस फालतू व्यय का भार डालना चाहते हैं। खाद्य निगम के क्रय और विक्रय मूल्य में 33 प्रतिशत का अन्तर है। यही आपका राष्ट्रीयकरण है।

शहरी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण के बारे में प्रश्न उठते हैं कि उसके लिये कितना और किसके द्वारा प्रतिकर दिया जायेगा और इस सम्पत्ति को कौन प्रयोग करेगा? क्या आपने इन पहलुओं पर विचार किया है? हमें इसके सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए। यह कहना तो बहुत सुन्दर लगता है कि हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम जनता के सेवक हैं। आप एक विशेषाधिकार प्राप्त कुछ व्यक्तियों को एक नई व्यवस्था के हिमायती हैं। आपने अभी अपना दैनिक भत्ता बढ़ाया है। पहले उसका राष्ट्रीयकरण कीजिये। बढ़ा हुआ भत्ता न लेकर दिखाइये, तब आप जनता के सेवक बनेंगे। आप जो कुछ कहते हैं, उसे करके दिखाइये।

Shri Prem Chand Verma : (Hamirpur) Mr. Chairman, I support the resolution before the House. Shri Lobo Prabhu said that Rs 3000 crores were required for nationalisation of foreign trade and wanted to know how this amount would be provided. The hon. Member should know, if he has some knowledge of business, that in business all the money is not required immediately and as the turn over money is received, it is invested. Thus this cycle goes on. With the imports and sale by Government agency, we will be receiving back the money. The only difference will be the profit now being taken away, by the capitalists will go to the Government. As for the requirement of funds, the money available from the nationalisation of banks can be utilised for the purpose. Of course, it will be a set back for the capitalists.

I feel that it is essential to put a ceiling on urban properry. I have collected detailed statistics on the subject and I have arrived at the conclusion that all problems regarding shortage of housing etc. and the hardships faced by the poor, can be solved if we put a ceiling on urban property. The urban property above the prescribed ceiling can be taken over after pay compensation on the basis of 8 or 12 times the rent. The ceiling may be fixed at Rs. 15 lahbs for 'A' class cities, Rs. 10 lakhs for 'B' class cities, and Rs. 5 lakhs for 'C' class cities. It is not proper that one person may own buildings worth Rs. 5 crores. When you have taken over land of the poor **Zamindar,** whose value was Rs. 10,000 only, it is not proper to allow people to own property worth Rs. 5 crores. It does not fall in line with your idea of socialistic pattern of society.

A reference was made to black money. It is not desirable to change the currency for the purpose. Concrete steps should be taken to unearth black money. Government may grant

certain concession to encourage people to disclose black money holdings. If this does not give desired results, deterrent and strong legislation should be enacted for the purpose. The premises of the big people should be searched and they should be asked the source from where they have purcha'ed carpets of Rs. 50,000 each, motor cars worh Rs. 1 lakh each.

As regards the steel industry. I am of the opinion that the public sector steel plants can be a success only if we nationalise the steel plants in the private sector. It is a basic industry. If this basic industry, is owned by the state, only then we can advance towards the goal of socialism. With these words I support this motion.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bagpar) : Mr. Chairman, I shall confine myself to the proposal to fix a ceiling on urban property mooted by Shrimati Tarkeshwari Sinha. I welcome her suggestion. 82 per cent people in this country live in villages and 18 per cent only live in the cities. There are only 13 cities having a population of more than 5 lakhs and only two have a population of 4 lakhs. When we attained freedom, we thought that exploitation was going to be stopped very soon. I think that **zamindari** has been abolished in all the s'ates except Bihar and a ceiling has been fixed on rural and agricultural holdings.

In my state. U. P , one person cannot own more than 125 acres of land. It means that his land holdings will be at the most worth Rs. 60-65 thousand even if it is the best land You have put no ceiling on holding of property by 18 per cent population living in cities, out of which only 3 per cent own the urban property. It leads one to believe that Government is dominated and influenced by those 3 per cent people and acts keeping in view their interest and the interest of 97 per cent of the people are being neglected. The exploitation by these 3 per cent people should be stopped.

In my constituency properties of people, who laid down their life on the altar of freedom in 1857, were seized by British Government and awarded to those traitors who joined hands with the British Government and the people of those villages were known as 'rebels' and their generations were known as rebels, when these people were returned their property in U. P. after **zamindari** abolition after paying ten times the value. Their property should have been restored to them free of cost. It is an example of grave injustice.

The concentration of urban property into few hands is leading to corruption. Most of cases in courts in the urban areas relate to building disputes. If the buildings in the cities are taken over by Government the hard earned money of the people being spent on litigation may be saved and the people may be saved of the botheration in courts. This exploitation in the cities should be done away with. The slogan of socialistic pattern of society is meant only to mislead and deceive the people. After exploiting a slogan for five or seven years a new slogan is given. If Government is really interested in bringing socialism in the country, the concentration of urban property in the hand of 3 per cent of the population should be ended.

Shri Shinkre (Panjim) : Who are the people who actually support nationalisation? Are these Shrimati Tarkeshwari Sinha and Inderjit Gupta or Shrimati Gandhi or Prof. Mukherji.

I had always been supporting nationalisation. But I find we are not able to successfully implement nationalisation proposals. This brings disappointment in the public. This in turn may arouse the public who may do anything.

Today a resolution on the nationalisation of Foreign trade etc. is being discussed.

I want to ask Shrimati Sinha and also the Government whether they would create machinery to implement nationalisation.

We should see while placing these programmes before the people that whether or not we shall be able to implement them.

I whole-heartedly support this resolution.

Shri George Fernandes (Bombay South) : This resolution has taken much more time than was allotted for it. I may be allowed to put up my proposal for the improvement of service and other conditions of schedule castes and schedule tribes.

सभापति महोदय : मैं उन्हें समय दूँगा ।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgon) : Shrimati Tarkeshwari Sinha had been active worker among progressive students. We should be happy at this move and utilise this measure against the capitalists. If they believe that they shall be able to defeat Shri Sanjiv Ready, ...

सभापति महोदय : आप संकल्प की परिधि से बाहर जा रहे हैं ।

Shri Abdul Gani Dar : When Mahatma Gandhi was the leader, Shri Motilal Nehru grand father of Indira Gandhi left the Congress and formed Swarajya Party. His grand daugher shall form a new party.

Shri Sashi Bhushan: I object to it.

Shri Abdul Gani Dar : I have to say that when attacks were made on Shrimati Tarkeshwari Sinha then they did not think of it.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is our internal affair. Why do you intervene ?

Shri Abdul Gani Dar : We nationalised Life Insurance. Our premiums are 65 per cent higher than those in other countries. If that is going to happen with the General Insurance the matter requires consideration.

Though I am in favour of Public sector and for nationalisation, I have to say that who-so-ever may form the Government, persons well versed in economics may be put in charge of past-nationalisation affairs. Had good persons been posted in charge of Public Sector, there would have been no lapses. In 1957, Shri V. V. Giri was defeated but after two months he was appointed as Governor.

Shri Georage Fernandes : Please allow me to move my resolution formally.

सभापति महोदय : वे अपना प्रस्ताव रखें और बैठ जायें ।

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य लगभग 20 मिनट लेंगे ।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाये ।"

श्री शशि भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पर चर्चा समाप्त कर दी जाये क्योंकि 6 बजे गये हैं ।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : यह मेरा प्रस्ताव है । वे सदन के सदस्य के विशेषाधिकार पर आघात कर रहे हैं । मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करूँगी ।

Shri Shashi Bhushan : She has no right to say that I am a socialist of lower degree.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वे रूस के एजेन्ट हैं ।

श्री जि० मो० बिस्वास (चित्तौरगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमती सिन्हा ने श्री शशि भूषण पर रूस का एजेन्ट होने का आरोप लगाया है।

सभापति महोदय : सभा सोमवार 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 18 अगस्त, 1969/27 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, August, 18, 1969/Sravana 27, 1891 (Saka)

Tirthraj Press, Allahabad.